महानगर नई दिल्ली मंगलवार 17 दिसंबर, 2019, रु. 5.00 (14 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

हिंसक प्रदर्शनों व उपद्रव पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा-

विद्यार्थी होने भर से कानून हाथ में लेने का हक नहीं

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 16 दिसंबर।

सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और उपद्रव पर सोमवार को सख्त रूप अपनाया और कहा कि यह सब फौरन बंद होना चाहिए। अदालत ने याचियों से कहा कि प्रदर्शन और हिंसा रोके जाने के बाद ही सुनवाई होगी। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि अगर हिंसा रोकी जाती है तो अदालत मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करेगा। अदालत को तंग नहीं किया जा सकता। हम केवल तभी कुछ कर सकते हैं जब दंगे रुक गए हों। सिर्फ इसलिए कि विद्यार्थी हैं, आप सब कुछ नहीं कर सकते। विद्यार्थी होने भर से आपको कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं मिल जाता।

नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शन करने उतरे अलीगढ़ मुसलिम विश्वविद्यालय और नई दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों पर पुलिस की 'बर्बर कार्रवाई' के आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई करने पर शीर्ष अदालत ने सहमति जताई, लेकिन कहा कि वह हिंसा के ऐसे माहौल में इस मुद्दे पर सुनवाई नहीं करेगी। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अगुआई वाले पीठ ने कहा, 'हम

बाकी पेज 8 पर

प्रधान न्यायाधीश ने कहा

अगर हिंसा रोकी जाती है तो अदालत मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करेगी।

विरोध प्रदर्शन ऐसे ही चले और सार्वजनिक संपत्तियों को नष्ट किया गया तो हम कुछ नहीं करेंगे।

जामिया में प्रदर्शन

विद्यार्थियों के समर्थन में धरने पर बैठीं प्रियंका

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली,16 दिसंबर।

नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शन करने उतरे जामिया मिल्लिया इस्लामिया और देश के अन्य विश्वविद्यालयों के छात्रों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में पार्टी

बाकी पेज 8 पर

'दिल्ली पुलिस के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराएंगे'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 16 दिसंबर।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया के आसपास रविवार को हुई हिंसक घटना के बाद बिना इजाजत जबर्दस्ती विश्वविद्यालय परिसर में दिल्ली पुलिस के घुसने के खिलाफ जामिया प्रशासन प्राथमिकी दर्ज कराएगा।

इतना ही नहीं इस घटना की उच्चस्तरीय जांच के लिए विश्वविद्यालय केंद्रीय मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय से एक समिति गठित करने की मांग भी करेगा। ये बातें

बाकी पेज 8 पर

प्रोफेसर नजमा अख्तर

नागरिकता कानून से कोई भारतीय प्रभावित नहीं होगा : मोदी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 16 दिसंबर।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संशोधित नागरिकता कानून पर हिंसक प्रदर्शन को दुखद व बेहद निराशाजनक करार दिया। उन्होंने कहा कि इस कानून को लेकर किसी भी भारतीय को चिंतित होने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह सिर्फ ऐसे लोगों के लिए है जो बाहर वर्षों से प्रताड़ना के शिकार थे।

प्रधानमंत्री ने ट्वीट में कहा कि संशोधित नागरिकता कानून स्वीकार्यता, सौहार्द, करुणा व भाईचारे की भारत की सदियों पुरानी संस्कृति की व्याख्या करता है। हम निहित स्वार्थ वाले समूहों को हमें बांटने और गड़बड़ी पैदा करने की इजाजत नहीं दे सकते। मैं पूरी तरह से देश के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि संशोधित नागरिकता कानून को लेकर किसी भी भारतीय को चिंतित होने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह किसी भी धर्म से जुड़े किसी भी नागरिक को प्रभावित नहीं करता है। यह सिर्फ ऐसे लोगों के लिए है जो बाहर वर्षों से प्रताड़ना के शिकार थे और उनके लिए भारत के अलावा और कोई स्थान नहीं था।

मोदी ने कहा कि संशोधित नागरिकता कानून पर हिंसक प्रदर्शन दुखद व बेहद निराशाजनक हैं। लोकतंत्र में चर्चा, परिचर्चा और मतभेद महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं लेकिन सामान्य जीवन को

बाकी पेज 8 पर

जामिया के समर्थन में देश भर में एकजुट हुए छात्र

नई दिल्ली, 16 दिसंबर (भाषा)।

यहां स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय परिसर में पुलिस की कार्रवाई से पैदा हुआ तनाव सोमवार को हैदराबाद, लखनऊ, मुंबई और कोलकाता सहित देश के कई विश्वविद्यालय परिसरों में फैल गया।

संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ दिल्ली में जारी प्रदर्शन ने उस समय उग्र रूप ले लिया था जब रविवार को पुलिस ने जामिया मिल्लिया इस्लमिया विवि के पुस्तकालय के अंदर आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया और विश्वविद्यालय की अनुमति के बिना परिसर में दाखिल हो गई।

इस पूरे प्रकरण की जांच की मांग करते हुए सोमवार को सैकड़ों छात्र दिल्ली की सड़कों पर उतर आए। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने जामिया के छात्रों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए

बाकी पेज 8 पर

उन्नाव बलात्कार कांड में विधायक कुलदीप सेंगर दोषी करार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 16 दिसंबर।

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उन्नाव में 2017 में नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार का दोषी ठहराया। जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने हालांकि मामले में एक अन्य आरोपी शशि सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया। न्यायाधीश ने कहा कि 'शक्तिशाली व्यक्ति' के खिलाफ पीड़िता की गवाही 'सच्ची और बेदाग' है। अदालत सेंगर को बुधवार को सजा सुनाएगी।

सह आरोपी शशि सिंह सभी आरोपों से बरी

सेंगर को बुधवार को सुनाई जाएगी सजा

सेंगर को आइपीसी के तहत बलात्कार और पोक्सो अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया है। सेंगर ने 2017 में एक युवती का अपहरण करने के बाद उससे बलात्कार किया था। उस समय युवती नाबालिग थी। पॉक्सो अधिनियम के तहत इस आरोप के लिए अधिकतम आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।

पॉक्सो अधिनियम के तहत सेंगर (53) को दोषी ठहराते हुए अदालत ने कहा कि सीबीआइ ने साबित किया कि पीड़िता नाबालिग थी और इस विशेष कानून के तहत चलाया गया मुकदमा सही था। न्यायाधीश ने फैसला पढ़ते हुए कहा, 'मैंने उसके बयान को सच्चा और बेदाग पाया कि उस पर यौन हमला

बाकी पेज 8 पर

फैसला सुनकर रो पड़ा

दिल्ली की एक अदालत द्वारा सोमवार को उन्नाव बलात्कार मामले में दोषी ठहराए जाने के फौरन बाद भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर अदालत में ही रोने लगा। वह अपनी बहन के बगल में रोता दिखाई दिया।

बलात्कार के मामलों के त्वरित निपटारे पर गौर करेगी समिति

नई दिल्ली, 16 दिसंबर (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में बलात्कार के मामलों के त्वरित निपटारे पर गौर करने के लिए सोमवार को दो न्यायाधीशों की एक समिति का गठन किया।

सूत्रों ने सोमवार को बताया कि प्रधान न्यायाधीश

बाकी पेज 8 पर

बांदीपुरा और राजौरी जिले की घटनाएं

सीमा पर पाक गोलाबारी, तीन जवान शहीद

जम्मू, 16 दिसंबर (भाषा)।

जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास सोमवार को भारतीय सेना और संदिग्ध घुसपैठियों के बीच भीषण गोलीबारी में भारतीय सेना के दो जवान शहीद हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

उधर बांदीपुरा जिले के गुरेज सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से बिना उकसावे के किए गए संघर्षविराम उल्लंघन में सेना का एक जवान शहीद हो गया। अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तानी सेना भारतीय चौकियों पर भारी गोलाबारी करके संदिग्धों की घुसपैठ में सहायता कर रही है। उन्होंने कहा कि सेना के जवानों को सुंदरबनी सेक्टर में केरी बटाल क्षेत्र में नियंत्रण रेखा के पास 'संदिग्ध गतिविधियों' की जानकारी मिली। उन्होंने बताया कि एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद पाकिस्तान की ओर से भारी गोलीबारी की गई, जिस पर भारतीय सैनिकों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की।

पाकिस्तानी सेना ने सोमवार को गुरेज सेक्टर में बिना उकसावे के संघर्षविराम उल्लंघन किया

उधर बांदीपुरा जिले के गुरेज सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से बिना उकसावे के किए गए संघर्षविराम उल्लंघन में सेना का एक जवान शहीद हो गया। सेना के एक अधिकारी ने बताया, 'पाकिस्तानी सेना ने सोमवार को गुरेज सेक्टर में बिना उकसावे के संघर्षविराम उल्लंघन किया। हमने प्रभावी तरीके से जवाब दिया। पाकिस्तानी फौज की गोलाबारी में एक जवान की मौत हो गई।' जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की तरफ के कई बंकर सेना के जवानों ने नष्ट कर दिए हैं। पाकिस्तानी सेना ने पुंछ जिले के मनकोट सेक्टर में भी संघर्षविराम का उल्लंघन किया।

आजम के बेटे की विधायकी अवैध घोषित

प्रयागराज, 16 दिसंबर (भाषा)।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सांसद आजम खान के बेटे और स्वार विधानसभा सीट से विधायक मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान की विधानसभा से सदस्यता सोमवार को अवैध घोषित कर दी। न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी ने नवाब काजिम

बाकी पेज 8 पर

'आरटीआइ का दुरुपयोग रोकने के लिए दिशानिर्देश बनाने होंगे'

नई दिल्ली, 16 दिसंबर (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि आरटीआइ का दुरुपयोग रोकने और इसके माध्यम से 'आपराधिक धमकी' पर रोकथाम के लिए सूचना का अधिकार कानून के लिए दिशानिर्देश बनाने की जरूरत है।

केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) और राज्य सूचना आयोगों (एसआइसी) में सूचना आयुक्तों के खाली पड़े पद भरने पर याचिका की सुनवाई कर रही शीर्ष अदालत ने उन लोगों द्वारा आरटीआइ कानून के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया जिनका मांगी गई सूचना से संबंध नहीं है। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे और न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत के पीठ ने कहा, 'हम आरटीआइ कानून के खिलाफ नहीं हैं लेकिन हमें लगता है कि इसके नियमन के लिए किसी प्रकार के दिशानिर्देश बनाना जरूरी है।'

पीठ ने कहा, 'कुछ लोग आरटीआइ दाखिल करने के विषय से किसी तरह संबंधित नहीं होते। यह कई बार आपराधिक धमकी की तरह होता है जिसे ब्लैकमेल भी कहा जा सकता है। हम सूचना के अधिकार के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन दिशानिर्देश की जरूरत है।' आरटीआइ के तहत आवेदकों की बाढ़ आने

बाकी पेज 8 पर

थोक मुद्रास्फीति नवंबर में 0.58 फीसद पर

नई दिल्ली, 16 दिसंबर (भाषा)।

सब्जी, दाल समेत खाने-पीने का सामान महंगा होने से थोक मुद्रास्फीति नवंबर माह में बढ़कर 0.58 फीसद पर पहुंच गई। अकेले प्याज के दाम में माह के दौरान सालाना आधार पर 172 फीसद की वृद्धि हुई है। मासिक थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआइ) आधारित सालाना महंगाई दर अक्तूबर में 0.16 फीसद थी। एक साल पहले 2018 नवंबर में मुद्रास्फीति 4.47 फीसद थी।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर आलोच्य महीने में बढ़कर 11.08 फीसद रही जो इससे पूर्व अक्तूबर महीने में 9.80 फीसद थी। मुख्य

बाकी पेज 8 पर

आर्थिक वृद्धि में आएगी गिरावट : मूडीज

नई दिल्ली, 16 दिसंबर (भाषा)।

वैश्विक रेटिंग एजंसी मूडीज इनवेस्टर्स सर्विस ने सोमवार को कहा कि भारत में कमजोर घरेलू खपत से आर्थिक वृद्धि में गिरावट आएगी। इसका असर कई क्षेत्रों को दिए गए कर्ज की गुणवत्ता पर पड़ेगा।

मूडीज ने मार्च 2020 में समाप्त होने जा रहे चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि का अनुमान पहले के 5.8 फीसद

बाकी पेज 8 पर

दरअसल

दिल्ली का अधिकतम तापमान औसत से 10 डिग्री नीचे | **ठिठुरा उत्तर भारत** | मौसम विभाग ने कहा, तीन दिन और जारी रहेगी शीतलहर

सर्द हवाओं की चपेट में दिल्ली व एनसीआर

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 16 दिसंबर।

दिल्ली सहित लगभग समूचा उत्तर व पश्चिमोत्तर भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में है। पहाड़ों में बर्फबारी व मैदानों में सर्द हवाएं कहर बरपा रही हैं। इसके साथ ही पहाड़ी व मैदानी इलाके कोहरे की चपेट में भी हैं जिसका असर हवाई व रेल यातायात पर पड़ा।

आने वाले दिनों में एक अन्य पश्चिमी विक्षोभ के चलते दो-तीन दिनों में पहाड़ों व कुछ मैदानी इलाकों में फिर बारिश, ओलावृष्टि व बर्फबारी देखने को मिल सकती है। सोमवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान नौ व अधिकतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस रहा। दिल्ली का अधिकतम तापमान औसत से 10 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। अगले तीन दिन तक शीतलहर जारी रहेगा।

उत्तराखंड में बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई सड़कें बंद, पर्यटक फंसे

मौसम विज्ञानियों ने बताया कि लेह क्षेत्र में तापमान शून्य से 16.7 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है। श्रीनगर में बर्फबारी के बाद अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रम से 5.8 डिग्री सेल्सियस और शून्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया।

लद्दाख और जम्मू-कश्मीर के अधिकतर क्षेत्रों में कई दिनों की भीषण बर्फबारी से लद्दाख के द्रास में सोमवार को पारा गिर कर शून्य से 27.2 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच गया। वहीं उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश में हुई भारी बर्फबारी के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। पहाड़ों से आ रही उत्तरी हवाओं से दिल्ली सहित तमाम मैदानी इलाकों में भी शीतलहर का दौर जारी है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि ठंड अभी और बढ़ेगी। इसके साथ ही एक और पश्चिमी विक्षोभ का क्षेत्र बन रहा है, जिसका असर 18 दिसंबर से दिखाई पड़ेगा।

मौसम वैज्ञानिकों ने अगले चार दिनों तक जम्मू कश्मीर व लद्दाख में मौसम शुष्क बने रहने की संभावना जताई है। जहां पहाड़ों में द्रास शून्य से 27.2 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान के साथ सबसे ठंडा क्षेत्र रहा वहीं न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस के साथ पूर्वी राजस्थान का चित्तौड़गढ़ देश के मैदानी इलाकों में सबसे ठंडा स्थान दर्ज किया गया। इससे पहले द्रास में नौ जनवरी 1995 को न्यूनतम तापमान शून्य से 60 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया था। मौसम विज्ञानियों ने बताया कि लेह क्षेत्र

बाकी पेज 8 पर

www.readwhere.com

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I, Rajnish Kumar S/o Sh. Ram Harakh Maurya, R/o H.No.358/31, Laxman Vihar, Phase-II, Gurugram, Haryana-122001 have changed my name to Rajnish Kumar for all future purposes.
0040524389-1

I,Mousami Hazra W/o-Amit Kumar Paswan R/o-Smq-40/2 13Brd,Air Force,Palam,New Delhi-110010,have changed, my name,from Mousami Hazra to Mousami Hazra Paswan Vide,Affidavit dated-13/12/2019 before,Notary Public,Delhi. 0040524373-4

I,Jahur Khan S/O Mohammad Shahjad Khan R/O E-37/1, I-Floor, Galino.11, Subhash-Vihar, North-Ghonda, Delhi-110053. Changedmy Nameto Mohammad Jahur.
0040524336-8

I, hitherto known as Sonia Kanojia W/o Sukhvinder Singh, residing at RZ-526-A, Gali No.24, Tughlakabad Extn. Kalkaji, New Delhi-110019 have changed my name and shall hereafter known as SONIA KAUR KANOJIA.
0040524304-1

I, Zaid Mohd Siddique S/o Mazher Imam R/o 18/6A, 2nd Floor, Gulshan Aptt, Jogabai, Jamia Nagar, Okhla, Delhi, have changed my name to Zaid Mohd Siddiqui for all purposes. 0040524362-1

I, Vinay Sachdeva S/O Ramesh Chander R/O B-608, Sudershan Park, MotiNagar, Delhi-110015. Changed My Name To Vinay Kumar Sachdeva. 0040524348-5

I, Sunil Kumar S/o Vishnu Bhagwan R/o 25/443 Jatwara Mohalla, Bahadur Garh, Near Jain Mandir Gali, Jhajjar Haryana- 124507 have changed my minor daughter's name from Veerja Sharma to Supragya Kaushik for all purposes. 0040524345-1

I, Sonia Chitkara W/O Nadeem Khan H.No-69, Rashid-Market-Extn, Bhagat Singh-Road, Krishna-Nagar, Delhi-110051. Have Changed My Name To Saniya Khan. 0040524336-9

I, Shubhangi D/o Praduman Kumar Jain R/o-210/3, 3rd. Floor Doongar Mohalla, Shahdara Delhi-110032, have changed my name to Shubhangi Jain for all purposes 0040524348-3

I, Shivani Kumari Jha D/o, Shri Bishwambhar Jha W/o Shri Varun Kumar Mishra R/o 369-370/G-22 Sector-7, Rohini New Delhi-110085, have changed my name to Shivani Mishra for all purposes. 0040524315-1

I, Sharmil Rohatgi alias Sharmil Choudhary W/o Vineet Choudhary R/o H.No.-B-601, Mayur Dhawj Apartment, Plot.No.-60, I.P.Extn. Patpar-Ganj, Delhi-110092, have changed my name to Sharmil Choudhary.
0040524336-10

I, Sanjeet Kumar S/o Shivajee Mahto R/o-L-7, Kh-99, Taigor GaliNo.13, Brahmpuri, Sahadara, Delhi-110053 have changed my name to Sanjeet Kumar Mahato. 0040524384-4

I, Tushar Singh S/o-Sanjay Kumar R/0-H-34 Police-Colony, Sarojini-Nagar New Delhi-110023, Changed My Name To Tushar Kumar.
0040524336-5

I, SUDESH DEVI W/o RAMESH CHANDER R/o A-37, Gali No.-10, Shanti Nagar, Shiv Vihar, Dellhi-110094, have changed my name to ANITA GIRI.
0040524316-1

I, Rupali Singh D/o Sanjay Kumar R/0-H-34 Police-Colony, Sarojini-Nagar New Delhi-110023, Changed My Name To Rupali. 0040524336-6

I, Rohit S/o Bhim Singh R/o-5-A, Main Market, Madanpur Khadar, New Delhi-110076, have changed my name Rohit to Rohit Chauhan.
0040524384-8

I, Renu Devi W/o Parmendra Singh R/o-House.No-176, Vill-Putthi Ibrahimpur,Post-Ramraj Jansath, Muzaffarnagar (U.P.)-251320,have changed my name to Renu Singh for all purposes. 0040524373-2

I, Rajinder Mehta S/o-Mulakh Raj Mehta R/o-B-7/19, Miyawali-Nagar, Paschim-Vihar, New Delhi-110087,have changed my name to Rajinder Kumar Mehta,for all,future purpose. 0040524384-2

I, Priti Gupta R/O-F-303, Elite-Homz, Sector-77, Noida, have changed my name,from Priti Gupta to Priti Shahi, for all future purpose. 0040524384-1

I Rahul S/o Shyam Lal R/o B-100 B, Shivaji Enclave, Delhi-110027 have changed my name to Rahul Singh.
0040524348-1

I Neha goel D/o Gyan Chand Aggarwal R/o-A-63/ G-2, Rampuri, Chander-Nagar, Ghaziabad, UP-201301. Declear that my father name maintion on document Gyan Chand but Correct name is Gyan Chand Aggarwal. same as my Mother Name on Document Brij Lata Goel, But Correct Name is Brij Lata Aggarwal for All Future purpose. 0040524384-9

व्यक्तिगत

I, Ashok Kumar Kathuria S/o Budh Ram R/o A-6/1,Street No-6,Peeragadi Chowk, Mianwali Nagar,New Delhi-110087 have changed my name from Ashok Kumar to Ashok Kumar Kathuria.
0040524309-1

I, Prafull Kumar S/o Gopal Kishan R/o RZ-D-81, D-Block, Dabri Extension, Delhi-110045, that name of mine has been wrongly written as Prafull Kumar Verma in my Birth Certificate vide registration number 86. The actual name of mine is Prafull Kumar
0070688434-1

I, Poornima Tailor W/O Rahul Kumar Gaurh R/O T-266, First Floor, Full Singh Tanwar Apartment, Ward No.2, Mehrauli, Delhi-110030 Have Changed My Name To Poornima Gaurh.
0040524341-1

I, Niladri Chatterjee S/o Sh. Gautam Chatterjee R/o C-705, Arihant Arden, Sector-1, GreaterNoida West, Uttar Pradesh, hereby informs that Niladri Chattarjee and Niladri Chatterjee are same person and I will be known as Niladri Chatterjee for all future purposes. 0010109681-1

I, Nidhi D/o Mr. Vinod Kumar Arora R/o C-1/45, 1st Floor, Malka Ganj, Delhi-7, have changed my name to Nidhi Arora for all purposes.
0040524372-1

I, Narayan Dass S/o Sh. Subhash Chander R/o RZ-B-9, New Janki Puri D.K. Mohan Garden, New Delhi, India-110059, have changed my name to Narayan Das for all future purposes. 0040524326-1

I, Nandni Kumari W/O Bikash Kumar H-No-203C, Block-E Extension. Shyam Vihar Phase-1 Najafgarh, Dwarka Delhi-110043. changed my name to Nandani Pathak.
0040524384-6

I, Megha Mittal W/o Nikhil Goel R/o S-74, Sunder Block, Gali No.3, Shakar Pur, Delhi-110092 have changed my name to Megha Goel for all purposes.
0040524307-1

I, Karam Veer S/o Parmey Singh R/o-485 Gali No.14, Bhovapur-Kaushmbi, I.E. Sahibabad, Ghaziabad U.P-201010, have changed my name to Karamveer Singh for all purposes 0040524348-4

I, Kangna Aggarwal D/o Manoj Kumar Aggarwal R/o-A-18 Tulsi Apartment Sector-14 Rohini Delhi-110085 changed my name to Kangana Aggarwal permanently.
0040524384-10

I, Kanchan Bala W/0-Ashwani Kumar Chachra R/0-20a/26a Tilak-Nagar Delhi-110018, Changed My Name To Kanchan Chachra.
0040524336-7

I, Kaku Prasad S/o Tanik Ram R/o Oswalart/Craft E-17, Site-IV, Industrial-Area, Sahibabad -UP, changed my name to Kuku Ram. 0040524336-1

I, Hemant S/o Sh. Netra Bhushan Gupta R/o 12, Deepali, Pitampura, Delhi-110034, have changed my name to Hemant Gupta for all purposes. 0040524317-1

I, Haseeba Khatoon W/O Mohd Azharuddin, H-No.C-3, Third-Floor 3623,3625 Katra Deena Begh Near-Hamdard Lal-Kuan Delhi-110006, changed My Name To Haseeba. 0040524341-3

I, Gurmehar Singh S/o Manpreet Singh Kakkar R/o-127, Dhudial-Apartment, Pitampura, Delhi-110034, have changed my name to Gurmeher Singh.
0040524336-4

I, Charu Jain W/o Anant Vir Jain R/o-1/282, Sec-1, Chiranjeev Vihar,Ghaziabad have changed my name to Charu Agarwal. 0040524373-1

I, Bipin Mishra S/o Jagdish Mishra Permanent Resident of Village & P.O- Kahinaur, Tehsil Sadar Dsitrict- Mau, Pincode- 275101, Presently Residing at Raja Rahul City, Malak Road, Neelmatha, Lucknow have changed the name of my minor daughter Yashika Mishra (Date of Birth 30.03.2015) to Pranshi Mishra for all purposes. 0060071588-2

I, Arun Kumar S/o Late Shri Braham Dutt Singh R/o 3545/2, Mohalla Jatwara, Darya Ganj, New Delhi-110002 have changed my minor son's name from Lakshay to Devansh Tanwar for all future purposes. 0040524311-1

I, Arun Kumar Gautam R/o B6/307 sec 17 rohini delhi have changed my minor child's name from Aaruv Gautam to Aarav Gautam
0070688428-1

I, Anil Paul S/o Gajender Nath Pal R/o-D-7/67, Sector-6, Rohini, Delhi-110085, have changed my name to Anil Kumar Pal. 0040524336-3

I, Amarjit Singh S/o Sh. Jagdish Singh R/o WZ 52 Ravi Nagar, Tilak Nagar, New Delhi, India-110018, have changed my name to Amarjeet Singh for all future purposes.
0040524330-1

I Gulsharan Kaur W/O Gian Chand Kalra, H-No-728, Gali Door Wali, Paharganj. New Delhi-110055, changed My Name To Meeta Kalra.
0040524341-2

I Dharam Wati Alias Dharamwati D/o Vinod R/o 387, Jhenda Colony, Asola Extension, Asola Fatehpur Beri, Delhi-110074, have changed my name to Sheetal Tanwer 0070688429-1

मैं, रुचि मिश्रा पत्नी चन्द्रप्रकाश मिश्रा निवासिनी-34, ग्राम शेषपुर, असन्द्रा बाराबंकी सूचित करती हूं कि मेरे पुत्र आदित्य मिश्रा के विद्यालय के अभिलेखों में मेरा घरेलू नाम लक्ष्मी देवी मिश्रा अंकित है जबकि मेरा सही व अभिलेखीय नाम रुचि मिश्रा है।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, एम. जगन्नाथ प्रसाद शिवाचर पुत्र श्री एस.जी. मंजूनाथ, निवासी-सी-104, प्रतीक विस्टेरिया, सेक्टर-77, नोएडा ने अपना नाम एम. जगन्नाथ प्रसाद शिवाचर से बदलकर जगन्नाथ प्रसाद रख लिया है। अतः भविष्य में मुझे जगन्नाथ प्रसाद के नाम से जाना जाए।

I, Amarjit Kaur Bajaj W/o Harbhajan Singh R/o A-389, DDA Colony, Choukhandi, Tilak Nagar, Delhi-110018, have changed my name to Amarjit Kaur. 0040524305-1

I, A K Vij (AJAY Kumar Vij) S/O Mahavir Parshad Vij R/O-F-2/218-219, III-Floor, Sector-16, Rohini, Delhi-110085. Change my Name to Ajay Vij.
0040524384-5

I Vijay Kumar S/o Tilak Raj R/o B-494 2nd Floor Sudarshan Park Delhi-110015, Changed My Name To Vijay Budhiraja.
0040524348-9

I Urvila Kumari D/o Vasudev Mahto R/o 1/1, 1F, Gali No-11, Near SDM Court, Shastri Nagar, Delhi-110031, have changed my name to Bhawna Kumari 0070688432-1

I Sushil Goel S/O Lajpat Rai Goel H.No-272, Sector-14 Rohtak-124001 Haryana. Have Changed My Name To Sushil Kumar Goel. 0040524348-7

I Surender Pal Singh S/o Surjeet Singh R/o-H-12A, Vijay Nagar, GTB Nagar, Delhi-110009, have changed my name to Surinder Pal Singh.
0040524348-2

I Sita W/O Shri Ram Verma Add-E-532 Greater Kailash-II New Delhi-110048. Changed My Name To Seeta Verma.
0040524384-3

I Shavait Goel S/O Sushil Kumar Goel, H. No-272 Sector-14 Rohtak-124001 Haryana Have Changed My Name To Shavet Goel. 0040524348-6

I Shashi Prabha Modi W/O Sushil Kumar Goel, H.No-272, Sector-14 Rohtak-124001 Haryana. Have Changed My Name To Shashi Goel
0040524348-8

I Neeta Patwal W/O Keshav Nirmal Choudhary, R/O-Ugf Plot No.144-145 Block-E Omvihar-Extn Uttam-Nagar Delhi-110059 Have Changed My Name To Neeta Nirmal Choudhary. 0040524384-7

I Namrata Jaiswal w/o Pradeep Kumar R/o E-1018 Ashiana Mehrauli Ghaziabad have changed my name to Namrata Pradeep for all purposes 0070688435-1

I Manoj Shishodia S/O Sh.Krishan Pal Singh Shishodia H.No.32, Krishna-Colony , Sehatpur, Faridabad Haryana-121003,Changed My Name To Manoj Singh.
0040524336-2

I Hemlata Yadav D/o Sube Singh Yadav R/o Yadav Foji Kirana Store, Kherli Phatak, Kota, Rajasthan-324001, have changed my name to Mona Yadav 0070688431-1

PUBLIC NOTICE

By way of the present notice the public is hereby informed that my client Mrs. Usha Singh, was the beneficiary of will left by her husband Late Dr. Digvijai Singh, in terms of which he bequeathed his entire share in property bearing No. B-1002, Sunbreeze Apartments, Vaishali, Sector-5, Ghaziabad, Uttar Pradesh upon my client. As per the Will the Testator had bequeathed absolute rights of enjoyment upon the Legatee in every sense including but not limited to selling the said property.
My client, Smt. Usha Singh intends to sell her flat bearing No. B-1002, Sunbreeze Apartments, Vaishali, Sector-5, Ghaziabad, Uttar Pradesh. Any person or persons having any right or interest either by way of inheritance or claim against the said flat should send their claims in writing to the undersigned along with documentary evidence in support of their claim thereof within 15 days of publication of this Notice, failing which claims if any shall be deemed to have been waived.
Pranay Raj Singh
Advocate
Enrol. No. D-2781/2011, C-13, Basement, Panchsheel Enclave, New Delhi 110017
Ph- 91-9958103125

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

खोया+पाया

I, JAVED CHOUDHARY S/o Kayyum choudhary R/o H.no-65 St.no-1 prem-garder pas-sonda-sahibabad gzb-up have lost my original certificate class-10th year-2015 Rollno-8650362 CBSE-Delhi.
0040524341-9

I, Kiran Sadhwani W/o-Manoj Sadhwani R/o-Flat-No.8, Jangpura-Market, New Delhi-110014,inform that my original chain of Sale-Deed Regd-No.15789 in Book No.1 Vol No.10495 on Page No.1 to 12 dt.26-08-2010.in the office of Sub-Registrar-V New Delhi of regarding,Entire,Third-Floor With Terrace Right Of Property No.D-I/114, Lajpat-Nagar-I New Delhi-110024 has been lost.if found, please contact+91-9810636275.
0040524348-10

I, Pankhuri Sharma S/o Rajan Sharma. have lost My Original Marksheet of Main 12th-Exam. Year-2018 RollNo.2034480 Pass out from CBSE-Delhi. 0040524341-4

I, Rajat Bansal S/o Rajesh Bansal R/o-Y-328 Camp No.1 Janta Market Nangloi Delhi-41. Lost my original certificate class-10th RollNo.8179479 year-2015 CBSE-Delhi 0040524341-8

I, Rekha Devi D/o Kanwal Singh R/o 334, VPO. Tajpur Kalan, Delhi-110036 have lost my Original Certificate/ Marksheet issued by CBSE. Delhi, Class 10th (Roll No.8660346, Year 2012) and Class 12th (Roll No.9684653, Year 2014). Finder may contact above address.
0040524328-1

I, Vidya Tiwari R/o-C-177 Gali No.9 Shastri-Park Delhi-53, have Lost my 10th-class Original certificate Roll No.8645467,Year-2013 passout from CBSE Delhi finder Contact-9868527101.
0040524348-11

I, AMAR CHUG S/o Ved Parkash R/o H.no-12-B sikka-colony sonipat haryana have lost my original certificate class-10th year-2017 Rollno-2205138 CBSE-Dehradun.
0040524341-10

I, Vijay Kumar S/O Lallu Ram R/O-Q10/132 mangolpuri New Delhi-83 Have lost my original certificate Class-10th Year-2012 Rollno-8732504 CBSE-Delhi. 0040524341-5

PUBLIC NOTICE

Be it known to all, by this 'PUBLIC NOTICE' that my client Jai Parkash S/o. Late Sh. Kishori Lal Rustagi R/O. 1031/1, Mohalla Purani Anaj Mandi Sarai, Rewari, Haryana is co-owner of property no. F-49, F-Block, Rect. No 54. Killa No. 20/1, West Jawahar Park, Laxmi Nagar, Village Khureji Khas Shahdara, Delhi measuring 100 Sq.Yds alongwith his brothers Satish Chand Rustagi & Om Parkash Rustagi. The brothers Satish Chand Rustagi & Om Parkash Rustagi S/O. Late Kishori Lal Rustagi R/O. Rewari, Haryana, on the basis of manipulated, fabricated and sham documents want to sell the above mentioned property without the consent, permission and authority of my client. The Public at large hereby warned and cautioned, not to deal with Satish Chand Rustagi & Om Parkash Rustagi related to sale, mortgage, gift and transfer of above mentioned property, as my client is also the co-owner of the said property. In case any person(s) deals with them in any manner whatsoever related to above mentioned property, then the person(s) shall do so at their own risk & consequences.
Sd/-
M.K.Malhotra
(Advocate)
No. D-223/77
Ch. No. 244, Western Wing
Distt. Courts Tis Hazari, Delhi-54

PUBLIC NOTICE

Delhi Business Academy
Formerly at F-6, Kailash Colony, New Delhi 110048
Through its Authorised Representative, Dr. S. Mahalingam
Sir,
Under instructions from and on behalf of my client Mr. Balbir Singh Kohli S/o Late S. Inder Singh Kohli R/o A-3, Kailash Colony, New Delhi 110048, I hereby serve upon you with the following notice:-
1. That you the addressee and my client were embroiled in litigation pertaining to premises bearing number F-6, Kailash Colony, New Delhi, owned by my client. The said litigation was settled between you and my client vide mediation settlement dated 09.10.2015 and further the suit was decreed by the Court of Sh. Balwant Rai Bansal, the then ADJ (South-East) Saket Court, Delhi in terms of the mediation settlement on 18.07.2016.
2. That as per the terms of the mediation settlement, you were also required to move an appropriate application with the concerned Municipal Corporation of Delhi i.e. SDMC for de-sealing the premises. However, you have failed to do the needful and it is my client who has been following up the matter effectively before the Appellate Tribunal, Municipal Corporation of Delhi at Tis Hazari Court, Delhi to get the premises bearing no. F-6, Kailash Colony, New Delhi, de-sealed.
3. That vide order dated 01.02.2018of the Appellate Tribunal, Municipal Corporation of Delhi at Tis Hazari Court, Delhi in appeal no. 1007/ATMCD/2016 titled Balbir Singh Kohli Vs. SDMC, the Hon'ble Tribunal was pleased to direct de-sealing of premises subject to my client depositing the penalty charges and further complying with the terms and conditions of the Order dated 01.02.2018.
4. That my client has paid the penalty charges and has filed his undertaking with the Deputy Commissioner concerned for de-sealing of the said premises F-6, Kailash Colony, New Delhi.
5. That you the addressee have not come forward to claim your articles lying in the said premises F-6, Kailash Colony, New Delhi, till date, despite my client having informed your counsel of the said fact of de-sealing of the premises.
6. That my client has also obtained required sanctions from the South Delhi Municipal Corporation for demolishing the premises and for rebuilding the same. That as such my client is now in the process of demolishing the said premises F-6, Kailash Colony, New Delhi. Thus by means of this notice, my client hereby grants you time upto 23.12.2019 to remove your articles from the said premises F-6, Kailash Colony, New Delhi failing which, my client shall not be responsible for any claims, damage, loss of articles caused thereafter.
7. This notice is also being published in newspaper apart from being pasted at the entrance of the premises F-6, Kailash Colony, New Delhi, for the reason that my client is not aware of your whereabouts nor does my client have your contact details. For any further information you may contact the undersigned at the contact details mentioned herein below. BE INFORMED ACCORDINGLY.
Harshbir Singh Kohli (Advocate)
J-3/189, Rajouri Garden, New Delhi 27
Mobile Number: 9810658944

जब तक जिंदा हूं, लागू नहीं होंगे एनआरसी, नागरिकता कानून : ममता

कोलकाता, 16 दिसंबर (भाषा)।

केंद्र को उनकी सरकार बर्खास्त करने की चुनौती देते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को नागरिकता कानून और प्रस्तावित एनआरसी लागू नहीं करने का संकल्प जताया और कहा कि इन दोनों कानूनों को उनकी लाश पर ही राज्य में लागू किया जा सकता है।

शहर में एक बड़ी रैली की अगुआई करने वाली बनर्जी ने आरोप लगाया कि राज्य में हिंसा भड़काने के लिए भाजपा ने कुछ लोगों को पैसा दिया है। साथ ही, उन्होंने पश्चिम बंगाल से बाहर की कुछ ताकतों पर तोड़फोड़ और आगजनी के लिए मुसलिम समुदाय 'के मित्र के रूप में पेश आने' का भी आरोप लगाया। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने रेड रोड से उत्तरी कोलकाता में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रख्यात रचनाकार गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के आवास, जोरासांको ठाकुर बाड़ी तक रैली निकाली और हजारों की संख्या में समर्थकों ने उनका साथ दिया। उनके हाथों में तख्तियां थीं जिनपर ' नो सीएए' और 'नो एनआरसी' लिखा था। बनर्जी ने असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम की ओर परोक्ष रूप से इशारा करते हुए कहा, 'राज्य से बाहर की कुछ ताकतें जो अल्पसंख्यकों का मित्र होने का दिखावा कर रही हैं,वे हिंसा में शामिल हैं। ये ताकतें भाजपा के हाथों की कठपुतली हैं, उनकी जाल में नहीं फंसें।' हाल ही में बनर्जी और ओवैसी के बीच वाक्युद्ध हुआ था।

उन्होंने कहा, 'जब तक मैं जिंदा हूं, एनआरसी अथवा नागरिकता कानून कभी लागू नहीं करूंगी। आप चाहें तो मेरी सरकार को बर्खास्त कर दें अथवा मुझे सलाखों के पीछे डाल दें लेकिन मैं यह काला कानून कभी लागू नहीं करूंगी। जब तक यह कानून निरस्त नहीं कर दिया जाता मैं संवैधानिक तरीके से प्रदर्शन करना जारी रखूंगी। यदि वे इसे बंगाल में लागू करना चाहते हैं तो उन्हें मेरी लाश पर ऐसा करना होगा।' उन्होंने कहा कि यदि भाजपा सोचती है कि वह इस कानून को लागू करने के लिए डरा धमका सकती है तो वह गलत है। इस बीच, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ बनर्जी की रैली 'असंवैधानिक व भड़काऊ कृत्य' बताया और उनसे राज्य को इस स्थिति से बाहर निकालने पर समय लगाने की अपील की। ममता ने रेड रोड पर बीआर आंबेडकर की प्रतिमा के समीप रैली के आरंभ होने पर अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए 'शपथ' पढ़ते हुए कहा, 'राज्य से किसी को भी बाहर नहीं निकाला जाएगा।

नागरिकता कानून से अधिकतम 5.42 लाख लोगों को फायदा

गुवाहाटी, 16 दिसंबर (भाषा)।

असम के वित्त मंत्री हेमंत विस्व सरमा ने सोमवार को कहा कि नागरिकता कानून से राज्य में ज्यादा से ज्यादा पांच लाख 42 हजार लोगों को फायदा होगा।

प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि कुछ लोग यह अफवाह फैला रहे हैं कि एक करोड़ से अधिक लोगों को इस अधिनियम को लाभ मिलेगा और बांग्लादेश से और अधिक संख्या में लोग आएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और कृषक मुक्ति संग्राम के सदस्य राज्य में और गुवाहाटी में हिंसा में शामिल पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि संसद में यह विधेयक पारित होने के बाद राज्य में जारी हिंसक प्रदर्शन का केंद्र गुवाहाटी रहा है। सरमा ने कहा, ''हालांकि, इस समय हम नहीं जानते हैं कि वे अपने व्यक्तिगत स्तर पर हिंसा में शामिल हैं अथवा सांगठनिक स्तर पर। इसकी एक विस्तृत जांच की जाएगी।'' वित्त मंत्री ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि असम सरकार के एक अनुमान के अनुसार अधिकतम पांच लाख 42 हजार लोग इस अधिनियम से लाभांवित होंगे।

प्रणब ने की लोकसभा की सीटों को बढ़ा कर एक हजार करने की पैरवी

नई दिल्ली, 16 दिसंबर (भाषा)।

पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सोमवार को लोकसभा की सीटों को 543 से बढ़ाकर हजार करने और राज्यसभा की सीटों में भी इजाफे की वकालत की है।

मुजर्खी ने कहा कि भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए निर्वाचन क्षेत्र अनुपातहीन रूप से बड़ा है। दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति व्याख्यान देते हुए पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि लोकसभा की क्षमता को 1977 में संशोधित किया गया था जो 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया था और उस वक्त आबादी 55 करोड़ थी। उन्होंने कहा कि आबादी तब से दोगुने से ज्यादा बढ़ गई है और परिसीमन कवायद पर लगी रोक को हटाने के लिए यह मजबूत दलील है।

उन्होंने कहा कि आदर्श रूप से इसे बढ़ाकर 1000 कर दिया जाना चाहिए। इंडियन फाउंडेशन की ओर से आयोजित व्याख्यान में मुखर्जी ने वाजपेयी की आम सहमति बनाने वाले नेता के तौर पर तारीफ की। मुखर्जी ने कहा कि वाजपेयी ने सबको साथ लेकर काम किया। उन्होंने कहा कि 1952 से लोगों ने अलग अलग पार्टियों को मजबूत जनादेश दिया है लेकिन कभी भी एक पार्टी को 50 फीसदी से ज्यादा वोट नहीं दिए हैं। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि चुनावों में बहुमत आपको एक स्थिर सरकार बनाने का अधिकार देता है।

चिन्मयानंद मामले में अगली पेशी 21 दिसंबर को

शाहजहांपुर (उप्र), 16 दिसंबर (भाषा)।

पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद की सोमवार को अदालत में पेशी हुई जिसके लिए उन्हें कड़ी सुरक्षा में लाया गया था। अगली पेशी अब 21 दिसंबर को होगी। अभियोजन अधिकारी लाल साहब ने बताया कि यौन शोषण के मामले में जिला कारागार में बंद चिन्मयानंद की मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ओमवीर की अदालत में पेशी हुई। उनकी अगली पेशी 21 दिसंबर को होगी।

स्वामी चिन्मयानंद को जिला कारागार से कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत ले जाया गया जहां उन्होंने मजिस्ट्रेट के सम्मुख हस्ताक्षर किए। इस दौरान उन्होंने किसी भी व्यक्ति से कोई बात नहीं की। इसके बाद उन्हें जेल वापस भेज दिया गया। चिन्मयानंद पर आरोप लगाने वाली पीड़िता के अधिवक्ता कलविंदर सिंह ने बताया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री से पांच करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने की आरोपी पीड़िता एवं उसके साथी संजय ,विक्रम और सचिन की पेशी 18 दिसंबर को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में होगी।

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that share Certificate No.115166 for 80 Equity Share of Rs. 10/- (Rupees Ten only) each bearing Distinctive No. 25224973-25225052 of Eicher Motors Limited, having its registered office at 3rd Floor, Select Citywalk. A-3 District City Center. Saket New Delhi 110017 registered in the of CHUNNI (CHUNI) LAL NARANG and NAVEEN KUMAR BHALLA have been Lost. NAVEEN KUMAR BHALLA have applied to the company for issue duplicate certificate. Any person who has any claim in respect of the said share certificate should lodge Such claim with the company within in 15 days of the publication of this notice.

PUBLIC NOTICE

General public is hereby informed that my client Smt. Geeta Rekha Aggarwal wife of Shri Arvind Jain Resident of C-118, Prashant Vihar, Rohini, Sector-14, Delhi-110085, has disowned her real son Kshitiz Jain son of Shri Sushil Goel adoptive son of Shri Arvind Jain along with her family from all movable and immovable properties. My client has not responsible for any action of her son Kshitiz Jain.
Lakhendra Singh (Advocate)
Chamber No.839, Dwarka Courts, Dwarka, New Delhi-110010.

PUBLIC NOTICE

It is for General Information that I, JASPAL KAUR Wife of Late Sh. DARBARA SINGH residing at H. No. D-55/1, Ranjeet Vihar Nilothi Extension, Delhi- 110041, declare that name of my Husband has been wrongly written As DALBIR SINGH in his Death Certificate, and my Aadhar card, my Son JAGJOT SINGH and my Daughter GURJOT KAUR Aadhar Card and other documents. The actual name of my husband is DARBARA SINGH which may be amended accordingly.

PUBLIC NOTICE

General public is hereby informed that my clients Sh. Uday Bahadur Singh S/o Chandra Bali Singh and Smt. Urmila Singh W/o Uday Bahadur Singh R/o Site-2/77, Vikaspuri, New Delhi-18 have Debarred their son namely Vibhav Pratap Singh R/o (same as above) from all their moveable and immovable properties & ceased all relations with him due to his dishonest, disobedient & bad behavior. In future my clients will not be responsible for any of his acts & deed and dealings with any person.
Praveen Rastogi (Adv.)
Enrol. No. D-244/06

PUBLIC NOTICE

Be it known to all that our client Mrs. Shipra Roy Chowdhury W/o late L.P. Roy Chowdhury, R/o A-49, Chittaranjan Park, New Delhi has already disowned and severed all her relations, with her son Mr.Neeloy Roy Chowdhury, his wife and their daughter due to their cruel and malicious behavior and deliberate indifference shown towards our client. Our client has already severed, debarred and disowned the above for all intents and purposes from inheriting all or any of the moveable and immoveable assets/properties of our client. Anybody dealing with them will do so at his/her/their risk, cost & consequences.
Perfect Legal Group
R-278, LGF, Greater Kailash-1
New Delhi

The Indian EXPRESS Classifieds
EXPRESS EDUCATION
SSC BANK CPO CDS NDA
ENGLISH (ANKUL SIR)
SSC CGL / CPO PRE + MAINS
At Mukherjee Nagar, Delhi
New Batch Starts 9th Dec.
2 DEMO CLASSES Timing 1:30 PM to 3:00 PM
CLASSIC CLASSES
9911191959, 9891991959 YouTube Ankulsir
M-2/A-29,30, Jaina House, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi

LAW AMBITION LAW INSTITUTE
MUKHERJEE NAGAR
NEW BATCH FOR JUDICIARY
17th DEC. 8800660301
Registration Open Till :16 DEC.
JHARKHAND JUDICIARY MOCK INTERVIEW 2019...
SCARED OF FACING THE REAL INTERVIEW ???
COME HAVE THE MOCK INTERVIEW
REGISTER AS SOON AS POSSIBLE
CALL/MGS - 8800660301/8800662130
Email-ambitionlaw1@gmail.com
PUSA ROAD
17th DEC. NEW BATCH FOR JUDICIARY
JOIN IAS LAW TEST SERIES 22nd DEC.
Toll Free No. : 1800-12000-2001
8800662140, 011-49841810
32-B, 3rd Floor, Pusa Road, Near Metro Pillar No. 122, New Delhi- 110005
www.ambitionlawinstitute.com

Contact for Advt. Booking: M/s Friends Publicity Service 23276901, 23282028 (M): 9212008155, 9212665841.

सीआइसी, एसआइसी में तीन महीने के भीतर सूचना आयुक्त हों नियुक्त : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 16 दिसंबर (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) और राज्य सूचना आयोगों (एसआइसी) में तीन महीने के भीतर सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया और कहा कि सूचना का अधिकार कानून का दुरुपयोग रोकने के लिए दिशा-निर्देश बनाने की आवश्यकता है।

प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाले पीठ ने अधिवक्ता प्रशांत भूषण की इस बात पर गौर किया कि शीर्ष अदालत के 15 फरवरी के आदेश के बावजूद केंद्र और राज्य सरकारों ने सीआइसी और एसआइसी में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति नहीं की है। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत भी इस पीठ का हिस्सा हैं। पीठ ने कहा, 'हम केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश देते हैं कि नियुक्तियां करना आज से शुरू कर दें।' न्यायालय ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह दो हफ्ते के भीतर उस खोज समिति के सदस्यों के नाम सरकारी वेबसाइट पर डालें जिन्हें सीआईसी के सूचना आयुक्त चुनने की जिम्मेदारी दी गई है। इस मामले पर सुनवाई के दौरान पीठ ने सूचना का अधिकार अधिनियम के दुरुपयोग का मामला भी उठाया और कहा कि इसके नियमन के लिए कुछ दिशा-निर्देश बनाने की आवश्यकता है। पीठ ने कहा, 'जिन लोगों का किसी मुद्दे विशेष से किसी तरह का कोई सरोकार नहीं होता है वह भी आरटीआई दाखिल कर देते हैं। यह एक तरह से आपराधिक धमकी जैसा है, जैसे ब्लैकमेल करना।'

ऐश्वर्या ने पति, सास व ननद के खिलाफ दर्ज कराया मामला

पटना, 16 दिसंबर (भाषा)।

राजद प्रमुख लालू प्रसाद की बहु ऐश्वर्या राय ने अपनी सास और पूर्व मुख्यमंत्री राबडी देवी, पति तेजप्रताप यादव और बडी ननद मीसा भारती सहित पांच लोगों के खिलाफ अपने साथ कथित मारपीट को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। उधर, राबड़ी ने भी ऐश्वर्या के खिलाफ लिखित शिकायत की है।पटना जिला महिला थाना अध्यक्ष आरती कुमारी जायसवाल ने सोमवार को बताया कि ऐश्वर्या ने भादवि की धाराओं 498 ए, 323 एवं 34 और दहेज निषेध अधिनियम की 3/4 धारा के तहत तेजप्रताप, राबडी और मीसा भारती तथा राबडी के आवास पर तैनात दो सुरक्षाकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस बीच, सचिवालय थाना प्रमुख रघुनाथ प्रसाद ने बताया कि राबडी द्वारा ऐश्वर्या के खिलाफ की गई लिखित शिकायत में अपनी बहु पर प्रताडित करने का आरोप लगाया गया है।

www.readwhere.com

उम्मीद जताई गई इसी महीने दोषियों को मिलेगी फांसी

निर्भया चेतना दिवस पर बहादुर बेटी को दी श्रद्धांजलि

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली,16 दिसंबर।

निर्भया की सातवीं बरसी निर्भया चेतना दिवस के मौके पर राजधानी के कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में लोगों ने सोमवार को उसे श्रद्धांजलि दी। मौके पर निर्भया की मां ने कहा कि देश में सिर्फ एक निर्भया के मां–बाप नहीं लाखों लोग हैं जिन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है। उन सभी बच्चियों के लिए इंसाफ की लड़ाई हम सभी को लड़नी होगी। उन्होंने कहा कि सात साल से आप लोगों ने निर्भया को जिंदा रखा है। दोषियों को जल्दी फांसी मिले हमारा सात साल से यह सपना तो पूरा नहीं हुआ है लेकिन उम्मीद है कि अब जल्द ही हमारी बेटी को न्याय मिल जाएगा। जिस महीने में हमने अपनी बेटी को खोया है हम उसको इंसाफ भी इसी महीने में देखना चाहते हैं। निर्भया को मिला इंसाफ देश की बेटियों को हौसला देगा। हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक देश की बच्चियों को हम सुरक्षित नहीं देखेंगे।

कार्यक्रम में सबसे पहले निर्भया को याद करते श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दो मिनट के मौन के साथ दिल्ली समेत देशभर में महिलाओं की सुरक्षा व हालात पर चर्चा हुई। श्रद्धांजलि देने पहुंचे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि हम जिस अवसर पर इकट्ठा हुए हैं उसमें भले ही सवाल एक है कि निर्भया के दोषियों को फांसी कब लेकिन निर्भया के दोषियों को फांसी कब के साथ साथ सवाल यह भी है कि और कितनी निर्भया। कानून का दुरुपयोग न हो इसके लिए ही कुछ नियम बनाए गए थे लेकिन दोषियों ने उन नियमों का ही दुरुपयोग किया है। दिल्ली में हर कोने में सीसीटीवी लग रहे हैं ताकि राजधानी में बेटियां सुरक्षित रहे। दिल्ली में बेटियों की सुरक्षा के लिए किए जा रहे सारे इंतज़ाम, सभी फैसले निर्भया से मिली ऊर्जा का ही परिणाम है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले साल जब हम इस तारीख को निर्भया को याद करने बैठे तो बैनर पर यह सवाल न लगा हो कि निर्भया के दोषियों को फांसी कब?

निर्भया के पिता ने कहा कि अफसोस यह है कि अभी तक दोषियों को फांसी पर नहीं लटकाया गया है। इसका ही नतीजा है की लड़कियों पर अत्याचार बढ़ा है। माता पिता का दर्द तो है कि लेकिन इसे आप ने समाज का दर्द बनाया है। हमें तभी शांति मिलेगी जब दोषियों को फांसी पर लटकाया जाएगा।

निर्भया ज्योति ट्रस्ट के महासचिव सर्वेश कुमार तिवारी ने कहा कि हमारे देश में प्रति 1.7 मिनट महिला अपराध की शिकार होती है। अस्मिता ग्रुप के कलाकारों की ओर से मंचित नाटकों के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए सख्त कानून बनाने ,जल्द इंसाफ देने की मांग भी रखी गई। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता रंजना कुमारी ने भी कहा कि आज देश में रेप जैसी घटनाओं को अंजाम देने वालों को भी आसानी से बेल मिल जाती है। दक्षिणी दिल्ली की पार्षद राधिका ने कहा कि इस तरह के केस में इतना वक़्त नहीं लगना चाहिए।

निर्भया के दोषी विनय की रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजी गई

तिहाड़ जेल प्रशासन ने निर्भया कांड के दोषी विनय की रिपोर्ट राष्ट्रपति के भेज दी है। इसके साथ तिहाड़ जेल में चारों दोषियों की निगरानी बढ़ा दी गई है। तिहाड़ जेल के सामने भी कुछ लोगों ने हाथों में रस्सियां लेकर फांसी की मांग के साथ प्रदर्शन किया। तिहाड़ जेल में बंद निर्भया के दोषियों को फांसी की मांग को लेकर बढ़ते जन दबाव के बीच जल प्रशासन ने एक दोषी की दया याचिका संबंधी अपनी रपट राष्ट्रपति को भेज दी है। जेल के अधिकारी ने बताया कि दया याचिका के बारे में सभी को बताया गया था जिसमें से केवल एक दोषी ने ही अपील दायर की थी। उसकी रपट जेल की ओर से राष्ट्रपति को भेज दी गई है। इसके साथ ही तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दोषियों की सेहत की निगरानी रखी जा रही है।

वैकल्पिक माध्यमों से सेमेस्टर परीक्षाएं देंगे जेएनयू के विद्यार्थी : रजिस्ट्रार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 16 दिसंबर।

- ओपन बुक परीक्षा, घर पर बैठकर परीक्षा या असाइनमेंट विद्यार्थियों को भेजे जाएंगे
- विद्यार्थी ईमेल के माध्यम से अपने उत्तर विश्वविद्यालयों को समय में भेजेंगे

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में छात्रावास की नई नियमावली और शुल्क बढ़ोतरी के खिलाफ जारी विद्यार्थियों के प्रदर्शन को 50 दिन से अधिक हो गए हैं। इसके चलते बहुत सारे विद्यार्थी 12 दिसंबर से शुरू हुई परीक्षाओं को नहीं दे पाएं हैं। इस समस्या के हल के लिए जेएनयू प्रशासन ने वैकल्पिक माध्यमों से परीक्षाएं संपन्न कराने का निर्णय किया है। जेएनयू के रजिस्ट्रार प्रमोद कुमार की ओर से 16 दिसंबर को स्थिति रिपोर्ट जारी की गई है।

रजिस्ट्रार की ओर से कहा गया है कि प्रशासन की ओर से बार–बार अपील के बाद भी विद्यार्थियों ने आंदोलन वापस नहीं लिया है। इस वजह से स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज (एसएसएस), स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज (एसआइएस), स्कूल ऑफ लेंग्वेज, लिटरेचर एंड कल्चर स्टडीज (एसएलएलसीएस) और स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स (एसएए) के विद्यार्थी परीक्षाएं नहीं दे पा रहे हैं। वर्तमान स्थिति को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने अन्य वैकल्पिक माध्यमों से परीक्षाएं कराने का निर्णय किया है ताकि सैकड़ों विद्यार्थियों का भविष्य खराब न हो। वैकल्पिक माध्यमों में ओपन बुक परीक्षा, घर पर बैठकर परीक्षा या असाइनमेंट आदि शामिल हैं। इस संबंध में प्रशासन ने सभी स्कूलों और केंद्रों के डीन व प्रमुखों से बैठक की गई। कोर्स प्रमुख शिक्षक को सभी विद्यार्थियों का ई–मेल उपलब्ध कराया गया है। इसी ई–मेल के माध्यम से विद्यार्थियों को परीक्षा की सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। विद्यार्थियों को निर्धारित समय में अपने उत्तर विश्वविद्यालय को भेजने होंगे और फिर उनका मूल्यांकन कराया जाएगा।

रिपोर्ट में कहा गया है कि 11 दिसंबर के हाई कोर्ट के आदेश के बाद विद्यार्थियों ने प्रशासनिक खंड खाली कर दिया है और सभी अधिकारियों ने अपना कार्य शुरू कर दिया है। 12 दिसंबर को कुलपति एम जगदीश कुमार ने डीन, केंद्र प्रमुखों, छात्रावास अध्यक्षकों और छात्र नेताओं से विश्वविद्यालय में माहौल को सामान्य करने के लिए कई दौरान की बैठकें कीं। 14 दिसंबर को कुलपति के ऊपर विद्यार्थियों के समूह ने हमला किया जिसमें कुलपति बाल बाल बचे। इसके बाद विद्यार्थियों ने प्रशासनिक खंड पर लगे सीसीटीवी कैमरों को खराब किया और वहां तोड़फोड़ की। विश्वविद्यालय के नियमों के मुताबिक इन विद्यार्थियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कुछ स्कूलों को छोड़कर बाकी विश्वविद्यालय में कार्य सामान्य रूप से शुरू हो गया है।

जेएनयू शिक्षक संघ ने कहा कुलपति को जाना होगा

जेएनयू शिक्षक संघ की सोमवार को आम सभा की बैठक हुई जिसमें विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से विद्यार्थियों को ईमेल के माध्यम से परीक्षा कराने के निर्णय की आलोचना की गई। इसमें कहा गया है कि ये तो अकादमिक प्रक्रिया की हत्या जैसा है। जीबीएम में कहा गया है कि इस फैसले से पता चलता है कि वर्तमान कुलपति इस पद के लायक नहीं है और उन्हें हर हाल में जाना होगा। शिक्षक संघ की ओर से मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विश्वविद्यालय के विजिटर से पूछा गया है कि वे कुलपति को कैसे शिक्षण–सीखने की प्रक्रिया को कैसे खत्म होने के लिए छोड़ सकते हैं। शिक्षक संघ ने कहा कि यदि वर्तमान परिस्थितियां एक सप्ताह में सही नहीं होती हैं तो शिक्षक फिर मंत्रालय तक कूच करेंगे।

पर्यावरण को बेहतर बनाने की दिशा में मदद करेंगे इलेक्ट्रिक वाहन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 16 दिसंबर।

- प्रगति मैदान में 20 दिसंबर से 22 दिसंबर तक ई–वाहनों को लेकर प्रदर्शनी
- विभिन्न कंपनियों की ई कार व अन्य ई वाहन किए जाएंगे प्रदर्शित

प्रदूषण जैसी खतरनाक समस्या की मार झेल रहे देश को तत्काल तो कोई राहत नहीं मिल रही, लेकिन भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहन इससे राहत अवश्य दिला सकते हैं। आधुनिक इलेक्ट्रिक वाहनों की प्रदर्शनी 'ईवी एक्सपो 2019' के 10वें संस्करण का आयोजन प्रगति मैदान में होने जा रहा है। इस एक्सपो का उद्घाटन केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। यह प्रदर्शनी 20 दिसंबर से 22 दिसंबर तक चलेगी। ईवी एक्सपो के फाउंडर एवं आयोजक अनुज शर्मा और राजीव अरोड़ा बताते हैं, कि ईवी एक्सपो एक मंच है जिसका मकसद देश में इको फ्रेंडली वाहनों को बढ़ावा देना है। अनुज शर्मा ने बताया कि इस एक्सपो में पर्यावरण अनुकूल वाहन इलेक्ट्रिक कार और इलेक्ट्रिक बसें भी प्रदर्शित की जाएंगी। इसके साथ–साथ यह एक्सपो रोजगार के भी अवसर उपलब्ध कराएगा।

ईवी एक्सपो देश की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक वाहनों की प्रदशनी है, जिसमें इको फ्रेंडली दो पहिया, तीन पहिया, चार पहिया, इलेक्ट्रिक बस और इलेक्ट्रिक कार्गो के साथ–साथ, वाहनों के पुर्जे, सामान, आरएंडडी, चार्जिंग स्टेशन, लिथियम आयॉन बैट्रियां और इस क्षेत्र से संबंधित प्रोडक्ट और सेवाओं में आए नए तकनीकी बदलाव और उन्नति को प्रदर्शित किया जाएगा। इस एक्सपो में 250 से अधिक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। यह एक्सपो इलेक्ट्रिक वाहन इंडस्ट्री के लिए एक सुनहरा अवसर है, जिसमें उन्हें अपनी नई तकनीकी को दिखाने एवं इसके अलावा इस सेक्टर में हो रहे नए शोधों और विकास एवं प्रौद्योगिकी बदलावों को भी जानने का मौका भी मिलेगा।

सुल्तानपुर में आयोजित की गई कांग्रेस की रैली

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 16 दिसंबर।

केंद्र और दिल्ली सरकार से चुनावों को नजदीक देखते हुए की जा रही झूठी घोषणाओं के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सुल्तानपुर माजरा ने सुल्तानपुरी में चुनौती महासभा का आयोजन किया। सभा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष नदीम जावेद सहित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओ मौजूद थे। इसका आयोजन सुल्तानपुर माजरा के चार बार के विधायक रहे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव जयकिशन ने किया।

जयकिशन ने कहा कि केंद्र की भाजपा और दिल्ली की केजरीवाल सरकार दोनों एक ही थाली के व्यंजन की तरह है। जिसे न तो खाते बनता है न उगलते बनता है। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर सत्ता में आए केंद्रीय सरकार और लगातार अपनी झूठी घोषणाओं से जनता को दिगभ्रमित करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निशुल्क का ड्रामा जनता समझ चुकी है। उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार का दावा करने वाले केजरीवाल के शासन काल में अस्पताल में डॉक्टर नहीं है यहां तक कि कुत्ता काटने पर होने वाली बीमारी से बचाव के टीके तक नहीं है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली के विकास में कांग्रेस के योगदान को जनता कभी भी नहीं भुला सकती है। हर दिशा में फ्लाईओवर से लेकर मेट्रो का निर्माण कर दिल्ली की जनता को तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने जो सौगात दी है उसे दिल्ली की जनता हमेशा याद रखेगी। आने वाले विधान सभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार दिल्ली में बनेगी और जनता केजरीवाल को मजा चखाने के लिए तत्पर है।

पंजाब नैशनल बैंक ......भरोसे का प्रतीक (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING) punjab national bank ...the name you can BANK upon!

सर्किल कार्यालयः बुलन्दशहर
पताः यमुनापुरम, बुलन्दशहर, उ.प्र.–203001
मो.: 9897912444, फोनः 05732–281724, ईमेलः cobsrsamd@pnb.co.in

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत आम जनता के लिये ई–नीलामी बिक्री सूचना, अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिये ई–नीलामी के लिये सार्वजनिक सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई–नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों/ मार्टगैजरों/ गारन्टरों को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी रखी गई/ चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका कब्जा पंजाब नेशनल बैंक प्रतिभूत क्रेडीटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कर लिया गया है, को नीचे वर्णित ऋणधारकों/ गारन्टरों/ मार्टगैजरों से पंजाब नेशनल बैंक, प्रतिभूत क्रेडीटर के बकाया नीचे वर्णित ऋणों की वसूली के लिये ''जैसा है जहां है', ''जो भी जैसा है'' तथा ''जो कुछ भी वहां है'' आधार पर 9.1.2020 को बिक्री की जायेगी। ज्ञात अधिभारों के साथ अचल सम्पत्ति का संबंधित विवरण नीचे वर्णित है।

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया 1) https://www.pnbindia.in, 2) https://www.pnbindia.biz, 3) https://eprocure.gov.in/epublish/app देखें।

ई–नीलामी की अनुसूची

निरीक्षण की तिथि एवं समय	ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	नीलामी की तिथि एवं समय
6.1.2020 (सोमवार) 12.00 बजे अप. से 16.00 बजे अप.	7.1.2020 (मंगलवार) 16.00 बजे अप. तक	9.1.2020 (गुरुवार) 12 बजे दोप. से 14.00 बजे अप.

प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री की अनुसूची

क्रम सं.	ऋणधारक का नाम एवं बैंक शाखा	सम्पत्ति के स्वामी/ मार्टगैजरों का नाम	प्रतिभूत ऋण का विवरण	गिरवी सम्पत्ति(यों) का विवरण	आरक्षित मूल्य	ईएमडी	सरफैसी अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना की तिथि	सरफैसी अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत कब्जा की तिथि
1.	मै. श्री कॉरूगेटर्स–प्रॉप. श्रीमती सीमा सोलंकी शाखाः एसवीडीसी, अलीगढ़	श्रीमती सीमा सोलंकी	रु. 7950872/– के साथ 1.7.2018 से आगे का ब्याज	गली नं. 2, गूलर रोड, अलीगढ़ में स्थित आवासीय मकान स. 5/117, माप 200.00 वर्ग यार्ड्स। चौहद्दीः उत्तरः पुष्पा देवी का मकान, दक्षिणः जय नारायण का मकान, पूर्वः बाम्बे वाला पेच, पश्चिमः 8 फीट चौड़ा रास्ता	रु. 4900000/– (रुपये उन्चास लाख मात्र)	रु. 490000/– (रुपये चार लाख नब्बे हजार मात्र)	1.8.2018	10.1.2019 (सांकेतिक कब्जा)
2.	मै. गगन बुक डिपो–प्रॉप. श्री उमा शंकर, पुत्र श्री राम चन्द्र शाखाः एसवीडीसी, अलीगढ़	श्रीमती सुधा शर्मा, पत्नी श्री उमाशंकर शर्मा	रु. 1371706.33/– के साथ 1.1.18 से आगे का ब्याज	एच.नं. 19/196, गगन बुक डिपो, बापू नगर, खेत नं. 303, गंभीरपुरा, गली नं. 2, मनोई डिश के निकट, परगणा एवं तहसील कोईल, जिला अलीगढ़, उ.प्र. 202001 में स्थित आवासीय मकान, माप 62.70 वर्ग मीटर, चौहद्दीः पूर्वः प्रेम पाल का मकान, पश्चिमः 12 फीट चौड़ा रोड, उत्तरः संतोष कुमार का मकान तथा दक्षिणः राजेन्द्र का मकान	रु. 16,00,000/– (रुपये सोलह लाख मात्र)	रु. 1,60,000/– (रुपये एक लाख साठ हजार मात्र)	29.1.2018	27.8.2018 * अब, भौतिक कब्जा बैंक के पास है।
3.	मै. तनिष्क स्टील शाखाः एसवीडीसी, अलीगढ़	श्री संकोच चौहान	रु. 38,03,128/– के साथ 1.4.18 से आगे का ब्याज एवं लागत	मिनी इंडस्ट्रियल इस्टेट, खैर, अलीगढ़, उ.प्र.–202138 में स्थित औद्योगिक प्लॉट एन 29 से 32, माप 512.00 वर्ग मी.। चौहद्दीः पूर्वः इंडस्ट्रियल ईस्टेट रोड, पश्चिमः प्लॉट नं. 35, 36, 37 एवं 38, उत्तरः प्लॉट नं. 33, दक्षिणः प्लॉट नं. 38	रु. 14,00,000/– (रुपये चौदह लाख मात्र)	रु. 1,40,000/– (रुपये एक लाख चालिस हजार मात्र)	3.5.2018	24.7.2018 (सांकेतिक कब्जा)
				मिनी इंडस्ट्रियल इस्टेट, खैर, अलीगढ़, उ.प्र.–202138 में स्थित औद्योगिक प्लॉट नं. 34 से 36, माप 384.00 वर्ग मी., चौहद्दीः पूर्वः प्लॉट नं. 31, 32 एवं 33, पश्चिमः इंडस्ट्रियल ईस्टेट रोड, उत्तरः इंडस्ट्रियल इस्टेट रोड, दक्षिणः प्लॉट नं. 37	रु. 9,00,000/– (रुपये नौ लाख मात्र)	रु. 90,000/– (रुपये नब्बे हजार मात्र)	3.5.2018	24.7.2018 (सांकेतिक कब्जा)
4.	श्री कमलेश चन्द गुप्ता शाखाः विक्रम कॉलोनी, अलीगढ़	श्री कमलेश चन्द गुप्ता एवं श्रीमती रश्मि गुप्ता	रु. 80,79,399/– के साथ 1.5.18 से आगे का ब्याज	बही नं. 1, जिल्द नं. 12170, पेज 303/348, क्रम सं. 8966 पर 10.9.2015 को सब–रजिस्ट्रार कोईल के पास पंजीकृत आवासीय फ्लैट नं. 4, प्रथम तल, स्क्वायर टावर, जापान हाउस, मैरिस रोड, अलीगढ़, उ.प्र.–202001, माप 153.28 वर्ग मीटर, चौहद्दीः पूर्वः खुला स्थान एवं बाउण्ड्रीज वाल कॉम्प्लैक्स, पश्चिमः प्रवेश लॉबी, सीढ़ियां, उत्तरः खुला स्थान, बाउण्ड्री वाल कॉम्प्लैक्स, मैन गेट एवं पैसेज, दक्षिणः अमित कुमार अगरवाल का फ्लैट नं. 5	रु. 38,90,000/– (रुपए अड़तीस लाख नब्बे हजार मात्र)	रु. 3,89,000/– (रुपए तीन लाख नवासी हजार मात्र)	7.6.2018	10.10.2018 (सांकेतिक कब्जा)
5.	मै. मा बैश्नो कारुगैटर्स –प्रॉप. श्री संकोच चौहान शाखाः एसबीडीसी, अलीगढ़	श्री संकोच चौहान	रु. 94,25,423/– के साथ 1.4.18 से आगे का ब्याज	अलापुर गडिया, परगणा एवं तहसील कोईल, अलीगढ़, उ.प्र. में खसरा नं. 49, प्लॉट नं. 93, 94, 92, ब्लॉक सी में स्थित फैक्ट्री भूमि एवं भवन, माप 310.81 वर्ग मी., चौहद्दीः पूर्वः प्लॉट नं. 79, 80 एवं 81, पश्चिमः प्राईवेट रोड, उत्तरः प्राईवेट पैसेज, दक्षिणः प्लॉट नं. 91	रु. 27,00,000/– (रुपए सत्ताईस लाख मात्र)	रु. 2,70,000/– (रुपए दो लाख सत्तर हजार मात्र)	21.4.2018	12.7.2018 (सांकेतिक कब्जा)
6.	श्री उत्कोच चौहान शाखाः एसबीडीसी, अलीगढ़	श्री उत्कोच चौहान	रु. 7553005.58 के साथ 1.4.18 से आगे का ब्याज	बुक नं. 1, वॉलनं. 7702, पेज 345/3676 एसएन 7624 तिथि 31.7.15 में सब रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत पूरण भवन, दिल्ली गेट, गूलर रोड, अलीगढ़, उ.प्र.–202001 में स्थित आवासीय मकान, माप 108.50 वर्ग यार्ड्स, चौहद्दीः पूर्वः राजेश कुमार की सम्पत्ति, पश्चिमः शैलेन्द्र कुमार की सम्पत्ति, उत्तरः 19 फीट चौड़ा पैसेज, दक्षिणः अन्य का मकान	रु. 49,00,000/– (रुपए उन्चास लाख मात्र)	रु. 4,90,000/– (रुपए चार लाख नब्बे हजार मात्र)	18.4.2018	3.7.2019 (भौतिक कब्जा)
7.	श्री संकोच चौहान शाखाः एसबीडीसी, अलीगढ़	श्री संकोच चौहान	रु. 7347878.14 के साथ 1.4.18 से आगे का ब्याज	10/1 डी, पूरण भवन, दिल्ली गेट, गूलर रोड, अलीगढ़, उ.प्र.–202001 में स्थित आवासीय मकान, माप 99.66 वर्ग यार्ड्स, चौहद्दीः पूर्वः विक्रेता की भूमि, अब उत्कोच चौहान का मकान, पश्चिमः योगेश जोहरी की सम्पत्ति, उत्तरः 19 फीट चौड़ा पैसेज, दक्षिणः चेतराम का मकान	रु. 44,00,000/– (रुपए चौआलिस लाख मात्र)	रु. 4,40,000/– (रुपए चार लाख चालीस हजार मात्र)	18.4.2018	3.7.2019 (भौतिक कब्जा)

ई–नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्तें

यह बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के निर्दिष्ट नियमों एवं शर्तो तथा अधोलिखित शर्तों के अधीन होगीः

i. सम्पत्ति की बिक्री ''जैसा है जहाँ है आधार'' तथा जो भी वहाँ है आधार'' पर की जायेगी।
ii. यहाँ ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी में सत्य हैं, लेकिन इस उद्घोषणा में किसी भी गलती, गलत–विवरण अथवा खामियों के लिये प्राधिकृत अधिकारी उत्तरदायी नहीं होंगे।
iii. प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को आरक्षित मूल्य से कम में नहीं बेचा जायेगा।
iv. नीलामी बिक्री पोर्टल https://etender.pnbnet.in; www.pnbindia.in; www.eprocure.gov.in/app पर ''ई–नीलामी के द्वारा ऑन लाइन'' होगी।
v. बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि अपनी बोली जमा करने तथा ई–नीलामी बिक्री प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व ई–नीलामी बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये पोर्टल https://etender.pnbnet.in; www.pnbindia.in; www.eprocure.gov.in/app देखें एवं/अथवा श्री सुशील कुमार मुख्य प्रबंधक प्राधिकृत अधिकारी (मोबाईल नं. 8171113784) से सम्पर्क करें।
vi. इच्छुक बोलीदाता को उपरोक्त तालिका में वर्णित तिथि तक ''प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक'' के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट द्वारा अथवा अधोलिखित खाता पंजाब नेशनल बैंक, यमुनापुरम, बुलन्दशहर, खाता नं. 4568002100002378 (आईएफएससी कोड PUNB0456800) के पक्ष में एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा ईएमडी का भुगतान करना होगा। यह ड्राफ्ट किसी को–ऑपिरेटिव बैंक का नहीं होना चाहिये।
vii. ईएमडी के भुगतान के बाद बोलीदाता को अधोलिखित जमा करना होगाः 1. ईएमडी के भुगतान का प्रमाण (यदि एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा भेजा गया हो) अथवा मूल डिमांड ड्राफ्ट (* यदि भुगतान ड्राफ्ट के द्वारा किया गया हो) 2. आईडी प्रुफ अर्थात् पैन कार्ड आदि की स्कैन की गई कॉपी, 3. आवासीय पते का प्रमाण, 4. क) बोलीदाता का नाम, ख) मोबाईल नं./सम्पर्क नं. ग) पता, घ) ई–मेल का पता, ङ) ईएमडी के ऑन लाइन रिफंड, यदि कोई हो, के लिये बोलीदाता के खाता का विवरण, 5. व्यक्तियों को छोड़कर अन्य बोलीदाताओं को ई–बोली के लिये उपयुक्त मैंडेट भी जमा करना होगा। बोलीदाता को ई–मेल cobsrsamd@pnb.co.in के पते पर प्राधिकृत अधिकारी/नोडल अधिकारी के पास ईमेल द्वारा इन दस्तावेजों को जमा करना होगा तथा साथ हीं ''क्रम सं.––– आईपी में बोली'' के रूप में शीर्षांकित मुहरबंद लिफाफे में ऊपर वर्णित पते पर शाखा में प्राधिकृत अधिकारी के पास इन दस्तावेजों (मूल डिमांड ड्राफ्ट) के स्व–सत्यापित हार्ड कॉपी भी जमा करना होगा।
viii. इच्छुक बोलीदाता को श्री राजवीर सिंह, मुख्य प्रबंधक (मोबाईल नं. 8800305533, सर्किल कार्यालय, बुलन्दशहर, यमुनानगर, बुलन्दशहर, उ.प्र. 203001 से अग्रिम में लागिन आईडी तथा पासवर्ड भी प्राप्त करना होगा जो ई–बोली के लिये अनिवार्य है। यह लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड बोलीदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये ई–मेल के पते पर भेजा जायेगा। यदि वह बोलीदाता को प्राप्त नहीं हो तो वे उपरोक्त अधिकारी से सम्पर्क करें।
ix. केवल वैध यूजर आईडी एवं पासवर्ड तथा एनईएफटी/आरटीजीएस/डिमांड ड्राफ्ट (जहाँ भुगतान डिमांड ड्राफ्ट द्वारा किया गया हो) के भुगतान की संतुष्ट प्रमाण रखने वाले बोलीदाता ही ऑन लाइन ई–नीलामी में भाग लेने के योग्य होंगे।
x. प्राधिकृत अधिकारी को उसका कोई भी कारण बताये बिना किसी या सभी बोलियों को स्वीकार या निरस्त करने यदि स्वीकार्य नहीं हो, अथवा नीलामी को निलम्बित/रद्द/स्थगित करने/अवरुद्ध करने अथवा किसी भी समय नीलामी की शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है तथा इस संदर्भ में उनका निर्णय अंतिम होगा।
xi. बोलीदाता रु. 20,000/– (रु. बीस हजार मात्र) के गुणक में अपने प्रस्ताव में सुधार कर सकते हैं। यदि बोली नीलामी की समापन समय के अंतिम 5 मिनटों में रखी जाती है तो समापन का समय स्वतः 5 मिनट आगे बढ़ जायेगा।
xii. नीलामी आरक्षित मूल्य पर शुरू होगी तथा बोलीदाता उपरोक्त रूप में अपने प्रस्ताव में सुधार कर सकते हैं। ऑन लाइन नीलामी की समाप्ति के बाद उच्चतम बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित किया जायेगा तथा वह बिक्री प्रतिभूत क्रेडीटर द्वारा पुष्टि के अधीन होगी।
xiii. सफल बोलीदाता को तत्काल अर्थात् उसी दिन अथवा अधिकतम अगले कार्य दिवस, जैसा भी मामला हो, को ऊपर क्रम सं. vi में वर्णित खाता में नीलामी का संचालन करने वाले प्राधिकृत अधिकारी के पास डिमांड ड्राफ्ट द्वारा 25% बोली/बिक्री राशि (जिसमें धरोहर राशि शामिल नहीं है) का भुगतान करना होगा। निर्धारित अवधि में शेष 25% बोली राशि के भुगतान में चूक करने पर जमा की गई राशि जब्त कर ली जायेगी तथा प्रतिभूत परिसम्पत्ति की फिर से बिक्री की जायेगी।
xiv. सफल बोलीदाता द्वारा 75% शेष राशि का भुगतान बैंक द्वारा बोली की स्वीकृति की तिथि से 15 दिनों के भीतर की जायेगी निर्धारित अवधि में शेष 75% राशि के भुगतान में चूक करने पर जमा की गई राशि जब्त कर ली जायेगी तथा चूक करने वाले क्रेता सम्पत्ति अथवा उस राशि जिसके लिये बाद में सम्पत्ति की बिक्री की जायेगी के किसी भाग के प्रति अपने दावे के अधिकार से वंचित हो जाएंगे।
xv. यदि बिक्री के लिये निर्धारित तिथि को अथवा उससे पूर्व किसी भी समय ऋणधारक या गारन्टर/रों के द्वारा/उनकी ओर से सभी लागतों, चार्जेज तथा उनके द्वारा वहन किये गये खर्चे अथवा बैंक को यथा–स्वीकार्य उसके भाग के साथ बैंक के बकाये का भुगतान कर दिया जाता है तो सम्पत्ति की बिक्री रद्द कर दी जायेगी।
xvi. पंजीकरण चार्जेज, स्टाम्प ड्यूटी, करों आदि सहित सभी सांविधिक बकायों/एटैन्डेन्ट चार्जेज/अन्य बकायों का वहन क्रेता को ही करना होगा।
xvii. बिक्री प्रमाण पत्र बिक्री का रशीद उसी नाम में जारी किया जायेगा जिसमें बोली जमा की गई हो।
xviii. जिन बोलीदाता के पास इन्टरनेट की सुविधा नहीं हो, लेकिन वे ई–नीलामी में भाग लेने के इच्छुक हों, वे श्री राजवीर सिंह, मुख्य प्रबंधक, प्राधिकृत अधिकारी (मो. नं. 8800305533, सर्किल कार्यालयः बुलन्दशहर, यमुनापुरम, बुलन्दशहर, उ.प्र. 203001) से सम्पर्क कर सकते हैं।
xix. बैंक को ज्ञात अन्य कोई अधिकार–ज्ञात नहीं। ई–नीलामी की गई सम्पत्तियों के संदर्भ में किसी चार्ज, लिएन, अधिभार अथवा सरकार या किसी अन्य के किसी भी प्रकार के बकाये के लिये प्राधिकृत अधिकारी अथवा बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि सांविधिक देयताओं, सम्पत्ति कर के बकाये, बिजली के बकाये आदि सहित सम्पत्ति पर अधिभारों के विषय में अपनी स्वतंत्र जांच कर लें।
xx. बोलीदाता उपयुक्त इन्टरनेट कनैक्टिविटी, पावर बैक–अप आदि सुनिश्चित कर लें। यह इन्टरनेट फैल्योर, पावर फैल्योर अथवा ई–नीलामी के प्रभावित करने वाले तकनीकी कारणों/आकष्मिक कारणों से किसी भी व्यवधान के लिये उत्तरदायी नहीं होगा। यदि नीलामी की तिथि को अवकाश दिवस घोषित होता है तो नीलामी अगले कार्यदिवस को आयोजित की जायेगी।
xxi. यदि नीलामी की तिथि को अवकाश दिवस घोषित होता है तो नीलामी अगले कार्य दिवस को आयोजित की जायेगी।
''बैंक ने सरफैसी अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत डीएम, बुलन्दशहर के पास भौतिक कब्जे के लिये आवेदन दाखिल कर दिया है।

तिथिः 16.12.2019
स्थानः बुलन्दशहर

प्राधिकृत अधिकारी,
पंजाब नेशनल बैंक सर्किल कार्यालय, बुलन्दशहर

www.readwhere.com

मौसम

तापमान	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	12.9 डि.से.	12.9 डि.से.	11.9 डि.से.	12.5 डि.से.
न्यूनतम	10.2 डि.से.	10.2 डि.से.	10.0 डि.से.	10.1 डि.से.

पुलिस कार्रवाई पर जामिया में प्रदर्शन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 16 दिसंबर।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया के विद्यार्थियों ने एक दिन पूर्व अपने सहपाठियों के साथ की गई पुलिस कार्रवाई के विरोध में सोमवार को जामिया के गेट नंबर सात पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दैरान छात्र-छात्राओं, शिक्षकों, जामिया के कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने जुलूस निकाल कर अपना विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों का जुलूस गेट नंबर 13 तक पहुंचा, जहां प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। साथ ही प्रर्शनकारियों ने मानव श्रृंखला बनाकर और मुंह पर हाथ रख कर विरोध जताया।

वहीं, सुबह करीब साढ़े नौ बजे दस छात्रों के समूह ने अर्द्धनग्न अवस्था (कमीज उतार कर) में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की भर्त्सना की। छात्रों के समूह ने अपने साथियों के साथ मिलकर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बर्बरता की सीबीआइ जांच कराए जाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि यह सरकार अल्पसंख्यक विरोधी, छात्र विरोधी और गरीब विरोधी है। वहीं, राज्यसभा सांसद विजय गोयल स्थिति का जायजा लेने के लिए जामिया पहुंचे।

विरोध-प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस के अलावा बड़ी संख्या में अर्द्धसैनिक बल के जवानों को जामिया नगर इलाके में तैनात किया गया था। मोदी मिल और माता मंदिर मार्ग पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात दिखे। इसके साथ ही कालिंदी कुंज और शाहीन बाग इलाके में भी सुरक्षाकर्मी मुस्तैद दिखे। दक्षिणी-पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त चिन्मय बिश्वाल ने बताया कि स्थिति पर देर रात को काबू पा लिया गया है। साथ ही विद्यार्थियों, स्थानीय लोगों और प्रदर्शनकारियों से अपील कि वह इलाके में शांति बनाए रखे। कानून व्यवस्था में बाधा उत्पन्न ना करें, ताकि दिल्ली पुलिस को कानूनी कार्रवाई करने पर विवश होना पड़े। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि लोग दिल्ली पुलिस के खिलाफ झूठ फैला रहे हैं कि पुलिसकर्मियों ने बसों में आग लगाई, जबकि सच्चाई यह है कि आगजनी के बाद दिल्ली पुलिसकर्मियों ने आग पर काबू पाने की हर संभव कोशिश की। उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद किया गया है। सभी प्रकार की परिस्थितियों से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस पूरी तरह से तैयार है।

जामिया के एक गेट पर पर्चे चिपकाकर विद्यार्थियों ने दर्ज कराया अपना विरोध। फोटो : अरुष चोपड़ा

हिंसक झड़प मामले में दो मुकदमे दर्ज : हिंसक झड़प मामले में दिल्ली पुलिस ने दो मामले दर्ज किए हैं। पहला मामला जामिया नगर थाने में, जबकि दूसरा मामला न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में दर्ज किया गया है। जामिया नगर पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी बलवा, सरकारी काम करने से सरकारी कर्मचारी को रोकने और ड्यूटी निभाने से सरकारी कर्मचारी को रोकने के मकसद से उनसे मारपीट करना या आपराधिक बल के प्रयोग से जुड़ी धाराओं का जिक्र किया गया है। वहीं, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में बलवा, आगजनी, गैरकानूनी तरीके से एकत्र होने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से जुड़ी धाराओं के तहम मामला दर्ज किया गया है।

झड़प में 60 लोग घायल : जामिया नगर, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, आश्रम और तैमूर नगर में हुए हिंसक झड़प के दौरान दिल्ली पुलिस के जवान, दिल्ली अग्निमशन विभाग के कर्मचारी समेत 60 लोग घायल हुए थे, जिनका होली फैमिली और जामिया कैंपस में स्थित अलसिफा अस्पताल में इलाज चल रहा है। इनमें से एक पुलिसकर्मी की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसका आइसीयू में इलाज चल रहा है।

सीसीटीवी कैमरा किया दुरुस्त : जामिया के गेट नंबर सात पर सुबह से ही बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं, शिक्षक और स्थानीय लोगों को जुटने का सिलसिला शुरू हो गया था। प्रदर्शनकारी दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों के गतिविधियों पर नजर रखने के लिए जामिया प्रशासन की ओर से लगाई गई सीसीटीवी को दुरुस्त करता दिखा।

विधायक के खिलाफ मामला दर्ज

भाजपा के पूर्वांचल मोर्चा की ओर से ओखला विधायक अमानतउल्ला खान के खिलाफ संसद मार्ग थाना में शिकायत दी गई है। शिकायत में कहा गया है जान बूझकर विधायक ने प्रदर्शनकारियों को उकसाया, ताकि दिल्ली में माहौल बिगड़े।

कालिंदी कुंज में आवाजाही रही बंद

कालिंदी कुंज, शाहीन बाग, जामिया नगर, सरिता विहार, जामिया, ओखला, आश्रम, मोदी मिल के अलावा कई मार्ग में बदलाव किया गया। कालिंदी कुंज इलाके में नोएडा की ओर से आवाजाही बंद कर दी गई थी। यातायात पुलिस के मार्ग बदलाव की वजह से डीएनडी-आश्रम चौक तक लंबा जाम लगा रहा।

पुलिस की कार्रवाई बनी चर्चा का विषय

सवालों से घिरी दिल्ली पुलिस दिन भर जवाब तलाशती रही

अमलेश राजू
नई दिल्ली, 16 दिसंबर।

जामिया मिल्लिया में छात्रों पर हुई बर्बरता पूर्ण कार्रवाई के बाद चारों तरफ से घिरी दिल्ली पुलिस सोमवार को पूरे दिन बचाव के लिए हाथ पैर मारती दिखी। यहां तक कि पुलिस ने अब आम लोगों को यह भी कहना शुरू कर दिया कि नागरिकता संशोधन कानून से कोई भी भारतीय प्रभावित नहीं होगा। इससे पहले भी तीस हजारी अदालत में वकील और पुलिस के बीच हुए झगड़े और मारपीट के बाद पुलिसिया व्यवहार की निंदा हुई थी। जबकि मुखर्जीनगर में आटो चालक और उनके नाबालिग बेटे के साथ हुई पुलिसिया पिटाई और रोहित वेमुला खुदकुशी में वायरल हुए वीडियो के बाद छात्रों के प्रदर्शन पर पुलिस का सख्ती भरा रवैया चर्चा का विषय बना दिया था।

जामिया के ताजा मामले में तो होली फैमिली अस्पताल ने मोहम्मद तामिन नामक छात्र के डिस्चार्ज पर्ची में साफ तौर पर लिखा कि उसके बाएं पैर में गोली लगने के निशान थे। पिटाई से उसके शरीर पर चोट के निशान मिले। जबकि दिल्ली पुलिस के उपायुक्त ने साफ तौर पर कहा कि पुलिस ने हालात पर निगरानी के लिए कम से कम फोर्स का प्रयोग किया और किसी भी हालत में गोली नहीं चलाई। पुलिस ने बचाव में कहा कि आंसू गैस छोड़े गए ताकि उग्र हो रहे छात्रों और स्थानीय लोगों को कब्जे में किया जा सके।

जिस तरह रविवार रात राजधानी दिल्ली के आईटीओ स्थित पुलिस मुख्यालय के बाहर छात्रों और राजनेताओं के प्रदर्शन से घबराई पुलिस ने रातों रात सभी हिरासत में लिए सभी छात्रों को छोड़ा वह भी पुलिस को एक प्रकार से कठघरे में ही खड़ा करती है। पुलिस के लिए यह मामला इसलिए भी भारी पड़ रहा है क्योंकि तमाम विरोधी पार्टियों ने साफ तौर पर कहा है कि जब छात्र हिंसक प्रदर्शन नहीं कर रहे थे और उनके पास किसी प्रकार का हथियार नहीं था तो फिर पुलिस को इतनी जल्दी बर्बर कार्रवाई करने की क्यों सूझी? पुलिस चाहती तो इस मामले को दूसरी तरह से भी सुलझा सकती थी। सोमवार को छात्रों के साथ उनके अभिभावक भी सामने आने लगे और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जब उनके बच्चों पर हमला हो रहा हो तो वे घरों में नहीं बैठे रह सकते थे।

पुलिस की अपील, अफवाह पर ध्यान न दें

दिल्ली पुलिस ने सोमवार को पूरी घटना की सिलसिलेवार जानकारी दी। दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता एमएस रंधावा ने दिल्लीवासियों से शांति बनाने की अपील करते हुए कहा कि उन्हें किसी भी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है। हिंसा के दौरान फायरिंग नहीं की गई। उन्होंने कहा कि सभी वायरल वीडियो की जांच कराई जाएगी और दोषियों पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। रंधावा ने पत्रकारों से कहा कि शनिवार को जामिया के छात्र और स्थानीय लोग न्यू फ्रेंडस कॉलोनी के माता मंदिर मार्ग पर पहुंच गए और तोड़फोड़ शुरू कर दी। बस को आग लगा दी। हम उन्हें वापस खदेड़ने लगे थे इस दौरान होली फैमिली के पास पथराव हुआ। फिर कैंपस के पास पथराव हुआ। इसके बाद भीड़ को जामिया में पुश किया गया था। प्रदर्शनकारियों ने चार डीटीसी बस को आग लगाई। 100 से अधिक प्राइवेट वाहनों को निशाना बनाया। हिंसा में उपायुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त, एसीपी और इंसपेक्टरों सहित दिल्ली पुलिस के 30 पुलिसकर्मी घायल हुए, एक पुलिसकर्मी आईसीयू में है।

डीयू पहुंची विरोध की आग, छात्रों के बीच झड़प

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 16 दिसंबर।

नागरिकता कानून के विरोध-प्रदर्शन की आग सोमवार को दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) तक भी पहुंच गई। वामपंथी और कांग्रेस समर्थित छात्र संगठनों ने सेमेस्टर परीक्षाओं के बहिष्कार का आह्वान करते हुए विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शन किया। इस दौरान विद्यार्थियों के दो गुटों के बीच हल्की झड़प भी हुई। हालांकि इसमें किसी के भी घायल होने की सूचना नहीं है।

ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) की दिल्ली सचिव मधुरिमा के मुताबिक आइसा कार्यकर्ता सोमवार सुबह उत्तरी परिसर में समाज विज्ञान विभाग की इमारत के पास जमा होकर जामिया मिल्लिया इस्लामिया में विद्यार्थियों के साथ हुई पुलिस हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने परीक्षाओं के बहिष्कार की अपील की। इतना ही नहीं काफी विद्यार्थियों ने आज डीयू में सेमेस्टर परीक्षा नहीं दी। उन्होंने आरोप लगाया कि इस दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) में काबिज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट की। इस दौरान पुलिस मूकदर्शक बनी रही। बाद में उनके खिलाफ ही कार्रवाई की गई। वहीं, डूसू अध्यक्ष अक्षित दहिया ने इस मामले पर सफाई देते हुए कहा कि विद्यार्थियों को परीक्षा में शामिल होने से रोकने और विश्वविद्यालय की शैक्षणिक प्रक्रिया पर हमले के लिए वाम छात्र संगठनों की जितनी निंदा की जाए कम है। डीयू में स्नातक और स्नातकोत्तर की परीक्षाएं हो रही हैं। डूसू, दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (डूटा) की हड़ताल के आह्वान के बावजूद भी शैक्षणिक प्रक्रिया को जारी रखवा पाने में कामयाब रहा और जब कुछ छात्र संगठनों ने खिलाफ परीक्षा बहिष्कार का आह्वान किया।

सामान बांधकर घर लौट रहे विद्यार्थी

निर्भय कुमार पांडेय
नई दिल्ली, 16 दिसंबर।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया में दहशत का महौल बन गया है। इस वजह से डरे-सहमे कई विद्यार्थी अपने घर चले गए। इन विद्यार्थियों ने बातचीत करने पर बताया कि फिलहाल जामिया में हालात सामान्य नहीं हैं। इससे जहां एक ओर खुद की चिंता है। वहीं, दूसरी ओर परिजन भी इस घटना के बाद काफी तनाव में हैं और परिवार उन्हें सकुशल लौट आने की सलाह दे रहे हैं।

स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रहे संभल निवासी अंतिम वर्ष के छात्र ने बताया कि देर रात से वह डर के साए में थे। पूरी रात वह सो नहीं पाए हैं। परीक्षाएं सिर पर आ गई हैं और जामिया में ऐसे हालत हैं। छुट्टी की घोषणा होने के बाद मेस भी बंद हो जाता है। उनके पिता ने कहा कि यदि हालात समान्य नहीं है तो वह उन्हें लेने आ रहे हैं। यही कारण है कि वह घर लौट रहे हैं। साथ ही किताबें भी साथ में रख लिया है, ताकि परीक्षा की तैयारी कर सकें। उनके अलावा कई ऐसे छात्र-छात्राएं थे, जो इस माहौल में अपने घर जाने में बेहतरी समझ रहे थे। बिहार निवासी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे छात्र सलमान खान ने कहा कि जामियाको समान्य होने में काफी वक्त लगेगा।

मामला शांत भी हो जाता है तो इस माहौल में परीक्षा की तैयारी कर पाना काफी मुश्किल होगा। हिसंक झड़प और पुलिस का जबरन जामिया में घुस आने के बाद से केवल इसी बात को लेकर सभी ओर चर्चाएं हो रही हैं। आसपास की दुकानें भी तीन-चार दिनों से बंद पड़ी हैं। ऐसे में खाने-पीने की समस्या पैदा हो गई है। बेहतर है कि गांव जाकर परिजनों के साथ कुछ समय बिताया जाए।

इग्नू ने जामिया से हटाया परीक्षा केंद्र

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 16 दिसंबर।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया में तनावपूर्ण स्थिति के मद्देनजर अपने परीक्षा केंद्रों को बदल कर दूसरे स्थानों पर कर दिया है। विश्वविद्यालय के एक अधिकारी के मुताबिक जामिया के परीक्षा केंद्र को वैकल्पिक स्थानों पर कर दिया गया है। विद्यार्थियों से वेबसाइट देखते रहने का आग्रह किया जाता है और समूचा परीक्षा कार्यक्रम संबंधित केंद्रों को भेज दिया जाएगा।

आज के कार्यक्रम

सभा/संगोष्ठी

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर : प्रोफेसर मुशीरुल हसन मेमोरियल व्याख्यान 2019, सीडी देशमुख ऑडिटोरियम, 40 मैक्समूलर मार्ग, शाम साढ़े छह बजे।

जामिया में जो हुआ वह अस्वीकार्य : येचुरी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 16 दिसंबर।

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के महासचिव सीताराम येचुरी ने सोमवार को कहा कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में विद्यार्थियों के आंदोलन को दबाने के लिए की गई पुलिस कार्रवाई लोकतंत्र में अस्वीकार्य है। येचुरी ने विश्वविद्यालय परिसर में बिना अनुमति के पुलिस के प्रवेश को गैरकानूनी बताते हुए कहा कि जामिया में जो कुछ हुआ, लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले किसी भी देश में वह पूरी तरह से अस्वीकार्य है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए, कम है। येचुरी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को दिल्ली पुलिस से जवाब तलब करना चाहिए कि उसने जामिया में बिना पूर्व अनुमति के प्रवेश कैसे किया। उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक किसी भी शिक्षण संस्थान में पुलिस संस्थान की पूर्व अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकती है। यह कानून पूरे देश में लागू है। येचुरी ने विद्यार्थियों के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई को बर्बर बताते हुए कहा कि विरोध के स्वर को दबाने के लिए सरकार पूरे देश में पुलिस के दमन का सहारा ले रही है।

फर्जी वीडियो को बना रहे सहारा : विजय गोयल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 16 दिसंबर।

राज्यसभा सांसद विजय गोयल सोमवार को जामिया नगर पहुंचे। उन्होंने इस दौरान होली फेमली अस्पताल में इलाजरत 11 छात्रों से मुलाकात की और एक छात्र का उपचार के बिल का भुगतान भी किया। विजय गोयल ने कहा कि फर्जी वीडिया का सहारा बनाकर विपक्षी दल के नेता माहौल खराब करना चाह रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले ट्वीट करके कहते हैं कि आंदोलन करो, फिर वो आंदोलन में परदे के पीछे से हिंसा करवाते हैं और फिर कहते हैं कि हिंसा मत करो। वहीं, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहले ही दिन आरोप लगाते हैं कि चुनाव के लिए भाजपा हिन्दू-मुस्लिम करवा रही है। उनसे कोई पूछे आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को भड़काऊ भाषण देने के लिए हमने भेजा। सिसोदिया ने पुलिस के ऊपर झूठा आरोप लगाया कि बस को जला रहे थे, बस जली नहीं, केवल टूटी है। उनको माफी मांगनी चाहिए।

गुस्सा जामिया हिंसा के खिलाफ इंडिया गेट पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ धरना देते हुए। फोटो : अरुष चोपड़ा

कांग्रेस का पुलिस मुख्यालय पर प्रदर्शन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 16 दिसंबर।

जामिया में हुए हिंसक झड़प की घटना के बाद दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान सुभाष चोपड़ा ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार की मंशा देश में खुशहाली और शांति स्थापित करने की बजाए अस्थिरता फैलाने की है।

उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान में सभी धर्मों और वर्गों को समानता देने का प्रावधान है, इसलिए यह विधेयक पूरी तरह संविधान की मूल आत्मा के खिलाफ होने के साथ गैरकानूनी भी है। इस विधेयक को वापस लिया जाए। प्रदर्शन के दौरान पूर्व अध्यक्ष जय प्रकाश अग्रवाल, अरविन्दर सिंह लवली, पूर्व सांसद कीर्ति आजाद मसेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।

नोएडा में सोशल मीडिया पर पुलिस की नजर

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 16 दिसंबर।

नागरिकता कानून को लेकर दिल्ली और अलीगढ़ में हुए उग्र आंदोलन के चलते गौतम बुद्ध नगर में धारा-144 लागू कर पुलिस-प्रशासन सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रख रहा है। दिल्ली समेत अन्य प्रदेश की सीमा से लगने वाले इलाकों में बगैर वाहन जांच के प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है।

डीएम बीएन सिंह और एसएसपी वैभव कृष्ण ने सोशल मीडिया समेत किसी तरह से माहौल बिगाड़ने वालों से सख्ती से निपटने की चेतावनी दी है। ऐसे मामलों में तुरंत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। रविवार देर शाम दिल्ली के जामिया नगर इलाके और सोमवार को अलीगढ़ में हुए उग्र आंदोलन के मद्देनजर हुई प्रेस वार्ता में एसएसपी ने बताया कि दिल्ली व अलीगढ़ के अलावा प्रदेश के अन्य हिस्सों में हुए उग्र आंदोलन के विषय में यदि किसी ने भ्रामक, अफवाह या गलत तथ्यों के आधार पर पोस्ट कर अराजक माहौल बनाने की कोशिश की, तो उसके खिलाफ सीधी प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार किया जाएगा। सोशल मडिया, वॉट्सऐप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर बराबर नजर रखी जा रही है।

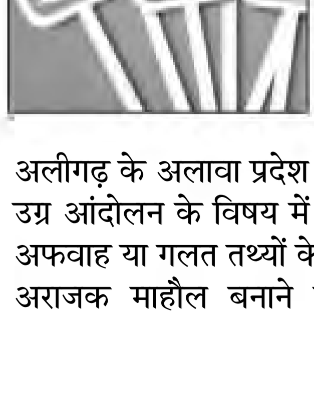

इसके अलावा जिले में जो लोग अराजक माहौल बनाने की कोशिश कर सकते हैं, उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। इस सभी को चेतावनी के साथ लाल (रेड) कार्ड जारी किया जा रहा है। उधर, पुलिस प्रशासन की सख्ती का असर शहर में दिखने लगा है। एक दर्जन से ज्यादा खासकर ग्रामीण और अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाकों में पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है। कालिंदी कुंज सीमा पर बेरीकेड लगाकर गुजरने वाले वाहनों की जांच की जा रही है।

हिंसा पर केजरीवाल ने गृह मंत्री से मांगा समय

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 16 दिसंबर।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में बिगड़ती कानून-व्यवस्था पर चर्चा करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने समय मांगा है। केजरीवाल ने ट्वीट किया कि दिल्ली की बिगड़ी कानून-व्यवस्था को लेकर वे बहुत चिंतित हैं। दिल्ली में तुरंत शांति बहाल की जानी चाहिए।

इसके लिए उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का समय मांगा है। नागरिकता कानून का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों की जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के समीप न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में पुलिस के साथ झड़प हो गई, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने डीटीसी की चार बसें और दो पुलिस वाहनों को आग के हवाले कर दिया।

वहीं, दिल्ली पुलिस ने झड़प के दौरान किसी के हताहत होने की बात से इनकार किया है। पुलिस कार्रवाई के खिलाफ विश्वविद्यालय के छात्रों ने सोमवार को कड़कड़ाती ठंड में जामिया के प्रवेश द्वार के बाहर कमीज उतारकर प्रदर्शन भी किया। केजरीवाल ने रविवार को भी कहा था कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण होना चाहिए। केजरीवाल ने ट्वीट किया था कि किसी को भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। किसी भी तरह की हिंसा स्वीकार्य नहीं है। 'आप' नेता संजय सिंह ने कहा कि हम लोगों से अपील करते हैं कि हिंसा न करें और लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाएं। हम जामिया में दिल्ली पुलिस द्वारा की गई हिंसा की भी निंदा करते हैं। अमित शाह के गृह मंत्री बनने के बाद से यही रवैया अपनाया जा रहा है और यह दिल्ली पुलिस का भी असली चरित्र दिखाता है। उन्होंने कहा कि शांति कायम करना समय की मांग है। मामले की जांच की आवश्यकता है।

www.readwhere.com

चार महीने में अयोध्या में भव्य मंदिर बन जाएगा : शाह

पाकुड़ (झारखंड), 16 दिसंबर (भाषा)।

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने सोमवार को कहा कि दुनियाभर में हिंदुओं की इच्छा के अनुरूप अयोध्या में चार महीने के अंदर एक भव्य राम मंदिर बनेगा।

शाह ने कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल से पूछा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि मामले को क्यों खींचने की कोशिश की। शाह ने सिब्बल से पूछा, 'कांग्रेस नेता और एडवोकेट कपिल सिब्बल साहब ने कहा, 'अभी मत चलाएं केस, बाद में चलाएं। क्यों भाई आपके पेट में क्यों दर्द है?' भाजपा अध्यक्ष पाकुड़ में पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। शाह ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने झारखंड के विकास के लिए बहुत कम काम किया और यह जानना चाहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाला झारखंड मुक्ति मोर्चा क्यों सत्ता में रहते हुए नक्सलवाद को खत्म नहीं कर पाया। एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने यहां कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने अलग झारखंड राज्य बनाया और मोदी सरकार ने नक्सलवाद को जमीन के 20 फुट नीचे दफनाने के बाद इसके विकास का काम किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा कि उन्हें अपनी पार्टी द्वारा किए गए विकास कार्यों का ब्योरा देना चाहिए।

कहा, कांग्रेस ने राज्य में शासन के दौरान सभी व्यापारिक अवसरों को बर्बाद कर दिया

भाजपा नेता ने कहा कि झारखंड का साहेबगंज कभी एशिया और यूरोप में देशों के लिए व्यापार गलियारा हुआ करता था, लेकिन 'कांग्रेस ने राज्य में अपने शासन के दौरान सभी व्यापारिक अवसरों को बर्बाद कर दिया।' उन्होंने कहा, 'राहुल गांधी पूछते रहते हैं कि हम राज्य में अपनी रैलियों के दौरान कश्मीर (अनुच्छेद 370 को रद्द करने) का जिक्र क्यों करते हैं। उन्होंने इतालवी चश्मा पहन रखा है और उन्हें यह जानकारी नहीं है कि देश की रक्षा के लिए राज्य के युवा सीमा पर अपना खून बहाते हैं।'

सरकार ने अपने ही देशवासियों पर हमला बोल दिया है : सोनिया

नई दिल्ली, 16 दिसंबर (भाषा)।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार हिंसा एवं बंटवारे की जननी बन गई है और उसने अपने ही देशवासियों पर हमला बोल दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि ध्रुवीकरण की इस पटकथा के लेखक प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष ने एक बयान में कहा कि सरकार का काम है–शांति व सौहार्द बनाना, कानून का शासन चलाना और संविधान की रक्षा करना। पर भाजपा सरकार ने देश और देशवासियों पर हमला बोल दिया है। सरकार ने देश को नफरत की खाई में धकेल दिया है तथा युवाओं के भविष्य को आग की भट्ठी में झोंक दिया है। उन्होंने कहा कि असम, त्रिपुरा और मेघालय जल रहे हैं। पुलिस की गोलियों से अकेले असम में चार युवा मारे गए।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पूरे देश में छात्र आंदोलन की राह पर हैं। सरकार के अत्याचार, बेतहाशा बेरोजगारी, फीस वृद्धि, अधिकारों का हनन तथा संविधान को तोड़ने की सरकार की साजिश के खिलाफ युवा और छात्र सड़कों पर विरोध कर रहे हैं। लेकिन सरकार और उसके मंत्री पूरे देश के युवाओं को उग्रवादी, नक्सलवादी, अलगाववादी, देशद्रोही साबित करने में व्यस्त हैं। यह सरकार शासन देने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी सिर चढ़ कर बोल रही है, अर्थव्यवस्था ठप्प है, शिक्षा और शिक्षण संस्थानों का बुरा हाल है और देश का आम आदमी गरीबी से ग्रस्त है। जबकि सरकार केवल धार्मिक उन्माद फैला, हिंसा करवा, अफरा-तफरी का आलम पैदा कर खुद की नाकामी से ध्यान बांटने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि नागरिकता (संशोधन) कानून या राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) ये सब सरकार की नाकामियों से राष्ट्र का ध्यान बांटने की नीति का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति-छात्र शक्ति जब जागती है, तो देश में एक नया बदलाव आता है। पुलिस की लाठियों से युवाओं और छात्रों पर चलाया गया यह दमन चक्र सरकार के अंत की शुरुआत साबित होगा।

पायल रोहतगी की जमानत अर्जी खारिज, 24 तक न्यायिक हिरासत में

कोटा (राजस्थान), 16 दिसंबर (भाषा)।

कोटा की एक अदालत ने सोशल मीडिया पर नेहरू-गांधी परिवार के खिलाफ कथित आपत्तिजनक सामग्री डालने के मामले में अभिनेत्री पायल रोहतगी की जमानत अर्जी खारिज कर दी और उन्हें 24 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

बूंदी की पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता ने बताया कि उन्हें अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया था। एक दिन पहले उन्हें अमदाबाद में उनके घर से हिरासत में लेकर बूंदी लाया गया था। उन्हें रविवार रात को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया था। इस बीच, रोहतगी के वकील भूपेंद्र सहाय सक्सेना ने जमानत अर्जी खारिज हो जाने की पुष्टि की लेकिन यह भी कहा कि वह ऊपरी अदालत जाएंगी।

बिगबॉस की पूर्व प्रतिस्पर्धी ने छह सितंबर और 21 सितंबर को फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर समेत सोशल मीडिया साइटों पर मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिया गांधी और इस परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट की थी। प्रदेश युवा कांग्रेस के महासचिव और बूंदी निवासी चार्मेश शर्मा ने आपत्तिजनक सामग्री की प्रतियों के साथ शिकायत दर्ज कराई थी। उसके बाद अभिनेत्री के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

कांग्रेस सदस्य ने अभिनेत्री के विरुद्ध आरोप लगाया था कि आपत्तिजनक सामग्री से देश की छवि को नुकसान पहुंचती है, उससे अश्लीलता, धार्मिक घृणा फैलती है तथा महिला की छवि खराब होती है। बूंदी पुलिस ने 10 अक्टूबर को रोहतगी के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धाराओं- 66 और 67 के तहत मामला दर्ज किया था। उन्हें इस महीने के प्रारंभ में नोटिस जारी किया था और इस संबंध में जवाब मांगा गया था।

किसी शरणार्थी को आसानी से नहीं मिलेगी नागरिकता : गृह मंत्रालय

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 16 दिसंबर।

नागरिकता कानून को लेकर गृह मंत्रालय ने सोमवार को स्पष्टीकरण जारी किया। गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू व पांच अन्य समुदायों के शरणार्थियों को स्वतः भारतीय नागरिकता नहीं मिल जाएगी और उन्हें जरूरी मानदंड पूरे करने के बाद ही भारतीय नागरिक बनने का अधिकार होगा। केंद्र सरकार प्रावधानों को अमल में लाने के लिए नियम बनाएगी। इसके साथ ही, गृह मंत्रालय ने राज्यों से हिंसा रोकने, फर्जी खबरों पर लगाम लगाने को कहा।

नागरिकता को लेकर गृह मंत्रालय का यह स्पष्टीकरण संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन के बीच आया है। गृह मंत्रालय के अधिकारी ने कहा, 'नए कानून का यह मतलब नहीं है कि सभी शरणार्थियों या अवैध प्रवासियों को स्वतः ही भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। उन्हें नागरिकता के लिए आवेदन करना होगा, जिस पर सक्षम अधिकारी विचार करेंगे।' उन्होंने कहा, 'संबंधित आवेदक को जरूरी मानदंडों को पूरा करने के बाद ही भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी।'

अधिकारी के मुताबिक, 'इन समुदायों का कोई भी शरणार्थी स्वतः ही भारतीय नागरिक नहीं बन जाएगा। उसे ऑनलाइन आवेदन करना होगा और सक्षम अधिकारी देखेंगे कि वह भारतीय नागरिक के तौर पर पंजीकरण की सभी पात्रताएं पूरी करता है या नहीं।' संशोधित नागरिकता कानून में तीनों पड़ोसी देशों से यहां आए हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी और जैन समुदाय के शरणार्थियों की खातिर भारत की नागरिकता के लिए आवेदन करने का प्रावधान है, जिन्हें उन देशों में धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा हो।

इसके अलावा गृह मंत्रालय ने सोमवार को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से हिंसा रोकने तथा जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव कदम उठाने को कहा। मंत्रालय ने एक परामर्श में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों और अफवाहों के खिलाफ भी कार्रवाई को करने को कहा, जिनसे हिंसा भड़क सकती है। मंत्रालय ने कहा कि देश के कुछ हिस्सों में हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान होने की घटनाओं के मद्देनजर राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को परामर्श जारी किया गया है।

परामर्श में कहा गया, 'यह जरूरी है कि हिंसा रोकने, नागरिकों की जान की हिफाजत करने और संपत्तियों को नुकसान होने से रोकने के लिए कदम उठाए जाएं।'

SIGNATURE GLOBAL
MAKING INDIA AFFORDABLE

शहर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग, हरियाणा सरकार की 19.08.2013 दिनांक अधिसूचना सं. PF-27/48921 और उसमें संशोधन के अनुसार उल्लिखित नीति के नियमों और शर्तों पर विकसित किए जा रहे अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत आवासीय अपार्टमेंट की बुकिंग के लिए सर्वसाधारण से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। (विवरण विभागीय वेबसाइट tcpharyana.gov.in पर उपलब्ध हैं)

प्रोजेक्ट के विवरण

1. कॉलोनाइजर/डेवलपर	सिग्नेचर बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
2. प्रोजेक्ट की प्राप्त स्वीकृति	लाइसेंस नं./वर्ष – 51/2019 दिनांक : 06.03.2019, निर्माण योजना स्वीकृति तिथि : 08.08.2019, मेमो नं.: ZP-1110/AD(RK)/2019/19109. हरियाणा रेरा प्रमाणित नं.: 51 of 2019 dated 09.09.2019
3. स्थान	सेक्टर 93, गुरुग्राम, हरियाणा।
4. प्रोजेक्ट के क्षेत्रफल संबंधी प्रावधान	हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत 5 एकड़ में कुल 720 अपार्टमेंट में से 307 अपार्टमेंट आवेदकों के लिए उपलब्ध हैं। इनमें से पॉलिसी अनुसार 5% फ्लैट मैनेजमेंट कोटे में आरक्षित हैं और 95% अपार्टमेंट सर्वसाधारण के लिए हैं। समुदाय सुविधाएँ : 2000 वर्गफुट का एक समुदाय भवन और 2000 वर्गफुट का एक आँगनवाड़ी-सह-क्रेश।

5. अपार्टमेंट के विवरण, आवंटन दर और भुगतान के नियम

अपार्टमेंट के विवरण

कैटेगरी (टाइप)	यूनिट की संख्या	कारपेट एरिया वर्गफुट (लगभग)	बालकनी एरिया वर्गफुट (लगभग)	अपार्टमेंट के एलॉटमेंट की दर (सब मिला कर)*	आवेदन के साथ बुकिंग की राशि 5%	एलॉटमेंट पर 20%
2BHK TYPE -01	113	539.384	78.114	21,96,593.00	1,09,830.00	4,39,319.00
2BHK TYPE -03	120	594.916	70.849	24,15,088.50	1,20,754.00	4,83,018.00
2BHK TYPE -04	43	577.112	79.029	23,47,962.50	1,17,398.00	4,69,593.00
3BHK TYPE -01 (MQ)	31	641.351	120.32	26,15,404.00	1,30,770.00	5,23,081.00

ii) बाकी 75% राशि का तीन वर्षों के दौरान 6 महीने तक बराबर किस्तों में भुगतान। भुगतान की नियत तिथि से पहले कोई ब्याज नहीं लगेगा। भुगतान में किसी चूक के लिए हर्जाना ब्याज देना होगा जैसा कि हरियाणा रीयल एस्टेट नियामक प्राधिकरण, विनियम, 2017 के नियम 15 में प्रावधान है।

6. पार्किंग	प्रत्येक अपार्टमेंट के लिए दुपहिया वाहन पार्किंग।
7. अपार्टमेंट के बारे में सामान्य विवरण	• फ्लोरिंग : कमरों में विट्रिफाइड टाइल्स, किचन में विट्रिफाइड/सिरामिक टाइल्स, टॉयलेट में एंटी स्किड सिरामिक टाइल्स, बालकनी में एंटी स्किड/मैट फिनिश सिरामिक टाइल्स। • खिड़कियाँ : IS कोड के अनुसार M.S. सेक्शन/अल्युमिनियम पाउडर कोटेड/UPVC • दरवाज़ों के फ्रेम : रेड मरंडी/माइल्ड स्टील/अल्युमिनियम पाउडर कोटेड/UPVC • वॉल टाइल : 4 फुट/7 फुट की ऊँचाई तक सिरामिक टाइल्स एवं ऊपर ऑयल बाउंड डिस्टेम्पर • किचन काउंटर टॉप ग्रीन मार्बल/ग्रेनाइट • दीवार : ऑयल बॉंड डिसटेंपर • सेनिटरी फिटिंग : ISI मार्क CP फिटिंग्स, W.C. और वॉश बेसिन • इलेक्ट्रिक फिटिंग : ISI मार्क। स्ट्रक्चर : IS कोर्ड और NBC के नवीनतम सुझावों के अनुसार, RCC फ्रेम स्ट्रक्चर को SESMIC फोर्स से बचाव के लिए डिज़ाइन किया गया है।
8. आवेदन की समय सीमाएँ	i) आवेदन पत्र दिनांक 17.12.2019 से आवेदन शुल्क 1000 रुपये भुगतान कर Signature Builders Pvt. Ltd., Corp. Office - Ground Floor, Tower A, Signature Tower, South City -1, Gurugram, Haryana-122001, 0124-4908200 से प्राप्त और इसी पते पर जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें : 7053-121-121 ii) आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि : 10.01.2020. iii) वितरण और संग्रह केंद्रों की सूची www.signatureglobal.in पर उपलब्ध है। iv) आवेदन पत्र प्राप्त करने और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की सुविधा www.signatureglobal.in पर भी उपलब्ध है।

योग्यता : 1. आवेदक पर किसी मौजूदा कानून के तहत कानूनी तौर पर बाध्यकारी करार करने पर रोक नहीं हो। 2. आवेदन कोई भी कर सकता है हालाँकि एलॉटमेंट में प्राथमिकता PMAY (पीएमएवाई) लाभार्थियों को दी जाएगी जिनमें आवेदक समेत उनकी पत्नी (या पति) या आश्रित संतान शामिल हैं जिनकी पहचान 'प्रधानमंत्री आवास योजना – सबके लिए आवास' प्रोग्राम के तहत शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा के तहत की गई हो। पहली प्राथमिकता कथित शहर के पहचान किए गए लाभार्थियों को दी जाएगी। इसके बाद हरियाणा राज्य के अन्य पीएमएवाई लाभार्थियों को दी जाएगी। इसके बाद बचे फ्लैट के एलॉटमेंट में ऐसे आवेदक समेत उनकी पत्नी (या पति) या आश्रित संतान को प्राथमिकता दी जाएगी जिनका हुडा की किसी कॉलोनी/सेक्टर या हरियाणा शहरी क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की किसी लाइसेंस्ड कॉलोनी में अपना फ्लैट/प्लॉट नहीं हो। 3. एक व्यक्ति एक ही आवेदन कर सकता है। इस नीति के तहत सफल कोई भी आवेदक इस नीति के तहत अन्य किसी कॉलोनी में अन्य फ्लैट के लिए आवेदन योग्य नहीं माना जाएगा। यदि कोई आवेदक एक से अधिक कॉलोनी में आवंटन के लिए सफल होता है तो उसे केवल एक फ्लैट चुनना होगा।

आवंटन के मानक : 1. अपार्टमेंट का आवंटन एक समिति के सामने लॉट्री से होगा। समिति में उपायुक्त या उनके प्रतिनिधि (न्यूनतम हरियाणा लोक सेवा स्तर के अधिकारी), वरिष्ठ नगर नियोजक (सर्कल कार्यालय), संबद्ध जिले के डीटीपी और संबद्ध कॉलोनाइजर के प्रतिनिधि होंगे। 2. लॉट्री की तिथि निर्धारित करने के बाद डेवलपर उसी समाचार पत्र में विज्ञापन देंगे जिसमें यह मूल विज्ञापन प्रकाशित हुआ होगा। विज्ञापन में आवेदकों को लॉट्री की तिथि और स्थान के विवरण दिए जाएँगे। 3. नामकों की पूरी जानकारी और आवश्यक जांच और आवंटन के लिए निर्धारित समय सीमा के लिए आवेदक अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग पॉलिसी 2013 के विवरण देखें जो 19.08.2013 दिनांकित अधिसूचना सं. PF-27/48921 और उसमें संशोधन में उपलब्ध है। (विवरण विभागीय वेबसाइट tcpharyana.gov.in पर उपलब्ध हैं)।

MEMBER
ORCHARD AVENUE 2
THE OASIS OF LIFE IN TOWN
SECTOR 93, GURUGRAM
UPSCALE
HAR PARIVAR EK GHAR

SIGNATURE BUILDERS PRIVATE LIMITED | CIN: U70101DL2011PTC220275
Regd. Office : 1309, 13th Floor, Dr. Gopal Das Bhawan, 28 Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi-110001
Corp. Office - Ground Floor, Tower A, Signature Tower, South City -1, Gurugram, Haryana-122001 | www.signatureglobal.in

HOME LOAN PARTNER HDFC HOME LOANS ICICI Bank YES BANK TATA CAPITAL

AVAIL INTEREST SUBSIDY BENEFITS OF RS. 2.67 LAC (APPROX) UNDER PMAY (PRADHAN MANTRI AWAAS YOJANA)**

7053-121-121

SCHEDULE II, FORM B
PUBLIC ANNOUNCEMENT
(Regulation 12 of the Insolvency and Bankruptcy (Liquidation Process) Regulations, 2016)
For the attention of the stakeholders of ERA Housing and Developers India Limited

1.	Name of corporate debtor	Era Housing and Developers India Limited
2.	Date of incorporation of corporate debtor	15.09.1995
3.	Authority under which corporate debtor is incorporated/registered	ROC- Delhi
4.	Corporate identity number/limited liability identity number of corporate debtor	U74899DL1995PLC072507
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	1107, Indraprakash Building, 21, Barakhamba Road, New Delhi-110001
6.	Date of closure of insolvency resolution process	01.02.2019
7.	Liquidation commencement date of corporate debtor	03.12.2019 (communicated through email dated 12.12.2019 by NCLT principal bench Delhi)
8.	Name, address, email address, telephone number and the registration number of the liquidator	CA IP Sunil Kumar Gupta B-10 magnum house-1 Karmapura Commercial Complex, Shivaji Marg, New Delhi-110015. erahousing.cirpl@gmail.com 9953999077, 9953999075 (WhatsApp) IBBI/IPA-001/IP-P00205/2017-18/10394
9.	Last date for submission of claims	02.01.2020

Notice is hereby given that the Hon'ble National Company Law Tribunal Principal Bench, New Delhi has ordered the commencement of liquidation of the Era Housing and Developers India Limited on 03.12.2019.
The stakeholders of Era Housing and Developers India Limited are hereby called upon to submit a proof of their claims, on or before 02-01-2020, to the liquidator at the address mentioned against item 8.
The financial creditors shall submit their proof of claims by electronic means only. All other stakeholders may submit the proof of claims in person, by post or by electronic means.
Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Date: 16th December, 2019
Place: New Delhi

CA IP SUNIL KUMAR GUPTA
IBBI/IPA-001/IP-P00205/2017-18/10394
LIQUIDATOR
ERA HOUSING AND DEVELOPERS INDIA LIMITED

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः 11वां तल, टावर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपत राव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई- 400013, CIN No. U67190MH2008PLC187552

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)
(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 के नियम 8 (1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)

जैसा कि वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम के साथ पठित धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना नीचे वर्णित रूप में जारी कर ऋणधारकों को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय नीचे वर्णित तिथि से उस पर बयाज तथा दंड ब्याज, चार्जेज, लागत आदि के साथ नीचे वर्णित राशि के लिये टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा। ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

ऋण खाता सं.	देनदार/सांविधिक उत्तराधिकारी/ सांविधिक प्रतिनिधि (यों) का नाम	मांग सूचना के अनुसार राशि	कब्जा की तिथि
9589891	श्री संजीव कुमार (ऋणधारक) एवं श्री राजेश कक्कर, श्री मनोज कुमार कक्कर, श्री सुनील कक्कर (सह-ऋणधारक)	9.3.2019 को रु. 3,06,93,616/-	11 दिसम्बर, 2019

प्रतिभूत परिसम्पत्तियों/अचल सम्पत्तियों का विवरणः सी.डब्ल्यू.पी.सी. को-ऑप हाउस बिल्डिंग सोसायटी लि., अब इंजीनियर्स एन्क्लेव के नाम से विदित, पीतमपुरा, दिल्ली का सभी भाग तथा हिस्सा तथा चौहद्दी इस प्रकार हैः पूर्वः रोड 45 फीट चौड़ा, पश्चिमः सर्विस लेन, उत्तरः सम्पत्ति सं. 148, दक्षिणः सम्पत्ति सं. 146

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड के लिए
तिथिः 17.12.2019 हस्ता./-
स्थानः दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी

प्रपत्र बी
सार्वजनिक उद्घोषणा
[भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 12 के अंतर्गत]
मै. डी एस व्यूहिन प्राईवेट लिमिटेड के स्टेकधारकों के ध्यानार्थ

1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	मै. डी एस व्यूहिन प्राईवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	23.8.1991
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है	कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या/कॉर्पोरेट ऋणधारक का लिमिटेड लाएबिलिटी पहचान संख्या	U74899DL1991PTC045466
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	पंजीकृत पताः 300, फॉरेस्ट लेन नेब सराय, सैनिक फार्म, नई दिल्ली डीएल प्रधान कार्यालयः प्लॉट नं. 88, सेक्टर 24, फरीदाबाद, हरियाणा-121001
6.	इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया समापन की तिथि	2.9.2019
7.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का परिसमापन शुरू होने की तिथि	3.9.2019
8.	परिसमापक के रूप में कार्यरत इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेशनल का नाम तथा पंजीकरण संख्या	राज कुमार विनोद वच्छर IBBI/IPA-003/IP-ICAI/N/00013/2018-2019/12287 (आदेश 13 दिसम्बर, 2013 को प्राप्त हुई)
9.	बोर्ड में पंजीकृत परिसमापक का पता तथा ईमेलः	पताः 31/11, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008, ई-मेलः rajvachher@gmail.com
10.	परिसमापक के साथ पत्राचार के लिये प्रयुक्त होने वाला पता तथा ईमेल	पताः 25/14, 2रा तल, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008 ईमेलः deeessliquidation@gmail.com
11.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	12.01.2020

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ ने 03.09.2019 को डीएस व्यूहिन प्राईवेट लिमिटेड की परिसमापन शुरू करने का आदेश दिया है।
एतद्द्वारा डीएस व्यूहिन प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडिटरों को निर्देश दिया जाता है कि आइटम नं. 10 में वर्णित पते पर परिसमापक के पास 12 जनवरी, 2020 को या उससे पूर्व अपने दावे का प्रमाण जमा करें।
फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडीटर्स प्रमाण के साथ व्यक्तिगत या डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं।
दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।

परिसमापक का नाम तथा हस्ताक्षरः
तिथिः 17 दिसम्बर, 2019 हस्ता./-
स्थानः नई दिल्ली राजकुमार वनोद वच्छर

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI

बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली आस्ति वसूली शाखा, स्टार हाउस, तृतीय तल, एच-2, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001 फोनः 011-23755605 - 5606

अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस
प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्ति के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

1. आम लोगों को तथा विशेष रूप से ऋणधारकों और गारंटरों को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो बैंक ऑफ इंडिया के पास बंधक/प्रभारित है, का **सांकेतिक कब्जा** बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **"जैसा है, जहां है", "जैसा है जो है" और "जो कुछ भी वहाँ है"** के आधार पर **उधारकर्ता/गारंटीकर्ताः मैसर्स अलकॉम परफ्यूम एंड कॉस्मेटिक्स प्रा. लि., श्री जवाहर लाल मंघानी, श्री हंसराज मंघानी, श्री नरिंदर मंघानी, श्री दीपक मंघानी, श्रीमती वीना मंघानी, श्रीमती प्रियंका मंघानी** से बैंक ऑफ इंडिया की बकाया राशि **रुपए 1896.70 लाख + अप्रभारित ब्याज (यूसीआई) दिनांक 01.11.2010 से एवं अन्य प्रभार (मैसर्स अलकॉम परफ्यूम एंड कॉस्मेटिक्स प्रा. लि. के एनपीए खाते में) और रुपए 322.49 लाख + अप्रभारित ब्याज (यूसीआई) दिनांक 30.09.2010 से एवं अन्य प्रभार (श्रीमती वीना मंघानी एवं अन्य के एनपीए खाते में)** की वसूली हेतु **दिनांक 30.01.2020** को बिक्री की जाएगी।

संपत्ति का विवरणः– श्रीमती वीना मंघानी, श्री जवाहर लाल मंघानी, श्री नरिंदर मंघानी, श्री हंसराज मंघानी और श्री दीपक मंघानी के स्वामित्व वाली आवासीय संपत्ति प्लाट नंबर – डब्ल्यू 54 पर निर्मित, ग्रेटर कैलाश भाग – 1, नई दिल्ली में स्थित है। (बैंक के सांकेतिक कब्जे के तहत संपत्ति)। कब्जा तिथिः 05.09.2011 (सांकेतिक)

आरक्षित मूल्य **2035.00 लाख** रुपए और धरोहर राशि **203.50 लाख** रुपए होगी। **निरीक्षण तिथि और समयः** 24.01.2020 (सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे)

विक्रय के विस्तृत नियमों और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया बैंक ऑफ इंडिया की वैबसाइट **https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender?Type=3** देखें।

दिनांकः 17.12.2019
स्थानः नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी
श्री नीरज रस्तोगी
मोबाइल – 9871286176

नियम और शर्तें

1) नीलामी बिक्री/बोली केवल "ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रक्रिया" **https://www.bankeauctions.com** वेबसाइट के माध्यम से होगी।
2) ईएमडी राशि के साथ दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि **28.01.2020 या उससे पहले शाम 5 बजे तक।**
3) नीलामी की तिथि और समय – **30.01.2020 सुबह 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक** असीमित 5 मिनट प्रत्येक ऑटो-एक्सटेंशन के साथ।
4) नीलामी आरक्षित मूल्य पर शुरू होगी। उपरोक्त संपत्ति के लिए वृद्धिशील मूल्य के गुणकों में बोलीदाता अपने प्रस्तावों में सुधार करेंगे।
5) इच्छुक बोलीदाताओं को पोर्टल **https://www.bankeauctions.com** पर अपना नाम पंजीकृत करवाना है और **मैसर्स सी-1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (श्री विनोद चौहान-+919813887931)** से उनकी यूजर आई डी और पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त करना है, जिसके पश्चात उन्हें उक्त पोर्टल पर ऑनलाइन ई-नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।
6) इच्छुक बोलीदाताओं को नीलामी की बिक्री प्रक्रिया में भाग लेने से पहले उपरोक्त संपत्ति से संबंधित किसी भी वैधानिक देनदारियों, संपत्ति कर के बकाया, बिजली बकाया आदि के बारे में स्वयं अपनी पूछताछ करनी होगी। संपत्ति को सभी मौजूदा और भविष्य के एन्कम्ब्रेन्स के साथ बेचा जा रहा है, चाहे बैंक को ज्ञात हो या अज्ञात हो। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार किसी भी तरह से किसी भी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/बकाया के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
7) ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण प्राधिकृत अधिकारी/बैंक की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार है। प्राधिकृत अधिकारी और/या बैंक इस सार्वजनिक सूचना में किसी भी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए जवाब देह नहीं होंगे।
8) उपर्युक्त सम्पति ऊपर उल्लिखित आरक्षित मूल्य से नीचे नहीं बेची जाएगी। इच्छुक बोलीकर्ताओं को संपत्ति के क्रय के लिए ई-नीलामी के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों/विवरणों को ईएमडी के साथ एक लिफाफे में सुपर-लिपिबद्ध "सरफेसी एक्ट 2002 के तहत संपत्ति की खरीद के लिए नीलामी के लिए ईएमडी राशि", उपरोक्त संपत्ति के लिए तालिका में उल्लिखित खाते के नाम के साथ **28.01.2020 को या उससे पहले शाम 5 बजे तक** जमा करना होगाः–
ए) ईएमडी राशि एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से यूटीआर नंबर के साथ रसीद के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा।
बी) पैनकार्ड, पहचान पत्र तथा पते के प्रमाणपत्र की फोटोकॉपी हालांकि, सफल बोलीदाता को बोली राशि की शेष 25% राशि का भुगतान करते समय मूल दस्तावेजों को बैंक के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
सी) बोलीदाता का नाम, संपर्क नंबर, वैकल्पिक नंबर, पता, ई-मेल आईडी और बोलीदाता(ओं) की फोटोग्राफ(स) इत्यादि।
डी) ईएमडी के ऑनलाइन वापसी के लिए बोलीदाताओं के खाते का विवरण।
9) उच्चतम/सफल बोलीदाता के मामले में ईएमडी राशि समायोजित कर दी जाएगी, अन्यों को बिक्री समाप्त होने के 5 दिनों के भीतर ईएमडी राशि वापस कर दिया जाएगा। ईएमडी पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। यदि बोलीदाता बोली जमा करने/ईएमडी राशि जमा करने के बाद ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है और यदि वह एकमात्र बोलीदाता है, तो उसकी बोली को उपरोक्त आरक्षित मूल्य पर माना जाएगा, और उसे सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा।
10) उच्चतम/सफल बोलीदाता को बिक्री के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली की स्वीकार्यता के बाद पहले से भुगतान की गयी ईएमडी राशि को मिलाकर बोली/खरीद राशि का 25% बिक्री की पुष्टि के अगले कार्यदिवस तक (बैंकिंग अवधि के दौरान) जमा करनी होगी अन्यथा उसकी ईएमडी राशि जब्त कर ली जाएगी।
11) बोली/खरीद राशि की शेष 75% राशि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री की पुष्टि के 15वें दिन या उससे पहले (बैंकिंग कार्यदिवस के दौरान) या पूरी तरह से प्राधिकृत अधिकारी के विवेकानुसार लिखित में किए गए समझौते के अनुसार बढ़ाई गयी ऐसी किसी तिथि तक जमा करनी होगी। निर्धारित अवधि के भीतर इस शेष राशि को जमा करने में असफल रहने पर जमा की गयी राशि को जब्त कर लिया जाएगा और प्राधिकृत अधिकारी/बैंक के पास नीलामी रद्द करने और नई नीलामी आयोजित करने का पूर्ण अधिकार होगा।
12) सम्पूर्ण बिक्री राशि प्राप्त होने के बाद, प्राधिकृत अधिकारी बिक्री प्रमाणपत्र जारी करेगा और उसके बाद बिक्री को पूर्ण माना जाएगा और इस संबंध में बैंक किसी भी दावे पर विचार नहीं लेगा।
13) प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम बोली अथवा किसी या सभी बोलियों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और बिना कोई कारण बताए बिना किसी या सभी बोलियों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने और अपने विवेकानुसार बिक्री की किसी भी शर्त को बदलने, संशोधित करने या छूट देने का अधिकार रखता है।
14) **यह प्रकाशन अग्रिम में उपरोक्त उधारकर्ताओं/गारंटरों/बन्धककर्ताओं को 30 दिनों का नोटिस भी है।**

www.readwhere.com

दमन और सवाल

नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को काबू करने के नाम पर रविवार को दिल्ली पुलिस ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के छात्रों को जिस तरह से निशाना बनाया, वह बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय घटना है। जैसी कि खबरें आई हैं, नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में इस इलाके में स्थानीय लोग प्रदर्शन कर रहे थे, तभी भारी संख्या में पुलिस वहां पहुंची और विश्वविद्यालय के भीतर और बाहर छात्र-छात्राओं पर टूट पड़ी। जो मिला उसे धुना। यह भी नहीं देखा कि महिला है या पुरुष, छात्र है या प्रदर्शनकारी। इसी बीच बसों में तोड़फोड़, आगजनी और पथराव की घटनाएं भी हो गईं। इसके बाद तो पुलिस ने अपना जो बर्बर चेहरा दिखाया, वह रोंगटे खड़ा कर देने वाला था। पुलिस ने विश्वविद्यालय परिसर में घुस कर कोने-कोने से छात्र-छात्राओं को खदेड़ते हुए जमकर डंडे बरसाए। ऑडिटोरियम से लेकर लाइब्रेरी में पढ़ रहे छात्रों तक को बाहर निकाल लिया। दमन की पराकाष्ठा यह थी कि विश्वविद्यालय परिसर के भीतर शौचालयों तक में घुस कर छात्रों को धुना गया। छात्रों की पिटाई से लेकर बसों को आग लगाने के जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, वे पुलिस और खुफिया तंत्र की नाकामी की पोल खोलने के लिए पर्याप्त हैं।

पुलिस का काम कानून-व्यवस्था बनाए रखना है, न कि इसकी आड़ में किसी को निशाना बनाना। लेकिन पुलिस ने जामिया विश्वविद्यालय में अपनी हद याद नहीं रखीं। इससे पहला सवाल तो पुलिस की भूमिका पर ही खड़ा होता है। विश्वविद्यालय परिसर में पुलिस आखिर घुसी किसकी इजाजत से? चाहे कितना ही जरूरी हो, किसी को पकड़ना हो, हिरासत में लेना हो, परिसर में घुसने के लिए कुलपति और प्रॉक्टर की अनुमति लेनी जरूरी है। जामिया की कुलपति ने साफ कहा है कि पुलिस ने उनसे कोई अनुमति नहीं ली और सुरक्षा गार्डों तक को निशाना बनाते हुए परिसर में घुस गई। पुलिस का यह आचरण सवाल खड़े करने वाला है। सारी कार्रवाई ऐसे की गई जैसे सारे अपराधी परिसर के भीतर ही भरे पड़े हैं और उन्हें किसी भी कीमत पर पकड़ना है। बड़ी संख्या में छात्रों को हाथ ऊपर करवा कर ऐसे बाहर निकाला गया जैसे वे युद्धबंदी या बड़े अपराधी हों। ऐसी स्थिति में भी छात्रों ने पुलिस पर न कोई जवाबी हमला किया, न उनके पास से कोई हथियार या संदिग्ध सामान मिला। इतना ही नहीं पुलिस ने रिपोर्टिंग करती एक महिला पत्रकार का फोन छीन लिया और हाथापाई की। प्रदर्शन करना तो लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार है। लेकिन प्रदर्शनों को पुलिस के जरिए इस तरह कुचलने का जो संदेश देने की कोशिश की जा रही है, वह किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था और राष्ट्र के बेहद शर्म की बात है।

एनआरसी और संशोधित नागरिकता कानून के मुद्दे पर पूर्वोत्तर के राज्यों और पश्चिम बंगाल से निकली आग पूरे देश में फैल गई है। जामिया की इस घटना के विरोध में दिल्ली, तमिलनाडु, केरल से लेकर मुंबई तक में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ मुसलिम विश्वविद्यालय के बाद लखनऊ में भी छात्र सड़कों पर आ गए हैं। जाहिर है, संशोधित नागरिकता कानून के मसले पर देश के बड़े हिस्से में भारी विरोध है। सरकार कह रही है कि इस बारे में लोग गलतफहमी के शिकार हैं, तो फिर क्यों नहीं सरकार हकीकत से लोगों को संतुष्ट कर पा रही? आखिर कुछ तो ऐसा है जिससे लोगों में संदेह और भय पैदा हुआ है। पुलिस के जरिए प्रदर्शनकारियों का दमन करने के बजाय लोगों के सामने सही स्थिति स्पष्ट करने की जरूरत है।

आखिर दोषी

लंबी जद्दोजहद और उतार-चढ़ाव के बाद आखिरकार सोमवार को लखनऊ में सीबीआइ की एक विशेष अदालत ने उन्नाव में एक युवती के अपहरण और उसके बलात्कार के आरोपी और भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहरा दिया। शुरू से ही इस मामले में एक आशंका लगातार बनी हुई थी कि कहीं आरोपी अपने रसूख का इस्तेमाल मुकदमे की सुनवाई को प्रभावित करने में न करे। हालांकि मुकदमे पर असर डालने की कोशिशें जरूर की गईं। लेकिन अदालत ने सभी पहलुओं पर गौर करके अपना फैसला सुनाया। अब उन्नीस दिसंबर को सजा तय होगी। सुनवाई के दौरान अदालत ने इस मामले में आरोप-पत्र देरी से दाखिल करने पर सीबीआइ को कड़ी फटकार लगाई। इस घटना के इस अंजाम तक पहुंचने तक का ब्योरा यह बताने के लिए काफी है कि जनता के कल्याण की दुहाई देने वाला कोई नेता जब जमीनी स्तर पर किसी अपराध में शामिल होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई को लेकर पुलिस और सत्ता का रवैया किस तरह उदासीन होता है।

गौरतलब है कि 2017 में कुलदीप सेंगर पर पीड़िता ने अपहरण और बलात्कार का आरोप लगाया था। उसके मुताबिक जब वह विधायक के घर पर नौकरी के लिए बात करने गई थी, तब उसका बलात्कार किया गया था। घटना के वक्त पीड़िता नाबालिग थी और तमाम कोशिशों के बावजूद उसकी शिकायत पर गौर नहीं किया जा रहा था। इस मामले में पुलिस की उदासीनता का आलम यह था कि विधायक पर एफआइआर दर्ज कराने को लेकर पीड़िता ने मुख्यमंत्री के आवास के सामने आत्मदाह की कोशिश की। सवाल है कि जिस दौर में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले में चारों तरफ अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है, उसमें उन्नाव की पीड़िता के सामने ऐसी नौबत क्यों आई? आखिर किन वजहों से पुलिस उदासीन रही? अगर ऐसे आरोप सामने आए कि चूंकि आरोपी अपने इलाके में काफी रसूख वाला है और सत्ता तंत्र में काफी दखल रखता है, इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई में पुलिस ने ढिलाई बरती, तो क्या यह निराधार है? अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि पीड़िता और उसके परिवार को डराने-धमकाने और परेशान करके मामला वापस लेने के लिए अधिकतम कोशिशें की गईं। स्थानीय पुलिस ने लड़की के पिता को गैर-कानूनी रूप से हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया, जिनकी हिरासत में मौत हो गई। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उन्हें बुरी तरह पीटे जाने और चौदह जगह चोट होने की बात सामने आई।

दरअसल, यह समूचा मामला इस बात का उदाहरण है कि जनता के समर्थन से नेता बने कुछ दबंगों का चरित्र कितना आपराधिक हो सकता है और अपने रसूख की वजह से उसे पुलिस और प्रशासन की ओर से भी किस तरह की छूट मिलती रहती है। हालत यह है कि सारे आरोप स्पष्ट होने और उसमें संलिप्तता के सबूत होने के बावजूद भाजपा ने उसे पार्टी से बाहर करने में काफी वक्त लगाया था। सेंगर की गिरफ्तारी भी तब हुई थी, जब इलाहाबाद हाइकोर्ट ने मामले में स्वतः संज्ञान लिया और राज्य सरकार से जवाब-तलब किया। इसके बाद भी पीड़िता की चुनौती कम नहीं हुई और रायबरेली जाते हुए उसकी कार में एक ट्रक से इतने भयानक तरीके से टक्कर मारी गई कि उसकी चाची और मौसी की मौत हो गई। बुरी तरह घायल पीड़िता की जान किसी तरह बच सकी। बहरहाल, अब अगर अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराया है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि उसे सख्त सजा भी सुनाई जाएगी, ताकि यह वैसे लोगों के लिए सबक साबित हो, जो अपने रसूख का इस्तेमाल करके अपनी आपराधिक गतिविधियों को निर्बाध चलाते रहते हैं।

कल्पमेधा

**अगर सम्मान के साथ शांति नहीं रह सकती,
तो वह शांति नहीं कहला सकती।
– लार्ड रसेल**

बोरिस की जीत और चुनौतियां

संजीव पांडेय

बोरिस जॉनसन और कंजरवेटिव पार्टी की जीत की व्याख्या भारत में अलग तरीके से की जा रही है। भारत में एक तबका यहां तक कह रहा है कि जॉनसन की जीत भारतीय मूल के मतदाताओं के कारण हुई, क्योंकि बोरिस जॉनसन के खिलाफ मोर्चा खोले बैठी लेबर पार्टी का रुख कश्मीर को लेकर भारत विरोधी था। इसलिए भारतीय मूल के लोगों ने लेबर पार्टी को मजा चखा दिया।

ब्रिटेन के आम चुनाव में सत्ताधारी कंजरवेटिव पार्टी को जोरदार बहुमत मिला है और तीन सौ चौंसठ सीटें जीत कर बोरिस जॉनसन ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। कश्मीर को लेकर भारत को परेशान करने वाली लेबर पार्टी को इस बार संसदीय चुनाव में भारी झटका लगा है और उसे पिछले चुनाव से उनसठ सीटें कम मिलीं। ब्रेग्जिट को लेकर बोरिस जॉनसन के स्पष्ट रवैये ने उन्हें अच्छी जीत दिलाई, जबकि लेबर पार्टी का नजरिया इस मुद्दे पर ढुलमुल शुरू से ही ढुलमुल रहा है। यही कारण रहा कि लेबर पार्टी अपनी कई पारंपरिक सीटें भी गवां बैठी। हालांकि शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर उनकी नीति स्पष्ट थी। चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें इस कारण कुछ बढ़त मिलती दिखी, लेकिन ब्रिटेन में सक्रिय मजबूत दक्षिणपंथी लॉबी उनकी सफलता में बाधा बन गई। लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन पर आरोप लगे कि वे यहूदी विरोधी हैं, उनकी पार्टी में यहूदियों के खिलाफ ब्यानबाजी होती रही और उन्होंने चुप्पी साध ली। लेबर पार्टी की कश्मीर नीति को लेकर भारतीय मूल के मतदाताओं में भी कुछ नाराजगी थी।

कंजरवेटिव पार्टी की भारी जीत का बड़ा कारण ब्रेग्जिट मुद्दे पर पार्टी का स्पष्ट दृष्टिकोण रहा है। इसलिए अब उम्मीद की जा रही है कि इस जोरदार जीत के बाद ब्रिटेन अब आराम से यूरोपीय संघ से बाहर हो जाएगा। दरअसल, ब्रिटेन यूरोपीय संघ छोड़ेगा तो उसकी अर्थव्यवस्था तो प्रभावित होगी ही, यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था भी सिकुड़ेगी। इस समय वैश्विक अर्थव्यवस्था में यूरोपीय संघ की भागीदारी बाईस फीसद है। इससे अगर ब्रिटेन इससे बाहर हो गया तो विश्व अर्थव्यवस्था में यूरोपीए संघ की भागीदारी घट कर अठारह प्रतिशत रह जाएगी। यही नहीं, यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था में जनसंख्या के लिहाज से भी गिरावट आएगी। यूरोपीय संघ की कुल जनसंख्या में से ब्रिटेन की आबादी बाहर हो जाने से यूरोपीय संघ की कुल आबादी में तेरह प्रतिशत की गिरावट आएगी। इस समय यूरोपीय संघ की जनसंख्या पचास करोड़ है, जिसमें ब्रिटेन की जनसंख्या की भागीदारी साढ़े छह करोड़ है। दरअसल, ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने के बाद सबसे ज्यादा लाभ जर्मनी और फ्रांस को होगा। यूरोपीय संघ की जीडीपी में जर्मनी की भागीदारी बीस से बढ़ कर पच्चीस प्रतिशत हो जाएगी, जबकि फ्रांस की यूरोपीय संघ की जीडीपी में भागीदारी पंद्रह से बढ़ कर अठारह प्रतिशत हो जाएगी। इस समय ब्रिटेन यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था में लगभग उन्नीस अरब यूरो का योगदान करता है। यूरोपीय संघ के निकलने के बाद ब्रिटेन के सामने बड़ी चुनौतियां होंगी। नए व्यापारिक सहयोगी तलाशने होंगे। हालांकि अमेरिका ने ब्रिटेन से मजबूत व्यापारिक रिश्ते कायम करने का वादा किया है। ब्रिटेन में बसे भारतीय मूल के लोगों को उम्मीद है कि भारत और ब्रिटेन के बीच भी द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध ब्रेग्जिट के बाद मजबूत होंगे।

हालांकि बोरिस जॉनसन और उनकी कंजरवेटिव पार्टी की जीत से ब्रिटेन में मौजूद अल्पसंख्यक मुसलमानों में भय है। बोरिस अपने मुसलिम विरोध के लिए माने जाते हैं। उनकी जीत पर ब्रिटेन में मौजूद मुसलिम संगठनों ने खासी निराशा जताई है। कुछ मुसलिम बुद्धिजीवियों ने जॉनसन की जीत को ब्रिटेन के अल्पसंख्यकों के लिए काला दिन बताया। जॉनसन की जीत से मुसलमान इस कदर निराश हैं कि खुद कंजरवेटिव पार्टी से जुड़ी पाकिस्तानी मूल की पूर्व ब्रिटिश मंत्री सईदा वारसी ने कहा कि उनकी पार्टी को ब्रिटिश मुसलमानों के जख्मों को भरने की शुरुआत तुरंत करनी चाहिए। दरअसल, पिछले कुछ सालों में ब्रिटेन में हुए आतंकी हमलों ने वहां के सामाजिक तानेबाने को भारी नुकसान पहुंचाया है। ब्रिटेन में बड़ी संख्या में भारतीय और पाकिस्तान मूल के मुसलमान हैं। ये दशकों पहले ब्रिटेन पहुंचे थे। आज ब्रिटेन की राजनीति से लेकर अर्थव्यवस्था तक में इनका योगदान है। लेकिन पिछले कुछ सालो में ब्रिटेन में घटी घटनाओं ने ब्रिटिश मुसलमानों को परेशान किया है। पिछले तीन-चार साल मे इस्लामिक स्टेट (आइएस) जैसे आतंकी संगठनों के हुए हमलों के कारण ब्रिटेन में सामाजिक दुराव बढ़ा है। इन हमलों के कारण ब्रिटेन में नस्ली और धार्मिक भेदभाव बढ़ा है। पिछले कुछ सालों में ब्रिटेन और फ्रांस से सीरिया में इस्लामिक स्टेट के पक्ष मे जेहाद करने पहुंचे युवाओं के कारण भी मुसलमानों की छवि को भारी नुकसान पहुंचा है। दिलचस्प बात यह थी कि इन युवाओं

का जन्म से लेकर भरण-पोषण ब्रिटेन और फ्रांस में हुआ था। ब्रिटेन में सबसे ज्यादा तनाव 2013 में तब पैदा हुआ था जब पाकिस्तानी मूल की ब्रिटिश लड़की अक्सा महमूद सीरिया में इस्लामिक स्टेट की ट्विटर फेस बन गई थी। वह ब्रिटेन से भाग कर इस्लामिक स्टेट के जेहाद में भाग लेने के लिए सीरिया पहुंच गई थी। अक्सा महमूद ब्रिटेन की पहली महिला थी, जो जेहाद में शामिल होने के लिए सीरिया पहुंची थी। अक्सा महमूद ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट के कब्जे वाले इलाके से ब्रिटेन के खिलाफ ऑनलाइन जेहाद छेड़ा था। उसने दावा किया था कि उसने कई यूरोपीय युवाओं को जेहाद में शामिल होने के लिए प्रेरित किया है।

बोरिस जॉनसन और कंजरवेटिव पार्टी की जीत की व्याख्या भारत में अलग तरीके से की जा रही है। भारत में एक तबका यहां तक कह रहा है कि जॉनसन की जीत भारतीय मूल के मतदाताओं के कारण हुई, क्योंकि बोरिस जॉनसन के खिलाफ मोर्चा खोले बैठी लेबर पार्टी का रुख कश्मीर को लेकर भारत विरोधी था। इसलिए भारतीय मूल के लोगों ने लेबर पार्टी को मजा चखा दिया। हालांकि जमीनी सच्चाई यह है कि भारतीयों का एक तबका जरूर कंजरवेटिव पार्टी की तरफ गया। ब्रिटेन में लगभग पंद्रह लाख लोग भारतीय मूल से जुड़े हैं। निश्चित तौर पर इनका योगदान वहां के व्यापार और समाज में है। इस कारण ब्रिटिश राजनीतिक दल भारतीयों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस चुनाव में भारतीय मूल के लोगों का प्रतिनिधित्व भी बढ़ा है। इस बार कंजरवेटिव पार्टी के जीतकर आए भारतीय मूल के सांसदों की संख्या पांच से बढ़ कर सात हो गई है। लेबर पार्टी से भी भारतीय मूल के सात लोग जीते हैं। निश्चित तौर पर ब्रिटेन में भारतीय मूल के लोगों की वहां की राजनीति में अहमियत बढ़ी है। लेकिन यह कहना गलत होगा कि भारतीय मूल के लोगों ने कंजरवेटिव पार्टी और बोरिस जॉनसन को एकतरफा समर्थन दिया। दरअसल जिन इलाकों में भारतीय लोगों का जमावड़ा था, वहां पर लेबर पार्टी को खास नुकसान नहीं हुआ। ज्यादातर भारतीय मूल के लोग ब्रेडफोर्ड, लिस्टर, लंदन, बर्मिंघम जैसे शहरों में रहते हैं। इन सभी जगहों पर लेबर पार्टी को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। हां, यह सच्चाई है कि लेबर पार्टी ने कश्मीर को लेकर एक अलग रुख अख्तियार कर रखा था, इससे भारतीय मूल के लोगों में नाराजगी थी। कई चुनावी क्षेत्रों में भारत और पाकिस्तानी मूल के मतदाता कश्मीर को लेकर स्पष्ट रूप से विभाजित थे। पाकिस्तानी मूल के मतदाताओं की राय थी कि कश्मीर में भारत ने अनुच्छेद 370 के विशेष प्रावधानों को हटा कर गलत किया था, जबकि भारतीय मूल के मतदाताओं ने इसे सही कदम करार दिया। ब्रिटेन में मौजूद गुजराती समाज लेबर पार्टी से नाराज था। उन्होंने जरूर अपना समर्थन लेबर पार्टी के बजाय कंजरवेटिव पार्टी को दिया।

कंजरवेटिव पार्टी की जीत के बाद भारत और ब्रिटेन के द्विपक्षीय संबंध पहले की तरह ही रहने की संभावना है। लेबर पार्टी की हार से भारत को कुछ राहत इसलिए मिली है, क्योंकि ब्रिटेन में लेबर पार्टी की जीत होती तो कश्मीर को लेकर भारत और ब्रिटेन के रिश्तों में कुछ परेशानी सामने आती। हालांकि लेबर पार्टी के भीतर भारतीय मूल के नेताओं ने जेरेमी कॉर्बिन के स्टैंड को नकार दिया था। इसमें भारतीय मूल के सांसद वीरेंद्र शर्मा भी शामिल हैं।

व्यवस्था की जड़ता

ऋषभ कुमार मिश्रा

दुनिया मेरे आगे

पिछले चार-पांच महीनों के दौरान कुछ सरकारी स्कूलों में समय बिताने का मौका मिला। यहां की दिनचर्या, विद्यार्थियों और शिक्षकों की अंतःक्रियाओं, शिक्षकों के पारस्परिक संबंध को पास से देखा। शुरुआती अवलोकन में ये स्कूल अपनी पारंपरिक छवि से अलग दिखे। इन स्कूलों में अच्छी शिक्षा के लिए स्कूल का भवन, कक्षाएं, खेल का मैदान, उद्यान सब व्यवस्थित थे। शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति थी। उनके सारे कार्य पूरे थे, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या भी अधिक नहीं थी। बुनियादी सुविधाओं से लेकर सभी औपचारिक गतिविधियां तक- सब चाक-चौबंद। इस स्थिति से बच्चे, शिक्षक, कर्मचारी, अभिभावक संतुष्ट भी थे। विद्यार्थियों को पढ़ाई का कोई तनाव नहीं था, शिक्षक संतुष्ट थे कि 'सब कुछ ठीक चल रहा है'। इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के ज्यादातर अभिभावक किसान, मजदूर, सफाईकर्मी, छोटे व्यापारी थे। वे इस बात से संतुष्ट थे कि उनके बच्चे रोज स्कूल जा रहे हैं और कुछ न कुछ सीख रहे हैं।

लेकिन इन सब 'संतुष्टियों ने स्कूल को जड़ बना दिया है। इस व्यवस्था में जो जहां है, वह वहां गति में तो है, लेकिन परस्पर असंबद्धता के कारण उनकी गति सृजन-स्वर नहीं पैदा कर रही है। वह शोर पैदा कर रही है। इन स्कूलों को जीवंत बनाने वाला रोमांच या उत्साह नदारद था। यहां अनुबंधन और समझौते का ऐसा वातावरण फैला था, जहां बच्चे स्कूल जा रहे हैं, शिक्षक पढ़ा रहे हैं, लेकिन इस बात पर कोई ध्यान नहीं है कि उनके बीच आपसी रिश्ता क्या है, वे क्या सीख रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं, कैसे किसी एक का निर्णय दूसरे को प्रभावित कर रहा है! ऐसे हालात में स्कूलों में बच्चों का होना घड़ी की सूइयों को देख कर समय बिताना बन जाता है।

इसी अर्थ में 'सरकारी स्कूल' मुहावरे को असफलता का पर्याय बना दिया गया है। जबकि सच्चाई है कि इन स्कूलों में वे बच्चे और उनके परिवार असफल घोषित किए जा रहे हैं जो सरकारी स्कूलों में जाते हैं। अगर सरकारी स्कूलों के अध्यापकों का मूल्यांकन व्यक्तिगत योग्यताओं, जैसे- अकादमिक योग्यता, संप्रेषण कुशलता, सूचना प्रौद्योगिकी का ज्ञान, समसामयिक घटनाओं की जानकारी आदि के आधार पर हो तो वे उत्कृष्ट होंगे। जैसे ही आप उनसे सवाल पूछेंगे कि ऐसे प्रतिभाशाली और योग्य अध्यापकों के समूह ने विद्यालय के लिए क्या किया, तो सब अपने-अपने कॅरियर और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के आधार पर अपनी सफलताएं गिना देंगे। लेकिन उनकी सफलताएं क्या बच्चों की जिंदगी में कोई बदलाव ला रही है, उन्हें आगे बढ़ने के लिए अभिप्रेरित कर रही हैं? नहीं। ऐसे विद्यालयों के अधिकतर शिक्षक केवल 'नौकरी' कर रहे हैं, जीवंत बच्चों से अंतःक्रिया नहीं।

एक विद्यालय के स्टाफ रूम में शिक्षक आपस में कोई बातचीत नहीं कर रहे थे। ज्यादातर शिक्षक अपने-अपने फोन में व्यस्त थे। हालांकि बीच-बीच में व्यक्तिगत हंसी-मजाक आदि हो रहा था। जबकि इस समय में वे केवल आपसी बातचीत से कुछ नया करने की योजना बना सकते हैं। बच्चों, विषय और साथी की समस्या का निराकरण कर सकते हैं। लेकिन यह उनकी प्राथमिकता सूची में नहीं है। वहां वे अध्यापक थे, जो अपनी नौकरी के उत्तरार्ध में थे। वे अधिक उदासीन थे, क्योंकि उन्हें 'आगे' की राह नहीं दिखाई पड़ रही है। दूसरे, जो अभी सेवा के शुरुआती वर्षों में हैं, उनके 'आगे' की राह में वर्तमान कक्षा, विद्यार्थी और स्कूल की भूमिका नहीं है। ये दोनों ही मॉडल स्कूल के साथ उदासीन और तटस्थ रिश्ता निभा रहे थे। इन मॉडलों के बीच विद्यार्थियों का 'वर्तमान' बन रहा था।

इस स्कूल के मुख्य भवन के पीछे उग आई जंगली झाड़ियां और पीले फूल की लताएं बच्चों को स्कूल की तुलना में अधिक आकर्षित करती हैं। कई बार लगता है कि बच्चे भी उन्हीं जंगली झाड़ियों और लताओं की तरह अपने जीवन में बढ़ रहे हैं। वे मुख्यधारा की चमक के पीछे हैं। उनके जीवन की खुशियां हैं, अरमान हैं, लेकिन वे हमारी शिक्षा, विकास और रोजगार के पैमाने पर कहीं नहीं हैं। इस स्कूल के बच्चे वैसे ही हैं जैसे किसी प्रतिष्ठित निजी स्कूल के बच्चे हो सकते हैं। वे सवाल करते हैं, जवाब देते हैं। दिए गए काम को मन लगा कर करते हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें जिस प्रोत्साहन की जरूरत है, वह नदारद है।

एक शिक्षक के रूप में मैं खुद की भूमिका पर विचार करता हूं तो कमोबेश इन्हीं शिक्षकों के साथ खड़ा पाता हूं। कई बार मैं खुद व्यवस्था के नाम पर अपने विद्यार्थियों से कहता हूं कि 'मैं क्या करूं'? मुझे लगता है कि मुझे इसके बदले कहना चाहिए कि 'हम' क्या कर सकते हैं? अगर शिक्षक व्यवस्था के सामने घुटने टेकने वाला बन जाएगा तो पूरा समाज पंगु बन जाएगा। हालांकि नेतृत्व और प्रशासन महत्त्वपूर्ण है, लेकिन हम सभी शिक्षकों को ध्यान रखना चाहिए कि कक्षा ऐसा स्थान है जहां सुवासित वातायन में नयापन और रोमांच होना चाहिए। इसके लिए हमारे विद्यार्थी ही सबसे बड़े संसाधन हैं। हमारे लिए प्रोन्नति, वेतन और पुरस्कार के साथ बच्चों की मुस्कान, उनकी बातचीत से होने वाली संतुष्टि, उन्हें अभिप्रेरित करने का आनंद भी महत्त्वपूर्ण है। हमें स्वीकार करना होगा कि जन शिक्षा या लोक शिक्षा केवल औपचारिकता नहीं है। वह हम सबका दायित्व है, क्योंकि हम अपने समाज के जिम्मेदार नागरिक भी हैं।

चुनाव के बाद

हाल ही में संपन्न हुए ब्रिटेन के बहुप्रतीक्षित और ऐतिहासिक आम चुनावों के परिणामों ने एक बार फिर तमाम राजनीतिक पर्यवेक्षकों के बीच एक नई राजनीतिक बहस को जन्म दिया। आमतौर पर किसी क्षेत्र के चुनाव स्थानीय और मूलभूत समस्याओं से ही संबंध रखते हैं और अगर इस दायरे को बढ़ा कर किसी व्यापक और विविध भौगोलिकता वाले राष्ट्र के संदर्भ में देखा जाए तो कुछ हद तक राष्ट्रीय हित चुनाव को प्रभावित करते हैं। मतदाताओं को अपनी और आकर्षित करने की इस भागमभाग में राजनीतिक दलों की नीतियां और विचारधाराएं थोड़ी दूर खड़ी नजर आती हैं।

ब्रिटेन में ये चुनाव इसके यूरोपियन संघ से अलग होने और उसके दूरगामी प्रभावों के परिणामों और संभावनाओं पर लड़े गए थे। चुनावों के परिणामों में निवर्तमान प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की अगुवाई वाली कंजरवेटिव पार्टी ने 650 निर्वाचन क्षेत्रों वाले 'हाउस ऑफ कॉमन्स' (ब्रिटिश संसद) में आवश्यक बहुमत से अधिक 365 सीटों पर विजय प्राप्त की, जबकि मुख्य विपक्षी दल लेबर पार्टी को महज 203 सीटों से संतोष करना पड़ा। हालांकि चुनाव-पूर्व प्रचार में कॉर्बिन और लेबर पार्टी को अपेक्षा से चक मिले समर्थन ने इन चुनावों को काफी रोचक बनाया था और तरह-तरह की संभावनाओं को भी जन्म दिया था।

इन चुनावों में इंग्लैंड में निवास कर रहे आप्रवासी 'भारतीयों' ने भी अहम भूमिका निभाई। जे कॉर्बिन ने कश्मीर मुद्दे पर कश्मीर में एक 'अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक' की नियुक्ति की मांग की थी जो बात शायद वहां रह रहे 'भारतीयों' को रास नहीं आई। इसके चलते उन्होंने बड़ी तादाद में कंजरवेटिव पार्टी को खुला समर्थन दिया और कुछ हद तक इन मतों ने भी हार-जीत का फासला बढ़ाया।

खैर, ये चुनाव विश्व पटल पर आम जनमानस के बीच वामपंथ की घटती प्रासंगिकता का भी परिचायक बने। समय की गतिशीलता के साथ बदले वामपंथ चरित्र ने अपनी जड़ों को छोड़ कर जो नई कार्यशैली अपनाई है, वह शायद परंपरागत मतदाताओं को पसंद नहीं आई। वामपंथी दलों को अब उस नव-सृजन की आवश्यकता है जिससे वे आमजन के बीच अपना खोया हुआ जनाधार हासिल कर सकें। इन सब तथ्यों और वर्तमान बहुध्रुवीय विश्व राजनीति के चलते ब्रिटेन के आम चुनाव आने वाले समय में शोधार्थियों के लिए गहन अध्ययन और शोध का विषय रहेंगे।

● *केशव शर्मा, राजस्थान विश्वविद्यालय*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

दवा का रोग

आधुनिक विज्ञान ने इंसान को बड़ी से बड़ी बीमारियों से बचाने के लिए कई तरह की दवाइयां और तकनीक विकसित बेशक की हैं, लेकिन छोटी-छोटी बीमारी से निजात दिलाने के लिए जो दवाइयां तैयार की है, वे भी सेहत पर दुष्परिणाम की वजह बनती रहती हैं। एंटीबायोटिक के अत्यधिक इस्तेमाल से लोगों की जिंदगी को खतरा भी है। दुनिया के दूसरे देशों में देशी इलाज के साधन नहीं है, इसलिए वहां तो एंटीबायोटिक का अत्यधिक और अनावश्यक प्रयोग होना स्वाभाविक है, लेकिन ये देश भारत से देशी इलाज के गुर लेकर अपने देश के नागरिकों को एंटीबायोटिक के अनावश्यक इस्तेमाल से होने वाले खतरों और नुकसान से बचा सकता है।

अफसोस इस बात का है कि हमारे अपने देश के नागरिक खुद और अपने छोटे-छोटे बच्चों को भी सर्दी, खांसी और जुकाम जैसी छोटी-छोटी बीमारियों से निजात पाने के लिए एंटीबायोटिक दवाओं पर निर्भर कर दिया है। सरकार को इसे गंभीरता से लेते हुए छोटी-छोटी बीमारियों के इलाज से छुटकारा पाने के लिए एंटीबायोटिक का प्रयोग न करने और अपना डॉक्टर खुद न बनने के लिए देश को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाने चाहिए। अक्सर यह भी देखा जाता है कि कुछ लोग अपना डॉक्टर खुद ही बन कर ही दवाइयों का सेवन करने लग जाते हैं, जबकि ऐसा करना खुद के लिए हानिकारक भी सिद्ध हो सकता है।

छोटी-छोटी बीमारी या दर्द के लिए घरेलू आयुर्वेदिक नुस्खे अपनाए जा सकते है, क्योंकि इनसे शरीर पर कोई साइड इफेक्ट होने का खतरा बहुत कम होता है। हमारे देश की आबादी का बहुत बड़ा भाग अशिक्षत है या फिर दवाइयों की असली-नकली पहचान करने में असमर्थ है। इसलिए घटिया दवाओं पर नकेल कसने के लिए सरकार और प्रशासन को कारगर कदम प्राथमिक तौर पर उठाने चाहिए।

● *राजेश कुमार चौहान, जालंधर*

धुएं में सेहत

चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा धूम्रपान से दिमागी दौरे, मस्तिष्क आघात के रोग पनपने की बात समझाइश तौर पर और वैधानिक चेतावनी के रूप में बताई जाती है, ताकि धूम्रपान करने की प्रवृत्ति कम हो सके। शरीर में रोगों के लक्षण धूम्रपान करने वालों में, धूम्रपान न करने वाले स्वस्थ मनुष्य से ज्यादा पाए जाते हैं। धूम्रपान निषेध दिवस भी मनाया जाता है, ताकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के लक्ष्य में सहयोग हो सके। लेकिन स्वास्थ्य की परवाह फैशन के युग में कौन करता है? विश्व भर में हर साल करीब लाखों लोग और देश में हजारों लोगों की मौत मस्तिष्क दौरे से होती है। साथ ही परोक्ष धूम्रपान से बच्चों के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। तो क्या बढ़ते मौत के आंकड़ों को रोकना हमारा फर्ज नहीं है?

संजय वर्मा 'दृष्टि', मनावर, धार

विकास की कसौटी

सन 2019 के लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ एनडीए की वापसी के छह महीनों के भीतर कुछ संवेदनशील फैसले लिए गए, जैसे- धारा 370 का हटाया जाना, अयोध्या मसले पर अदालत का फैसला और संसद में नागरिकता संशोधन बिल का पास होना। सरकार ने पूरे देश में एनआरसी लागू करने को अपना रुख साफ कर दिया है, जिसे लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में तनाव व्याप्त है। कश्मीर पूर्वोत्तर भारत बंगाल समेत देश के अन्य अन्य हिस्से बुरी तरह प्रभावित है। यह निर्णय उस दौरान लिया गया, जब देश की अर्थव्यवस्था डांवाडोल है। क्या इन निर्णयों से निवेश के प्रतिकूल माहौल नहीं बनेगा? क्या इससे मांग में कमी नहीं आएगी? उत्पादन में कमी नहीं आएगी? अर्थव्यवस्था में मजबूती लाने के लिए सरकार को एक समावेशी समाज के निर्माण पर बल देना होगा। बांग्लादेश जैसे छोटे देश ने भी हाल ही के वर्षों में एक प्रगतिशील समाज के निर्माण पर बल देते हुए अपने विकास दर जीवन प्रत्याशा रेडीमेड कपड़ों के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि की है। यह किसी भी देश के लिए सीखने की बात है।

● *अभिषेक पाल, प्रयागराज*

www.readwhere.com

जरा हट के

जम्मू- कश्मीर में पड़ रही कड़ाके की ठंड के बीच सोमवार को श्रीनगर स्थित विश्व प्रसिद्ध डल झील के किनारे देसी-विदेशी पर्यटक सेल्फी लेते हुए।

बोल

ईश्वर करें कि इस क्षण की साक्षी बनने वाली हर लड़की अपने सपनों की ताकत पर भरोसा करें और वे मुझमें अपना चेहरा देखें। मैं मिस यूनिवर्स 2019 हूं।
-जोजिबिनी टुंजी, मिस यूनिवर्स

विवाद

इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का अनादर करते हुए रक्षा सेवाओं के सदस्यों ने रोहिंग्या पर अत्यधिक बल का प्रयोग किया।
-आंग सांग सू, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित म्यांमा की असैन्य नेता

सम-सामयिक

गंगा डाल्फिन : नदियां होंगी साफ तभी बचेगी जान

जनसत्ता संवाद

राष्ट्रीय गंगा परिषद (एनजीसी) की हाल की बैठक में गंगा डाल्फिन को बचाने और उनकी आबादी बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव पर गंभीरता से चर्चा की गई। कानपुर में प्रधानमंत्री की अध्यक्ष में हुई इस बैठक में नदियों से जुड़े शहर, घरों में जल निकासी समेत विभिन्न ऐसे मुद्दों पर चर्चा हुई, जिससे गंगा के जल की गुणवत्ता प्रभावित होती है। गंगा और सहायक नदियों में डाल्फिन की तेजी से कम हो रही संख्या को पर्यावरण से जुड़ा बड़ा एक खतरा माना गया।

गंगा के किनारे बसे पांच राज्य- उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड के अलावा नौ केंद्रीय मंत्री एवं नीति आयोग के उपाध्यक्ष इस परिषद के सदस्य हैं। इस परिषद की बैठक नियमानुसार हर साल होनी चाहिए, लेकिन 2016 के बाद अब जाकर बैठक हुई है।

गंगा डाल्फिन के आस्तित्व को इस महान नदी के स्वास्थ्य से जोड़कर देखा जाता है। डाल्फिन स्वच्छ व ताजे पानी में ही जीवित रह सकती हैं। एक दौर था, जब गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना और कर्णफुली-संगू नदी प्रणालियों में नेपाल, भारत और बांग्लादेश में ये जीव मिलते थे। लेकिन अब कई नदियों में नहीं दिखते। वर्ष 2009 में गंगा डाल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था और इसे लुप्तप्राय घोषित किया गया था। गंगा डाल्फिन अंधी होती हैं और अल्ट्रासोनिक तरंगों का इस्तेमाल करती हैं। ये डाल्फिन गहरे पानी में रहा करती हैं। भारत के असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड और बंगाल में इन जीवों का आस्तित्व रहा है।

डाल्फिन लोगों के लिए कौतूहल का विषय रही है। ज्यादातर लोग इसे मछली के रूप में जानते हैं, लेकिन डाल्फिन मछली नहीं है, बल्कि एक स्तनधारी जल जीव है। एक मनमौजी जीव होने के कारण लोग इसे देखना बहुत पसंद करते हैं। डाल्फिन का इंसानों के प्रति विशेष व्यवहार शोध का विषय रहा है। माना जाता है कि धरती पर डाल्फिन का जन्म करीब दो करोड़ वर्ष पूर्व हुआ और डाल्फिन ने लाखों वर्ष पूर्व जल से जमीन पर बसने की कोशिश की, लेकिन धरती का वातावरण डाल्फिन को रास नहीं आया और फिर उसने वापस पानी में ही बसने का मन बनाया।

प्रकृति ने डाल्फिन के कंठ को अनोखा बनाया है, जिससे वह विभिन्न प्रकार की करीब 600 आवाजें निकाल सकती हैं। डाल्फिन सीटी बजाने वाली एकमात्र जलीय जीव है। वह म्याऊं-म्याऊं भी कर सकती है तो मुर्गे की तरह आवाज भी निकाल सकती है। वर्ष 2009 में भारत सरकार ने डाल्फिन के व्यक्तित्व को स्वीकार करते हुए इन जीवों को बंद रखते हुए इनके शो करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के मुताबिक, असम और उत्तर प्रदेश की नदियों में क्रमशः 962 और 1275 डाल्फिन पाई गईं। असम में बीते साल जनवरी से मार्च के बीच सर्वे कराया गया। उत्तर प्रदेश में 2012 से 2015 के आंकड़ों का अध्ययन कर औसत निकाला गया है। असम की तीन नदियों में सर्वे कराया गया। ब्रह्मपुत्र में 877 डाल्फिन पाई गई हैं। इन डाल्फिन के संरक्षण के लिए नदियों में बालू खनन रोक दिया गया है।

लोगों की जागरूकता बढ़ने से डाल्फिन कुछ हद तक संरक्षित हो रही हैं। आंकड़ों से उत्साहित विशेषज्ञ भाष्कर दीक्षित का अनुमान है कि पूरी गणना के बाद भारत में डाल्फिनों की संख्या 3500 से ज्यादा हो जाएगी। अब तक देश में 2000 से भी कम डाल्फिन बची होने का अनुमान था और उनकी संख्या लगातार कम होती जा रही थी।

गंगा की सेहत की पहचान

उत्तर प्रदेश वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी आशुबोध पंत के मुताबिक डाल्फिन गंगा की सेहत की पहचान है। गंगा के जल की स्वच्छता और गुणवत्ता की पहचान है। वे कहते हैं, 'पानी जितना साफ होगा उसमें डाल्फिन के होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। यह खुद भी पानी को साफ करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।'

शोध

देश में बना पहला पुरुष गर्भनिरोधक इंजेक्शन

जनसत्ता संवाद

- भारत में बना दुनिया का पहला पुरुष गर्भनिरोधक इंजेक्शन।
- इसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) के वैज्ञानिकों ने तैयार किया।
- इंजेक्शन लगवाने के बाद बर्थ कंट्रोल का यह तरीका 13 साल तक प्रभावी रहेगा।
- तीन बार सफल रहा क्लीनिकल परीक्षण।

दुनियाभर में अब तक गर्भनिरोध को महिलाओं की जिम्मेदारी समझा जाता है, इसलिए महिलाएं अनचाहे गर्भ और बच्चों में अंतर के लिए कभी गर्भनिरोधक गोलियां तो कभी कॉपर टी तो कभी फैमिली प्लानिंग से जुड़े ऑपरेशन तो कभी आपातकालीन गर्भनिरोधक (इमरजेंसी कॉन्ट्रसेप्टिव) गोलियों का सेवन करती है। लेकिन अब पुरुष भी गर्भनिरोध में बराबर की जिम्मेदारी निभा सकेंगे। भारत में दुनिया का पहला पुरुष जन्म नियंत्रण (बर्थ कंट्रोल) गर्भनिरोधक इंजेक्शन तैयार किया गया है, जिससे अनचाहे गर्भ या बच्चों के जन्म को नियंत्रण किया जा सकता है। यही नहीं यह इंजेक्शन एक बार लगवाने के बाद 13 साल तक प्रभावी रहेगा।

हाल ही में भारत के शोधकर्ताओं ने एक ऐसे इंजेक्शन को बना लेने की घोषणा की कि जो पुरुषों को पिता बनने से रोकेगा। इस इंजेक्शन का नाम आरआइएसयूजी है, जिसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। शोधकर्ताओं ने बताया कि इस इंजेक्शन यानी पुरुष जन्म नियंत्रण (मेल बर्थ कंट्रोल) का सफल क्लीनिकल परीक्षण हो चुका है। इस पुरुष गर्भनिरोधक इंजेक्शन का एक नहीं बल्कि तीन बार क्लीनिकल ट्रायल किया जा चुका है, जो पूरी तरह से सफल रहा है।

वैज्ञानिकों ने बताया कि इंजेक्शन का क्लीनिकल परीक्षण लगभग 300 मरीजों पर किया गया। इस इंजेक्शन को 300 मरीजों को दिया गया, अध्ययन के तहत वैज्ञानिकों ने किसी भी मरीज पर इस इंजेक्शन के विपरित प्रभाव को नहीं पाया। इंजेक्शन के सफल परीक्षण के बाद वैज्ञानिकों ने दावा है कि एक बार लगवाने के बाद यह इंजेक्शन 13 साल तक प्रभावी रहता है। इस इंजेक्शन को पुरुषों के पेडू (पेट और जांघ के बीच का हिस्सा) में लगाया जाएगा। आरआइएसयूजी इंजेक्शन शरीर में एक पॉलिमर डालेगा जिससे शुक्राणुओं को अंडकोष से बाहर निकलने से रोका जा सकेगा। वैज्ञानिकों ने बताया कि इंजेक्शन को लोकल ऐनस्थीसिया की डोज के साथ दिया जाएगा। इंजेक्शन लगवाने के बाद जन्म नियंत्रण (बर्थ कंट्रोल) का यह तरीका 13 साल तक प्रभावी रहेगा। इसके बाद इंजेक्शन का असर खत्म हो जाएगा। पुरुष में होने वाली नसबंदी या सर्जरी के झंझट को खत्म करने के लिए यह इंजेक्शन तैयार किया गया है।

फिलहाल इस इंजेक्शन को देश में ड्रग्स को मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार सरकारी विभाग, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआइ) को सौंप दिया गया है। बताया जा रहा है कि मंजूरी मिलने में छह से सात महीने का समय लग सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि एक बार यह प्रक्रिया हो जाए उसके बाद यह जन्म नियंत्रण (बर्थ कंट्रोल) इंजेक्शन नसबंदी का बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। यह अध्ययन आइसीएमआर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. आरएस शर्मा ने किया। एक साक्षात्कार के दौरान उन्होंने बताया, 'लंबे परीक्षणों में 300 से अधिक पुरुष शामिल थे और गर्भावस्था को रोकने में उत्पाद की 97% से अधिक सफलता दर थी।'

वैज्ञानिक डॉ. आरएस शर्मा ने बताया कि इस इंजेक्शन के लिए दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, पंजाब और राजस्थान में लोगों पर क्लीनिकल ट्रायल किए गए और ऐसे पुरुषों को चुना गया जिनके पहले से ही दो बच्चे थे। उन्होंने कहा कि परीक्षण में भाग लेने वाले पुरुषों पर इस इंजेक्शन का कोई साइड इफेक्ट नहीं रहा। इस इंजेक्शन को दुनिया का पहला पुरुष गर्भनिरोधक कहा जा सकता है।'

भारत की तरह संयुक्त राज्य अमेरिका के भी वैज्ञानिक इसी तरह की दवा वासलगेल बनाने में लगे हुए हैं। 2017 में, अमेरिकी शोधकर्ताओं ने एक अध्ययन प्रकाशित किया, जिसमें दिखाया गया कि वासलगेल बंदरों में गर्भावस्था को प्रभावी ढंग से रोक सकता है, लेकिन दवा का अभी भी मनुष्यों में परीक्षण नहीं किया गया है।

विश्व परिक्रमा

अमेरिका-भारत में मजबूत साझेदारी : श्रृंगला

रविवार, 8 दिसंबर : अमेरिका में भारत के राजदूत हर्षवर्धन श्रृंगला ने मैसाचुसेट्स के कैम्ब्रिज में 'हार्वर्ड कैनेडी स्कूल' के छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि अमेरिका और भारत के बीच रणनीतिक और आर्थिक दोनों क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं।

हांगकांग आंदोलन के छह माह, विशाल रैली

सोमवार, 9 दिसंबर : हांगकांग में लोकतंत्र के समर्थन में हो रहे प्रदर्शन के छह महीने पूरे होने के अवसर पर रविवार को बड़ी संख्या में लोगों ने विशाल रैली निकाल आंदोलन के प्रति समर्थन व्यक्त किया।

जोजिबिनी टुन्जी बनीं मिस यूनिवर्स 2019

मंगलवार, 10 दिसंबर : दक्षिण अफ्रीका की जोजिबिनी टुंजी के सिर इस साल का मिस यूनिवर्स का ताज सजा है। वह मिस इंडिया समेत दुनियाभर के 90 से अधिक प्रतियोगियों को हराकर 2019 की मिस यूनिवर्स बनी हैं। 26 वर्षीय टुंजी ने अपनी जीत को लेकर ट्विटर पर आभार जताया।

बोरिस जॉनसन

रोहिंग्या शिविरों की बाडबंदी शुरू

बुधवार, 11 दिसंबर : बांग्लादेशी सेना ने उन शिविरों के चारों ओर बाड़ लगाने का काम शुरू कर दिया है जहां हजारों रोहिंग्या शरणार्थी रह रहे हैं। बांग्लादेशी सेना ने बाड़ लगाने का यह काम समुदाय के नेताओं और मानवाधिकार समूहों की शिकायतों के बावजूद शुरू किया है। बांग्लादेश के शरणार्थी आयुक्त महबूब आलम तालुकदार ने इसका काम शुरू होने की पुष्टि की।

आतंकी हाफिज सईद पर आरोप तय

गुरुवार, 12 दिसंबर : पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधक अदालत ने बुधवार को मुंबई आतंकवादी हमले के मुख्य साजिशकर्ता हाफिज सईद के खिलाफ आतंकवाद के वित्तपोषण का आरोप तय किया है। सईद तीनों सहयोगियों के साथ अदालत में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मौजूद था।

एशिया में 50 करोड़ लोग कुपोषण के शिकार

शुक्रवार, 13 दिसंबर : संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक एशिया प्रशांत में लगभग 50 करोड़ लोग अब भी कुपोषण के शिकार हैं और 2030 तक भुखमरी को मिटाने के लिए हर महीने खाद्य असुरक्षा से लाखों लोगों को बाहर निकालने की जरूरत है।

चुनाव में बोरिस जॉनसन की जीत

शनिवार, 14 दिसंबर : ब्रिटेन में हुए ऐतिहासिक चुनाव में मतदाताओं ने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को शक्तिशाली जनादेश दिया है। उनकी कंजर्वेटिव पार्टी को शुक्रवार को संसद में निर्णायक बहुमत मिला है। माना जा रहा है कि ब्रेक्जिट मुद्दा ही जॉनसन की जीत का कारण बना।

जानें-समझें

नागरिकता संशोधन कानून

विरोध के तर्क और संविधान में समाधान

दीपक रस्तोगी

नागरिकता संशोधन विधेयक कानून की शक्ल ले चुका है। यह केंद्रीय कानून है और देश भर में लागू हो चुका है। इस कानून को लेकर विरोध प्रदर्शनों का आग पूर्वोत्तर से शुरू होकर पश्चिम बंगाल होते हुए देश के विभिन्न हिस्सों में फैल रही है। इस बीच, विपक्ष शासित राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसढ़, पश्चिम बंगाल, केरल और पंजाब के मुख्यमंत्रियों ने इसे लागू करने से मना कर दिया है। जानकारों की राय में नागरिकता कानून केंद्रीय कानून है और पूरे देश के लिए है जिसे लागू नहीं करने का विकल्प राज्य सरकारों के पास नहीं है। यह नागरिकता का मामला है जिस पर राज्य सरकारों का अधिकार क्षेत्र नहीं है, न ही उन्हें यह अधिकार हासिल है कि वे इस कानून को लागू करने से मना कर सकें।

संविधान और राज्यों के विकल्प

नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में जिन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बयान दिए हैं, वे गैर-भाजपा शासित राज्य हैं। देश के 13 राज्यों में भाजपा या उसके किसी सहयोगी की सरकारें नहीं हैं। संविधान के जानकारों के मुताबिक, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुहर लगाकर इसे कानून बनाया है। आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने के साथ यह कानून लागू हो गया। यह कानून संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत संघ की सूची में आता है। यह संशोधन सभी राज्यों पर लागू होता है और राज्य चाहकर भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। संविधान की सातवीं अनुसूची राज्यों और केंद्र के अधिकारों का वर्णन करती है। इसमें तीन सूचियां हैं- संघ, राज्य और समवर्ती सूची। नागरिकता संघ सूची के तहत आता है। लिहाजा इसे लेकर राज्य सरकारों के पास कोई अधिकार नहीं है। संविधान में उल्लिखित तीन सूचियों में नागरिकता से जुड़ा मामला संघ सूची में 17वें स्थान पर आता है। यह राज्य सूची या समवर्ती सूची का हिस्सा नहीं है।

किन राज्यों के पास कुछ अधिकार

गृह मंत्रालय ने वर्ष 2018 में अधिसूचित किया था कि सात राज्यों के कुछ जिलों के संग्राहक भारत में रहने वाले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से सताए गए अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करने के लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकार कर सकते हैं। राज्यों और केंद्र से सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद उन्हें नागरिकता दी जाएगी। गृह मंत्रालय ने छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5 और 6 के तहत प्रवासियों को नागरिकता और प्राकृतिक प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिये कलेक्टरों को शक्तियां दी। पिछले वर्ष गृह मंत्रालय ने नागरिकता नियम, 2009 की अनुसूची 1 में बदलाव किया था।

एकल नागरिकता का प्रावधान

भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था दी गई है। इसे अमेरिका के संदर्भ में समझा जा सकता है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। अमेरिका में एक संघीय नागरिकता है और दूसरी राज्यों की नागरिकता। अगर कोई अमेरिका का निवासी है, तो वह उस राज्य का भी नागरिक होगा, जहां वह रह रहा है। जबकि, भारत में ऐसा नहीं है। यह राज्यों का विषय नहीं है। राज्य सरकारों को इस पर कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 11 संसद को यह अधिकार देता है कि वह नागरिकता पर कानून बना सके। संसद ही नागरिकता के नियमन की अधिकारी है। संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता की पात्रता तय करे और तय करे कि किसे नागरिकता मिलेगी और कब मिलेगी। कोई विदेशी किन परस्थितियों में देश की नागरिकता हासिल कर सकता है। इन सारी बातों पर कानून बनाने का हक सिर्फ संसद को है।

अनुच्छेद पांच

संविधान के अनुच्छेद पांच में नागरिकता के बारे में विस्तार से उल्लेख किया गया है। इसमें यह प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति भारत में जन्मा हो या जिसके माता-पिता में से कोई भारत में जन्मा हो। अगर कोई व्यक्ति संविधान लागू होने से पहले कम से कम पांच साल तक भारत में रहा हो या तो भारत का नागरिक हो, वही देश का मूल नागरिक होगा। नागरिकता अधिनियम के अनुसार भारत की नागरिकता इन पांच विधियों से प्राप्त की जा सकती है : जन्म, वंशानुगत क्रम, पंजीकरण, प्राकृतिक रूप से नागरिकता, यदि कोई व्यक्ति जिस देश में रहता है, वह देश भारत में मिल जाता है तो।

नागरिकता और धर्मीय वर्गीकरण

संविधान के मुताबिक, कोई राज्य सरकार, संस्था या ट्रस्ट इस कानून पर सवाल नहीं उठा सकते। नागरिकता किसी व्यक्ति विशेष को दी जाती है, लिहाजा वही अपना मामला लेकर अदालत जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत सरकार को नागरिकों और गैर नागरिकों- दोनों को ही कानून के तहत समान संरक्षण देना होगा। संविधान धर्म के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव और वर्गीकरण को गैर कानूनी समझता है। इस अनुच्छेद के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के प्रवासी मुसलमानों को भी संरक्षण प्राप्त है।

क्या है जानकारों की राय

दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर लाठी भांजती पुलिस

राज्य नहीं रोक सकते। नागरिकता संघ सूची में केंद्र का विषय है और इसमें किसी राज्य को कानून बनाने का अधिकार नहीं है।
-तुषार मेहता, महान्यायवादी

संविधान की सातवी अनुसूची की संघ सूची-1 में प्रविष्टि-17 में नागरिकता, प्रतिरक्षा, संचार, रेलवे, उड्डयन पर कानून केंद्र ही बना सकता है।
-सलमान खुर्शीद, वरिष्ठ वकील और पूर्व केंद्रीय मंत्री

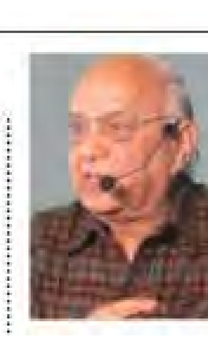

विपक्ष अनुच्छेद 14 को आधार बनाकर अदालत जा सकता है। अनुच्छेद 14 के तहत किसी को धर्म के आधार पर संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता।
-सुभाष कश्यप, संविधान विशेषज्ञ

व्यक्तित्व

सना मरिन : दुनिया की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री

जनसत्ता संवाद

चौंतीस साल की सना मरिन आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। वे दुनिया की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी हैं। वे फिनलैंड की प्रधानमंत्री है, जो महिलाओं के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार की प्रमुख होंगी। सना मरिन के प्रधानमंत्री बनते ही उत्तरी यूरोप का यह छोटा सा खूबसूरत देश इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। वह लगभग 53 लाख की आबादी वाले देश की प्रधानमंत्री बन गई हैं। 16 नवंबर 1985 को फिनलैंड हेलसिंकी में सना मरिन का जन्म हुआ था। उनका पूरा नाम सना मिरला मरिन है। वे समलैंगिक जोड़े की संतान है। यह जान लेना और भी दिलचस्प होगा कि वे महज सात साल से ही राजनीति में सक्रिय है। आत्मविश्वास की बदौलत बेहद कम समय में वे इस मुकाम तक पहुंची है।

सना मरिन ने 2004 में हाई स्कूल की पढ़ाई की। फिर टाम्परे विश्वविद्यालय से स्नातक और 2017 में प्रशासनिक विज्ञान में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। कॉलेज के दिनों में ही वह सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की युवा शाखा में शामिल हो गईं। 2008 में उन्होंने देश के स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नहीं पाईं। वह 2012 से राजनीति में सक्रिय हुईं और 27 साल की उम्र में टैम्पियर की सिटी काउंसिल में चुनी गईं। 2013 से 2017 के बीच वह सिटी काउंसिल की अध्यक्ष रहीं। 2015 में वह संसद का चुनाव जीतकर पहली बार संसद की दहलीज पर पहुंची और चार साल बाद जून 2019 में संसद का चुनाव दोबारा जीतने के बाद उन्हें परिवहन और संचार मंत्री बनाया गया।

छह महीने बाद उनके सितारे फिर चमके जब सोशल डोमोक्रेटिक पार्टी ने अंती रिनी के स्थान पर फिनलैंड के प्रधानमंत्री के तौर पर सना मरिन का नाम प्रस्तावित किया। दरअसल रिनी देश में चल रही डाक कर्मियों की हड़ताल को संभाल पाने में नाकाम रही थीं, जिसकी वजह से सना को दुनिया की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनने का रेकार्ड अपने नाम करने का मौका मिला। वे देश की तीसरी महिला प्रधानमंत्री भी होंगी। सना मरिन फिनलैंड की एक ऐसी गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने जा रही हैं, जिसमें चार अन्य दल शामिल होंगे और इन चारों दलों का नेतृत्व भी महिलाओं के ही हाथ में है और उनमें से तीन प्रधानमंत्री मरिन से भी छोटी हैं। इसका सीधा अर्थ है कि मरिन की सरकार में युवा महिला सदस्यों की भरमार होगी। सना राजनेता होने के साथ मार्कस राईकोन की पत्नी और एक बच्ची की मां भी हैं।

प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद आत्मविश्वास से लबरेज सना मरिन का कहना है कि उनकी उम्र या उनका महिला होना उनके लिए कोई मायने नहीं रखता और वे इस बारे में कभी नहीं सोचतीं। वह सिर्फ उन चीजों के बारे में सोचती हैं, जिनसे उन्हें राजनीति में आने और आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा मिली। वह उन लोगों के भरोसे के बारे में सोचती हैं, जिन्होंने चुनावी राजनीति में उनकी क्षमता पर भरोसा करके उनके हौसलों को उड़ान दी।

www.readwhere.com

लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने होंगे अगले थलसेना प्रमुख

नई दिल्ली, 16 दिसंबर (भाषा)।

लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने अगले थलसेना प्रमुख होंगे। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। लेफ्टिनेंट जनरल नरवाने वर्तमान में थलसेना के उपप्रमुख हैं। सूत्रों ने बताया कि नरवाने की नियुक्ति को उच्चतम स्तर से मंजूरी मिल गई है। सरकार ने नियुक्ति में वरिष्ठता के सिद्धांत का पालन किया है। थलसेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत इस पद पर तीन साल रहने के बाद 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होंगे। उन्हें देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए जाने की उम्मीद है।

सितंबर में थलसेना उपप्रमुख बनने से पहले नरवाने सेना की पूर्वी कमान का नेतृत्व कर रहे थे जो चीन से लगती भारत की लगभग चार हजार किलोमीटर लंबी सीमा की रखवाली करती है। नरवाने को जून 1980 में सातवीं बटालियन, सिख लाइट इन्फैंट्री रेजीमेंट में कमीशन मिला था।

बंगाल और पूर्वोत्तर के बीच ट्रेन सेवाएं ठप

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 16 दिसंबर।

पश्चिम बंगाल के उत्तर की ओर जाने वाली अपनी सभी ट्रेन सेवाओं को निलंबित कर दी गई हैं। इसके अलावा हावड़ा, सियालदह और कोलकाता से जाने वाली ट्रेन सेवाएं यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर अगले नोटिस तक रोक दी गई हैं। इस कारण बंगाल और पूर्वोत्तर के बीच ट्रेन सेवाएं पूरी तरह ठप हो गई हैं। उधर, बंगाल और असम में हिंसक प्रदर्शन जारी रहा। असम में हिंसा के दौरान पुलिस ने अब तक 136 मामले दर्ज किए गए हैं और 190 लोगों को गिरफ्तार किया है। असम में इंटरनेट पर रोक अगले 48 घंटे के लिए बढ़ा दी गई।

सोमवार को गुवाहाटी में अखिल असम छात्र संगठन (आसू) के मुख्य सलाहकार समुज्जल भट्टाचार्य और महासचिव लुरिंज्योति गोगोई की अगुवाई में रैली निकाली गई, जिसमें शामिल एक सौ से अधिक प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया। आसू ने सोमवार से तीन दिवसीय 'सत्याग्रह' का ऐलान कर रखा है। इस रैली में छात्रों, वरिष्ठ नागरिकों, शिक्षकों, वकीलों, डॉक्टरों, साहित्यकारों, गायकों, संगीतकारों और कलाकारों ने हिस्सा लिया और गिरफ्तारी दी।

इस बीच, असम में शांति और कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने में सोशल मीडिया के कथित दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से प्रदेश में सोमवार को अगले 24 घंटों के लिए इंटरनेट सेवा को और स्थगित रखने का फैसला किया गया। हिंसक प्रदर्शनों के बीच राज्य में बीते बुधवार से ही इंटरनेट सेवा स्थगित है। अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह एवं राजनीतिक मामले) संजय कृष्ण ने बताया, 'समूचे असम में इंटरनेट सेवाएं मंगलवार तक स्थगित रहेंगी।'

तनाव से मेघालय वासियों को सोमवार को थोड़ी राहत मिली और क्रिसमस से पहले लोग बैंक व बाजारों का रुख करते नजर आए। पूर्वी खासी हिल्स जिले के डीएम एम डब्ल्यू नोनगबरी ने कहा कि सदर और लुमदिएनगिरी थाना क्षेत्रों के तहत आने वाले इलाकों में कर्फ्यू में 13 घंटे की ढील दी गई है।

झारखंड में चौथे चरण में 62.54 फीसद मतदान

रांची, 16 दिसंबर (भाषा)।

झारखंड विधानसभा चुनाव के तहत सोमवार को चौथे चरण का मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया जिसमें 62.54 फीसद मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। चौथे चरण में 15 सीटों के लिए मतदान हुआ। निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने बताया कि कड़ी सुरक्षा के बीच सोमवार सुबह सात बजे शुरू हुआ मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। उन्होंने कहा कि इसमें 47 लाख से अधिक मतदाताओं में से 62.54 फीसद ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। अंतिम मतदान फीसद अभी बढ़ने की संभावना है। सर्द हवाओं के बावजूद मतदान केंद्रों के बाहर दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों समेत अन्य मतदाताओं की लंबी कतारें लगी थीं।

इस चरण में राज्य के चार जिलों- गिरिडीह, देवघर, धनबाद और बोकारो की देवघर (एससी), जामुआ (एससी), चंदनकियारी (एससी), मधुपुर, बागोडार, गांडेय, गिरिडीह, डुमरी, बोकारो, सिंदरी, निरसा, धनबाद, झरिया, टुंडी और बाघमारा के लिए मतदान हुआ।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश करें जामिया हिंसा की जांच : विपक्ष

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 16 दिसंबर।

कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी राजनीतिक दलों ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित बर्बरता की सोमवार को निंदा की और घटना की सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से न्यायिक जांच की मांग की। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल, माकपा नेता सीताराम येचुरी और भाकपा नेता डी राजा, राजद के मनोज झा, सपा के जावेद अली खान और वरिष्ठ नेता शरद यादव ने संवाददाता सम्मेलन में उन छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की निंदा की जो संशोधित नागरिकता कानून का विरोध कर रहे थे।

आजाद ने सवाल किया कि जब विश्वविद्यालय प्रशासन ने पुलिस को प्रवेश की इजाजत नहीं दी तो पुलिस जामिया में कैसे घुस सकती है और छात्रों के साथ ऐसी बर्बरता कैसे कर सकती है। उन्होंने कहा कि जामिया में छात्रों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की न्यायिक जांच की जानी चाहिए। आजाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोपों को खारिज किया जिनमें उन्होंने कहा था कि हिंसक प्रदर्शनों के पीछे कांग्रेस का हाथ है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आरोप लगाना गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। येचुरी ने कहा कि यह हिंदू-मुसलिम का मुद्दा नहीं है। साथ ही उन्होंने लोगों से कहा कि वे अफवाहों पर न जाएं, जो हुआ है वह संविधान के लिए अपमानजनक है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा मामले की जांच की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि हिंसा के पीछे सत्तारूढ़ दल और भारत सरकार है। सरकार यह कानून नहीं लाती तो ऐसी हिंसा ही नहीं होती। इस हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मंत्रिमंडल।

डी राजा ने कहा कि जिन्होंने जामिया में पुलिस को प्रवेश करने के आदेश दिए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में गृह युद्ध जैसे हालात है जिसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।

थोक मुद्रास्फीति नवंबर में 0.58 फीसद पर

पेज 1 का बाकी

रूप से प्याज के दाम में थोक महंगाई दर बढ़ी है। सालाना आधार पर इस सब्जी की कीमत 172 फीसद से अधिक बढ़ी है। भारी बारिश के कारण फसलों को हुए नुकसान की वजह से देश के कुछ बाजारों में प्याज की कीमत 150 से 200 रुपए किलो तक पहुंच गई थी। हालांकि, फिलहाल इसमें कुछ कमी आई है यह अभी 100 रुपए किलो पर है। नई फसल के आने तथा आयात से आने वाले दिनों में प्याज के दाम में नरमी की उम्मीद है। सब्जी और दाल की कीमतों में तेजी रही और दोनों की महंगाई दर क्रम से 45.32 फीसद और 16.59 फीसद रही। वहीं, गैर-खाद्य उत्पाद वर्ग की मुद्रास्फीति अक्तूबर में 2.35 फीसद से कम होकर नवंबर में 1.93 फीसद रह गई।

विनिर्मित उत्पादों की महंगाई दर आलोच्य महीने के दौरान भी शून्य से 0.84 फीसद नीचे रही। ईंधन और बिजली में भी महंगाई दर में गिरावट रही और क्रम से शून्य से 7.32 फीसद और शून्य से 8.27 फीसद नीचे रहीं। प्राथमिक वस्तुओं की मुद्रास्फीति नवंबर महीने में बढ़कर 7.68 फीसद रही जो एक महीने पहले 6.41 फीसद थी। थोक मूल्य सूचकांक में प्राथमिक वस्तुओं का भारांश 22.62 फीसद है। इसमें मुख्य रूप से खाद्य वस्तुएं, गैर-खाद्य वस्तुएं, खनिज और कच्चा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस शामिल हैं।

इक्रा की प्रधान अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा कि आशा के अनुरूप प्राथमिक खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर 71 महीने के उच्च स्तर 11.1 फीसद पर पहुंची है। इसके साथ पिछले दो महीनों से जो गिरावट की प्रवृत्ति थी, उस पर विराम लग गया।

जामिया के समर्थन में देश भर में एकजुट हुए छात्र

पेज 1 का बाकी

परीक्षाओं का बहिष्कार किया। इस बीच, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों पर एक दिन पहले पुलिस कार्रवाई के खिलाफ विश्वविद्यालय के छात्रों ने सोमवार को कड़कड़ाती ठंड में जामिया के प्रवेश द्वार के बाहर कमीज उतारकर विरोध प्रदर्शन किया।

करीब 10 छात्रों के समूह ने अपने साथियों के साथ मिलकर 'इंकलाब जिंदाबाद' के नारे लगाए और मार्च निकाला। वहीं एक छात्र ने अपनी पहचान उजागर नहीं करने की शर्त पर कहा, 'हमारे सहपाठियों को बुरी तरह पीटा गया। पुलिसकर्मी शौचालयों, पुस्तकालयों में घुस आए। उन्होंने लड़कियों को भी पीटा। हमारा प्रदर्शन दिल्ली पुलिस की गुंडागर्दी के खिलाफ है।' एक विद्यार्थी खानजाला ने कहा, 'जब पुलिस विश्वविद्यालय में घुसी, तब हम वहीं थे। करीब 20 पुलिसकर्मी द्वार नंबर सात से घुसे और करीब 50 अन्य पीछे के द्वार से घुसे। हमने उन्हें बताया कि हम हिंसा में शामिल नहीं थे। उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। उन्होंने महिलाओं को भी नहीं बख्शा।' खानजाला के पैरों और पेट में चोटें आई हैं।

इस बीच, लखनऊ स्थित नदवा कॉलेज के छात्र भी एएमयू छात्रों के समर्थन में उतर आए। इन छात्रों ने 'आवाज दो, हम एक हैं' के नारे लगाए। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने कहा, 'आज सुबह लखनऊ स्थित नदवतुल उलेमा कॉलेज में छात्रों के एक गुट ने विरोध प्रदर्शन कर परिसर से बाहर आने का प्रयास किया लेकिन उन्हें बाहर नहीं आने दिया गया। इस पर छात्रों ने परिसर के अंदर से पत्थर फेंके लेकिन इसमें कोई घायल नहीं हुआ है। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मौके पर पुलिस बल के साथ मौजूद हैं और किसी भी छात्र को परिसर से बाहर नहीं आने दिया जा रहा है।' वहीं हैदराबाद के मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय (एमएएनयूयू) के छात्रों ने भी सोमवार को परीक्षाओं का बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन किया। विश्वविद्यालय के एक अधिकारी ने कहा कि छात्र संघों ने सोमवार से शुरू हो रही कई परीक्षाओं का बहिष्कार करने का आह्वान किया है।

वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) और कोलकाता में जाधवपुर विश्वविद्यालय में भी विरोध प्रदर्शन कर सरकार से पुलिस की 'गुंडागर्दी' के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। मुम्बई के 'टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज' (टीआइएसएस) के छात्रों ने भी प्रदर्शन किया और 'दिल्ली पुलिस शर्म करो' के नारे लगाए। संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में जारी प्रदर्शनों के बीच अलीगढ़ मुसलिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में भी रविवार देर रात छात्र और पुलिसकर्मी आमने-सामने आ गए थे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने संस्थान को पांच जनवरी तक बंद कर छात्रों से छात्रावास खाली करने को कहा है।

नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया में पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ आपात प्रदर्शन के तौर पर रविवार देर रात सैकड़ों छात्र आइटीओ पर स्थित दिल्ली पुलिस के पुराने मुख्यालय पर पहुंच गए।

प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के खिलाफ नारे लगाए और विश्वविद्यालय में घुसने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जेएनयू छात्र संघ के इस प्रदर्शन में जामिया मिल्लिया इस्लमिया विवि, अंबेडकर विश्वविद्यालय के छात्र और अन्य छात्र भी शामिल हो गए।

विद्यार्थी होने भर से कानून हाथ में लेने का हक नहीं

पेज 1 का बाकी

बस इतना चाहते हैं कि हिंसा बंद हो जानी चाहिए।' जजों ने कहा, 'अगर प्रदर्शन व हिंसा हुई और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया तो हम इस मामले को नहीं सुनेंगे।' इस पीठ में न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत भी शामिल थे। जजों ने यह बात तब कही जब वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह और कोलिन गोंजाल्विस के नेतृत्व में वकीलों के एक समूह ने मामले को उसके समक्ष उठाया और प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर की गई कथित हिंसा का स्वतः संज्ञान लेने की अपील की।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा, 'हम जानते हैं कि दंगे कैसे होते हैं। इसे पहले बंद कर दें। सिर्फ यह तय नहीं कर सकते कि पथराव किया जा रहा है। हमने काफी दंगे देखे हैं। यह तब तय करना होगा जब चीजें शांत हों। हम कुछ भी तय कर सकते हैं।

दंगे रुकने दो। सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट किया जा रहा है। कोर्ट अभी कुछ नहीं कर सकता है, दंगों को रोकें। अगर विरोध प्रदर्शन ऐसे ही चले और सार्वजनिक संपत्तियों को नष्ट किया गया तो हम कुछ नहीं करेंगे। हम केवल तभी कुछ कर सकते हैं जब दंगे रुक गए हों।

अगर कोई हिंसा नहीं होती है, सार्वजनिक संपत्ति का विनाश नहीं होता है, हम कल (मंगलवार को) सुनेंगे। सिर्फ इसलिए कि छात्र हैं, आप सब कुछ नहीं कर सकते। दोनों पक्षों ने एक निश्चित तरीके से काम किया है।' जजों ने कहा, 'हम सब कुछ निर्धारित करेंगे लेकिन हिंसा के इस माहौल में नहीं। यह क्या है? सरकारी संपत्तियों को बर्बाद किया जा रहा है, बसें जलाई जा रही हैं।' वकीलों द्वारा इस मुद्दे पर संज्ञान लेने के लिए बार-बार कहने पर, प्रधान न्यायाधीश ने कहा, 'हम पर इस तरह से दबाव मत बनाइए। यह सारी हिंसा रुकनी चाहिए।'

मामले का उल्लेख करते हुए जयसिंह ने कहा कि शीर्ष अदालत को देश भर के खास कर अलीगढ़ में छात्रों के खिलाफ की गई हिंसा का स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने अदालत को बताया कि छात्रों के खिलाफ गंभीर हिंसा हुई है और उनमें से कई को टूटी हड्डियों के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जयसिंह ने कहा कि जब यहां की जिला अदालत के परिसर में वकीलों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी तब दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया था और आदेश पारित किया था।

गोंजाल्विस ने अदालत को बताया कि उन्होंने रविवार को अस्पताल और हिरासत कक्ष का दौरा किया था जहां जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों को पुलिस ने रखा था। जजों ने कहा, 'हम बस यह कह रहे हैं कि यह उपद्रव रुकना चाहिए।'

'आरटीआइ का दुरुपयोग रोकने के लिए दिशानिर्देश बनाने होंगे'

पेज 1 का बाकी

को 'गंभीर समस्या' करार देते हुए पीठ ने कहा कि वह इस कानून के खिलाफ नहीं है लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रणाली बनानी होगी कि प्रभावित लोग या संबंधित लोग ही इस अधिकार का इस्तेमाल करें। सीजेआइ ने बंबई हाई कोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर अपना अनुभव साझा किया और कहा कि एक बार एक अधिकारी ने उन्हें बताया कि आरटीआइ के तहत सवालों की वजह से महाराष्ट्र में मंत्रालय में कामकाज ठप हो गया है।

कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने शीर्ष अदालत के कई फैसलों का जिक्र किया और कहा कि जनता को जानने का बुनियादी अधिकार है और सूचना मांगने वाले के लिए आरटीआइ के तहत जानकारी मांगने में कोई सार्वजनिक या निजी हित होना जरूरी नहीं है।

सर्द हवाओं की चपेट में दिल्ली व एनसीआर

पेज 1 का बाकी

में तापमान शून्य से 16.7 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है। श्रीनगर में बर्फबारी के बाद अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रम से 5.8 डिग्री सेल्सियस और शून्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। गुलमार्ग में न्यूनतम तापमान शून्य से 10.2 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। वहीं दक्षिणी कश्मीर के पर्वतीय इलाके पहलगाम में तापमान शून्य से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। जबकि वैष्णो देवी के आधार क्षेत्र कटरा में न्यूनतम तापमान छह डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

उत्तराखंड में भी बर्फबारी के चलते गोपेश्वर सहित तमाम क्षेत्रों में जनजीवन अभी तक अस्त-व्यस्त है। कई स्थानों पर सड़कें नहीं खुलने से पर्यटक भी फंसे हुए हैं। बारह और तेरह दिसंबर को हुई भारी बर्फबारी की वजह से जिले के दर्जनों गांवों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई थी जो अब तक बहाल नहीं हो पाई है।

घाट तहसील के आठ गांव, गैरसैंण के 30 गांव, नारायणबगड़ के 25 गांव, जोशीमठ, औली व पोखरी के कई गांवों में एक बड़ी आबादी पिछले चार दिनों से अंधेरे में जीवन यापन कर रही है।

आर्थिक वृद्धि में आएगी गिरावट : मूडीज

पेज 1 का बाकी

से घटाकर 4.9 फीसद कर दिया। मूडीज इनवेस्टर्स सर्विस ने एक रिपोर्ट में कहा कि आर्थिक वृद्धि को कमजोर करने में ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समस्या खड़ा होना, रोजगार सृजन कम होना और नकदी की तंगी जैसे कारणों से यह स्थिति बनेगी। मूडीज के सहायक उपाध्यक्ष व विश्लेषक देबराह तान ने कहा, 'एक समय जो निवेश आधारित सुस्ती थी, वह अब फैलती हुई खपत में कमी वाली अर्थव्यवस्था बन गई। कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की वेतन वृद्धि कमजोर पड़ने जमीन और श्रम क्षेत्र के जटिल कानूनों के चलते रोजगार सृजन में भी नरमी बनी हुई है।' रिपोर्ट में कहा गया है कि घरेलू खपत भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि की रीढ़ रही है। वर्ष 2018- 19 की जीडीपी में इस क्षेत्र का 57 फीसद हिस्सा रहा है।

दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्थाओं की तरह ही भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 4.5 फीसद रह गई।

'दिल्ली पुलिस के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराएंगे'

पेज 1 का बाकी

जामिया की कुलपति प्रोफेसर नजमा अख्तर और रजिस्ट्रार एपी सिद्दीकी ने सोमवार को विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित एक प्रेस वार्ता में कहीं। अख्तर ने यहां प्रेस वार्ता में कहा कि पुलिस बिना अनुमति के परिसर में दाखिल हुई थी। हम परिसर में पुलिस की मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी बर्बरता से विद्यार्थियों और कर्मचारियों को डराया। विश्वविद्यालय की संपत्ति को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई के संबंध में हम प्राथमिकी दर्ज कराएंगे। हम उच्चस्तरीय जांच चाहते हैं। मानव संसाधन मंत्री से अपील की जाएगी कि रविवार को जो कार्रवाई हुई, उसमें गलती किसकी है, वे इसका पता लगाएं। कुलपति ने कहा कि मैं पहले ही एचआरडी मंत्रालय के सचिव से बात कर चुकी हूं और उन्हें स्थिति के बारे में बता चुकी हूं। विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद (ईसी) की बैठक सोमवार को स्थिति पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई थी। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के मनोबल को जो क्षति पहुंची है, उसका क्या? हम क्षति का आकलन कर रहे हैं।

कुलपति ने कहा कि हमने पहले ही छुट्टी घोषित कर दी थी क्योंकि हम अपने विद्यार्थियों को सुरक्षित रखना चाहते थे। कुलपति ने कहा कि हम किसी भी विद्यार्थी को छात्रावास खाली करने के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं लेकिन इसमें हम उनकी मदद करेंगे। हम किसी भी राजनीतिक संगठन से जुड़े नहीं हैं और हम यहां किसी को भी आने की मंजूरी नहीं देंगे। जामिया के रजिस्ट्रार एपी सिद्दीकी ने कहा कि यह युद्ध जैसी स्थिति थी। हमने गोलीबारी करने के मामले में संयुक्त पुलिस आयुक्त से सवाल किया और उन्होंने इनकार किया। परिसर के भीतर से पुलिसकर्मियों पर कोई पथराव नहीं हुआ है।

विद्यार्थियों के समर्थन में धरने पर बैठीं प्रियंका

पेज 1 का बाकी

नेता सोमवार को दिल्ली के इंडिया गेट पर धरने पर बैठ गए। उनके साथ महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुष्मिता देव, के सी वेणुगोपाल, अहमद पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री एके एंटनी, गुलाम नबी आजाद, रणदीप सुरजेवाला, रागिनी नायक सहित सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे।

इंडिया गेट पर धरने पर बैठने से पहले प्रियंका वाड्रा ने जामिया के छात्रों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की कार्रवाई का हवाला देकर मोदी सरकार पर हमला बोला और कहा कि देश का माहौल 'खराब' हो गया है। पुलिस (छात्रों) को पीटने के लिए विश्वविद्यालय में घुस रही है। सरकार संविधान से छेड़छाड़ कर रही है। हम संविधान के लिए लड़ेंगे। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं के मुद्दों, अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी के मसले और रविवार को छात्रों के खिलाफ हुई कार्रवाई पर चुप क्यों हैं। सभी को नागरिकता कानून का विरोध करना चाहिए। छात्रों को आवाज उठाने का अधिकार है। यह देश उनका है। गांधी ने कहा कि नागरिकता कानून भारत के संविधान के खिलाफ, हमारे संविधान को नष्ट करने के लिए लाया गया है। कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता तानाशाह होती जा रही मोदी सरकार के खिलाफ लड़ेगा।

गुलामी नबी आजाद ने कहा-जब विश्वविद्यालय प्रशासन ने पुलिस को प्रवेश की इजाजत नहीं दी, तब पुलिस जामिया में कैसे घुस सकती है और ऐसी बर्बरता कर सकती है? आजाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस आरोप का खंडन किया कि हिंसक प्रदर्शनों के पीछे कांग्रेस का हाथ है। उन्होंने कहा कि ऐसे आरोप लगाना गलत है और हम इसकी निंदा करते हैं।

नागरिकता कानून से कोई भारतीय प्रभावित नहीं होगा : मोदी

पेज 1 का बाकी

अस्तव्यस्त करना और सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाना कभी भी हमारे लोकाचार का हिस्सा नहीं रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वक्त की जरूरत देश के विकास और गरीब, पिछड़े और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों के सशक्तीकरण के लिए मिलकर काम करने की है।

प्रधानमंत्री की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब देश के कई हिस्सों में संशोधित नागरिकता कानून का विरोध हो रहा है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय परिसर में पुलिस की कार्रवाई से उत्पन्न हुआ तनाव सोमवार को हैदराबाद, लखनऊ, मुंबई और कोलकाता सहित देश के कई विश्वविद्यालय परिसरों में फैल गया। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दिल्ली में जारी प्रदर्शन ने उस समय उग्र रूप ले लिया था जब रविवार को पुलिस ने जामिया मिल्लिया इस्लमिया विवि के पुस्तकालय के अंदर आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया था।

उन्नाव बलात्कार कांड में विधायक कुलदीप सेंगर दोषी करार

पेज 1 का बाकी

हुआ। उस पर खतरा था, वो चिंतित थी। वह गांव की लड़की है, महानगरीय शिक्षित इलाके की नहीं...सेंगर एक शक्तिशाली व्यक्ति था। इसलिए उसने अपना वक्त लिया...।' न्यायाधीश ने जब फैसला सुनाना शुरू किया तो सह-आरोपी सिंह बेहोश हो गई।

अदालत ने यह भी कहा कि पीड़िता द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखे जाने के बाद उसके परिवार वालों के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज किए गए और उनपर 'सेंगर की छाप' थी। अदालत ने बलात्कार के मामले में सीबीआइ द्वारा आरोप पत्र दायर करने में की गई देरी पर भी हैरानी जताई और कहा कि इससे सेंगर और अन्य के खिलाफ मुकदमा लंबा चला। पॉक्सो का संदर्भ देते हुए अदालत ने कहा कि कानून में 'कुछ गलत' नहीं लेकिन इसे जमीनी स्तर पर प्रभावी तरीके से लागू करने और संबंधित अधिकारियों में मानवीय रवैए की कमी से अक्सर ऐसी स्थिति बनती है जहां न्याय में देरी होती है। अदालत ने कहा कि सीबीआइ खुद जांच और अभियोजन से जुड़ी नियमावली का पालन नहीं करती है। सेंगर ने 2017 में पीड़िता का अपहरण और बलात्कार किया था जब वह नाबालिग थी।

उप्र की बांगरमऊ विधानसभा सीट से चौथी बार विधायक बने सेंगर को इस मामले के बाद अगस्त 2019 में भाजपा से निष्कासित कर दिया गया था। अदालत ने नौ अगस्त को विधायक और सिंह के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र, अपहरण, बलात्कार और पोक्सो कानून से संबंधित धाराओं के तहत आरोप तय किए थे। सेंगर पर आरोप लगाने वाली युवती की कार को 28 जुलाई को एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी, जिसमें वह गंभीर रूप से जख्मी हो गई थी। दुर्घटना में युवती की दो रिश्तेदार मारी गईं और उसके परिवार ने इसमें षड्यंत्र होने के आरोप लगाए थे।

सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव बलात्कार मामले में दर्ज सभी पांच मामलों को एक अगस्त को उत्तरप्रदेश में लखनऊ की अदालत से दिल्ली की अदालत में स्थानांतरित करते हुए निर्देश दिया कि रोजाना आधार पर सुनवाई की जाए और इसे 45 दिनों के अंदर पूरा किया जाए। न्यायालय ने यह व्यवस्था पीड़िता द्वारा भारत के तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई को लिखे पत्र पर संज्ञान लेते हुए दी थी। बलात्कार मामले में बंद कमरे में हुई सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के 13 गवाहों और बचाव पक्ष के नौ गवाहों से जिरह हुई। बलात्कार पीड़िता का बयान दर्ज करने के लिए यहां स्थित एम्स अस्पताल में एक विशेष अदालत भी बनाई गई। पीड़िता को लखनऊ के एक अस्पताल से हवाई एंबुलेंस के जरिए दिल्ली लाकर यहां भर्ती कराया गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर युवती और उसके परिवार को सीआरपीएफ की सुरक्षा दी गई है।

आजम के बेटे की विधायकी अवैध घोषित

पेज 1 का बाकी

अली खान की चुनाव याचिका को स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया। अदालत ने इस चुनाव याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि अब्दुल्ला आजम खान ने 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में जब नामांकन पत्र दाखिल किया तो उस समय उनकी आयु 25 वर्ष नहीं थी। इस तरह वह विधानसभा चुनाव लड़ने के पात्र नहीं थे। मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान को रामपुर जिले की 34 स्वार विधानसभा सीट से 11 मार्च, 2017 को विधायक चुना गया था। उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था।

स्वार सीट से अब्दुल्ला खान से चुनाव हारने वाले बसपा उम्मीदवार नवाब काजिम अली खान ने अदालत का रुख किया था। उनका आरोप था कि प्रतिवादी अब्दुल्ला आजम खान का जन्म एक जनवरी, 1993 को हुआ था, इसलिए नामांकन दाखिल करने के दिन 25 जनवरी, 2017 को वह 25 वर्ष की आयु से काफी कम थे। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया था कि मोहम्मद अब्दुल्ला के शैक्षणिक प्रमाणपत्र, पासपोर्ट और वीजा में भी इसी जन्मतिथि का उल्लेख है, लेकिन बाद में लखनऊ स्थित जन्म एवं मृत्यु पंजीयक कार्यालय से एक जन्म प्रमाणपत्र जारी कराया गया, जिसमें अब्दुल्ला का जन्म 30 सितंबर, 1990 दिखाया गया।

संपूर्ण तथ्यों पर गौर करने के बाद अपने 49 पेज के निर्णय में अदालत ने कहा कि शैक्षणिक प्रमाणपत्रों के अलावा, उनकी मां ने अपनी सर्विस बुक में अब्दुल्ला के जन्म का उल्लेख 1993 किया है जोकि अपने आप में एक प्रमाण है। अदालत ने रजिस्ट्रार जनरल, हाई कोर्ट को इस निर्णय से निर्वाचन आयोग और उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष को अवगत कराने का निर्देश दिया। स्वार सीट से चार बार विधायक रहे काजिम अली ने अपनी दलील में अब्दुल्ला के हाई स्कूल के प्रमाणपत्र का हवाला दिया जिसमें उसकी जन्म तिथि एक जनवरी, 1993 है।

इससे पूर्व सुनवाई के दौरान अब्दुल्ला की मां और तत्कालीन राज्यसभा सदस्य ताजीन फातिमा ने इस बात का समर्थन किया था कि उनके बेटे का जन्म 30 सितंबर, 1990 को हुआ था जिसे उनके सर्विस रिकार्ड से सिद्ध किया जा सकता है क्योंकि उन्होंने 1990 में मातृत्व अवकाश लिया था। हालांकि अदालत ने उनकी यह दलील नहीं मानी।

गौरतलब है कि सभी गवाहों के बयान दर्ज करने और सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला 27 सितंबर, 2019 को सुरक्षित रख लिया था।

बलात्कार के मामलों के त्वरित निपटारे पर गौर करेगी समिति

पेज 1 का बाकी

एसए बोबडे ने न्यायमूर्ति सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम. आर. शाह की दो सदस्यीय समिति का गठन किया है। तेलंगाना की पशु चिकित्सक के साथ सामूहिक बलात्कार कर उसकी जलाकर हत्या करने के बाद देश में बलात्कार के मामलों के त्वरित निपटारे की मांग तेज हो गई थी।

www.readwhere.com

नगालैंड के राज्यपाल को मेघालय का अतिरिक्त प्रभार

नई दिल्ली,16 दिसंबर (भाषा)।

नगालैंड के राज्यपाल आरएन रवि को सोमवार को मेघालय के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। राष्ट्रपति भवन से जारी बयान में इसकी जानकारी दी गई है। रवि, नगा उग्रवादियों से बातचीत करने के लिए केंद्र के वार्ताकार भी हैं।

बयान में कहा गया है, 'भारत के राष्ट्रपति ने मेघालय के राज्यपाल तथागत राय के अवकाश पर होने के कारण उनकी अनुपस्थिति में नगालैंड के राज्यपाल आरएन रवि को उनके राज्य (नगालैंड) के अलावा मेघालय के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है।'

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे क्लाइंट, मैसर्स मुथूट फाइनेंस लि. (GSTIN 32AABCT0343B1Z7), पंजीकृत कार्यालय: तल 2, मुथूट चेम्बर्स, बैनर्जी रोड, कोच्चि – 682018, केरल, भारत, CIN: L65910KL1997PLC011300, दूरभाष: +91 484-2396478, 2394712, फैक्स: +91 484-2396506, mails@muthootgroup.com, www.muthootfinance.com ऋण चुकाने में असफल ऋणियों के गिरवी रखे सोने के गहनों (30.09.2018 को अवधि तक NPA खातों) की निम्नलिखित विवरणों के अनुसार नीलामी करेगी। इच्छुक सभी व्यक्ति भाग ले सकते हैं।

नीलामी की तिथि: 21.12.2019

Aligarh-Naurangabad: MAL-639, MSL-8120, 8123, MUL-866, 980, 1050, 1258, 1264, 1279, 1282, 1325, 1340, 1347, 1359, 1407, 1415, 1420, 1439, 1440, 1495, 1509, 1550, 1577, 1583, 1587, 1620, 1622, 1637, 1653, 1656, 1668, 1673, 1674, 1696, 1711, MWS-4, 205, **Aligarh-Centre Point:** MSL-7846, MUL-624, 731, MWS-21, 23, 187, 200, 209, 213, 222, 225, 300, 312, 348, 350, 433, 457, 466, 480, 496, 728, 743, 744

नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमशः उन्हीं शाखाओं में संचालित की जाएगी। हालांकि, कृपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियों) में नीलामी पूरी नहीं हो जाती तो ऐसी स्थिति में यह संबंधित नीलामी वहीं दिनांक 23.12.2019 को क्रमशः नीलामी केंद्र **Muthoot Finance Ltd., Ground Floor, Mukhiyaji Complex, Gopimill Compound, Naurangabad, Aligarh (U.P.) - 202001** में संचालित की जाएगी/जारी रहेगी। और ऐसी स्थिति में जहां इस सबके बावजूद कथित गहनों की नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलामी आगामी तिथियों में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचनाएँ नहीं दी जाएंगी।

नीलामी की तिथि: 24.12.2019

Mathura: MAL-885, 1184, MHP-8, MSL-16230, MUL-1026, 1102, 1110, 1167, 1178, 1221, 1247, 1253, 1260, 1272, MWS-6, 27, 39, 54, 139, 148, 192, 215, 238, 245, 269, 288, 296, 297, 378, 415, 452, 556, 567, 585, 637, 699, 704, 761, 787, 814, 849, 870, 899, 925, 935, 965, 977, 995, 1028, 1341, 1392, **Mathura-Krishna Nagar:** MAL-705, MHP-1, MSL-2735, 2757, MUL-59, 241, 541, 752, 763, 842, 883, 909, 960, 984, 1013, 1057, 1117, 1122, 1124, 1144, 1146, 1176, 1185, 1190, 1191, 1195, 1198, 1257, 1268, 1269, 1292, 1294, 1309, 1330, 1333, 1334, 1379, 1389, 1399, 1422, 1441, 1443, 1446, 1452, 1474, 1481, 1508, 1516, 1530, 1545, 1577, 1593, 1632, 1635, 1666, 1667, 1689, 1690, 1700, 1709, 1710, 1748, 1782, 1914, 1934, 1967, 2047

कम शुद्धता के गहनों की नीलामी (30.04.2019 की अवधि तक एनपीए खाते)

नीलामी की तिथि: 24.12.2019

Mathura-Krishna Nagar: MUL-1116

नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमशः उन्हीं शाखाओं में संचालित की जाएगी। हालांकि, कृपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियों) में नीलामी पूरी नहीं हो जाती तो ऐसी स्थिति में यह संबंधित नीलामी वहीं दिनांक 26.12.2019 को क्रमशः नीलामी केंद्र **Second Floor, Ojal Mall, Junction Road, Mathura, UP - 281001** में संचालित की जाएगी/जारी रहेगी। और ऐसी स्थिति में जहां इस सबके बावजूद कथित गहनों की नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलामी आगामी तिथियों में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचनाएँ नहीं दी जाएंगी।

नीलामी की तिथि: 21.12.2019

Shikhohabad-(UP): MSL-3677, MUL-92, 96, 116, 125, 183, 196, 197, 212, 251, 269, 270, 273, 293, 325, 355, 403, 453, 463, 482, 485, 531, 549, 592, 602, 608, 641, 694, 695, 697, 710, 743

नीलामी की तिथि: 24.12.2019

Firozabad(UP): MAL-601, MSL-1734, 1743, 1775, MUL-143, 144, 154, 169, 185, 222, 281, 287, 291, 311, 316, 318, 322, 355, 367, 420, 435, 447, 450, 489, 500, 518, 532, 592, 657, 680, 707, 723, 729, 738, 760, 761, 765, 772, 844, 848, 880, 887, 893, 904, 906, 931, 943, 944, 973, 991, 1001, 1003, 1008, 1009, 1013, 1029, 1061, 1077, 1095, 1126, 1151, 1250, 1419

नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमशः उन्हीं शाखाओं में संचालित की जाएगी। हालांकि, कृपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियों) में नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलामी आगामी तिथियों में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचनाएँ नहीं दी जाएंगी।

कोहली एण्ड सोब्ती, एडवोकेट, ए 59ए, पहली मंज़िल, लाजपत नगर–II, नई दिल्ली – 110024

नोट: ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का भुगतान करके अपने गहनों की गिरवी छुड़ा सकते हैं। ग्राहक ईमेल आईडी: auctiondelhi@muthootgroup.com या 7834886464,7994452461 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

सार्वजनिक सूचना

(ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 12 के साथ पठित विनियम 31(2)

नॉवक्स प्राइवेट लिमिटेड के हितधारकों के ध्यानार्थ–परिसमापनाधीन

भारतीय ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 31 के अनुसार कम्पनी के समस्त हितधारकों के लिए एतद्वारा सार्वजनिक घोषणा की जाती है कि कम्पनी के हितधारकों की सूची माननीय एनसीएलटी, दिल्ली पीठ के पास 11 दिसम्बर, 2019 को दाखिल कर दी गयी है।

परिसमापक द्वारा स्वीकृत राशि के सम्पूर्ण विवरण को प्रदर्शित करती हुई हितधारकों की सूची उन लोगों द्वारा देखी जा सकती है जिन्होंने निम्नलिखित लिंक में दावे, सदस्यों, निदेशकों, जमानतियों के प्रमाण जमा कर दिये हैं (कॉर्पोरेट देनदार की किसी चालू वेबसाइट की अनुपस्थिति में)

1. कामगारों/कर्मचारियों के दावेः http://www.solutioninsol.com/wp-content/uploads/2019/12/list1.pdf
2. प्रचालन लेनदारों के दावेः http://www.solutioninsol.com/wp-content/uploads/2019/12/list2.pdf

शेयरधारकों के दावेः http://www.solutioninsol.com/wp-content/uploads/2019/12/list4.pdf

सम्बद्ध पक्ष के दावेः http://www.solutioninsol.com/wp-content/uploads/2019/12/list3.pdf

हितधारकों को पुनः अधिसूचित किया जाता है कि माननीय एनसीएलटी, दिल्ली पीठ के पास दाखिल के अनुसार सूची में प्रविष्टि में कोई संशोधन माननीय एनसीएलटी, दिल्ली पीठ के पास पीठ द्वारा निर्देशित प्रारूप में आवेदन के साथ दर्ज करके किया जा सकता है।

ह./–
(रंजन चक्रवर्ती)
परिसमापक
पंजीकरण सं. IBBI/IPA-002/IP-N00541/2017-2018/11618
मेल आईडीः Process specific-novexliquidator@gmail.com
पंजीकृत आईडी : ranjanns@gmail.com

स्थान : दिल्ली
तिथि : 12.12.2019

दिल्ली कार्यालय (पंजीकृत): 1/22, दूसरी मंजिल, आसफ अली रोड, नई दिल्ली–110002
पत्राचार का पताः 17डी/522, कोणार्क एन्कलेव, वसुन्धरा, गाजियाबाद, उ.प्र.–201012

बैंक ऑफ इंडिया Bank of India BOI

बैंक ऑफ इंडिया, आंचलिक कार्यालय, नई दिल्ली क्षेत्र,
''स्टार हाउस'', एच–2, कनाट सर्कस, मिडिल/आउटर सर्कल, पीवीआर प्लाजा हाल के पास,
नई दिल्ली–110001, फोन नं. 011–28844099

चल आस्ति के खुली नीलामी द्वारा विक्रय हेतु नीलामी विक्रय नोटिस

खाता मैसर्स दौलत राम नरेश कुमार में नियुक्त प्राधिकृत अधिकारी ने सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत आवासीय संपत्ति जो प्लॉट नं. 2597, ग्राउंड फ्लोर, हडसन लेन, किंग्सवे कैंप, दिल्ली–110009 में स्थित है तथा जो श्रीमति संतोष कुमारी अग्रवाल (गारंटर) के नाम पर थी, का वास्तविक कब्जा 25.09.2017 को लिया था। उक्त संपत्ति के मालिक परिसर में रखे घरेलू सामान को परिसर से हटाने में विफल रहे जबकि उन्हें कोरियर / स्पीड पोस्ट / रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 02.03.2019 और 19.03.2019 को नोटिस भेजा गया था तथा नोटिस को 04.02.2019, 10.07.2019 तथा 23.08.2019 को समाचार पत्र में भी प्रकाशित किया गया था। अतः आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति–दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि चल संपत्ति (घरेलू सामान जैसे कि बैटरी केवल (वर्जिन मेक), ओल्ड कंप्लीट सोफा सेट, अलमारी शीर्ष पर मंदिर के साथ, किताबें युक्त लकड़ी केबॉक्स, वूडेन बेड 4X6', गैस स्टोव (रसोई) रेग्युलेटर के साथ, फिक्स वूडेन आलमारी 3X5', ड्रेसिंग टेबल, टीवी शो–केस (खाली), डबल बेड वूडेन 4X6', स्टील अलमारी (लॉक) 3X5', गीजर ओल्ड फिक्स्ड (पर्ल मेड), सोफा कम बेड, वूडेन आलमारी (खाली) 4X5', सिलाई मशीन (उषा), स्टील बाल्टी, चक्की (पत्थर), ओपन वूडेन अलमारी 4X5', वूडेन बॉक्स 3X2', सोफा सेट, ओपन वूडेन रैक, आयरन फाइलरैक (स्क्रैप), स्टील अलमारी 4X6', टोस्टर, स्टील चकला, टेबल फैन, रूम हीटर, बर्तन अलग प्रकार के, हॉट गन, फोल्डिंग टेबल 2X3', लकड़ी काबक्सा, एक्जिक्यूटिव चेयर, जूसर मशीन, गैस सिलेंडर 5 लीटर, मॉनिटर एचसीएल 14', प्रिंटर एचपी, टीवी ट्रॉली, पंखा, एक्सहौस्ट फैन, सोनी टी वी, वूडेन अलमारी 2X4', छोटा मेज, टेबल फैन उषा, सीपीयूएचसीएल), जो कि गोदाम, 2321 और 2322 में, ग्राउंड फ्लोर, गली हींगा बेग, तिलक बाजार, खारी बावली, वार्ड नंबर 3, दिल्ली–110006, जो कि श्री पवन कुमार अग्रवाल के नाम पर है, को खुली नीलामी के आधार पर 'जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है' के आधार पर उपरोक्त पते पर दिनांक 07.01.2020 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य 0.40 लाख रुपए होगा और अग्रिम धनराशि 0.04 लाख रुपए होगी। उपरोक्त घरेलू सामान का निरीक्षण दिनांक 30.12.2019 को किया जा सकेगा। बंद लिफाफे के अंदर जिस पर लिखा हो "घरेलू सामान के लिए आरक्षित मूल्य" ईएमडी राशि तथा अन्य दस्तावेजों के साथ उपरोक्त पते पर दिनांक 06.01.2020 तक अपरान्ह 5 बजे तक जमा किया जा सकेगा।

विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया बैंक ऑफ इंडिया की वैबसाइट https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender?Type=3 देखें।

दिनांक : 17.12.2019
स्थान : नई दिल्ली

श्री शशि कांत सदाभरतीय, प्राधिकृत अधिकारी
फोन – 011–23717344

YES BANK

पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालयः
यस बैंक टावर, आईएफसी–2, 15वाँ तल, सेनापति बापत मार्ग, एलफिन्स्टन (डब्ल्यू), मुम्बई–400013,
CIN: L65190MH2003PLC143249, ईमेलः communications@yesbank.in, वेबसाईटः www.yesbank.in

अचल सम्पत्ति के लिये कब्जा सूचना

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत यस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना नीचे वर्णित तिथि को जारी कर ऋणधारकों/सह–ऋणधारकों/मार्टगैजरों को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि के साथ मांग सूचना की तिथि से लागू आगे के ब्याज तथा उस पर अन्य चार्जेज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक तथा गारन्टर इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, गारन्टरर्स तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित तिथि को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों एवं गारन्टरों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय नीचे वर्णित शेष बकाया राशि तथा उस पर ब्याज एवं लागत के लिये यस बैंक लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

गिरवी सम्पत्ति का विवरण

क्रम सं.	ऋणधारक, मार्टगैजर एवं सह–ऋणधारक का नाम एवं पता	गिरवी सम्पत्तियों का विवरण	कुल बकाया देयता (रु.)	मांग सूचना तिथि कब्जा की तिथि
1.	1) मै. नंद लाल महिन्दर कुमार, द्वारा उसके प्रॉप्राईटर, श्री महिन्दर कुमार, शॉप नं. 144ए, न्यू मंडी, अनाज मंडी, सिरसा–125055, हरियाणा (''ऋणधारक'') 2) श्री महिन्दर कुमार, पुत्र श्री नंद लाल शॉप नं. 144ए, न्यू मंडी, अनाज मंडी, सिरसा–125055, हरियाणा (''गारन्टर एवं मार्टगैजर'') 3) श्री प्रीतिश पोपली, पुत्र श्री महिन्दर कुमार शॉप नं. 144ए, न्यू मंडी, अनाज मंडी, सिरसा–125055, हरियाणा (गारन्टर)	व्यावसायिक सह आवासीय सम्पत्ति, माप लगभग 94.44 वर्ग यार्ड्स, शॉप नं. 144ए, अनाज मंडी, सिरसा 125055, हरियाणा का सभी भाग तथा हिस्सा। **चौहद्दीः** पूर्वः शॉप नं. 144–बी, सैनी ट्रेडिंग कम्पनी, पश्चिमः शॉप नं. 143 वर्धमान ट्रेडर्स, उत्तरः रोड, दक्षिणः मंडी रोड, मार्टगैजरः श्री महिन्दर कुमार	रु. 13203258.22 (रुपये एक करोड़ बत्तीस लाख तीन हजार दो सौ अन्ठावन तथा पैसे बाईस मात्र)	24.6.2019 10.12.2019
2.	1) मै. जय प्रसाद पॉलीमर्स द्वारा उसके प्रॉप्राईटर, श्री मुकेश जैन, रेलवे क्रॉसिंग के निकट, मेहम रोड, गोहना सोनीपत–131301, हरियाणा (''गारन्टर''), 2) श्री मुकेश जैन, पुत्र श्री रत्तन लाल जैन, 446/1, उत्तम नगर, गली नं. 5, ग्राम गोहना, निकट पुराना स्टेट बैंक, सोनीपत–131301, हरियाणा साथ हीः मै. जय प्रसाद पॉलीमर्स, रेलवे क्रॉसिंग के निकट, मेहम रोड, गोहना, सोनीपत–131301, हरियाणा (''सह–ऋणधारक''), 3) श्रीमती राजरानी, पत्नी श्री मुकेश जैन, 446/1, उत्तम नगर, गली नं. 5, ग्राम गोहना, निकट पुराना स्टेट बैंक, सोनीपत–131301, हरियाणा (''सह–ऋणधारक'' तथा ''मार्टगैजर'')	सम्पत्ति माप लगभग 127 वर्ग यार्ड्स, मकान सं. 446, पुराना वार्ड नं. 19, नया वार्ड नं. 21, गली नं. 5, उत्तम नगर, बड़ौदा रोड, ग्राम गोहना, सोनीपत–131301 का सभी भाग तथा हिस्सा। **चौहद्दीः** पूर्वः 24 फीट गली 12 फीट चौड़ा, पश्चिमः 24 फीट, मई चन्द का मकान, उत्तरः 50 फीट, देवेन्दर का मकान, दक्षिणः 45 फीट, रामेश्वर का मकान मार्टगैजरः श्रीमती राज रानी	रु. 29,77,708.14 (रुपये उन्नतीस लाख सतहत्तर हजार सात सौ आठ तथा पैसे चौदह मात्र)	26.6.2019 10.12.2019

स्थानः हरियाणा
तिथिः 17.12.2019

हस्ता./– (प्राधिकृत अधिकारी)
यस बैंक लिमिटेड

प्रपत्र सं. आईएनसी-26

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवर्तन के लिए

(कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में)

प्रादेशिक निदेशक उत्तरी क्षेत्र के समक्ष नई दिल्ली में हेड क्वार्टर

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) खंड (क) के मामले में

और

अर्थकॉन बिल्डिंग प्राईवेट लिमिटेड

जिसका पंजीकृत कार्यालय : डी-266 डिफेंस कॉलोनी ग्राउंड फ्लोर नई दिल्ली साउथ दिल्ली डी 110024 न में स्थित है के मामले में

कृ्याचिकाकर्ता

आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 और कंपनी के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का **पंजीकृत कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से उत्तर प्रदेश राज्य** में स्थानांतरित करने के लिए तारीख **21 नवम्बर 2019** को आयोजित असाधारण अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली 110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा।

अर्थकॉन बिल्डिंग प्राईवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : डी-266 डिफेंस कॉलोनी ग्राउंड फ्लोर नई दिल्ली साउथ दिल्ली डी 110024

कृते **अर्थकॉन बिल्डिंग प्राईवेट लिमिटेड**

हस्ता./-
अशोक रसूल
निदेशक

तिथि : 15/12/2019
स्थान : दिल्ली
डीआईएन : 07911083

TATA

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 11वां तल, टावर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपत राव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई- 400013, CIN No. U67190MH2008PLC187552

शाखा का पताः 1ला एवं 2रा तल, बी–36, लाजपत नगर, पार्ट–2, नई दिल्ली–110024

बिक्री सूचना का उद्घोषणा

जैसा कि वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूत हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली 2002 के नियम के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 18 जून, 2018 जारी कर ऋणधारकों को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः 27 दिसम्बर, 2018 को मै. टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनांस लि. की ओर से प्राधिकृत अधिकारी ने नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा कर लिया है।

ऋणधारक प्रतिभूत क्रेडीटर की देयताओं को चुकाने में विफल रहे, एतद्द्वारा सभी को सूचित किया जाता है कि मै. टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनांस लि. के प्राधिकृत अधिकारी अब प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 (''नियमावली'') के नियम 9 के साथ पठित नियम 8(5) में वर्णित किसी भी प्रक्रिया को अपनाकर उक्त प्रतिभूत परिसम्पत्ति की बिक्री करेंगे।

मै. टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी सम्पत्ति की बिक्री के लिये तीन बार नीलामी पहले ही आयोजित कर चुके हैं लेकिन कोई भी बोली प्राप्त नहीं होने के कारण वे असफल रहे। अब, हमें सम्पत्ति की खरीद के लिये तैयार एक क्रेता मिला है। अतः सूचित हो लें कि यदि इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से पन्द्रह (15) दिनों के भीतर उक्त ऋण खाता में कुल बकाये का भुगतान नहीं किया गया तो प्राधिकृत अधिकारी रु. 40,00,000/– (रुपये चालिस लाख मात्र) की राशि में श्रीमती शीला रावत, पत्नी श्री अमर सिंह रावत को निजी संधि द्वारा नीचे वर्णित सम्पत्ति की बिक्री के लिये आगे बढ़ेंगे।

ऋण खाता सं.	देनदार सांविधिक उत्तराधिकारी/सांविधिक प्रतिनिधि (यों) का नाम	मांग सूचना के अनुसार राशि
9992993	श्री वासुदेव (ऋणधारक) एवं श्रीमती रीतु (सह–ऋणधारक)	रु. 46,38,920/– (रुपये छियालिस लाख अड़तीस हजार नौ सौ बीस मात्र) 18 जून, 2018 को।

प्रतिभूत परिसम्पत्तियों अचल सम्पत्तियों का विवरणः फरीदाबाद, तहसील–बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद, माप 136.80 वर्ग मीटर में अर्बण इस्टेट हुडा के सेक्टर–64 में आवासीय प्लॉट नं. 1202 का सभी भाग तथा हिस्सा, बिक्री प्रलेख सं. 2235, तिथि 7.7.2017 के अनुसार।

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया प्रतिभूत क्रेडीटर की वेबसाईट में दी गई लिंक अर्थात् https://bit.ly/36GMuYV देखें।

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड के लिए

तिथिः 17.12.2019
स्थानः दिल्ली–एनसीआर

हस्ता./–
प्राधिकृत अधिकारी

कब्जा सूचना

जबकि, असेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड (आर्सिल) के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन मांग सूचनाएं जारी की थीं, जिनमें निम्नलिखित कर्जदारों से उक्त सूचनाओं में उनके संबंधित नाम के सामने वर्णित राशियां, उन पर लागू दरों पर ब्याज के साथ, उक्त सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर, आगे भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक लागू अनुसार ब्याज, उपगत किए गए अनुषंगी खर्चे, लागतें, प्रभार इत्यादि चुकाने की मांग की गई थी।

कर्जदार का नाम/सह–कर्जदार का नाम/ ऋण खाता संख्या	कुल बकाया राशि (रु. में) /नियत तिथि मांग सूचना तिथि	कब्जा की तिथि एवं प्रकार
योगेंद्र पांडेय उर्फ योगेंद्र पाल पांडे (मृतक उधारकर्ता) कानूनी उत्तराधिकारियों के माध्यम से (i) सुनीता पांडेय उर्फ सुनीता देवी सुनीता (ii) रोहित कुमार, (iii) रजनी (iv) शिल्पा (v)सुनीता पांडेय उर्फ सुनीता देवी (सह–उधारकर्ता)/ HL0031/GDGL00001694	39,72,663.02 02.08.19	सांकेतिक 12.12.19

बंधक अचल सम्पत्ति का वर्णन : हाउस नंबर 510, ब्लॉक–बी, सेक्टर–अल्फा–01, ग्रेटर नोएडा, जिला -गौतमबुद्धनगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश। 60 वर्ग मीटर है। चौहद्दी : उत्तर पूर्व : प्लॉट नंबर 509, दक्षिण पूर्व: प्लॉट नंबर 487, उत्तर पश्चिम : 18 मीटर चौड़ा रोड, दक्षिण पश्चिम : प्लॉट नंबर 511

जबकि इसमें ऊपर वर्णित कर्जदार बकाया राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदारों को विशेष रूप से और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि आर्सिल के अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां ऊपर वर्णित सम्पत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों का **सांकेतिक कब्जा** उपरिवर्णित तिथियों को प्राप्त कर लिया है। विशेष रूप से ऊपर वर्णित कर्जदारों तथा जनसाधारण को उपरोक्त संपत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और उपरोक्त संपत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों के संबंध में कोई भी संव्यवहार आर्सिल के प्रभार के अधीन होगा।

स्थान : दिल्ली
तिथि : 17–12–2019

हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी
असेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड

Arcil असेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड
सीआईएन - U65999MH2002PLC134884, वेबसाइट www.arcil.co.in

पंजीकृत कार्यालय : दि रूबी, 10वां तल, 29, सेनापति बापट मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई–400028, फोन : +91 2266581300

शाखा पता : द्वितीय तल, सेठी चैम्बर्स, प्लॉट नंबर 2, डीडीए लोकल शॉपिंग सेन्टर, निकट विद्या भवन गर्ल्स सीनियर सेकण्डरी स्कूल, राजेंद्र प्लेस, न्यू राजिन्दर नगर, नई दिल्ली–110060, फोन : 011–46370444

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES NOR IS IT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, OUTSIDE INDIA.

PUBLIC ANNOUNCEMENT

equitas
Equitas Small Finance Bank

EQUITAS SMALL FINANCE BANK LIMITED

Equitas Small Finance Bank Limited (our "**Bank**") was originally incorporated as V.A.P. Finance Private Limited on June 21, 1993 at Madras, Tamil Nadu as a private limited company under the Companies Act, 1956, and was granted the certificate of incorporation by the Registrar of Companies, Tamil Nadu at Chennai ("**RoC**"). Our Bank became a deemed public limited company under section 43A of Companies Act, 1956 on March 5, 1994 and the name of our Bank was changed to V.A.P. Finance Limited and the certificate of incorporation of our Bank was endorsed by the RoC to that effect. Our Bank thereafter became a private limited company under section 31(1) of the Companies Act, 1956 and a fresh certificate of incorporation dated March 30, 2011 was granted by the RoC consequent upon change of name from V.A.P. Finance Limited to V.A.P. Finance Private Limited. A fresh certificate of incorporation dated August 12, 2011 was granted by the RoC consequent upon change of name from V.A.P. Finance Private Limited to Equitas Finance Private Limited. A fresh certificate of incorporation was granted by the RoC on September 29, 2015 consequent upon change of name from Equitas Finance Private Limited to Equitas Finance Limited pursuant to conversion of our Bank into a public limited company. Our Promoter, EHL was granted the RBI In-Principle and RBI Final Approval on October 7, 2015 and June 30, 2016 respectively; to establish a small finance bank ("**SFB**"). Subsequently, our Bank was converted into an SFB. A fresh certificate of incorporation dated September 2, 2016 was granted by the RoC consequent upon change of name of our Bank from Equitas Finance Limited to Equitas Small Finance Bank Limited. Our Bank was included in the second schedule to the RBI Act pursuant to a notification dated December 23, 2016 issued by the RBI and published in the Gazette of India dated February 4 – February 10, 2017. For further details of change in name and registered office of the Bank, see *"History and Certain Corporate Matters"* on page 149 of the Draft Red Herring Prospectus dated December 16, 2019 ("**DRHP**").

Registered and Corporate Office: 4th Floor, Phase II, Spencer Plaza, No. 769, Mount Road, Anna Salai, Chennai 600 002, Tamil Nadu, India; **Tel:** +91 44 4299 5000; **Website:** www.equitasbank.com
Contact Person: Sampathkumar K. Raghunathan, Company Secretary and Compliance Officer; **E-mail:** secretarial@equitas.in; **Corporate Identity Number:** U65191TN1993PLC025280

OUR PROMOTER: EQUITAS HOLDINGS LIMITED

INITIAL PUBLIC OFFER OF UP TO [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH ("EQUITY SHARES") OF EQUITAS SMALL FINANCE BANK LIMITED ("BANK" OR "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹[●] PER EQUITY SHARE) AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION (THE "OFFER") COMPRISING OF A FRESH ISSUE OF UP TO [●] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹5,500 MILLION (THE "FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF UP TO 80,000,000 EQUITY SHARES BY EQUITAS HOLDINGS LIMITED (THE "PROMOTER SELLING SHAREHOLDER, AND SUCH EQUITY SHARES THE "OFFERED SHARES") AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION (THE "OFFER FOR SALE"). THE OFFER INCLUDES A RESERVATION OF UP TO [●] EQUITY SHARES, AGGREGATING UP TO ₹1,000 MILLION (CONSTITUTING UP TO [●]% OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL), FOR SUBSCRIPTION BY ELIGIBLE EHL SHAREHOLDERS ("EHL SHAREHOLDER RESERVATION PORTION") AND A RESERVATION OF UP TO [●] EQUITY SHARES, AGGREGATING UP TO ₹50 MILLION (CONSTITUTING UP TO [●]% OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL), FOR SUBSCRIPTION BY ELIGIBLE EMPLOYEES (THE "EMPLOYEE RESERVATION PORTION"). THE OFFER LESS THE EHL SHAREHOLDER RESERVATION PORTION AND THE EMPLOYEE RESERVATION PORTION IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET OFFER". THE OFFER AND THE NET OFFER SHALL CONSTITUTE [●]% AND [●]%, RESPECTIVELY, OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR BANK. OUR BANK AND THE PROMOTER SELLING SHAREHOLDER IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGERS ("BRLMS"), MAY OFFER A DISCOUNT OF UP TO [●]% (EQUIVALENT TO ₹[●] PER EQUITY SHARE) TO THE OFFER PRICE TO ELIGIBLE EHL SHAREHOLDERS BIDDING IN THE EHL SHAREHOLDER RESERVATION PORTION ("EHL SHAREHOLDER DISCOUNT"). OUR BANK MAY, IN CONSULTATION WITH THE BRLMS, CONSIDER A PRIVATE PLACEMENT OF EQUITY SHARES OR UP TO SUCH NUMBER OF FULLY PAID-UP CONVERTIBLE SECURITIES, WHICH WILL BE CONVERTIBLE INTO UP TO [●] EQUITY SHARES, BY OUR BANK, FOR CASH CONSIDERATION AGGREGATING UP TO ₹2,000 MILLION (THE "PRE-IPO PLACEMENT"). THE PRE-IPO PLACEMENT, IF UNDERTAKEN, WILL BE AT A PRICE TO BE DECIDED BY OUR BANK IN CONSULTATION WITH THE BRLMS AND THE PRE-IPO PLACEMENT WILL BE UNDERTAKEN PRIOR TO FILING OF THE RED HERRING PROSPECTUS WITH THE ROC. IF THE PRE-IPO PLACEMENT IS UNDERTAKEN, THE AMOUNT RAISED FROM THE PRE-IPO PLACEMENT WILL BE REDUCED FROM THE FRESH ISSUE, SUBJECT TO THE MINIMUM OFFER SIZE CONSTITUTING AT LEAST 10% OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR BANK.

THE FACE VALUE OF EQUITY SHARES IS ₹10 EACH. THE PRICE BAND, THE EHL SHAREHOLDER DISCOUNT AND THE MINIMUM BID LOT SHALL BE DECIDED BY OUR BANK AND THE PROMOTER SELLING SHAREHOLDER, IN CONSULTATION WITH THE BRLMS AND WILL BE ADVERTISED IN [●] EDITIONS OF [●], AN ENGLISH NATIONAL DAILY NEWSPAPER, [●] EDITIONS OF [●], A HINDI NATIONAL DAILY NEWSPAPER AND [●] EDITION OF [●], A TAMIL DAILY NEWSPAPER (TAMIL BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF TAMIL NADU, WHERE OUR REGISTERED AND CORPORATE OFFICE IS LOCATED) EACH WITH WIDE CIRCULATION AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/ OFFER OPENING DATE AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO THE BSE LIMITED ("BSE") AND THE NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED ("NSE", AND TOGETHER WITH BSE, THE "STOCK EXCHANGES") FOR THE PURPOSE OF UPLOADING ON THEIR RESPECTIVE WEBSITES IN ACCORDANCE WITH THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED (THE "SEBI ICDR REGULATIONS").

In case of any revision in the Price Band, the Bid/ Offer Period will be extended by at least three additional Working Days after such revision in the Price Band, subject to the Bid/ Offer Period not exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Bank and the Promoter Selling Shareholder may in consultation with the BRLMs, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid/ Offer Period for a minimum of three Working Days, subject to the Bid/ Offer Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band and the revised Bid/ Offer Period, if applicable, shall be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges, by issuing a public notice, and also by indicating the change on the respective websites of the BRLMs and at the terminals of the Syndicate Members and by intimation to Designated Intermediaries and the Sponsor Bank.

The Offer is being made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("**SCRR**") read with Regulation 31 of the SEBI ICDR Regulations and in compliance with Regulation 6(1) of the SEBI ICDR Regulations wherein not more than 50% of the Net Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("**QIBs**") (the "**QIB Portion**") provided that our Bank and the Promoter Selling Shareholder may, in consultation with the BRLMs, allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis in accordance with the SEBI ICDR Regulations ("**Anchor Investor Portion**"), of which one-third shall be reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds at or above the Anchor Investor Allocation Price. In the event of undersubscription or non allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the Net QIB Portion. Further 5% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIB Bidders including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5% of the QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, not less than 15% of the Net Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Bidders and not less than 35% of the Net Offer shall be available for allocation to Retail Individual Bidders in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received from them at or above the Offer Price. All potential Bidders (except Anchor Investors) are required to mandatorily utilise the Application Supported by Blocked Amount ("**ASBA**") process providing details of their respective ASBA accounts, and UPI ID (in case of RIBs, Eligible Employees Bidding in the Employee Reservation Portion and Eligible EHL Shareholders Bidding in the EHL Shareholder Reservation Portion) if applicable, in which the corresponding Bid Amounts will be blocked by the SCSBs or under the UPI Mechanism, as applicable. Anchor Investors are not permitted to participate in the Offer through the ASBA process. For details, see *"Offer Procedure"* on page 384 of the DRHP.

This public announcement is being made in compliance with the provisions of Regulation 26(2) of the SEBI ICDR Regulations to inform the public that the Bank is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offering of its Equity Shares pursuant to the Offer and has filed the DRHP with the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**") on December 16, 2019. Pursuant to Regulation 26(1) of the SEBI ICDR Regulations, the DRHP filed with SEBI shall be made public for comments, if any, for a period of at least 21 days from the date of such filing by hosting it on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, websites of Stock Exchanges i.e. NSE and BSE at www.nseindia.com, www.bseindia.com; and the websites of the BRLMs i.e. JM Financial Limited, Edelweiss Financial Services Limited and IIFL Securities Limited at www.jmfl.com, www.edelweissfin.com and www.iiflcap.com, respectively. Our Bank invites the public to give their comments on the DRHP, with respect to disclosures made in the DRHP. The members of the public are requested to send a copy of the comments sent to SEBI, to the Company Secretary and Compliance Officer of our Bank and the BRLMs at their respective addresses mentioned herein. All comments must be received by our Bank and/or the Company Secretary and Compliance Officer or the BRLMs at their respective addresses mentioned herein below in relation to the Offer on or before 5.00 p.m. on the 21st day from the aforesaid date of filing of the DRHP with SEBI.

Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in the Offer unless they can afford to take the risk of losing their entire investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Offer. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Bank and the Offer, including the risks involved. The Equity Shares in the Offer have not been recommended or approved by the SEBI, nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of this Draft Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to *"Risk Factors"* on page 24 of the DRHP.

Any decision to invest in the Equity Shares described in the DRHP may only be taken after a Red Herring Prospectus has been filed with RoC and must be made solely on the basis of such Red Herring Prospectus. The Equity Shares, when offered through the Red Herring Prospectus, are proposed to be listed on the Stock Exchanges.

Disclaimer clause of the RBI: A license authorising the Bank to carry on small finance bank business has been obtained from the Reserve Bank of India in terms of section 22 of the Banking Regulation Act, 1949. It must be distinctly understood, however, that in issuing the license the Reserve Bank of India does not undertake any responsibility for the financial soundness of the Bank or for the correctness of any of the statements made or opinion expressed in this connection.

For details of the share capital and capital structure of the Bank, please see the section titled *"Capital Structure"* on page 67 of the DRHP. For details of the main objects of the Bank as contained in the Memorandum of Association, please see the section titled *"History and Certain Corporate Matters"* on page 149 of the DRHP.

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS TO THE OFFER			REGISTRAR TO THE OFFER
JM FINANCIAL	Edelweiss	IIFL SECURITIES	KFINTECH
JM Financial Limited 7th Floor Cnergy, Appasaheb Marathe Marg Prabhadevi, Mumbai 400 025 Maharashtra, India **Tel:** +91 22 6630 3030 **E-mail:** esfb.ipo@jmfl.com **Investor grievance e-mail:** grievance.ibd@jmfl.com **Website:** www.jmfl.com **Contact Person:** Prachee Dhuri **SEBI Registration No.:** INM000010361	**Edelweiss Financial Services Limited** 14th Floor, Edelweiss House, Off C.S.T. Road, Kalina, Mumbai 400 098 Maharashtra, India **Tel:** + 91 22 4009 4400 **E-mail:** equitassfb.ipo@edelweissfin.com **Investor grievance e-mail:** customerservice.mb@edelweissfin.com **Website:** www.edelweissfin.com **Contact Person:** Nishita John/ Sakshi Bansal **SEBI Registration No.:** INM0000010650	**IIFL Securities Limited** 10th Floor, IIFL Centre, Kamala City, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West) Mumbai 400 013, Maharashtra, India **Tel.:** +91 22 4646 4600 **E-mail:** equitas.ipo@iiflcap.com **Investor grievance e-mail:** ig.ib@iiflcap.com **Website:** www.iiflcap.com **Contact Person:** Ujjaval Kumar/ Vishal Bangard **SEBI Registration No.:** INM000010940	**KFin Technologies Private Limited** Selenium, Tower B, Plot No. 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Hyderabad 500 032, Rangareddi, Telangana, India **Tel:** +91 40 6716 2222 **E-mail:** equitassmallfinance.ipo@kfintech.com **Investor grievance e-mail:** einward.ris@kfintech.com **Website:** www.kfintech.com **Contact Person:** M. Murali Krishna **SEBI Registration No.:** INR000000221

All capitalised terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the DRHP.

For **EQUITAS SMALL FINANCE BANK LIMITED**
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Company Secretary and Compliance Officer

Place: Chennai
Date: December 16, 2019

EQUITAS SMALL FINANCE BANK LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offering of its Equity Shares and has filed the DRHP with SEBI on December 16, 2019. The DRHP shall be available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, and is available on the websites of the BRLMs i.e. JM Financial Limited, Edelweiss Financial Services Limited and IIFL Securities Limited at www.jmfl.com, www.edelweissfin.com and www.iiflcap.com, respectively. Bidders should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please see the section entitled *"Risk Factors"* on page 24 of the DRHP. Potential Bidders should not rely on the DRHP filed with SEBI for making any investment decision.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "**Securities Act**") or any other applicable law of the United States and, unless so registered, may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and applicable state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are only being offered and sold (i) within the United States only to persons reasonably believed to be "qualified institutional buyers" (as defined in Rule 144A under the Securities Act, "Rule 144A") in transactions exempt from, or not subject to, registration requirements of the Securities Act, and (ii) outside the United States in offshore transactions in reliance on Regulation S under the Securities Act and pursuant to the applicable laws of the jurisdictions where those offers and sales are made. There will be no public offering of the Equity Shares in the United States.

Adfactors 378

www.readwhere.com

राजनयिकों का निष्कासन अमेरिका की गलती : चीन

बेजिंग, 16 दिसंबर (एएफपी)।

चीन ने अमेरिका से राजनयिकों के निष्कासन को सोमवार को गलती बताया। उसकी प्रतिक्रिया उन खबरों पर आई जिनमें कहा गया कि दूतावास के दो अधिकारी वर्जीनिया में संवदेनशील सैन्य अड्डे में घुस गए थे जिसके बाद वाशिंगटन ने सितंबर में उन्हें चुपचाप निष्कासित कर दिया था। यह घटना ऐसे वक्त सामने आई है जब ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच जारी व्यापार युद्ध शुरुआती समझौता होने के बाद खत्म हो जाएगा।

न्यूयार्क टाइम्स की रिपोर्ट पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने अपनी टिप्पणी में इन आरोपों को तथ्यों के पूर्णतः विरोधाभासी बताया और कहा कि वह अमेरिका से सख्ती से कहते हैं कि वह अपनी गलती को सुधार ले। गेंग ने कहा कि बेजिंग ने अमेरिका के समक्ष गंभीर विरोध दर्ज करवाया है और कहा कि वह वाशिंगटन से मांग करता है कि वह चीन के राजनयिकों के हितों और कानून में प्रदत्त अधिकारों की रक्षा करे। अखबार ने रविवार को कहा कि बीते 30 वर्षों से भी अधिक समय में पहली बार ऐसी घटना हुई है जिसमें अमेरिका ने जासूसी के संदेह में चीन के राजनयिकों को निष्कासित किया है। अखबार ने लिखा कि माना जाता है कि कम से कम एक राजनयिक खुफिया सेवा का अधिकारी है जो अंडर कवर रहते हुए काम कर रहा था।

इमरान का देश को आतंकियों से मुक्त कराने का संकल्प

पेशावर/इस्लामाबाद, 16 दिसंबर (भाषा)।

पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल में आतंकवादियों के हमले की पांचवीं बरसी पर सोमवार को पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व ने 'कट्टर नज़रिए' वाले आतंकवादियों को देश को बंधक नहीं बनाने देने का संकल्प लिया।

अर्द्धसैनिक फ्रंटियर कोर की वर्दी पहने 8-10 फिदायीन हमलावर 16 दिसंबर, 2014 को पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में घुस गए थे और कक्षाओं में जा-जाकर अंधाधुंध गोलीबारी की थी जिसमें 132 विद्यार्थियों समेत 149 व्यक्तियों की मौत हो गई थी। यह दुनिया में बच्चों पर किया गया सबसे भीभत्स हमला था।

बीबीसी ने खबर दी है कि घटना के बाद पाकिस्तान ने हमले के लिए जिम्मेदार चार व्यक्तियों को फांसी दे दी थी।

हांगकांग में अस्थिरता

जिनपिंग ने पुलिस और लैम की प्रशंसा की

- स्थानीय चुनाव में लोकतंत्र समर्थकों को मिली भारी जीत और चीन समर्थकों की करारी हार के बाद लैम की पहली बेजिंग यात्रा
- चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि कानून-व्यवस्था कायम रखने के लिए हांगकांग की पुलिस का पूरा समर्थन करते हैं

बेजिंग, 16 दिसंबर (भाषा)।

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सोमवार को हांगकांग की नेता कैरी लैम और वहां की पुलिस की लोकतंत्र समर्थकों पर कार्रवाई के लिए प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि बेजिंग देश की संप्रभुत्ता की रक्षा के लिए कृत संकल्प है।

हांगकांग में जून से बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। इस प्रदर्शन की शुरुआत विवादित विधेयक से हुई जिसमें हांगकांग के नागरिकों को मुकदमे की सुनवाई के लिए चीन भेजने का प्रावधान था। यह प्रदर्शन चीन के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ लोकतंत्र समर्थक आंदोलन में तब्दील हो गया। वहीं चीन ने हांगकांग में अशांति के लिए पश्चिमी देशों को जिम्मेदार ठहराया है। हांगकांग की मुख्य प्रशासक लैम भविष्य की रणनीति पर केंद्रीय सरकार से चर्चा के लिए बेजिंग आई हैं। उन्होंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री ली केकियांग सहित अन्य शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की। हांगकांग में पिछले महीने हुए स्थानीय चुनाव में लोकतंत्र समर्थकों को मिली भारी जीत और चीन समर्थकों की करारी हार के बाद लैम की यह पहली बेजिंग यात्रा है।

हांगकांग से प्रकाशित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने लैम के लिए जिनपिंग द्वारा कही गई बात को उद्धृत किया, 'मुश्किल और दबाव का सामना कर रही मुख्य कार्यकारी लैम एक देश और दो विधान के सिद्धांत के लिए मजबूती से खड़ी हुईं और कानून के अनुरूप शासन किया व अभी भी प्रतिबद्ध हैं। आपने मुश्किल समय में बहुत काम किया।' जिनपिंग ने दोहराया कि केंद्रीय सरकार हांगकांग पुलिस का समर्थन जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि लैम नीत हांगकांग सरकार समाज की चिंताओं के प्रति सक्रियता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था कायम रखने के लिए वह हांगकांग की पुलिस का पूरा समर्थन करते हैं और सभी क्षेत्रों के साथ काम करने का आह्वान करते हैं। जिनपिंग ने कहा, 'मैं उम्मीद करता हूं कि समाज के विभिन्न हिस्से एकजुट होंगे और एकसाथ मिलकर हांगकांग का विकास करेंगे और उसे दोबारा पटरी पर लाएंगे।'

खबर कोना

न्यूजीलैंड में हुए ज्वालामुखी विस्फोट में मारे गए 18 व्यक्तियों को वेलिंगटन में सोमवार को श्रद्धांजलि देतीं न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैकिंडा आर्डर्न।

सऊदी अरब में बचा हुआ खाना फेंकने की आदत का विरोध

रियाद, 16 दिसंबर (भाषा)।

सऊदी अरब में बचा हुआ खाना फेंकने की तेजी से फैलती संस्कृति और भोजन की भारी बर्बादी के विरोध में उतरे लोग अब इसे रोकने के कुछ नायाब तरीके सामने लेकर आए हैं। देश में एक ऐसी थाली तैयार की गई है जिसमें खाना ज्यादा परोसा हुआ दिखेगा और बर्बादी कम से कम होगी।खाड़ी देश के ज्यादातर हिस्सों में खाना ज्यादा और ठाठ से परोसे जाने को बड़प्पन और मेहमान नवाजी के सांस्कृतिक गुण के तौर पर देखा जाता है, लेकिन इस तरह से परोसा गया ज्यादातर खाना कूड़े में जाता है। सऊदी अरब के घरों में बड़ी अंडाकार थाली परोसी जाती है। इसमें चावल का टीला सा खड़ा कर दिया जाता है लेकिन इसमें से ज्यादातर बर्बाद हो जाता है क्योंकि कई लोग बस थाली के दोनों ओर से चावल खा लेते हैं और बमुश्किल ही बीच तक पहुंच पाते हैं। उद्यमी मशाल अल्काहरशी इस आदत से लड़ रहे हैं. उन्होंने एक ऐसी थाली बनाई है जिसमें खाना ज्यादा दिखता है। थाली के बीच में गोल सा एक हिस्सा बनाया गया है जिसकी गहराई कम होने की वजह से लोग खाना कम परोसेंगे और ज्यादा बचत कर पाएंगे।

अल्काहरशी ने कहा, 'पश्चिम एशिया से प्रेरणा लेकर तैयार किया गया यह नया डिजाइन, खाने की बर्बादी 30 फीसद तक कम करता है।'

बांग्लादेश ने 49वां विजय दिवस मनाया

परेड में पहली बार भारतीय सेना की बैंड टुकड़ी शामिल हुई

ढाका, 16 दिसंबर (भाषा)।

बांग्लादेश ने सोमवार को 49वां विजय दिवस मनाया जो पाकिस्तान से आजादी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस मौके पर आयोजित परेड में बांग्लादेश ने अपनी सैन्य ताकत और हथियारों का प्रदर्शन किया। पहली बार परेड में भारतीय सेना की बैंड टुकड़ी भी शामिल हुई। परेड देखने के लिए राष्ट्रपति एम अब्दुल हमीद, प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ मंत्री, राजनयिक और अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे।

भारतीय सेना की बैंड टुकड़ी का परेड देख रहे लोगों ने जोरदार स्वागत किया। भारतीय टुकड़ी 'सारे जहां से अच्छा' धुन बजा रही थी। इस दौरान उद्घोषक ने 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भारत के योगदान की जानकारी दी। परेड मैदान में राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा के साथ एनसीसी के 20 भारतीय छात्रों का प्रतिनिधिमंडल भी दर्शक दीर्घा में मौजूद रहा। अतिथियों में बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त रीवा गांगुली दास भी शामिल थी।

राष्ट्रपति हामिद ने परेड की सलामी ली। खुली जीप पर सवार होकर राष्ट्रपति ने परेड कमांडर मेजर जनरल मोम्मद अकबर हुसैन के साथ विजय परेड का निरीक्षण किया। इसी दिन 1971 में लेफ्टिनेंट जनरल अमिर अब्दुल्ला खान नियाजी के नेतृत्व में 93,000 पाकिस्तानी जवानों ने ढाका में लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा की कमान में भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किया था और तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान को स्वतंत्र बांग्लादेश घोषित किया गया था।

सिंगापुर में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए हजारों श्रद्धालु

सिंगापुर, 16 दिसंबर (भाषा)।

सिंगापुर के चाइनाटाउन में रविवार सुबह भारी बारिश के बावजूद करीब 15,000 हिंदू श्रद्धालु 94 साल पुराने एक मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री लायन सिथि विनयगर मंदिर में पिछले सात महीने से चल रहा मरम्मत का कार्य भी समाप्त हो गया। मंदिर की मरम्मत में 10 लाख सिंगापुरी डॉलर खर्च हुए। सिंगापुर के मंदिरों का हर 12 साल में जीर्णोद्धार किया जाता है। सिंगापुर के शिक्षा मंत्री ओंग ये कुंग और सांसद जोआन पेरीरा एपं मुरली पिल्लई भी शामिल हुए। मंदिर प्रबंधन समिति अध्यक्ष आरएम मुथैया ने बताया कि श्रद्धालु मंदिर के गर्भगृह के 108 चक्कर लगाते हैं।

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे क्लाइंट, मेसर्स मुथूट फाइनान्स लि. (GSTIN 32AABCT0343B1Z7), पंजीकृत कार्यालयः तल 2, मुथूट चेम्बर्स, बैनर्जी रोड, कोच्चि - 682018, केरल, भारत, CIN: L65910KL1997PLC011300, दूरभाष: +91 484-2396478, 2394712, फैक्स: +91 484-2396506, mails@muthootgroup.com, www.muthootfinance.com ऋण चुकाने में असफल ऋणियों के गिरवी रखे सोने के गहनों (30.09.2018 की अवधि तक NPA खातों) की निम्नलिखित विवरणों के अनुसार नीलामी करेगी। इच्छुक सभी व्यक्ति भाग ले सकते हैं।

नीलामी की तिथि: 21.12.2019

Delhi-Model Town: MUL-846, MWS-324, **Mukherjee Nagar:** MUL-1473, 1755, 1762, 1779, 1784, 1791, 1893, 1905, 1914, 1934, 2021, 2046, 2054, 2097, 2104, 2168, 2179, 2187, 2188, 2190, 2197, 2208, 2391, 2495, **Kingsway Camp:** MUL-220, 1003, 1012, 1090, 1110, 1114, MWS-60, **Rana Pratap Bagh:** MAL-1360, MGL-918, MUL-1704, 1780, 1781, 1790, 1886, 1955, 1972, 1976, 1980, 2028, 2035, 2064, 2088, 2096, 2100, 2124, 2150, 2159, 2232, 2237, 2249, 2359, **Adarsh Nagar:** MAL-1445, MUL-459, 2181, 2496, 2517, 2567, 2630, 2683, 2743, 2766, 2787, 2824, 2831, 2853, 2867, 3046, MWS-95, 198, 418, **Vijay Nagar:** MSL-8524, MUL-818, 1066, 1156, 1177, 1215, **G. T. Road Adarsh Nagar:** MAL-1949, MSL-30733, MUL-596, 813, 4191, 4195, 4206, 4228, 4229, 4232, 4291, 4356, 4513, 4518, 4716, 4742, 4761, 4812, 4874, 5021, 5192, 5225, 5291, 5330, 5407, 5493, 5769, 5805, 5819, **West Sant Nagar:** MUL-3767, 3768, 3786, 3893, 3904, 3910, 3936, 3955, 3993, 4000, 4012, 4050, 4060, 4109, 4149, 4150, 4190, 4261, 4288, 4304, 4448, 4454, 4490, 4517, 4630, 4688, 4719, 4769, 4799, 4853, 4861, 5002, **Model Town Phase 1:** MUL-1115, 1117, 1146, 1195, 1271, 1296, 1361, **Paramanand Colony:** MUL-1185, 1213, 1255, 1288, MWS-358, 365, 368, 437, 487, 495, 668, **Delhi-Burari:** MAL-805, MUL-1279, 2303, 2403, 2417, 2423, 2461, 2541, 2649, 2720, 2746, 2748, 2815, 2874, 2886, 3123, 3212, **Swaroop Nagar:** MUL-2085, 2094, 2098, 2112, 2150, 2191, 2193, 2210, 2269, 2310, 2321, 2345, 2356, 2373, 2437, 2456, 2474, 2520, 2563, 2618, 2620, 2626, 2649, 2654, 2676, 2733, 2742, 2772, 2884, 2900, 3010, 3023, 3052, **Gujranwala Town:** MUL-965, 968, 969, 988, 1043, 1051, 1082, 1084, 1100, 1130, 1131, **Derawal Nagar:** MUL-490, 996, 1003, 1009, 1011, 1017, 1067, 1087, 1113, 1169, 1193, 1243, **Ashok Vihar:** MUL-1918, 1926, 1930, 1958, 2006, 2065, 2138, 2139, 2162, 2170, 2193, 2203, 2300, 2337, 2342, 2392, 2440, 2447, 2687, 2827, **Nathupura:** MUL-2, 1907, 1908, 1951, 1958, 1981, 1988, 2026, 2027, 2030, 2064, 2080, 2088, 2180, 2192, 2275, 2331, 2375, 2395, 2500, 2665, **Bakhtawarpur:** MUL-936, 965, 981, 987, 1002, 1006, 1118, 1181

नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमशः उन्हीं शाखाओं में संचालित की जाएगी।

हालांकि, कृपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियों) में नीलामी पूरी नहीं हो जाती तो ऐसी स्थिति में यह संबंधित नीलामी वहां दिनांक 23.12.2019 को क्रमशः नीलामी केंद्र B-10, Derawal Nagar, Main Road, Delhi - 110009 में संचालित की जाएगी/जारी रहेगी। और ऐसी स्थिति में जहां इस सबके बावजूद कथित गहनों की नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलामी आगामी तिथियों में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचनाएँ नहीं दी जाएगी।

कोहली एण्ड सोब्ती, एडवोकेट, ए 59ए, पहली मंजिल, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली - 110024

नोट: ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का भुगतान करके अपने गहनों की गिरवी छुड़ा सकते हैं। ग्राहक ईमेल आईडी: auctiondelhi@muthootgroup.com या 7834886464,7994452461 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे क्लाइंट, मेसर्स मुथूट फाईनान्स लि. (GSTIN 32AABCT0343B1Z7), पंजीकृत कार्यालयः तल 2, मुथूट चेम्बर्स, बैनर्जी रोड, कोच्चि - 682018, केरल, भारत, CIN: L65910KL1997PLC011300, दूरभाष: +91 484-2396478, 2394712, फैक्स: +91 484-2396506, mails@muthootgroup.com, www.muthootfinance.com ऋण चुकाने में असफल ऋणियों के गिरवी रखे सोने के गहनों (30.09.2018 की अवधि तक NPA खातों) की निम्नलिखित विवरणों के अनुसार नीलामी करेगी। इच्छुक सभी व्यक्ति भाग ले सकते हैं।

नीलामी की तिथि: 21.12.2019

Jammu: MAL-1403, MSL-22374, 22689, MUL-806, 850, 857, 863, 864, 884, 904, 929, 956, 964, 967, 988, 1030, 1050, 1055, 1058, 1079, 1089, 1103, 1108, 1157, 1168, 1176, 1178, 1182, 1195, 1196, 1203, 1214, 1259, 1279, 1327, 1343, 1381, 1393, 1457, 1466, 1468, 1491, 1521, 1522, 1534, 1547, 1549, 1623, 1673, **Jammu-Karan Market:** MUL-1333, 1334, 1366, 1371, 1375, 1399, 1401, 1411, 1467, 1507, 1539, 1593, 1620, 1626, 1658, 1667, 1671, 1673, 1675, 1812, 1815, 1860, 1872, 1890, 1895, 1898, 1932, 1962, 1977, 1983, 1986, 1987, 2052, 2061, 2108, 2109, 2131, 2178, 2179, 2227, 2257, 2285, 2304, 2323, 2359, 2381, 2389, 2391, 2480, 2510, 2572, 2598, 2672, 2678, **Jammu-Talab Tillo:** MUL-1032, 1078, 1137, 1182, 1209, 1217, 1242, 1254, 1313, 1350, 1358, 1363, 1412, 1485, 1502, 1523, 1545, 1566, 1574, 1603, 1658, 1678, 1706, 1750, 1753, 1790, 1796, 1804, 1806, 1816, 1840, 1849, 1862, 1871, 1919, 1922, 1947, 1964, 1974, 2016, 2053, 2095, 2160, 2295, **Jammu-Satwari Chowk:** MUL-1102, 1103, 1140, 1148, 1189, 1195, 1209, 1235, 1393, 1457, 1521, 1544, 1553, 1571, 1577, 1586, 1608, 1631, 1677, 1709, 1807, 1811, 1969, 2003, 2101, **Jammu-Janipur:** MSL-16007, MUL-1253, 1305, 1312, 1327, 1369, 1372, 1385, 1394, 1405, 1417, 1517, 1525, 1554, 1801, 1835, 1889, 1913, 1933, 1937, 1964, 1989, 2010, 2066, 2099, 2106, 2152, 2264, 2286, 2292, 2365, 2394, 2405, 2420, 2464, 2550, 2561, 2573, 2753, 2836, 2884, **Jammu-Shastri Nagar:** MAL-836, MUL-670, 861, 870, 944, 1036, 1068, 1096, 1121, 1145, 1150, 1207, 1219, 1238, 1258, 1270, 1280, 1303, 1385, 1401, 1443, 1456, 1476, 1519, 1525, 1629, 1886, **Jammu-Raj Tilak Road:** MSL-7000, MUL-718, 737, 760, 892, 940, 941, 961, 1035, 1036, 1091, 1121, 1165, 1181, 1194, 1200, 1215, 1237, 1290, 1293, 1321, 1342, 1355, 1375, 1428, **Jammu-R.S. Pura:** MHP-3, MSL-6384, MUL-755, 853, 893, 898, 904, 935, 976, 1031, 1167, 1246, 1255, 1262, 1270, 1295, 1311, 1354, 1391, 1488, 1497, 1500, 1501, 1542, 1581, 1636, 1697, **Bari Brahmana(JK):** MUL-524, 526, 567, 590, 600, 604, 623, 687, 694, 721, 754, 765, 767, 806, 840, 841, 870, 874, 919, 925, 936, 939, 944, 980, 982, 983, 999, 1002, 1010, 1011, 1036, 1065, 1095, 1158, 1227

नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमशः उन्हीं शाखाओं में संचालित की जाएगी।

हालांकि, कृपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियों) में नीलामी पूरी नहीं हो जाती तो ऐसी स्थिति में यह संबंधित नीलामी वहां दिनांक 23.12.2019 को क्रमशः नीलामी केंद्र Premises No. A-309 & A - 311, Second Floor, Karan Market Complex, Jammu City - 180001 में संचालित की जाएगी/जारी रहेगी। और ऐसी स्थिति में जहां इस सबके बावजूद कथित गहनों की नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलामी आगामी तिथियों में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचनाएँ नहीं दी जाएंगी।

कोहली एण्ड सोब्ती, एडवोकेट, ए 59ए, पहली मंजिल, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली - 110024

नोट: ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का भुगतान करके अपने गहनों की गिरवी छुड़ा सकते हैं। ग्राहक ईमेल आईडी: auctiondelhi@muthootgroup.com या 7834886464,7994452461 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

फार्म नं. आईएनसी-26

[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]

केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5)(ए) के मामले में

और

वीन सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U74999DL2010PTC208790) जिसका पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट नं. 280, एमआईजी सेक्टर-13, पॉकेट बी, द्वारका, नई दिल्ली-110075 में है, के मामले में

....आवेदक कंपनी/ याचिकाकर्ता

एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेंडम आफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, यह विशेष प्रस्ताव एक असाधारण आम बैठक में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "कर्नाटक राज्य" में बदलने हेतु 30 नवंबर, 2019 को पारित किया गया।

यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी में इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्रपत्र फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज करें अथवा एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित/विरोध के आधार हों, कारण देते हुए, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी को उसके पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नं. 280, एमआईजी सेक्टर-13, पॉकेट बी, द्वारका, नई दिल्ली-110075 पर इस सूचना के छपने के 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेज दें।

कृते वीन सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
नीरज पंडिता
(निदेशक)

दिनांक 17 दिसम्बर 2019
स्थान: नई दिल्ली
डीआईएन: 03113699

COURT NOTICE

In the court of Sh. Ramesh Kumar JMIC Ludhiana
Next date, purpose of case, orders and judgements as well as other Case information is available on http://ecourt.gov.in
CNR NO : PBLD03-017302-2018
NEXT DATE : 28-01-2020
KOTAK MAHINDRA BANK
V/S
JOGESWAR SA
Publication Issued To : Jogeswar Sa Address- R/o Goudagan, Halupali Bhatli, Bargarh Orissa
Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/ accused person can't be served in the ordinary way of service. Hence this Proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 28-01-2020 At 10.00 a.m. Or within 30 days from the date of publication of this proclamation, take notice that, in case of default on your part to appear as directed above said case will be heard and determined as per law, in your absence. For details logon to https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=Ludhiana
Dated, this day of 05/12/2019
JMIC LUDHIANA

केन्द्रीय भण्डारण निगम
(भारत सरकार का उपक्रम)
CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION
(A Govt. of India Undertaking)
जन-जन के लिए भंडारण/
WAREHOUSING FOR EVERYONE
No. CWC/RO-DLI/Adm./Consultant/2019-20 Dated: 16.12.2019

NOTICE

One consultant to look after legal / arbitration matters is required at CWC, RO, Delhi. He/She should have been retired from CWC / other Govt. Organization from the post of DGM (E-5) and above or equivalent and should possess a degree in law from a recognized University / Institute. The duly filed in application may be submitted at CWC, Regional Office, Scope Minar, Core-3, 1st Floor, Laxmi Nagar District Centre, Delh- 110092 on or before 24.12.19 upto 04.00 PM. Details may be seen at our website:- www.cewacor.nic.in

Sd/-
Regional Manager
CWC, RO, Delhi

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
(भारत सरकार का उपक्रम)
ओ.बी.सी.
समाधान वसूली और विधि कार्यालय, गुरुग्राम (हरियाणा) शाखा : प्लॉट नं. 5, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, सैक्टर-32, गुड़गाँव-122001, ई-मेल: rrl_7626@obc.co.in

ई-नीलामी बिक्री सूचना

परिशिष्ट IV-क, (नियम 8(6) का परन्तुक देखें) चल / अचल सम्पत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस, आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर्स को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित हैं, का सांकेतिक/वास्तविक कब्जा(नीचे वर्णित अनुसार), प्रतिभूत लेनदार ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर दिनांक 07.01.2020 को बेचा जाएगा। ई-नीलामी सेवा प्रदाता www.bankeauctionwizard.com के माध्यम से की जाएगी। बकाया राशि की वसूली, कर्जदार(रों) और गारंटर(रों), आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि का विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार, **धरोहर राशि और दस्तावेजों को जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय 06-01-2020 को सांय 5.00 बजे तक है।**

चल/अचल सम्पत्तियों का विवरण

क्र. सं.	शाखा का नाम / कर्जदार का नाम	सम्पत्ति का विवरण एवं स्वामी का नाम	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि / बोली में वृद्धि हेतु राशि	ई-नीलामी की तारीख/समय	मांग सूचना की तिथि / बकाया राशि (जमानती कर्ज)	ई एम डी प्रेषण खाते का विवरण
1	सैक्टर-32, गुरूग्राम / मैसर्स यूनिक इन्फोसौल्यूशन प्रा. लि.	दुकान नं. डीसीटी 103, प्रथम तल, डीएलएफ सिटी कोर्ट, सिकन्दरपुर, गुरूग्राम, क्षेत्रफल 839 वर्ग फीट (सुपर क्षेत्रफल) बिना छत के अधिकार के, यह सम्पत्ति श्रीमती वन्दना भगत पत्नी श्री हेमंत भगत के नाम पर है।	₹89.10 लाख / ₹8.91 लाख / ₹0.50 लाख	07-01-2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक (5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ)	05-01-2016 / Rs. 4,59,89,401.01 दिनांक 30.11.2019 तक और दिनांक 22.06.2016 से भविष्य का ब्याज एवं अन्य प्रभार	A/C No. 12371181000017 IFSC No. ORBC0101237 NAME OF A/C: Authorised Office A/c Unique Infosolutions Pvt Ltd
		दुकान नं. डीसीटी 104, प्रथम तल, डीएलएफ सिटी कोर्ट, सिकन्दरपुर, गुरूग्राम, क्षेत्रफल 944 वर्ग फीट (सुपर क्षेत्रफल) बिना छत के अधिकार के, यह सम्पत्ति श्री हेमंत भगत पुत्र स्व. श्री एन के भगत के नाम पर है। (सम्पत्ति का भौतिक कब्जा बैंक के पास है, सरकारी प्राधिकरण और बिल्डर आदि के पास लंबित बकाया के अधीन	₹94.50 लाख / ₹9.45 लाख / ₹0.50 लाख			

नियम व शर्तें

1. ई-नीलामी "जो है जहाँ है", "जैसी है जो कुछ भी है" एवं "दायित्व रहित आधार पर" आयोजित की जा रही है।
2. प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान एवं सूचना के अनुसार सम्पत्ति पर कोई भार नहीं है। इच्छुक बोलीदाता नीलामी की जाने वाली सम्पत्ति पर किसी भी भार, टाइटल और सम्पत्ति पर किसी भी दावे/अधिकार/बकाए के संबंध में बिड जमा करने से पहले स्वयं जांच कर सकते हैं। सम्पत्ति बैंक को ज्ञात और अज्ञात सभी वर्तमान और भविष्य के ऋण-भार सहित बेची जा रही है। तृतीय पक्ष यदि सम्पत्ति पर किसी बकाए / अधिकार के संबंध में कोई दावा करता है, तो इसके लिए किसी भी तरह से प्राधिकृत अधिकारी/जमानती ऋणदाता जिम्मेदार नहीं होगा।
3. ई-नीलामी के अंतिम 5 मिनट में कोई बोली प्राप्त होने की स्थिति में अंतिम समय स्वतः 5 मिनट बढ़ जाएगा (5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार की शर्त पर)।
4. इच्छुक बोलीदाता जिन्होने धरोहर राशि जमा कर दी है वे लॉगईन आईडी एवं पासवर्ड बनाने, डाटा अपलोडिंग करने, बोली जमा करने, ई-बिडिंग प्रक्रिया पर प्रशिक्षण इत्यादि में अपेक्षित सहायता के लिए अन्तरेस सिस्टम लि., व्यक्ति का नाम जिसे सम्पर्क किया जा सके श्री सचिन, मो. 9555926408, ईमेल : sachin@antaressystems.com से सम्पर्क कर सकते है और सम्पत्ति से संबंधित पूछताछ के लिए श्री भूपिन्दर सिंह रॉय, प्राधिकृत अधिकारीः श्री डी.के. गुप्ता, वरिष्ठ प्रबंधक, मो. 9899206882 से कार्यदिवस में सम्पर्क कर सकते है। (विस्तृत नियम एवं शर्तो हेतु कृपया हमारी वेबसाईट : www.obcindia.co.in और www.bankeauctionwizard.com देखें)

दिनांक 16.12.2019 स्थान : गुरूग्राम
प्राधिकृत अधिकारी, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

यूको बैंक UCO BANK

E-Auction Sale Notice (Uncer SARFAESI Act 2002)

अचल कार्यालय, वसूली विभागए पहली मंजिल, 5, ससद मार्ग, नई दिल्ले-110001, फोनः 011-49498269, 494982612

अचल संपतियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना।

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों एवं गारन्टरों को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूति क्रेडिटर के पास गिरवी/चार्ज्ड निचे वर्णित अचल संपति जिसको यूको बैंक, प्रतिभूति क्रेडिटर के प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा रचनात्मक एवं भौतिक कब्जा किया गया है, कि बकाया राशि की वसूली के लिए दिनांक **20.01.2020** को **जैसा है जो भी जैसा है तथा जो कुछ भी वहां है आधार पर बिक्री की जायेगी।** आरक्षित मूल्य तथा ईएमडी का विवरण निचे दिया गया है। बोली जमा करने की अंतिम तिथि **18.01.2020** शाम 5 बजे तक है तथा **ई-नीलामी का समय 20.01.2020 को 11.00 बजे पूर्वा. से 02 बजे अप. तक प्रति 5 मिनट असीमित विस्तार के साथ।**

अचल सम्पतियों का विवरण

क्र. सं.	शाखा का नाम,आईएफएससी कोड एवं खाता नम्बर, ईमेल	ऋणधारक एवं गारंटर का नाम	बकाया राशि (रू. लाख में)	संपत्ति के स्वामी का नाम	कब्जा	पहचान की गई संपत्ति	आरक्षित मूल्य (रू. लाख में)	संपत्ति के निरिक्षण की तिथि	सरकारी बकाया राशि यदि कोई हो
1.	कनॉट प्लेस शाखा, आईएमएससी कोड/यूसीबीए0000009 ईएमडी खाता नं. 00091015020019 connau@ucobank.co.in	मेसर्स अमन इट्राट्रेडेक्स प्रा. लिमिटेड	291.41 लाख	आवासीय फ्लैट, फ्लैट नं. बी-502, HIMHIT CGHS Ltd सेक्टर-22, प्लॉट नं. 8, द्वारका नई दिल्ली, क्षेत्रफल 1350 वर्ग फीट	भौतिक कब्जा	मेसर्स अमन इंट्राट्रैडेक्स प्रा. लिमिटेड	रू. 94.24 लाख रू. 9.43 लाख	08.01.2020 शाखा प्रबंधक श्री अतुल वाही 8795839884	ज्ञात नहीं
2.	कनॉट प्लेस शाखा, आईएमएससी कोड/यूसीबीए0000009 ईएमडी खाता नं. 00091015020019 connau@ucobank.co.in	मेसर्स अमन इंट्राट्रैडेक्स प्रा. लिमिटेड	291.41 लाख	आवासीय फ्लैट, फ्लैट नं. बी-503, HIMHIT CGHS Ltd सेक्टर-22, प्लॉट नं. 8, द्वारका, नई दिल्ली, क्षेत्रफल 1350 वर्ग फीट	भौतिक कब्जा	मेसर्स अमन इंट्राट्रैडेक्स प्रा. लिमिटेड	रू. 94.24 लाख रू. 9.43 लाख	08.01.2020 शाखा प्रबंधक श्री अतुल वाही 8795839884	ज्ञात नहीं

नियम एवं शर्तें

1. नीलामी विक्रय उपर्युक्त संपति **(आईएसटी के सम्मुख अंकित समय के अनुसार 20.01.2020 को 11.00 बजे से प्रात 02. बजे अप. के बीच वेबसाईट https://ucobank.auctiontiger.net अथवा (ऑक्सन टाईगर मोबाईल एप/एन्ड्राइड) के माध्यम से " ऑन लाईन ई-नीलामी"/ संविदा पर सम्पन्न होगी।**
2. इच्छुक बोलीदाताओं को पहले की स्वयं को पोर्टल पर पंजीकृत करना तथा मेसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टैक्नोलॉजीज लि.-ऑक्सटाईर, पताः बी-704 वाल स्ट्रीट-II सामने ओरियंटल क्लब, निकट गुजरात कॉलेज, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद-380006 गुजरात (भारत) से लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करना होगा जो ई संविदा के लिए अनिवार्य होगा। संविदाकारों की सहायता के लिए संपर्क व्यक्ति तथा दूरभाष सं. 079-61200594/598/568/538, श्री कौशल कोठारी 079-40230833/32/31 तथा श्री नीतीश, मोबाईल 08800896847, ईमेल delhi@auctiontiger.net/ kushal@auctiontiger.net/ support@auctiontiger.net. कौशल कोठारी मो. -9978591888/8980690773
3. इच्छुक संविदाकारों को अपनी सिवदाऐं जमा करने तथा ई-नीलामी विक्रय प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व नीलामी विक्रय के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए वेबसाई **https://ucobank.auctiontiger.net** ध्यान से देखने की सलाह दी जाती है।
4. संविदाऐं प्रासंगिक विवरण सहित केवल निर्धारित प्रारूप में ऑनलाईन जमा की जायेंगी।
5. ऑनलाइन बोलियां जमा करने की अंतिम **तिथि 18.01.2020 अपराह्न 05.00 बजे तक है।**
6. उपर्युक्त संपति हेतु जमा धरोहर राशि **(ईएमडी) कॉलम नं. 2** में संबंध शाखा नाम के साथ उल्लेखित के अनुसार खाते की क्रेडिट में आरटीजीएस/एनईएफटी के मायक से अथवा अधिकृत प्राधिकारी, यूको बैंक नई दिल्ली में देय के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के माध्यम से जमा करनी होगी।
7. ऑनलाईन जाम किये गये संल्गन (यूटीआर सं. का उल्लेख करते हुए) सहित संविदा प्रपत्र की एक प्रति संबंध शाखा के आधिकृत प्राधिकारी/शाखा प्रबंधक यूको बैंक के पास प्रस्तुत करनी है। अथवा ईमेल द्वारा **zonewdelhi.rec@ucobank.co.in** इसकी सॉफ्ट प्रति पर भेजनी है।
8. संविदा मूल्य न्यूनतम आरिक्षित मूल्य (एमआरपी) के बराबर/अथवा अधिक होगा किन्तु रूप 10000/- (रूपये हजार मात्र) के गुणक में होना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि प्रथम ऑनलाईन संविदा (एच1) जो ऑनलाईन फारवर्ड नीलामी के दौरान सिस्टम में आती है। उसमें बोली जमा करने की अंतिम तिथि तक प्राप्त उच्चतम संविदाओं से उच्चतर बढोतरी की जा सकती है। अर्थात प्रारंभिक मूल्य से एक बढोतरी अथवा बढोतरी के गुणक द्वारा प्रारम्भिक मूल्ये से उच्चतर नीलामी के दौरान, आउटबिड से आने वाली अनुगामी संविदा का एच1 रेट एच1 रेट से एक बढोतरी उच्चतर होनी चाहिए अथवा बढोतरी मूल्यों के गुणक में होनी चाहिए
9. सफल संविदाकारों को विक्रय के उसी दिन उर्पयुक्त क्लॉज 7 में उल्लेखित माध्यम से ई-नीलामी विक्रय प्रक्रिया के बंद होने के तुरंत बाद संविदा राशि (पहले से प्रदत्त धरोहर राशि सहित) का 25 प्रतिशत भाग जमा होगा। क्रय मूल्य का 75 प्रतिशत अधोहस्ताक्षरी द्वारा सफल बोलीदाताओं को स्वीकृति/ पुष्टि के 15 दिनों के भीतर अदा करना होगा।
10 यदि सफल बोलीदाता ऊपर उल्लिखित अनुसूची के अनुसार बोली राशि जमा करने में विफल रहा, तो बोलीदाता द्वारा जमा की गई राशि को जब्त कर लिया जाएगा।
सफल बोलीदाता(ओं) की ईएमडी, ई-नीलामी विक्रय प्रक्रिया के बंद होने के बाद लौटा दी जायेगी।
11. असफल बोलीदाताओं की ईएमडी ई-नीलामी की विक्रय के बंद होने पर लौटा दी जायेगी।
12. बिक्री बैंकों द्वारा पुष्टि के अधीन है, अगर उधारकर्ता ध गारंटर बिक्री से पहले बैंक को पूर्ण भुगतान करता है, तो कोई बिक्री आयोजित नहीं की जाएगी।
13. संपत्ति ष्जैसा है, जहां है और जहां है,ष के आधार पर बेची जाएगी और इच्छुक बोलीदाता को बैंक प्रभार के अलावा किसी भी प्राधिकरण की संपत्ति के संबंध में विवेकपूर्ण पूछताछ करनी चाहिए और शीर्षक, सीमा, गुणवत्ता और अपनी बोली जमा करने से पहले संपत्ति की मात्रा। बिक्री के लिए लगाई गई संपत्ति, शुल्क, किसी भी अन्य मामले पर संपत्ति पर अतिक्रमण आदि के बारे में कोई भी दावा का दावा ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करने के बाद नहीं किया जाएगा।
14. अधोहस्ताक्षरी को बिना किसी पूर्व सूचना के तथा बिना कोई कारण बताये किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने, विक्रय को स्थगित/निलंबित/निरस्त करने/किसी नियम तथा शर्तों को परिवर्तित करने का पूर्ण अधिकार एवं विशेष अधिकार है।
15. क्रेता स्टांप शुल्क, बिक्री प्रमाण पत्र पंजीकरण शुल्क, सरकार को देय सभी वैधानिक देय राशि, कर और दरों और संपत्ति से संबंधित मौजूदा और भविष्य दोनों को निवर्तमान सहित प्रभार वहन करेगा। बिक्री प्रमाणपत्र केवल सफल बोलीदाता के नाम से जारी किया जाएगा।
16. बिक्री सरफेसी अधिनियम/नियम 2002 में निर्धारित शर्तों और उपरोक्त शर्तों के अधीन है।
17. अधिक जानकारी के लिए, शाखा प्रबंधक, यूको बैंक, संबंधित शाखा (कॉलम -2), या यूको बैंक, आंचलिक कार्यालय, नई दिल्ली फोन नंबर 011-49498285 पर संपर्क करें।

सूचना विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) / गारंटर(ओं) को और आम जनता को भी है।
यह प्रकाशन उपर्युक्त उधारकर्ताओं/ गारंटरों/ गिरवीदारों को 30 दिनों का नोटिस भी है

दिनांकः 17.12.2019
स्थानः नई दिल्ली
प्राधिकृत अधिकारी
यूको बैंक

www.readwhere.com

अलीगढ़ में 21 गिरफ्तार, लखनऊ में भी हंगामा

अलीगढ़, मेरठ और सहारनपुर में इंटरनेट सेवाएं बंद

अलीगढ़/ लखनऊ/सहारनपुर, 16 दिसंबर (भाषा/ जनसत्ता)।

नागरिकता कानून के विरोध की आग अलीगढ़ के बाद अब लखनऊ में भी फैल गई है। अलीगढ़ मुसलिम विवि में जहां छात्रों और पुलिस के बीच हुए संघर्ष के बाद 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है वहीं लखनऊ के नदवा कॉलेज में उग्र प्रदर्शन हुआ।

दारुल उलूम नदवातुल उलेमा (नदवा कॉलेज) के मुख्य द्वार पर छात्रों और पुलिस के बीच झड़प के हालात बन गए। अलीगढ़ में एएमयू छात्रों को छात्रावास खाली करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं वही नदवा कॉलेज का द्वार पुलिस ने बंद कर दिया है। अंदर से छात्रों ने नारेबाजी की और पथराव भी किया।

पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने बताया कि अलीगढ़, मेरठ और सहारनपुर में अगले आदेश तक इंटरनेट सेवाएं बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। प्रदेश में लखनऊ की घटना को छोड़ कर फिलहाल शांति बनी हुई है। अलीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश कुल्हरी ने बताया कि 56 नामजद व कई अज्ञात छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि अलीगढ़ मुसलिम विश्वविद्यालय में सोमवार सुबह से हालात बिल्कुल सामान्य है। एएमयू परिसर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है। एएमयू में पांच जनवरी तक छुट्टी घोषित कर दी गई है। इसलिए छात्रों ने छात्रावास खाली करना शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि अभी तक 25 से 30 फीसदी छात्र छात्रावास खाली कर चुके हैं।

विरोध लखनऊ में सोमवार को नदवातुल उलेमा में प्रदर्शन के बाद पुलिस ने गेट बंद करके सुरक्षा कड़ी कर दी।

आगरा के एडीजी अजय आनंद ने बताया कि छात्रावास से छात्रों के घर जाने के लिये 40 बसों की व्यवस्था की गई है। अधिकतर छात्र पश्चिमी जिलों के हैं। रेलवे अधिकारियों ने देश के पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों की उन ट्रेनों के अलीगढ़ में रूकने की व्यवस्था की है जो अलीगढ़ में नही रूकती हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इन प्रदेशों के छात्र अपने अपने घर जा सकें। ओपी सिंह के निर्देश पर अतिसंवेदनशील श्रेणी में शामिल सहारनपुर जिले में जिलाधिकारी आलोक पांडे ने सीआरपीसी की धारा 144 की घोषणा कर दी और जिलाधिकारी ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए बीती रात से इंटरनेट सेवाएं अग्रिम आदेश तक बंद कर दी है।

सहारनपुर के संवेदनशील कस्बे देबवंद में पुलिस प्रशासन विशेष चौकसी बरत रहा है। आज सोमवार को अर्द्धसैनिक बलों, पुलिस और पीएसी ने एसपी देहात विद्यासागर मिश्र की अगुवाई फ्लैग मार्च निकाला और लोगों से शांति और सद्भाव के साथ रहने की अपील की। दारूल उलूम क्षेत्र को एक तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया। तीन दिन पूर्व दारूल उलूम के छात्रों ने हिंसक प्रदर्शन किया था और सड़कों पर उतरकर सरकार विरोधी नारे लगाए। राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई घंटों तक जाम लगाया और सड़क पर ही नमाज अदा की थी। जिससे शहर में तनाव और भय का माहौल बन गया था।

जिलाधिकारी आलोक पांडे और एसएसपी दिनेश कुमार पी ने देवबंद पहुंचकर तब स्थिति को काबू किया था और शुक्रवार को मस्जिदों में नमाज के बाद मुसलिम संगठनों, जमियत उलमाए हिंद की ओर से इस कानून के खिलाफ एसडीएम को ज्ञापन दिए गए थे। संवेदनशीलता और तनाव को देखते हुए कमिश्नर संजय कुमार, डीआइजी उपेंद्र अग्रवाल दोनों कई घंटे देवबंद में रहे। उसी परिप्रेक्ष्य में सोमवार को एसएसपी दिनेश कुमार प्रभु देवबंद पहुंचे और उन्होंने लोगों से अपील की कि वे शांति और सद्भाव बनाए रखें। एसएसपी स्वयं देवबंद में डेरा डाले हुए हैं। देवबंद पुलिस ने पिछले दिनों मदरसा छात्रों द्वारा किए गए उपद्रव को लेकर करीब ढाई सौ छात्रों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में देवबंद कोतवली में मुकदमा दर्ज किया हुआ है। हालांकि अभी तक किसी भी छात्र की देवबंद पुलिस ने गिरफ्तारी नहीं की है।

पुलिस अधिकारियों का यही कहना है कि वे छात्रों की पहचान कर रहे हैं। उसके बाद ही कोई गिरफ्तार की जाएगी। नदवा कॉलेज में रविवार रात से ही छात्र जामिया विवि और एमएमयू के छात्रों के साथ एकजुटता जाहिर करने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। कल देर रात करीब 200 से ज्यादा छात्रों ने अपने-अपने छात्रावासों से बाहर निकलकर सड़कों पर प्रदर्शन किया। छात्रों का विरोध मार्च शुरू होने के 10 मिनट बाद ही पुलिस पहुंच गई और उन्हें कॉलेज परिसर के अंदर भेज दिया। मौके पर बड़ी तादाद में पुलिस तैनात है। वहां दमकल वाहन भी तैनात हैं। मौके पर बड़ी तादाद में पुलिस तैनात है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों को भी तैनात किया गया है। उधर लखनऊ के गुडंबा थाना क्षेत्र में स्थित एक निजी विश्वविद्यालय में भी छात्रों के विरोध प्रदर्शन की खबरें है, लेकिन यह विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्वक रहा।

बॉलीवुड ने जामिया के छात्रों का समर्थन और पुलिस की निंदा की

मुंबई, 16 दिसंबर (भाषा)।

संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे जामिया मिल्लिया विश्वविद्यालय के छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की बॉलीवुड के प्रख्यात लोगों ने निंदा की है और सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि यह छात्रों की आवाज को दबाने का प्रयास है।

इस साल अगस्त में ट्विटर छोड़ने वाले निर्देशक अनुराग कश्यप अपनी आवाज मुखर करने के लिए वापस सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर लौटे। छात्रों के विरोध को जिस प्रकार से रोका गया उनका विरोध उसके लिए था। उन्होंने ट्वीट किया, 'यह बहुत आगे चला गया है.... (मैं) अब और चुप नहीं बैठ सकता हूं। यह सरकार स्पष्ट रूप से फासीवादी है।' अभिनेत्री तापसी पन्नू ने कहा कि पुलिस कार्रवाई का वीडियो व्यथित करने वाला है। निदेशक सुधीर मिश्र ने ट्वीट किया, '1987 में मैने एक फिल्म बनाई थी। उसका नाम 'ये वो मंजिल तो नहीं' था। यह फिल्म छात्र पृष्ठभूमि पर आधारित थी। क्लाइमैक्स में, पुलिस परिसर में प्रवेश करती है और छात्रों की जमकर पिटाई करती है। कुछ नहीं बदला है। यह भयानक है कि अब हम जानते हैं कि फूल का क्या हुआ। कुचल दिया गया।'

नागरिकता कानून पर दक्षिण भारत की पार्टियां बटीं

चेन्नई, 16 दिसंबर (भाषा)।

संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं दक्षिण भारत के राज्यों में राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे पर बंटी हुई हैं।

तमिलनाडु में सत्तारूढ़ अन्नाद्रमुक संशोधित नागरिकता कानून का समर्थन कर रही है। हालांकि, संसद में इस पर चर्चा के दौरान श्रीलंका से आए तमिलों को भी शामिल करने की मांग की थी। पार्टी ने धुर विरोधी द्रमक पर तंज कसते हुए आरोप लगाया कि वह केंद्र की सत्ता में 17 साल तक हिस्सेदार रही लेकिन श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों की नागरिकता के लिए कुछ नहीं किया।

वहीं, द्रमुक ने कानून के पारित होने से पहले संसद के दोनों सदनों में और अब इसे लागू करने के बाद पुरजोर तरीके से विरोध कर रही है। एमके स्टालिन नीत प्रमुख विपक्षी पार्टी ने संशोधित नागरिकता कानून का समर्थन करने के लिए मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी की निंदा की और इसे अल्पसंख्यकों और श्रीलंकाई तमिलों के साथ विश्वासघात करार दिया।

तेलंगाना में सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति ने संशोधित नागरिकता कानून का विरोध किया है। वहीं पड़ोसी आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस और मुख्य विपक्षी तेलुगु देशम पार्टी दोनों ने ही कानून का समर्थन किया है। पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल (सेकु) प्रमुख एचडी देवेगौड़ा ने कानून का विरोध करते हुए कहा कि यह धर्मनिरपेक्षता और संविधान में मौजूद अधिकारों का उल्लंघन है।

> • पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने नए नागरिकता कानून का विरोध करते हुए कहा कि यह धर्मनिरपेक्षता और संविधान में मौजूद अधिकारों का उल्लंघन है।

जद(सेकु) के राज्यसभा सदस्य कुपेंद्र रेड्डी ने कहा कि उनकी पार्टी इसका विरोध करेगी क्योंकि कई पहलुओं पर स्पष्टता नहीं है जैसे उन लोगों का क्या होगा जिन्हें इस कानून के तहत नागरिकता नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा, 'हम कानून को मुस्लिम विरोधी या कुछ और नहीं कह रहे हैं। हम सरकार को दोषी नहीं ठहरा रहे... लेकिन कई पहलुओं पर स्पष्टता का अभाव है जैसे श्रीलंकाई तमिलों को बाहर रखा गया है।'

देश में उन्माद फैला रहे हैं कांग्रेस व सहयोगी दल : भाजपा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 16 दिसंबर।

भाजपा ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसकी सहयोगी पाटियों को हर विषय पर सांप्रदायिक रंग देकर अराजकता फैलाने का षड्यंत्र रचने की आदत पड़ गई है - चाहे वह अनुच्छेद 370 की समाप्ति का मामला हो, तीन तलाक का विषय हो या फिर राम मंदिर का मुद्दा हो।भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने सोमवार को पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (आप) और तृणमूल कांग्रेस नफरत की राजनीति कर देश भर में उन्माद फैला रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक पार्टियों अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए विश्वविद्यालय के छात्रों को मोहरा बना रही है। यह सरासर निंदनीय है। उन्होंने कहा कि छात्रों को पता है कि नागरिकता संशोधन कानून क्या है। वास्तव में नागरिकता संशोधन कानून से हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक के किसी भी अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है, चाहे वह मुसलिम हो, हिंदू हो या फिर किसी और जाति या धर्म के लोग हो। कांग्रेस पर हमला जारी रखते हुए डॉ. पात्रा ने कहा कि क्या कारण है कि शनिवार को राहुल गांधी को कथित तौर पर रीलॉन्च करने के लिए कांग्रेस पाटी की 'परिवार बचाओ रैली' होती है और रविवार से ही आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं शुरू हो जाती हैं।

इससे साजिश की बू आ रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह की घटनाओं को हवा दे रही है। उन्होंने कहा कि बिना किसी तथ्य के विपक्षी पाटियों ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। एक ओर ओवैसी देश को तोड़ने वाले जिन्ना की तरह देश को बांटने की साजिश रचते हैं तो दूसरी ओर आम आदमी पाटी के विधायक अमानतुल्लाह खान भी जिन्ना के ही पदचिह्नों पर चलते दिखाई देते हैं।

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे क्लाईंट, मेसर्स मुथूट फाईनान्स लि. (GSTIN 32AABCT0343B1Z7), पंजीकृत कार्यालय: तल 2, मुथूट चेम्बर्स, बैनर्जी रोड, कोच्चि – 682018, केरल, भारत, CIN: L65910KL1997PLC011300, दूरभाष: +91 484-2396478, 2394712, फैक्स: +91 484-2396506, mails@muthootgroup.com, www.muthootfinance.com ऋण चुकाने में असफल ऋणियों के गिरवी रखे सोने के गहनों (30.09.2018 की अवधि तक NPA खातों) की निम्नलिखित विवरणों के अनुसार नीलामी करेगी। इच्छुक सभी व्यक्ति भाग ले सकते हैं।

नीलामी की तिथि: 21.12.2019
Abu Road-Jodhpur: MUL-337, 345, 353, 359, 391, 395, 425, 431, 459, 471, 520, 638
Date of Auction: 23.12.2019
Rajsamand(Ra): MAL-468, MUL-644, 691, 698, 701, 707, 734, 745, 758, 785, 788, 792, 808, 857, 858, 859, 921, 940, 953, 962, 1025, 1030, 1032, 1061, 1080, 1083, 1090, 1093, 1095, 1098, 1105, 1151, 1156, 1158, 1159, 1192, 1198, 1214, 1225, 1232, 1236, 1246, 1274, 1326, 1327, 1335, 1338, 1340, 1350, MWS-30, 203, 207, 337
नीलामी की तिथि: 24.12.2019
Nathdwara(Ra): MGL-461, MUL-686, 862, 908, 932, 936, 940, 1064, 1077, 1155, 1161, 1184, 1188, 1196, 1197, 1210, 1226, 1249, 1254, 1267, 1320, 1321, 1350, 1360, 1371, 1395, 1410, 1431, 1432, 1434, 1545, 1627

नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमश: उन्हीं शाखाओं में संचालित की जाएगी।
हालांकि, कृपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियों) में नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलामी आगामी तिथियों में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचनाएं नहीं दी जाएंगी।

कोहली एण्ड सोब्ती, एडवोकेट,
ए 59ए, पहली मंज़िल, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली – 110024

नोट: ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का भुगतान करके अपने गहनों की गिरवी छुड़ा सकते हैं। ग्राहक ईमेल आईडी: auctiondelhi@muthootgroup.com या 7834886464,7994452461 पर कॉल करके सम्पर्क कर सकते हैं।

अस्थाना रिश्वत मामले में जांच के लिए सीबीआइ ने मांगा और समय

नई दिल्ली, 16 दिसंबर (भाषा)।

सीबीआइ ने सोमवार को एजंसी के तत्कालीन विशेष निदेशक राकेश अस्थाना और अन्य के खिलाफ कथित रिश्वतखोरी के मामले की जांच पूरी करने के लिए हाई कोर्ट से और समय मांगा। एजंसी ने कहा कि उसे और समय की जरूरत है, क्योंकि अभी जांच के चार और चरण बचे हैं, जिसके बाद रिपोर्ट दाखिल की जा सकती है। एजंसी ने न्यायमूर्ति विभू बाखरू की पीठ से कहा कि जांच के आठ चरणों में से चार ही पूरे हुए हैं।

सीबीआइ ने अदालत से मामले की सुनवाई मंगलवार तक स्थगित करने का अनुरोध करते हुए यह निवेदन किया। दरअसल, सीबीआइ का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी उपलब्ध नहीं थे। अस्थाना और अन्य आरोपी- एजंसी के तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक देंवेद्र कुमार, कारोबारी मनोज प्रसाद के वकील ने सीबीआइ की अर्जी का विरोध किया और कहा कि अदालत ने नौ अक्तूबर को एजंसी को दो महीने का समय दिया था और कहा था कि और समय नहीं दिया जाएगा। उन्होंने अदालत से मंगलवार के लिए मामले को सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया।

न्यायमूर्ति बाखरू ने कोई भी अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार किया और मामले को मंगलवार के लिए सूचीबद्ध करने से भी मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यह मामला इस अदालत की कार्यसूची में प्राथमिकता में नहीं है। इस मामले में कोई भी हिरासत में नहीं है। अदालत ने मामले को छह जनवरी के लिए सूचीबद्ध कर दिया। नौ अक्तूबर को जांच पूरी करने के लिए सीबीआइ को दो महीने देते हुए अदालत ने कहा था कि जांच में अनिश्चितकाल के लिए देरी नहीं की जा सकती है और यह अबतक पूरी हो जानी चाहिए थी।

अस्थाना और दो अन्य अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार रोधी कानून के तहत आपराधिक साजिश, भ्रष्टाचार, आपराधिक कदाचार के आरोपों में मामला दर्ज किया गया था। कुमार मांस कारोबारी मोइन कुरैशी के मामले में जांच अधिकारी थे।

युवाओं के लिए कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं वरिष्ठ नेता : शिवसेना

मुंबई, 16 दिसंबर (भाषा)।

महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले शिवसेना ने सोमवार को कहा कि वरिष्ठ और पुराने नेता युवा नेताओं के लिए मंत्री पद छोड़ने को राजी नहीं हैं। उसने कहा कि पुराने नेताओं को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि उनके बिना सरकार का काम नहीं चलेगा।

मुखपत्र सामना के संपादकीय में दल ने किसी का भी नाम लिए बिना कहा, 'सरकार के अन्य विभाग भी महत्वपूर्ण होते हैं लेकिन 'मलाईदार' अथवा 'वजनदार' विभाग चाहिए, ऐसी एक भावना कुछ वर्षों से बलवती होती जा रही है। इस मानसिकता से बाहर निकलना अनिवार्य है। जिन्हें लगता है कि मलाईदार समझे जानेवाले विभागों से ही देश की अथवा जनता की सेवा की जा सकती है उनकी नीयत साफ नहीं है।' इसमें, मंत्रिमंडल के दूसरे विस्तार में कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण और राकांपा के अजीत पवार को मंत्री पद का दावेदार बताया। राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बाद हो सकता है।

शीतकालीन सत्र सोमवार से नागपुर में शुरू हो रहा है, यह 21 दिसंबर को खत्म होगा। संपादकीय में इस बात पर अचंभा जताया गया कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने चलन के अनुसार महत्वपूर्ण गृह मंत्रालय अपने पास नहीं रखा। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह विभाग अपने पास ही रखा था।

संपादकीय में लिखा, 'कैबिनेट विस्तार और विभागों के बंटवारे के दौरान अशोक चव्हाण और पृथ्वीराज चव्हाण को समाहित करते समय कसरत करनी पड़ेगी। राष्ट्रवादी के पास अजीत पवार, दिलीप वलसे-पाटील, राजेश टोपे, डॉ. शिंगणे, नवाब मलिक, माणिक कोकाटे ऐसे भारी लोग कतार में खड़े हैं।' इसमें आगे लिखा, 'शिवसेना को भी पुराने प्रसिद्ध व नए युवाओं में से मोहरों को चुनना होगा। महाराष्ट्र की राजनीति में अब तरोताजा चेहरे आएं, ऐसी अपेक्षा है। पका हुआ मुरब्बा और अचार खाने में ही अच्छे लगते हैं। पुराने दूल्हे मनोरंजन के लिए ही अच्छे हैं, ऐसी लोगों की सोच है। परंतु युवाओं के लिए कुर्सी छोड़ने को पुराने तैयार नहीं हैं। हम नहीं होंगे तो महाराष्ट्र को अथवा सरकार को अड़चन आएगी।

'पॉक्सो में 300 से ज्यादा मामलों वाले जिले में दो विशेष अदालतें बनें'

नई दिल्ली, 16 दिसंबर (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि राज्यों को उन जिलों में दो विशेष अदालतें गठित करनी होंगी, जहां 'यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण' (पॉक्सो) कानून के तहत लंबित मामलों की संख्या 300 से अधिक हैं।

न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस के पीठ ने स्पष्ट किया कि पॉक्सो कानून के तहत 100 से अधिक प्राथमिकियों वाले प्रत्येक जिले में एक अदालत गठित करने का सुप्रीम कोर्ट के पहले के एक निर्देश का यह मतलब है कि वहां कानून के तहत केवल ऐसे मामलों से निपटने के लिए एक विशेष अदालत होनी चाहिए। पीठ ने कहा, 'हमने स्पष्ट किया है कि पॉक्सो के मामलों का विशेष पॉक्सो अदालतों को निपटारा करना चाहिए, जो अन्य मामलों पर सुनवाई नहीं करेंगी।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda | POWER OF 333
शाखा : एम.एस.एम.ई., नोयडा, सैक्टर 51, नोयडा

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु (नियम 8 (1))

जैसा कि,
वित्त मंत्रालय द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित अमलगमेशन की योजना के अनुसरण में, वित्तीय सेवा विभाग ने जी.एस.आर. नं0 2(ई) दिनांक 02.01.2019 को, विजया बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ 01.04.2019 से प्रभावी किया गया है। समामेलन की योजना के संदर्भ में, सभी ऋण दस्तावेजों के साथ-साथ विजया बैंक के पक्ष में सिक्योरिटी इन्टरेस्ट को बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ स्थानांतरित और निहित किया जाता है।
प्रतिभूतिकरण व वित्तीय आस्तियों का पुनर्निमाण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी बैंक ऑफ बड़ौदा (ई विजया बैंक) का प्राधिकृत अधिकारी है और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की उप धारा 13 (12) नियम 3 के साथ पठनीय के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं)/जमानतदारों के नाम के सम्मुख उल्लिखित धनराशि (जिसका सम्पूर्ण विवरण नीचे उल्लिखित है) के सम्बंध में सम्बंधित उधारकर्ताओं/जमानतदारों से मांग की गयी थी कि वे मांग नोटिस प्राप्त होने की दिनांक से 60 दिन के अंदर ऋण राशि चुकता कर दें। क्योंकि सम्बंधित उधारकर्ता(ओं) द्वारा ऋण राशि चुकता नहीं की गयी है इसलिये एतदद्वारा उधारकर्ताओं/जमानतदारों के साथ-साथ जनता को भी सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की धारा (4) के साथ नियम 8 के पठनीय के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे लिखी सम्पत्ति का कब्जा नीचे उल्लेख तिथि को ले लिया गया है। एतदद्वारा विशेषत: उधारकर्ता(ओं)/जमानतदार और सामान्य तौर पर आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त सम्पत्ति के सम्बंध में किसी प्रकार का लेन-देन न करें। इस सम्पत्ति के सम्बंध में किसी भी लेन-देन हेतु बैंक ऑफ बड़ौदा (ई विजया बैंक) को देय धनराशि व उसपर देय ब्याज के अनुक्रम में बैंक का प्रभार नोट कर लें। उधारकर्ता(ओं) का ध्यान सुरक्षित परिसपत्तियों के एवज में उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 (8) के प्रावधानों के लिए आमंत्रित किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा (ई विजया बैंक) के प्राधिकृत अधिकारी ने नीचे उल्लिखित संपत्तियों पर कब्जा ले लिया है।

क्र0 सं0	ऋणीकर्ता व गारन्टर का नाम	बंधक अचल सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस की तिथि	बकाया धनराशि
1.	ऋणकर्ता:- श्री कृष्ण कुमार पुत्र बृजपाल सिंह, मकान नं0 113 ग्राम ऐखड सेक्टर पी01 कासना ग्रेटर नोयडा गोतमबुध नगर उ0प्र0 – 201310 एवं श्रीमती मीनू पत्नि कृष्ण कुमार मकान नं0 113 ग्राम ऐखड सेक्टर पी01 कासना ग्रेटर नोयडा गोतमबुध नगर उ0प्र0 – 201310	रिहायशी सम्पत्ति भूमि और भवन के सभी पीस और पार्सल स्थित मकान/फ्लैट स्थित भूतल फ्लैट नं0 135 ब्लॉक बी0, सैक्टर ओमिक्रोन-01 ग्रेटर नोयडा जिला गोतमबुध नगर उ0प्र0 सीमायें:-उत्तर: अन्य का फ्लैट, दक्षिण: अन्य का फ्लैट, पूर्व: रोड, पश्चिम: अन्य का फ्लैट	01.10.2019 कब्जे की तिथि 12.12.2019	रू. 13,59,474.00 (रुपये तेरह लाख उन्सठ हजार चार सौ चौहत्तर केवल) प्रभावी ब्याज एवं अन्य खर्चे 01.10.2019 से

उधारकर्ता / गारंटीकर्ता / तृतीय पक्ष के बंधक की गिरवी हुई संपत्ति विवरण

दिनांक- 16.12.2019 स्थान-नोयडा प्राधिकृत अधिकारी

दक्षिण मध्य रेलवे

Follow us on @SCRailwayIndia
द. म. रेलवे की निविदा सूचनाओं का विवरण हमारी वेबसाईट: www.scr.indianrailways.gov.in पर देखा जा सकता है।

माह जनवरी एवं फरवरी-2020 हेतु नीलामी कार्यक्रम

PUB/1471

जनवरी ई-नीलामी-2020

दिनांक	डिवीजन/विभाग
01.01.20	रायणापाडु
02.01.20	गुन्टाकाल, नांदेड़
03.01.20	सिकन्दराबाद, गुन्टूर
06.01.20	विजयवाड़ा
07.01.20	हैदराबाद, तिरुपति
08.01.20	लल्लागुडा
09.01.20	रायणापाडु
10.01.20	गुन्टाकाल, नांदेड़
13.01.20	सिकन्दराबाद, गुन्टूर
16.01.20	विजयवाड़ा
17.01.20	हैदराबाद, तिरुपति
20.01.20	लल्लागुडा
21.01.20	रायणापाडु
22.01.20	गुन्टाकाल, नांदेड़
23.01.20	सिकन्दराबाद, गुन्टूर
24.01.20	विजयवाड़ा
27.01.20	हैदराबाद, तिरुपति
28.01.20	लल्लागुडा
29.01.20	रायणापाडु
30.01.20	गुन्टाकाल, नांदेड़
31.01.20	सिकन्दराबाद, हैदराबाद, गुन्टाकाल, गुन्टूर, विजयवाड़ा, नांदेड़, लल्लागुडा, रामयणापाडु, तिरुपति

फरवरी ई-नीलामी-2020

दिनांक	डिवीजन/विभाग
03.02.20	रायणापाडु
04.02.20	गुन्टाकाल, नांदेड़
05.02.20	सिकन्दराबाद, गुन्टूर
06.02.20	विजयवाड़ा
07.02.20	हैदराबाद, तिरुपति
10.02.20	लल्लागुडा
11.02.20	रायणापाडु
12.02.20	गुन्टाकाल, नांदेड़
13.02.20	सिकन्दराबाद, गुन्टूर
14.02.20	विजयवाड़ा
17.02.20	हैदराबाद, तिरुपति
18.02.20	लल्लागुडा
19.02.20	रायणापाडु
20.02.20	गुन्टाकाल, नांदेड़
24.02.20	सिकन्दराबाद, गुन्टूर
25.02.20	विजयवाड़ा
26.02.20	हैदराबाद, तिरुपति
27.02.20	लल्लागुडा
28.02.20	सिकन्दराबाद, हैदराबाद, गुन्टाकाल, गुन्टूर, विजयवाड़ा, नांदेड़, लल्लागुडा, रायणापाडु, तिरुपति

ए 2016 प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबन्धक/सिकन्दराबाद

अधिक निविदा शर्तों/विवरणों तथा निविदा दस्तावेजों को डाउनलोड करने हेतु कृपया वेबसाइट https://www.ireps.gov.in अथवा www.scr.indianrailways.gov.in देखें

KEI **केईआई इण्डस्ट्रीज लिमिटेड**
पंजीकृत कार्यालय : डी-90, ओखला इण्डस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020
सीआईएन : L74899DL1992PLC051527
दूरभाष : +91-11-26818840/8642 । फैक्स : +91-11-26817225
ई-मेल : cs@kei-ind.com | वेबसाइट : www.kei-ind.com

पोस्टल बैलट की सूचना

कम्पनीज (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 22 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 110 के प्रावधानों एवं अन्य प्रयोज्य प्रावधानों, यदि कोई हो, तथा समय-समय पर संशोधित के अनुसार भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44 एवं अन्य ऐसे प्रयोज्य कानूनों तथा विनियमों (सामयिक रूप से प्रचलित किसी विधिक परिवर्द्धन(नों) या संशोधन(नों), स्पष्टीकरण(णों), प्रतिस्थापन(नों) अथवा पुनर्क्रियान्वयन(नों)) के अनुसार एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी ने 16 दिसम्बर, 2019 को : (i) सदस्यों (जिन्होंने डिपॉजिटरी/आरटीए के साथ अपने ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं किये हैं) के पास ड्राफ्ट रिजोल्यूशन, पोस्टल बैलट प्रपत्र तथा एक स्व-पता लिखित पोस्टेज प्री-पेड बिजिनेस रिप्लाई एनवेलप सहित पोस्टल बैलट दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 भेजने का कार्य पूरा कर लिया; (ii) सदस्यों (जिनके ई-मेल आईडी डिपॉजिटरी साझेदारों/आरटीए के पास पंजीकृत हैं) के पास प्रासंगिक प्रपत्र सहित पोस्टल बैलट दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 की सूचना ई-मेल द्वारा लागिन आईडी एवं पासवर्ड के विवरण सहित नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के माध्यम से भेज दी गयी है।

निम्नलिखित विशेष प्रस्तावों हेतु इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा मतदान सहित पोस्टल बैलट दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 में सूचीबद्ध एजेंडा मद पर सदस्यों की सहमति हेतु पोस्टल बैलट की सूचना उन सभी सदस्यों के पास भेजी जा चुकी है जिनके नाम शुक्रवार, दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 तक सदस्यों के रजिस्टर/डिपॉजिटरी/रजिस्ट्रार तथा ट्रांसफर एजेंट (''आरटीए'') द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों की सूची में अंकित हैं :

मद सं.	प्रस्ताव का विवरण
1.	अधिकतम 1,000 करोड़ हेतु क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन्स प्लेसमेंट द्वारा इक्विटी शेयरों के निर्गमन से एक या एक से अधिक श्रृंखलाओं में वित्त की उगाही।
2.	कम्पनी के लागत लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त मैसर्स एस. चन्दर एण्ड एसोसिएट्स, लागत लेखाकार के पारिश्रमिक का निश्चयन।

कम्पनी के निदेशक मण्डल ने निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से पोस्टल बैलट/ई-वोटिंग प्रक्रिया के संचालन हेतु मैसर्स एस.के. बत्रा एण्ड एसोसिएट्स, कम्पनी सेक्रेटरीज के प्रोपराइटर श्री सुमित बत्रा, कार्यरत कम्पनी सेक्रेटरी (सदस्य सं. एफसीएस-7714 एवं सीपी सं. 8072) को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

सदस्यों को यह ध्यान देने हेतु सूचित एवं निवेदित किया जाता है कि :

(अ) पोस्टल बैलट के माध्यम से संव्यवहरित प्रकार्य सम्बद्ध नियमों के साथ पठित अधिनियम में प्रावधानित एवं समय-समय पर संशोधित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 (''सूचीबद्ध विनियम'') के अनुसार ई-वोटिंग द्वारा भी संव्यवहरित हो सकते हैं।

(ब) धारा 108, 110 के प्रावधानों तथा कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 एवं 22 के साथ पठित अधिनियम के अन्य प्रयोज्य प्रावधानों के अनुपालन में कम्पनी ने नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के माध्यम से ई-वोटिंग हेतु सुविधा उपलब्ध करायी है। ई-वोटिंग की प्रक्रिया पोस्टल बैलट सूचना के निर्मित भाग के नोट में दी गयी है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के मामले (ई-वोटिंग निर्देश हेतु), सदस्य सूचना में प्रदत्त निर्देश ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं और ई-वोटिंग से सम्बन्धित किसी जानकारी के मामले में सदस्यों हेतु www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड खण्ड में यूजर मैनुअल उपलब्ध है या निःशुल्क दूरभाष : 1800-222-990 पर सम्पर्क कर सकते हैं और ई-वोटिंग/पोस्टल बैलट के परिप्रेक्ष्य में किसी शिकायत के मामले में आप किशोर कुणाल, महाप्रबन्धक (कॉर्पोरेट) तथा कम्पनी सेक्रेटरी से निर्दिष्ट ई-मेल आईडी : kunal@kei-indi.com या cs@kei-ind.com पर या दूरभाष नं. +91-11-26818840/26818642 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

(स) ई-वोटिंग सहित मतदान मंगलवार, 17 दिसम्बर, 2019 को 9:00 बजे प्रातः से प्रारम्भ होगा और बुधवार, 15 जनवरी 2020 को 5:00 बजे सायं समाप्त होगा। इसके पश्चात ई-वोटिंग मॉड्यूल एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जायेगा।

(द) पोस्टल बैलट प्रपत्र अधिकतम बुधवार, 15 जनवरी, 2020 तक प्रकार्य घण्टों (अर्थात 5:00 बजे सायं) की समाप्ति तक संवीक्षक के पास पहुँच जाने चाहिए। कथित तिथि के पश्चात सदस्यों से प्राप्त पोस्टल बैलट प्रपत्र वैध नहीं होंगे और कथित तिथि के पश्चात डाक द्वारा मतदान की अनुमति नहीं होगी;

(य) सदस्यों के मताधिकार 06 दिसम्बर, 2019 को अनुमानित हैं जो कि कट-ऑफ तिथि है।

(र) सदस्य मतदान हेतु केवल एक ही माध्यम अर्थात या तो भौतिक बैलट या ई-वोटिंग चुन सकते हैं। दोनों माध्यमों से मतदान प्राप्त होने की स्थिति में ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान को वरीयता दी जायेगी और भौतिक बैलट मतदान को अवैध माना जायेगा;

(ल) व्याख्यात्मक विवरण तथा अन्य अनुलग्नकों सहित पोस्टल बैलट की सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.kei-ind.com पर तथा साथ ही एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी प्रदर्शित है। पोस्टल बैलट प्रपत्र अथवा डुप्लीकेट प्राप्त करने के इच्छुक सदस्य cs@kei-ind.com अथवा kunal@kei-ind.com पर ई-मेल भेज सकते हैं या कम्पनी के पंजीकृत पते डी-90, ओखला इण्डस्ट्रियल एरिया, फेज-I, नई दिल्ली-110020 पर लिख सकते हैं या पोस्टल बैलट प्रपत्र कम्पनी की वेबसाइट www.kei-ind.com पर Investor Relation खण्ड के तहत या एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com से डाउनलोड कर सकते हैं।

(व) पोस्टल बैलट द्वारा मतदान के परिणाम (पोस्टल बैलट प्रपत्र तथा ई-वोटिंग) शुक्रवार, 17 जनवरी, 2020 को 05:00 बजे अपराह्न तक या इससे पूर्व कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय पर घोषित किये जायेंगे। संवीक्षक के प्रतिवेदन सहित परिणाम कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय पर प्रदर्शित किये जायेंगे और कम्पनी की वेबसाइट www.kei-ind.com तथा एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर अपलोड किये जायेंगे तथा साथ ही उन स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किये जायेंगे जहाँ कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं।

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार
कृते केईआई इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
ह./-
(श्री अनिल गुप्ता)
चेयरमैन-सह-प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन : 00006422

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 16.12.2019

www.readwhere.com

24 घंटे नेफ्ट सेवा, शुरुआती आठ घंटे में 11.40 लाख का लेन-देन

रविवार-सोमवार की मध्य रात्रि 12 बजे से शुरू

मुंबई, 16 दिसंबर (भाषा)।

रिजर्व बैंक ने सातों दिन 24 घंटे काम करने वाली नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड्स ट्रांसफर (नेफ्ट) प्रणाली सोमवार को चालू कर दी। इसके लागू होने के पहले आठ घंटे में करीब 11.40 लाख लेन-देन का निपटान हुआ। इस प्रणाली को रविवार-सोमवार की मध्य रात्रि 12 बजे से शुरू किया गया।

केंद्रीय बैंक के बयान के अनुसार, 'इससे किसी भी समय इलेक्ट्रॉनिक रूप से कोष हस्तांतरित किया जा सकेगा।' इसके साथ भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जहां सातों दिन 24 घंटे कितनी भी राशि हस्तांरित की जा सकती है। बयान के अनुसार, 'देर रात 12 बजे से सुबह आठ बजे तक कुल 11.40 लाख लेन-देन का निपटान हुआ।' आरबीआइ ने कहा कि सातों दिन 24 घंटे नेफ्ट उपलब्ध कराने का मकसद प्रत्येक भारतीयों को ई-भुगतान के विभिन्न माध्यमों के जरिये सशक्त बनाना है।

पूर्वोत्तर के लिए अग्रिम कर भुगतान की समयसीमा 31 दिसंबर तक बढ़ी

नई दिल्ली, 16 दिसंबर (भाषा)।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सोमवार को पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के करदाताओं के लिए अग्रिम कर की तीसरी किस्त भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2019 कर दी। संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के चलते इन राज्यों में इंटरनेट सेवा बाधित हुई है। इसी के मद्देनजर अग्रिम कर भरने की समयसीमा बढ़ाई गई है। इससे पहले अग्रिम कर की यह किस्त भरने के लिए 15 दिसंबर अंतिम तिथि थी।

सोमवार को जारी अधिसूचना में कहा गया है, 'पूर्वोत्तर के राज्यों असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में बड़े पैमाने पर इंटरनेट सेवाओं की गड़बड़ी के कारण केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर कानून की धारा 119 के उपबंध (ए), उप-धारा (2) के तहत उपलब्ध अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए वित्तीय वर्ष 2019- 20 की दिसंबर किस्त की अंतिम तिथि को 15 दिसंबर, 2019 से आगे बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2019 कर दिया है। बढ़ी हुई यह तिथि इन सभी राज्यों में स्थित कंपनियों और कंपनियों से इत्तर सभी तरह के करदाताओं के लिए मान्य होगी।'

आयकर कानून की धारा 208 के मुताबिक कोई भी व्यक्ति जिसकी वित्त वर्ष में कर देनदारी 10,000 रुपए अथवा इससे अधिक है, उसे अपने कर की अग्रिम कर के रूप में अदायगी करनी होगी।

सरकारी आंकड़ों की विश्वसनीयता में सुधार लाने पर ध्यान : सीतारमण

मुंबई, 16 दिसंबर (भाषा)।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि सरकार आंकड़ों की विश्वसनीयता में सुधार लाने पर ध्यान दे रही है। विभिन्न वृहत आर्थिक आंकड़ों की गणना के तौर-तरीकों पर चिंता के बीच उन्होंने यह बात कही। उन्होंने कहा कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), मुद्रास्फीति और रोजगार समेत विभिन्न पहलुओं पर गौर किया जा रहा है।

वित्त मंत्री की यह टिप्पणी वैसे समय आई है जब सरकार पर आंकड़ों के संग्रह के लिए गलत तौर-तरीके अपनाने और अनुकूल निष्कर्ष निकालने के आरोप लग रहे हैं। इस साल की शुरुआत में 100 से अधिक अर्थशास्त्रियों ने सार्वजनिक रूप से ऐसी प्रवृत्तिओं को लेकर सार्वजनिक रूप से से चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने एक कार्यक्रम में वीडियो कान्फ्रेंन्सिग के जरिये संबोधन में कहा, 'सरकार आंकड़े पर गौर कर रही है और यह सुनिश्चित कर रही है कि आंकड़े को लेकर जो भी संदेह है, उसे दूर किया जाएगा ताकि जो भी सरकारी आंकड़े आएं, उसकी साख अच्छी हो और लोग उसे स्वीकार करें।' उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग और सांख्यिकी व कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय समेत सरकारी एजंसियां आंकड़ों से जुड़ी इन पहलुओं पर काम कर रही हैं। हालांकि वित्त मंत्री ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के कारण सरकार का रोजगार को लेकर आकलन अच्छा नहीं है। हाल में जारी सरकार के आधिकारिक आंकड़े के अनुसार बेरोजगारी चार दशक के उच्च स्तर पर पहुंच गई है।

जीएसटी क्षतिपूर्ति के तहत 35,298 करोड़ रुपए राज्यों को जारी

नई दिल्ली, 16 दिसंबर (भाषा)।

केंद्र सरकार ने जीएसटी क्षतिपूर्ति के तहत राज्यों को सोमवार को 35,298 करोड़ रुपए जारी किए। यह राशि माल व सेवा कर (जीएसटी) के क्रियान्वयन के कारण राज्यों को राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए दी गई है। केंद्र को जीएसटी क्षतिपूर्ति के भुगतान में देरी को लेकर राज्यों की आलोचनाएं झेलनी पड़ रही थी।

जीएसटी एक जुलाई 2017 से लागू हुआ। कानून के तहत राज्यों को राजस्व के नुकसान के एवज में क्षतिपूर्ति का वादा किया गया। जीएसटी लागू होने से वैट जैसे कर इसमें समाहित हो गए। जीएसटी के तहत राज्यों को नई कर प्रणाली में 2016-17 के राजस्व के आधार पर राजस्व में सालाना 14 प्रतिशत वृद्धि से कम की वसूली होने पर केंद्र से राजस्व क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार है। यह व्यवस्था पांच साल के लिए की गई है। क्षतिपूर्ति की राशि जुटाने के लिए तंबाकू उत्पादों, सिगरेट, शीतल पेय व विलासिता के सामान, वाहन और कोयला जैसे उत्पादों पर जीएसटी के ऊपर विशेष उपकर लगाया गया है।

क्षतिपूर्ति राशि हर दो महीने के बाद जारी की जाती है। लेकिन यह अगस्त से लंबित थी। इसको लेकर विभिन्न राज्यों खासकर गैर-भाजपा शासित राज्यों ने विरोध जताया। अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने ट्विटर पर लिखा है, 'केंद्र सरकार ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सोमवार को 35,298 करोड़ रुपए जारी किए।' यह राशि जीएसटी परिषद की 38वीं बैठक से ठीक दो दिन पहले जारी की गई है। परिषद की बैठक 18 दिसंबर को होगी।

उत्तराखंड जीएसटी ने 8000 करोड़ का फर्जीवाड़ा पकड़ा

देहरादून, 16 सितंबर (भाषा)।

उत्तराखंड जीएसटी विभाग की 55 टीमों ने सोमवार को 70 कंपनियों का सर्वेक्षण कर लगभग 8000 करोड़ रुपए के ई-वे बिलों का फर्जीवाडा पकड़ा।

यहां जारी प्रेस विज्ञप्ति में राज्य कर आयुक्त सौजन्या ने बताया कि विभाग को विगत कुछ माह से खबरें मिल रही थीं कि उत्तराखंड में कुछ लोगों द्वारा जीएसटी के तहत फर्जी तरीके से पंजीयन लेकर करोड़ों रुपए का कारोबार ई-वे बिल के माध्यम से किया जा रहा है। विभाग द्वारा की गयी अब तक की सबसे बड़ी जांच में पाया गया कि 70 फर्मों ने राज्य के भीतर व बाहर पिछले दो माह में 8000 करोड़ रुपए के ई-वे बिल बनाए हैं। पता चला कि इनमें से 34 फर्म दिल्ली से मशीनरी आदि की खरीद के ई-वे बिल बना रही थीं। उन फर्मों द्वारा आपस में ही खरीद-बिक्री के साथ ही बाहर की फर्मों को भी खरीद-बिक्री दिखाई जा रही थी। इन बिलों का वास्तविक मूल्य 1200 करोड़ रुपए है लेकिन उसे फर्जी बिलों के माध्यम से बढ़ाते हुए 8000 करोड़ रुपए का कर दिया गया। छब्बीस फर्मों के माध्यम से चमड़ा उत्पादों की बिक्री आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे अन्य राज्यों को दिखाई जा रही थी। लेकिन मौके पर न तो कोई फर्म पाई गई और न ही कोई पंजीकृत व्यक्ति। इस फर्जीवाड़े का दायरा अन्य राज्यों तक फैला हुआ है और इसकी जांच जारी है।

आर्सेलर-मित्तल ने पूरा किया एस्सार का अधिग्रहण

नई दिल्ली, 16 दिसंबर (भाषा)।

वैश्विक इस्पात कंपनी आर्सेलरमित्तल ने एस्सार स्टील का अधिग्रहण पूरा कर लिया है और इसके साथ ही वह भारत के इस्पात बाजार में उतर गई है। लग्जमबर्ग मुख्यालय वाली कंपनी लंबे समय से भारत के इस्पात बाजार में उतरने की तैयारी कर रही थी। करीब एक दशक पहले कंपनी ने झारखंड और ओड़ीशा में 1.2-1.2 करोड़ टन के संयंत्रों की योजना को विभिन्न अड़चनों की वजह से छोड़ दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने लक्ष्मी निवास मित्तल की अगुआई वाली कंपनी द्वारा एस्सार स्टील के 42,000 करोड़ रुपए में अधिग्रहण का रास्ता साफ कर दिया था। यह दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आइबीसी) के तहत सबसे बड़ी वसूली है। आर्सेलरमित्तल ने कहा कि उसने कर्ज के बोझ से दबी कंपनी के स्वामित्व और परिचालन के लिए निप्पन स्टील (एएम-एनएस इंडिया) के साथ संयुक्त उद्यम का गठन किया है। आर्सेलरमित्तल के अध्यक्ष एवं मुख्य वित्त अधिकारी आदित्य मित्तल को एएम-एनएस इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। वहीं दिलीप ओम्मन को कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है।

आर्सेलरमित्तल ने सोमवार को बयान में कहा कि कंपनी ने एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड (ईएसआइएल) का अधिग्रहण सोमवार को पूरा कर लिया। इसके साथ निप्पन स्टील कॉरपोरेशन के साथ संयुक्त उद्यम आर्सेलरमित्तल निप्पन स्टील इंडिया लिमिटेड (एएम-एनएस इंडिया) का गठन किया है। इस संयुक्त उद्यम के पास ईएसआइएल का स्वामित्व होगा और वह इसका परिचालन करेगा। आर्सेलरमित्तल के चेयरमैन एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी लक्ष्मी निवास मित्तल ने कहा कि एस्सार स्टील का अधिग्रहण आर्सेलरमित्तल के लिए एक महत्त्वपूर्ण रणनीतिक कदम है। भारत हमारी कंपनी के लिए हमेशा से आकर्षक बाजार रहा है और हम करीब एक दशक से यहां उत्पादन की दृष्टि से अर्थपूर्ण उपस्थिति के लिए एक उचित अवसर की तलाश में थे। मित्तल ने कहा कि भारत और एस्सार दोनों आकर्षक हैं।

टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

TATA सम्पर्क पता : 7वीं मंजिल, वीडियोकॉन टॉवर, झण्डेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055, भारत

माँग सूचना

वित्तीय आस्तियो के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण की धारा 13(2) तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (''नियम'') के नियम 3 के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (''अधिनियम'') के प्रवर्तन के तहत

सेवा में,

1. **प्रो. संजय मित्तल के माध्यम से गीतांजलि ट्रेडर्स**
57, डिस्पेंसरी रोड (कोतवाली के पीछे) देहरादून, उत्तराखण्ड-248001, मोबाइल : 9927811172
साथ हीः 99/1, भदानी बाग, वार्ड सं. 43, देहरादून, उत्तराखण्ड-248001.
2. **संजय मित्तल पुत्र श्री ठाकुर दास मित्तल**
57, डिस्पेंसरी रोड (कोतवाली के पीछे) देहरादून, उत्तराखण्ड-248001, मोबाइल : 9927811172
साथ हीः 99/1, भदानी बाग, वार्ड सं. 43, देहरादून, उत्तराखण्ड-248001.
3. **श्रीमती छाया धान उर्फ छाया मित्तल पत्नी संजय मित्तल**
57, डिस्पेंसरी रोड (कोतवाली के पीछे) देहरादून, उत्तराखण्ड-248001, मोबाइल : 9927811172
साथ हीः 99/1, भदानी बाग, वार्ड सं. 43, देहरादून, उत्तराखण्ड-248001.

प्रिय श्रीमान/मैडम,

लैन 20832093 में 01.07.2018 को टीसीएफएसएल की दिल्ली शाखा द्वारा आपको होम इक्विटी (एलएपी) के तहत भावी ब्याज सहित 20 नवम्बर, 2019 तक टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (इसके पश्चात टीसीएफएसएल कहा जायेगा) की ओर ऋण खाता संख्या 20832093 में स्वीकृत कुल रु. 3,18,36,141.93/- (रुपये तीन करोड़ अठारह लाख छत्तीस हजार एक सौ इकतालीस एवं तिरानबे पैसे मात्र) की राशि बकाया है। हमारे बार-बार निवेदन करने के बावजूद आपने अपने खाते में बकाया राशि के प्रति किसी भी राशि का भुगतान नहीं किया है जिसे टीसीएफफएसएल के बकायों के पुनर्भुगतान में आपकी चूक के अनुसार आरबीआई के दिशा-निर्देशानुसार 7 नवम्बर, 2019 को एनपीए के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। प्रतिभूति हित अधिनियम की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण के प्रावधानों के अनुसार टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी की शक्तियों के उपभोग में मैंने उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(2) के भावी ब्याजों तथा लागतों सहित कथित ऋण राशि रु. 3,18,36,141.93/- (रुपये तीन करोड़ अठारह लाख छत्तीस हजार एक सौ इकतालीस एवं तिरानबे पैसे मात्र) का भुगतान सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने के लिए कहते हुए दिनांक 7 नवम्बर, 2019 को एक सूचना जारी की थी जिसमें असफल रहने पर टीसीएफएसएल निम्नलिखित वर्णित सम्पत्ति पर टीसीएफएसएल के पक्ष में आपके द्वारा सृजित प्रतिभूति हित के प्रवर्तन सहित उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(4) में वर्णित सभी या किसी अधिकार का उपभोग करेगी।

सम्पत्तियों की अनुसूची

सम्पत्ति सं. 1 : मौजा ग्राम निरंजनपुर, परगना सेंट्रल दून देहरादून, उत्तराखण्ड-248001 पर स्थित सम्पत्ति खसरा सं. 699एफएचए (पुराना खसरा नं. 420/1 तथा खसरा सं. 420/2) क्षेत्रफल माप 10 बिस्वा या लगभग 376.245 वर्ग मीटर जिसमें कवर्ड एरिया 2000 वर्ग फीट या 185.80 वर्ग मीटर है। श्रीमती छाया मित्तल तथा संजय मित्तल के पक्ष में विक्रय विलेख दिनांक 14 मार्च, 2012 में अधिक वर्णित। पूर्व : श्री त्यागी की सम्पत्ति, साइड मेजरिंग 140 फीट, पश्चिम :श्री बलदेव राज की सम्पत्ति, साइड मेजरिंग 140 फीट, उत्तर : इन्दिरा गांधी मार्ग, साइड मेजरिंग 29 फीट 6 इंच, दक्षिण : अन्य की सम्पत्ति माप 29 फीट 6 इंच।

सम्पत्ति सं. 2 : निरंजन, परगना सेंट्रल दून, जिला देहरादून पर स्थित खाता सं. 578, खसरा नं. 950 (पुराना खसरा नं. 475) माप 128.34 वर्ग मीटर, कवर्ड एरिया 59.47 वर्ग मीटर। श्रीमती छाया मित्तल पत्नी संजय मित्तल के पक्ष में विक्रय विलेख दिनांक 20.03.2019 में अधिक वर्णित। पूर्व : श्री एम.आर. खान की सम्पत्ति माप 56 फीट, पश्चिम : श्री वेंडर की सम्पत्ति माप 56 फीट, उत्तर : 20 फीट चौड़ा रास्ता, साइड मेजरिंग 24 फीट 8 इंच, दक्षिण : अन्य की भूमि साइड मेजरिंग 24 फीट 8 इंच।

चूंकि 20 नवम्बर, 2019 को सूचना आपके उस पते पर भेजी गयी जिसमें आप लाभ के लिए मूल रूप से निवास करते हैं/व्यापार/व्यक्तिगत कार्य संचालित करते हैं, किन्तु इसे ग्रहण नहीं किया गया अतः इस कारण हम यह सूचना प्रकाशित करने के लिए बाध्य हैं। एतद्वारा उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत उपर्युक्त दायित्व का भुगतान इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने के लिए कहा जाता है जिसमें असफल रहने पर टीसीएफएसएल उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत समस्त या किसी अधिकार का उपयोग करेगी। आपको यह सूचना भी दी जाती है कि उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(13) की शर्तों के अनुसार आप उपर्युक्त प्रतिभूत आस्तियों का अन्तरण विक्रय, पट्टे या अन्य माध्यम से नहीं कर सकेंगे।

स्थान : नई दिल्ली **अधिकृत प्राधिकारी**
तिथि : 17.12.2019 **कृते टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड**

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड

TATA पंजी. कार्यालयः 11वां तल, टावर ए 1101, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई 400013
शाखा का पता : 7 वां तल विडियोकॉन टावर, झण्डेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055

अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिये बिक्री सूचना
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के अंतर्गत)

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई-नीलामी बिक्री सूचना

ऋण खाता सं. राधा गुप्ता

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक/सह-ऋणधारक को सूचित किया जाता है कि टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. (प्रतिभूत क्रेडिटर) के पास गिरवी नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. (प्रतिभूत क्रेडीटर) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा कर लिया गया है, की 1. श्रीमती राधा गुप्ता, पत्नी श्री राज कुमार गुप्ता, एच.नं. 833, सेक्टर-37, अनंगपुर डेयरी के निकट, देशराज मार्केट, फरीदाबाद, हरियाणा-121003, साथ हीः निवासीः 917, सेक्टर 37, फरीदाबाद, हरियाणा, 2. श्री रवि गुप्ता, एच.नं. 833, सेक्टर-37, अनंगपुर डेयरी की निकट, देशराज मार्केट, फरीदाबाद, हरियाणा-121003, 3. मै. राधे श्याम राज कुमार द्वारा प्रॉप्राईटर, राधा गुप्ता, 6258, कूचा शिव मंदिर गली, बटाशन, उत्तर दिल्ली-110006, साथ हीः एच.नं. 833, सेक्टर-37, अनंगपुर डेयरी की निकट, देशराज मार्केट, फरीदाबाद, हरियाणा-121003, श्रीमती मोनिका गर्ग, एच.नं. 833, सेक्टर-37, अनंगपुर डेयरी की निकट, देशराज मार्केट, फरीदाबाद, हरियाणा-121003 से 24 सितम्बर, 2019 को कुल राशि की वसूली के लिये **''जैसा है जहां है'' एवं ''जो भी वहां है'' आधार पर** 21 जनवरी, 2019 को बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि का विवरण नीचे वर्णित है।

जैसा कि प्रतिभूत परिसम्पत्ति की यह बिक्री प्रतिभूत ऋण की वसूली के लिए की जाएगी तथा जैसा कि 24 सितम्बर, 2019 को सभी लागतों, ब्याज आदि के साथ रु. 1,93,56,174/- (रुपये एक करोड़ तिड़ानवे लाख छप्पन हजार एक सौ चौहत्तर मात्र) की राशि बकाया है। एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बिक्री के स्थगन/ रोकने की अनुपस्थित में उक्त सम्पत्ति की 7वाँ तल, विडियोकॉन टावर, ब्लॉक-ई, झण्डेवालान एक्स्टें., नई दिल्ली-110055 में उक्त 21 जनवरी, 2020 को 2.00 बजे अप. में ई-नीलामी द्वारा बिक्री की जाएगी। सम्पत्ति की खरीद के लिए ईएमडी के डिमांड ड्राफ्ट के साथ मुहरबंद निविदा टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मुहरबंद ई-नीलामी उक्त 20 जनवरी, 2020 के 5.00 बजे अप. तक प्राप्त की जाएगी। सम्पत्ति की बिक्री जैसा है जहां है शर्त तथा उक्त सम्पत्ति से जुड़ी देयताओं तथा दावे, अनुसूची में वर्णित रूप में जिस समय तक वे सुनिश्चित हैं, के साथ की जाएगी।

प्रतिभूत सम्पत्ति का विवरण	कब्जा का प्रकार	आरक्षित मूल्य रु.	धरोहर राशि रु.
सेक्टर 37, अर्वण इस्टेट, जिला फरीदाबाद, हरियाणा-121003 में स्थित आवासीय प्लॉट (10 मरला)/सम्पत्ति सं. 833, एरिया माप 266.67 वर्ग याईस जिसका विशेष रूप से विवरण क्रम सं. 5519, बही नं.1, जिल्द नं. 0, पेज नं. 23 के माध्यम से पंजीकृत बिक्री प्रलेख 18.11.2003 में दिया गया है तथा उसकी अतिरिक्त प्रति बही क्रम सं. 1, जिल्द नं. 2, पेज नं. 73 से 75 में भी चिपकाई गई है।	सांकेतिक	रु. 2,62,31,567/-	रु. 26,23,157/-

बिक्री के लिए रखी गई सम्पत्ति का विवरण अनुसूची में है। यदि प्राधिकृत अधिकारी के पास अनुसूची में वर्णित बकाये, ब्याज लागत (बिक्री लागत आदि) जमा कर दी जाती है अथवा उक्त प्रमाणपत्र की राशि, ब्याज एवं लागत अधोहस्ताक्षरी के पास जमा कर दिए होने का उनकी संतुष्टि के लिए प्रमाण जमा कर दिया जाता है तो यह बिक्री रोक दी जाएगी। बिक्री में आम जनता को व्यक्तिगत रूप से निविदा जमा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ऐसे किसी भी अधिकारी या व्यक्ति जिन्हें इस बिक्री के सिलसिले में किसी भी प्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करना हो, चाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वे बिक्री की जाने वाली सम्पत्ति में कोई हित अर्जित या अर्जित करने का प्रयास नहीं करेंगे। यदि बिक्री की तिथि से पूर्व टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. को देय राशि का ऋणधारक पूरी तरह से भुगतान कर देते हैं तो यह बिक्री रोक दी जायेगी। यह बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 में निर्दिष्ट शर्तों तथा अधोलिखित शर्तों के अधीन होगीः ई-नीलामी बिक्री प्रति 10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ 21 जनवरी, 2020 को 2.00 बजे अप. से 3.00 बजे अप. के बीच पोर्टल https://disposalhub.com के माध्यम से आयोजित की जायेगी।

1. संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार प्रस्तुत किये गये हैं, लेकिन इस उद्घोषणा में किसी गलती अथवा खामी के लिये अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे। यदि बोली राशि अथवा बोलीदाता से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो लॉट को फिर से नीलामी पर प्रस्तुत किया जायेगा।
2. आरक्षित मूल्य से कम में सम्पत्ति की बिक्री नहीं की जायेगी।
3. बोली वृद्धि राशि रु. 1,00,000/- होगी।
4. सम्पत्ति की खरीद के लिये जमा की गई सभी निविदाओं के साथ ''टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि.'' के पक्ष में देय दिल्ली में भुगतान योग्य डिमांड ड्राफ्ट द्वारा धरोहर राशि संलग्न की जायेगी। असफल बोलीदाता का डिमांड ड्राफ्ट वापस लौटा दिया जायेगा।
5. उच्चतम बोलीदाता को किसी लॉट का क्रेता घोषित किया जायेगा व शर्ते वे कानूनी रूप से बोली करने के लिये योग्य हों तथा उनके द्वारा जमा राशि आरक्षित मूल्स से कम नहीं हो। यदि प्रस्तावित मूल्य स्पष्ट रूप से अपर्याप्त होता है तथा ऐसा करना व्यावहारिक नहीं होता है तो अधोहस्ताक्षरी स्वेच्छा से उच्चतम बोली को अस्वीकार कर सकते हैं।
6. दर्ज कारणों से प्राधिकृत अधिकारी को स्वेच्छा से बिक्री को स्थगित करने/ रोकने का अधिकार है।
7. सम्पत्ति का निरीक्षण 7 जनवरी, 2020 को 11 बजे पूर्वा. से 5.00 बजे सायं तक किया जा सकता है।
8. क्रेता घोषित किये जाने वाले व्यक्ति को प्राधिकृत अधिकारी के पास तत्काल पच्चीस प्रतिशत क्रय मूल्य का भुगतान करना होगा तथा उसमें विफल होने पर सम्पत्ति की फिर से बिक्री की जायेगी।
9. यदि उपरोक्त रूप में आरंभिक जमा की जाती है तो शेष क्रय मूल्य का भुगतान क्रेता को सम्पत्ति की बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 दिनों के भीतर, उस दिन को छोड़कर, अथवा यदि 15वाँ दिन अवकाश या रविवार होता है तो पन्द्रवें दिन के बाद प्रथम कार्यालय दिवस में प्राधिकृत अधिकारी के पास करना होगा तथा उपरोक्त अवधि में भुगतान में चूक करने पर बिक्री की नई उद्घोषणा जारी करने के बाद सम्पत्ति की फिर से बिक्री की जायेगी। जमा की गई राशि टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. के लिये जब्त कर ली जायेगी तथा चूक करने वाले क्रेता उस सम्पत्ति अथवा उस राशि के किसी भाग से वंचित हो जाएंगे जिसके लिये बाद में उसकी बिक्री की जायेगी। प्राधिकृत अधिकारी की ईच्छा पर सम्पत्ति की फिर से बिक्री की जायेगी।
10. टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. को सम्पत्ति के प्रति देय अधिभारों की जानकारी का विवरण शून्य, सम्पत्ति पर रखे गये दावे अथवा उस प्रकृति एवं मूल्य के अन्य ज्ञात विवरणोंः शून्य उपरोक्त के अतिरिक्त कुछ नहीं।
11. विवरणों, सहायता, प्रक्रिया तथा ऑनलाइन ई-नीलामी पर प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाताः मै. नेक्सजेन सॉल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड (डिस्पोजल हब), नामः हमारे बिक्री पार्टनर का क्लाइन्स सर्विस डेलिबरी (सीएसडी), द्वारा ई-मेल आईडीः csd@disposalhub.com टेली. नं.: +91 124 4233, मोबाईल नं.+91 9810029926 एवं +91-9999105933 से सम्पर्क कर सकते हैं।
12. टिप्पणीः इच्छुक बोलीदाता प्राधिकृत अधिकारी श्री आयन भट्टाचार्या, ई-मेलः Ayan.Bhattacharya@TataCapital.com तथा मोबाईल नं. 7290010751 से सम्पर्क कर सकते हैं।
13. बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया प्रतिभूत क्रेडीटर की वेबसाईट अर्थात् www.tat-acapital.com में दी गई लिंक देखें।

स्थानः फरीदाबाद **हस्ता./-**
तिथिः 17.12.2019 **आयन भट्टाचार्य (प्राधिकृत अधिकारी),**
टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. मो. नं. 7290010751

इलाहाबाद बैंक ALLAHABAD BANK
A tradition of trust

प्रका: प्रथम तल, 14 इंडिया एक्सचेंज प्लेस, कोलकाता-700001
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, प्रधान कार्यालय

निविदा सूचना

आरएफपी संदर्भ संख्या प्रका/डीआईटी/एमएस लाइसेंस/2019-20/147 दिनांक: 16/12/2019

इलाहाबाद बैंक पात्र बोली लगानेवालों से "माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर लाइसेंस एवं इसके सीएएल" की खरीद के लिए बोलियाँ आमंत्रित करता है।

अतिरिक्त विवरण हेतु कृपया बैंक की अधिकारिक वेबसाइट : www.allahabadbank.in एवं ई टेंडर वेबसाइट www.allahabadbank.abcprocure.com देखें।

इस आरएफपी से संबंधित परिशिष्ट, यदि कोई हो, के लिए कृपया ऊपर उल्लिखित वेबसाइट देखें।

मुख्य प्रबंधक (सूची)

COURT NOTICE

In the court of Sh. Ramesh Kumar JMIC ludhiana

Next date, purpose of case, orders and judgments as well as other Case information is available on http://ecourts.gov.in

CNR NO : PBLD03-017305-2018
NEXT DATE : 28-01-2020
Kotak Mahindra Bank
V/s
Manmohan Samantray

Publication Issued To : Manmohan Samantray Address -@ Manamohan Samantaray R/o Antarkiari Banapur Khurda Odisha, Nr Sai Baba Temple, Khurda

Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/ accused person can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a Direction that you shoul d appear personally before this court on **28-01-2020** at 10.00 a.m. Or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above said case will be heard and determined as per law in your absence. For details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=Ludhiana

Dated, this day of 05/12/2019

JMIC LUDHIANA

COURT NOTICE

In the court of Sh. Ramesh Kumar JMIC Ludhiana

Next date, purpose of case, orders and judgments as well as other Case information is available on http://ecourt.gov.in

CNR NO : PBLD03-017304-2018
NEXT DATE : 28-01-2020
KOTAK MAHINDRA BANK
V/S
RAMESH CHANDRA DAS

Publication issued to : Ramesh Chandra Das Address - R/o Bayakuda Purusotamapur Gop puri Odishan Puri

Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/ accused person can't be served in the ordinary way of service. Hence this Proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on **28-01-2020** At 10.00 a.m. Or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above said case will be heard and determined as per law in your absence. For details logon to https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=Ludhiana

Dated, this day of 05/12/2019

JMIC LUDHIANA

इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज़्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

IRCTC (भारत सरकार का उद्यम - मिनी रत्न)
सीआईएन-L74899DL1999GOI101707

आईआरसीटीसी आमंत्रित करता है:

''इंटरनेट टिकटिंग सेंटर पर दैनिक इलेक्ट्रिकल रखरखाव'' कार्य के लिए एकल निविदा प्रणाली के माध्यम से खुली ई-निविदाएं खुली निविदा सं. आईआरसीटीसी/ईआरटीडी/83-वॉल्यूम-VII/इलेक्ट्रिकल मैंटीनेंस एंड डीजी सेट निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 06.01.2020 को 15:00 बजे तक।

खुली ई-निविदा (सं. 2019/आईआरसीटीसी/रेल नीर/सिम्हाद्री/सिविल) विशाखापटनम के नजदीक सिम्हाद्री (एनटीपीसी) में रेल नीर पैकेज्ड पेयजल प्लांट के लिए भवन का डिजाइन एवं निर्माण के लिए। निविदा-पूर्व बैठक 18.12.2019 को 15.00 बजे। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 06.01.2020 को 15:00 बजे तक।

खुली ई-निविदा (सं. आईआरसीटीसी/आरएन/पेट रेजिन/एबीएन/2019/आरए/02) एक (1) वर्ष की अवधि के लिए रेल नीर अम्बरनाथ में पेट रेजिन की आपूर्ति के लिए सह-रिवर्स ऑक्शन। निविदा- पूर्व बैठक 20.12.2019 को 12.00 बजे। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 02.01.2020 को 15:00 बजे तक।

ई-निविदा आमंत्रण सूचना सं. 2019/आईआरसीटीसी/सीओ/आरआर/ओटी-1 एवं 2019/आईआरसीटीसी/सीओ/आरआर/ओटी-2 आईआरसीटीसी द्वारा 09 वर्ष (3 वर्ष विस्तार योग्य) की अवधि के लिए 01 ए1 एवं 28ए श्रेणी रेलवे स्टेशनों पर रिटायरिंग रूम के नवीनीकरण, प्रचालन, रखरखाव एवं अंतरण के लिए (दो पैकेट प्रणाली के माध्यम से ई-निविदा) आमंत्रित की जाती है। अंतिम तिथि 09.01.2020, 14.01.2020 और 17.01.2020 को 15.00 बजे निविदा दस्तावेज के अनुसार।

सीओ/एनआईटी/एफपी-एफएफयू/2019/09 - ए1 एवं ए श्रेणी रेलवे स्टेशनों पर फूड प्लाजा और फास्ट फूड यूनिट्स की स्थापना, प्रचालन एवं प्रबंधन के लिए दो निविदा प्रणाली के माध्यम से खुली ई-निविदा-सह-फारवर्ड ऑक्शन। अंतिम तिथि : 07.01.2020 को 15.00 बजे।

अधिक जानकारी के लिए www.tenderwizard.com/IRCTC देखें।

शुद्धिपत्र/परिशिष्ट, यदि कोई होगा, तो उसे केवल www.tenderwizard.com/IRCTC पर प्रकाशित किया जाएगा।

कार्यालय पताः जीजीएम पीएंडटी, 11वां तल, बी-148, स्टेट्समैन हाउस, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001 फोन: 011-23311263-64 फैक्स: 011-23311259

COLLEGE OF NURSING
ARMY HOSPITAL (RESEARCH & REFERRAL)
DELHI CANTT-110010

Telephone - 011-23338199 / 28638199 - Ext - 38305
Email : sonahrr@gmail.com

APPOINTMENT OF LECTURERS ON AD-HOC BASIS

- Applications are invited from PG qualified teachers with minimum two years of teaching experience for B.Sc. (Hons) Nursing Course under University of Delhi for the academic year 2019-20 on ad-hoc basis for the following subjects:
  - a. Nutritions - 45 hours
  - b. Psychology - 60 hours
  - c. Computer - 45 hours
  - d. Sociology - 60 hours
  - e. English - 60 hours
- The classes will be held during Jan 2020 to May 2020 for Nutrition, Psychology, Computer & Sociology and for English during Jul 2020 to Nov 2020.
- Application along with CV should reach to the under mentioned on or before 20 Dec 2019.

Principal
College of Nursing
Army Hospital (R & R), Delhi Cantt-110010

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार

संख्याः-ल0नि0 /2019-20/4914 दिनांकः-16-12-2019

निविदा सूचना

जनपद हरिद्वार मे जिला योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु कार्यालय महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड देहरादून/लोक निर्माण विभाग /सिचाई विभाग एवं अन्य अभियंत्रण विभाग में सिविल कार्य हेतु ठेकेदारी के रूप मे पंजीकृत फर्मों से वर्तमान डी0एस0आर0/आगणन की दरों के सापेक्ष कम/अधिक अथवा समतुल्य प्रतिशत दर पर दिनांक 02-01-2020 को अपरान्ह 02.00 बजे तक मोहर बन्द निविदाएं, निविदा पेटी के माध्यम से आमत्रित की जाती हैं, जो उसी दिन अपरान्ह मे 3.00 बजे निविदा समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिद्वार में खोली जायेगी। नियत तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। निविदा प्रपत्र दिनांक 16-12-2019 से दिनांक 30-12-2019 तक नकद भुगतान कर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय के अन्तर्गत कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिद्वार से क्रय किया जा सकता है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	धरोहर राशि (अर्नेस्ट मनी) में	निविदा प्रपत्र का मूल्य ₹ में	निविदा की वैद्यता अवधि	जमानत धनराशि ₹ में
1	उपकेन्द्र बालेकी की मरम्मत आदि कार्य	8000.00	590.00	45 दिन	20000.00
2	उपकेन्द्र बंजारेवाला की मरम्मत का कार्य	6000.00	590.00	45 दिन	15000.00
3	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार के कार्यालय में रिकार्ड रूम का निर्माण कार्य	15600.00	590.00	45 दिन	39000.00
4	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वारा के कार्यालय में सी.एम.एस.डी. स्टोर का निर्माण कार्य	19800.00	590.00	45 दिन	49500.00

हस्ता./-
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
हरिद्वार

Government of Rajasthan
Office of the Resident Commissioner,

Bikaner House, Pandara Road, New Delhi- 110003
(Telephone No.: 011-23387900, Fax No.: 011-23386956)
E-mail: rcrajasthan@yahoo.com

Sr. No. RC/BM/Acctt/PCC/2019-20/1727 **Dated 07.12.19**

Notice Inviting Bid for Desktop Computers and MFP Printers
UBN No.: RCM1920 GSOB 00013

Office of the Resident Commissioner, Government of Rajasthan, Bikaner House, New Delhi invites proposals through BID from Authorized distributors / dealers for supply of Desktop Computers and MFP Printers.

Interested eligible Bidders may obtain detailed information of the bidding documents at the site **http://sppp.rajasthan.gov.in** or from this office in office hours.

1	Quantity of the subject matter	5 Nos. HP Desktop Computers (Windows 10 Pro, Processor i5, 8th Gen, 8 GB RAM, 1 TB HDD, 20" TFT) 5 nos 600 VA UPS, MS Office 365-5 user, Quick Heal Antivirus-5 user 2 Nos. MFP HP Laser Printers with copier, scanner and network with ADF.
2	Place of DD and opening of Bids	Additional Resident Commissioner, Government of Rajasthan, First Floor, Bikaner House, Pandara Road, New Delhi.
3	Date & time for submission of tender	Up to 11.00 AM on 23.12.2019
4	Date, time and place of opening of bids	On 23.12.2019 at 12.30 pm
5	Estimated cost of the work under this Tender	Rs 3.00 lakh (5 nos. Desktop Computer Rs. 2.50 lakh and 2 nos. Printer (MFP) Rs. 0.50 lakh)
6	Cost Bid Document	Rs. 200/- in case through demand draft in favour of "Resident Commissioner Rajasthan" payable at New Delhi.
7	Amount of Bid Security	Rs. 6,000/- through demand draft in favour of "Resident Commissioner Rajasthan" payable at New Delhi

Bid invitation may be cancelled at any time without any prior notice.

Sd/-
Additional Resident Commissioner
DIPR/C/10892/19 **Bikaner House, New Delhi**

TATA POWER DELHI DISTRIBUTION LIMITED

TATA POWER-DDL
A Tata Power and Delhi Government Joint Venture
Regd. Office : NDPL House, Hudson Lines, Kingsway Camp, Delhi 110 009
Tel : 66112222, Fax : 27468042, Email : TPDDL@tatapower-ddl.com
CIN No.: U40109DL2001PLC111526, Website : www.tatapower-ddl.com

शुद्धिपत्र/निविदा तिथि विस्तार Dec 17, 2019

निविदा पूछताछ सं. कार्य का विवरण	पूर्व प्रकाशित दिनांक	संशोधित निविदा तिथि/बोली जमा कराने की तिथि/बोली खालने की तिथि
TPDDL/INS/ENQ/200001181/19-20 Industrial All Risk, Standard Fire & Special Perils And Stand-Alone Terrorism Insurance	27.11.2019	26.12.2019 up to 1500 Hrs/ 26.12.2019 up to 1600 Hrs

सम्पूर्ण निविदा एवं शुद्धिपत्र दस्तावेज हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध
website www.tatapower-ddl.com → Vendors Zone → Tender / Corrigendum Documents

Contracts - 011-66112222

सार्वजनिक सूचना-शुद्धिपत्र

(ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया (कॉर्पोरेट व्यक्तियों हेतु ऋणशोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016)

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली, पीठ-II, ने 25 जुलाई, 2019 को डीएसएम 340, डीएलएफ ट्रेड टॉवर, शिवाजी मार्ग, नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली-110015, भारत पर पंजीकृत निगमित कम्पनी मैसर्स फोर्थ डाइमेंशन सॉल्यूशन्स लिमिटेड (सीआईआरपी के तहत) (सीआईएन नम्बर L72900DL2011PLC221111) के परिप्रेक्ष्य में ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता, 2016 (आईबीसी) के तहत कार्पोरेट ऋणशोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया प्रारम्भ करने का आदेश दिया था इसके परिप्रेक्ष्य में 2 अगस्त, 2019 को इस समाचार पत्र में सार्वजनिक घोषणा प्रकाशित हुई थी। कथित सार्वजनिक घोषणा के माध्यम से फोर्थ डाइमेंशन सॉल्यूशन्स लिमिटेड के लेनदारों को 13 अगस्त, 2019 या इससे पूर्व अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल (श्री जसवंत सिंह) के पास अपने दावे जमा करने के लिए कहे गये थे। अब राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली, पीठ-II द्वारा पारित दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 के आदेशानुसार अधोहस्ताक्षरी सुश्री पूजा बाहरी को मैसर्स फोर्थ डाइमेंशन सॉल्यूशन्स लिमिटेड के मामले में समाधान प्रोफेशनल के रूप में नियुक्त किया गया है और श्री जसवंत सिंह को मैसर्स फोर्थ डाइमेंशन सॉल्यूशन्स लिमिटेड के परिप्रेक्ष्य में समस्त भूमिकाओं से वंचित कर दिया गया है।

यह सूचित किया जाता है कि फोर्थ डाइमेंशन सॉल्यूशन्स लिमिटेड की सीआईआरपी प्रक्रिया के सम्बन्ध में दावों/सम्प्रेषणों के उद्देश्य से एक नयी ई-मेल आईडी सृजित की गयी है। इस मामले से सम्बन्धित समस्त भावी सम्प्रेषणों हेतु ई-मेल आईडी rp.fdsl@gmail.com है (यह ई-मेल आईडी मेरी निजी पंजीकृत ई-मेल आईडी pujabahry@yahoo.com के अतिरिक्त है)। सभी सम्बद्धों को केवल इसी ई-मेल आईडी से सम्प्रेषण करने की सलाह दी जाती है। इस सूचना की तिथि से सार्वजनिक घोषणा में उल्लिखित के अनुसार पूर्व ई-मेल आईडी अर्थात fcs.jaswant@gmail.com/csjaswantsingh@gmail.com पर किये गये सम्प्रेषण अस्वीकृत, असूचित माने जायेंगे और इन्हें व्यर्थ माना जायेगा।

पूजा बाहरी
समाधान प्रोफेशनल
आईपी पंजीकरण सं. : IBBI/IPA-003/IP-N00007/2016-2017/10063
59/27 प्रभात रोड, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-5
तिथि : 17 दिसम्बर, 2019 दूरभाष : 9811071716
स्थान : नई दिल्ली ई-मेल : rp.fdsl@gmail.com/pujabahry@yahoo.com

---

Form No. 5
Debts Recovery Tribunal
600/1, University Road, Near Hanuman Setu Mandir, Lucknow-226007
(Areas of Jurisdiction : Part of Uttar Pradesh)
Summons for filing Reply & Appearance by publication

O.A. No. 1290/2019 Date : 09-12-2019

(Summons to Defendant under Section 19(4) of the Recovery of Debts due to Bank and Financial Institution Act, 1993 Read with Rules 12 and 13 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure Rules, 1993)

O.A. No. 1290 / 2019
Oriental Bank of Commerce ....Applicant
Versus
Sri Nadeem Ahmad and Others ....Defendants

To,
Defendants,
1. **Sri Nadeem Ahmad Son of Sri Arshad Ali,** Resident of H. No. 289, Kaila Road, Kaila Bhatta, Near Lalten Factory, Ghaziabad-201001 (U.P.)
2. **Sri Vaseem Ahmad Son of Sri Arshad Ali,** Resident of H. No. 289, Kaila Road, Kaila Bhatta, Near Lalten Factory, Ghaziabad-201001 (U.P.)
3. **Sri Arshad Ali Son of Late Shamsuddin,** Resident of H. No. 289, Kaila Road, Kaila Bhatta, Near Lalten Factory, Ghaziabad-201001 (U.P.)

In the above noted application, you are required to file reply in Paper Book form in two sets along with documents and affidavits (if any), personally or through your duly authorized agent or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the Applicant or his counsel / duly authorized agent after publication of summons, and thereafter to appear before the Tribunal on **28-02-2020 at 10.30 A.M.** failing which the application shall be heard and decided in your absence.

Registrar
Debts Recovery Tribunal Lucknow

Form No. 5
Debts Recovery Tribunal
600/1, University Road, Near Hanuman Setu Mandir, Lucknow-226007
(Areas of Jurisdiction : Part of Uttar Pradesh)
Summons for filing Reply & Appearance by publication

O.A. No. 1037/2019 Date : 20-11-2019

(Summons to Defendant under Section 19(4) of the Recovery of Debts due to Bank and Financial Institution Act, 1993 Read with Rules 12 and 13 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure Rules, 1993)

O.A. No. 1037 / 2019
Oriental Bank of Commerce ....Applicant
Versus
M/s Shree Ganesh Bricks Field and Others ....Defendants

To,
Defendants,
1. **M/s Shree Ganesh Bricks Field,** 1209, Prem Nagar, Loni, Ghaziabad (U.P.)-201102, through its proprietor Sri Vinod Kumar
Also Village-Nethla Distt.-Baghpat (U.P.)
2. **Sri Vinod Kumar Son of Sri Raja Ram,** Resident of 1209, Prem Nagar Loni, Ghaziabad, (U.P.)-201102
Also Opposite SBI Sharma Enclave, Delhi Saharanpur Road, Loni, Ghaziabad (U.P.)

In the above noted application, you are required to file reply in Paper Book form in two sets along with documents and affidavits (if any), personally or through your duly authorized agent or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the Applicant or his counsel / duly authorized agent after publication of summons, and thereafter to appear before the Tribunal on **20-02-2020 at 10.30 A.M.** failing which the application shall be heard and decided in your absence.

Registrar
Debts Recovery Tribunal Lucknow

सार्वजनिक उद्घोषणाः शुद्धिपत्र
(दिवाला एवं दिवालिया (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 6 के अंतर्गत)

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली, पीठ-II ने मै. फोर्थ डायमेंशन सॉल्यूशन लिमिटेड (सीआईआरपी के अधीन) (CIN Number: L72900DL2011PLC221111), डीएसएम 340, डीएलएफ ट्रेड टावर, शिवाजी मार्ग, नई दिल्ली, सेन्ट्रल दिल्ली, डीएल 110015 आईएन में उसके पंजीकृत कार्यालय के साथ निगमित कम्पनी के संदर्भ में 25 जुलाई, 2019 को दिवाला तथा दिवालिया संहिता, 2016 (आईबीसी) के अंतर्गत कॉर्पोरेट दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया था।

इस संदर्भ में 2 अगस्त, 2019 को इस समाचार पत्र में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की गई थी उक्त सार्वजनिक सूचना द्वारा मै. फोर्थ डायमेंशन सॉल्यूशन लिमिटेड के क्रेडीटरों को 13 अगस्त, 2019 को या उससे पूर्व अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल (जो श्री जसवंत सिंह हैं) के पास अपने दावे जमा करने का निर्देश दिया गया था। अब राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली, पीठ-II द्वारा पारित आदेश तिथि 5 दिसम्बर, 2019 के अनुपालन में मै. पोर्थ फोर्थ डायमेंशन सॉल्यूशन लिमिटेड के मामले में अधोहस्ताक्षरी श्रीमती पूजा बहराय को प्रस्ताव प्रॉफेशनल नियुक्त किया गया है तथा श्री जसवंत सिंह को मै. फोर्थ डायमेंशन सॉल्यूशन लिमिटेड के मामले में सभी भूमिकाओं से बर्खास्त कर दिया गया है।

सूचित किया जाता है कि फोर्थ डायमेंशन सॉल्यूशन्स लिमिटेड की सीआरआरपी प्रक्रिया के संदर्भ में दावे/पत्राचारों के उद्देश्य से एक नया ईमेल आईडी बनाया गया है। इस मामले में आगे सभी सम्वादों के लिये ईमेल आईडी **rp.fdsl@gmail.com** है (यह ईमेल आईडी मेरे व्यक्तिगत पंजीकृत ईमेल आईडी अर्थात् pujabahry@yahoo.com से अलग है।) सभी संबंधितों को सलाह दी जाती है कि केवल इसी ईमेल आईडी से सम्वाद करें। इस सूचना की तिथि से सार्वजनिक उद्घोषणा में यथा वर्णित पूर्व का ईमेल आईडी अर्थात् **fcs.jaswant@gmail.com/csjaswantsingh@gmail.com** को हटा दिया गया, गैर-मान्यता प्राप्त तथा निरर्थक माना जायेगा।

पूजा बहराय
रिजॉल्यूशन प्रॉफेशनल
आईपी पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-0003/IP-N00007/2016-2017/10063
59/27, प्रभात रोड, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-5
तिथिः 17 दिसम्बर, 2019 फोनः 9811071716
स्थानः नई दिल्ली ईमेलः rp.fdsl@gmail.com, pujabahry@yahoo.com

www.readwhere.com

टैस्ट में शीर्ष पर बरकरार कोहली

दुबई, 16 दिसंबर (भाषा)।

भारतीय कप्तान विराट कोहली सोमवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आइसीसी) की नवीनतम टैस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं जबकि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह छठें स्थान पर खिसक गए। उधर भारतीय टीम आइसीसी टैस्ट चैंपियनशिप में 360 अंक के साथ पहले स्थान पर बनीं हुई है।

भारतीय कप्तान कोहली (928) आस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ से 17 अंक आगे हैं। स्मिथ ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पर्थ में खेले गए पहले दिन-रात्रि टैस्ट में 43 और 16 रन बनाए थे। आस्ट्रेलिया ने इस मुकाबले को 296 रन से अपने नाम किया था। चेतेश्वर पुजारा (791) और अजिंक्य रहाणे (759) क्रम से चौथे और छठे स्थान पर बने हुए हैं।

आस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मार्नुस लाबुशेन का रैंकिंग में ऊपर चढ़ना जारी है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पर्थ टैस्ट में 143 और 50 रन की शानदार पारियां खेलने वाले लाबुशेन तीन स्थान के सुधार के साथ पांचवें पायदान पर पहुंच गए। लाबुशेन हालांकि पाकिस्तान के जहीर अब्बास और मुदस्सर नजर के उस रिकार्ड की बराबरी करने से चूक गए थे जिसमें उन्होंने लगातार तीन पारियों में 150 से ज्यादा का स्कोर किया था। रैंकिंग में उन्होंने सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर को पीछे छोड़ दिया और स्मिथ के बाद दूसरे सर्वश्रेष्ठ आस्ट्रेलियाई बल्लेबाज हैं। श्रीलंका के साथ पहले घरेलू टैस्ट में नाबाद 102 रन की पारी खेलने वाले बाबर आजम पहली बार शीर्ष 10 में पहुंचे हैं। टी-20 रैंकिंग में शीर्ष और एकदिवसीय में दूसरे स्थान पर काबिज यह बल्लेबाज टैस्ट रैंकिंग में 13वें से नौवें स्थान पर पहुंच गया। इंग्लैंड की पूर्व सलामी बल्लेबाज (महिला) एनिड बेकेवेल के बाद अपने पहले एकदिवसीय और टैस्ट में शतक लगाने वाले दूसरे क्रिकेट आबिद अली ने टैस्ट रैंकिंग में 78वें स्थान से अपना सफर शुरू किया। वह करिअर के पहले एकदिवसीय और पहले टैस्ट में शतक लगाने वाले इकलौते पुरुष क्रिकेटर हैं। गेंदबाजों की रैंकिग में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू शृंखला से चोट के कारण टीम से बाहर चल रहे बुमराह छठे पायदान पर खिसक गए हैं। इस रैंकिंग में आस्ट्रेलिया के पैट कमिंस पहले स्थान पर हैं। आस्ट्रेलिया के खिलाफ टैस्ट में सात विकेट लेने वाले न्यूजीलैंड के नील वेगनर करिअर की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग 834 अंक के साथ एक बार फिर तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। मैच में नौ विकेट लेने वाले टिम साउदी भी शीर्ष 10 में जगह बनाने में सफल रहे। इस मैच में नौ विकेट लेने वाले आस्ट्रेलियाई गेंदबाज मिशेल स्टार्क करिअर के सर्वश्रेष्ठ 806 रेटिंग के साथ सर्वश्रेष्ठ पांचवें स्थान पर पहुंच गए। जोश हेजलवुड भी आठवें से सातवें पायदान पर पहुंच गए। हरफनमौला खिलाड़ियों की रैंकिंग में रविंद्र जडेजा वेस्ट इंडीज के जेसन होल्डर के बाद दूसरे स्थान पर बने हुए हैं। भारतीय टीम आइसीसी टैस्ट चैंपियनशिप में 360 अंक के साथ पहले स्थान पर बनीं हुई है। उसके बाद आस्ट्रेलिया (216), श्रीलंका (80), न्यूजीलैंड (60) और इंग्लैंड (56) की टीमें हैं।

आइसीसी रैंकिंग

928 रेटिंग लेकर स्टीव स्मिथ से 17 अंक आगे हैं भारतीय कप्तान

बुमराह गेंदबाजों में छठे पायदान पर खिसके

भारतीय टीम आइसीसी टैस्ट चैंपियनशिप में 360 अंक के साथ पहले स्थान पर बनीं हुई है

भेंट नई दिल्ली में सोमवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के साथ वेस्ट इंडीज के दिग्गज क्रिकेटर ब्रायन लारा।

खबर कोना

न्योन (स्विट्जरलैंड) : युएफा चैंपियंस लीग के 16वें राउंड के दौरान सोमवार को इतावली फुटबॉल क्लब नेपोली का टिकट दिखातीं ब्रिटिश फुटबॉल खिलाड़ी कैली स्मिथ।

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगी आइपीएल नीलामी

नई दिल्ली, 16 दिसंबर (भाषा)।

विवादास्पद संशोधित नागरिकता कानून को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन के बावजूद इंडियन प्रीमियर लीग की खिलाड़ियों की नीलामी गुरुवार को कोलकाता में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगी। पश्चिम बंगाल से हिंसा की खबरें आ रही हैं लेकिन कोलकाता इससे अधिक प्रभावित नहीं है। पता चला है कि दिल्ली कैपिटल्स की प्रबंधन टीम नीलामी में फ्रेंचाइजी के प्रतिनिधित्व के लिए मंगलवार को कोलकाता पहुंच रही है जिससे कि अंतिम तैयारी शुरू की जा सके। बीसीसीआइ के वरिष्ठ अधिकारी ने एजंसी को बताया, सोमवार शाम तक की स्थिति के अनुसार आइपीएल नीलामी होगी। फ्रेंचाइजी के प्रतिनिधि मंगलवार शाम और बुधवार सुबह तक आना शुरू कर देंगे। कोलकाता में 19 दिसंबर को 332 क्रिकेटर नीलामी में हिस्सा लेंगे जिसमें आस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल और दक्षिण अफ्रीका के डेल स्टेन ने सर्वाधिक दो करोड़ रुपए का आधार मूल्य चुना है। इस साल की नीलामी छोटी है जिसमें आठ टीमों में केवल 73 स्थान भरे जाने हैं और इनमें से केवल 29 विदेशी खिलाड़ी हो सकते हैं।

टेनिस सट्टेबाजी में लिप्त रहा शीर्ष 30 में शामिल खिलाड़ी

बर्लिन, 16 दिसंबर (एएफपी)।

विश्व रैंकिंग में शीर्ष 30 में शामिल एक खिलाड़ी सहित 135 से अधिक टेनिस खिलाड़ी सट्टेबाजी में लिप्त रहे। जर्मन मीडिया ने रविवार को यह रिपोर्ट दी। दैनिक समाचार पत्र 'डाइ वेल्ट' और प्रसारक 'जेडडीएफ' की संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार विश्व रैंकिंग में शीर्ष 30 में शामिल एक पुरुष खिलाड़ी भी इसमें शामिल हैं। इस खिलाड़ी ने तीन एटीपी टूर खिताब जीते हैं। बेल्जियम के सरकारी अभियोजक एरिक बिसचोप ने जेडीएफ से कहा, हम आर्मेनियाई सट्टेबाजी माफिया नेटवर्क के बारे में बात कर रहे हैं जो यूरोप में सात देशों में फैला है और बड़े स्तर पर हेराफेरी करता है। उन्होंने कहा कि इस मामले में फिक्स मैचों पर सैकड़ों छोटे छोटे सट्टे शामिल हैं जिसमें प्रत्एक मामले में लाखों यूरो की कमाई की गई। जेडडीएफ और डाइ वेल्ट ने अर्जेंटीना के पूर्व खिलाड़ी मार्को ट्रुंगेलिटी से भी बात की जिन्होंने दावा किया था कि सट्टेबाजों ने उनसे संपर्क किया था। ट्रुंगेलिटी ने कहा, विश्व रैंकिंग में शीर्ष 50 में शामिल पेशेवर खिलाड़ियों ने भी मैच फिक्स किए हैं।

वेस्ट इंडीज पर धीमी ओवर गति के लिए जुर्माना

चेन्नई, 16 दिसंबर (भाषा)।

वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों पर भारत के खिलाफ पहले एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान धीमी ओवर गति के लिए मैच शुल्क का 80 फीसद जुर्माना लगाया गया है। आइसीसी मैच रेफरी डेविड बून ने निर्धारित समय के दौरान चार ओवर कम करने के कारण कीरोन पोलार्ड की टीम पर यह जुर्माना लगाया। आइसीसी ने बयान में कहा, आइसीसी की खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ के लिए आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के अनुसार टीम के निर्धारित समय में ओवर पूरे नहीं करने की स्थिति में खिलाड़ियों पर प्रति ओवर की दर से उनके मैच शुल्क का 20 फीसद जुर्माना लगाया जाएगा। इस तरह से उसके प्रत्येक खिलाड़ी पर मैच शुल्क का 80 फीसद जुर्माना लगाया गया। यह अनुच्छेद धीमी ओवर गति से जुड़ा है।

मुंबई सिटी के कोच का आरोप

रैफरी ने खिलाड़ी को बंदर कहा

बंगलुरु, 16 दिसंबर (भाषा)।

मुंबई सिटी एफसी के मुख्य कोच जार्ज कोस्टा ने आरोप लगाया है कि बंगलुरु एफसी के खिलाफ उनकी टीम के इंडियन सुपर लीग मैच के दौरान रैफरी ने उनके एक खिलाड़ी को बंदर कहा। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआइएफएफ) इस आरोप की जांच करेगा।

रविवार को कांतीर्वा स्टेडियम में बंगलुरु एफसी के खिलाफ टीम की 3-2 की जीत के बाद प्रेस कांफ्रेंस शुरू करने से पूर्व कोस्टा ने बयान पढ़ा कि सऊदी अरब के रैफरी तुर्की अलखुदायर ने गेबन के खिलाड़ी सर्ज केविन को बंदर कहा और कुछ इशारे किए जो अपमानजनक थे। कोस्टा ने कहा, मैं सम्मान की बात कर रहा हूं जो उसने (मैच अधिकारी) आज एक खिलाड़ी-सर्ज केविन के साथ मैच के दौरान नहीं दिखाया। इस रैफरी ने कुछ इशारे किए, उसे बंदर कहा। और इस तरह की चीजें हुई कि मैं अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता। लीग के आयोजक एफएसडीएल के प्रवक्ता ने कहा है कि एआइएफएफ से इस आरोप की जांच करने का आग्रह किया गया है। उन्होंने कहा, आइएसएल ने एआइएफएफ को इस मामले की पूरी तरह से जांच करने को कहा है और इससे आगे इस समय टिप्पणी करना अनुचित होगा। आइएसएल के नियमों के अनुसार इस तरह के सभी मामलों से एआइएफएफ की अनुशासन समिति निपटती है। केविन अफरीकी देश गेबन के निवासी हैं और मुंबई सिटी के लिए मिडफील्डर के रूप में खेलते हैं।

कोच कोस्टा ने बयान पढ़ा कि सऊदी अरब के रैफरी तुर्की अलखुदायर ने गेबन के खिलाड़ी सर्ज केविन को बंदर कहा और कुछ इशारे किए जो अपमानजनक थे

घटना, अखिल भारतीय फुटबाल महासंघ इस आरोप की जांच करेगा

विश्व कप से पहले पृथ्वी साव से सलाह ली : प्रियम गर्ग

बंगलुरु, 16 दिसंबर (भाषा)।

भारत की अंडर-19 क्रिकेट टीम के कप्तान प्रियम गर्ग ने खुलासा किया है कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में 17 जनवरी से नौ फरवरी तक होने वाले अंडर-19 विश्व कप में टीम के खिताब की रक्षा के अभियान की अपनी योजना बनाने और टीम को एकजुट करने पर पूर्व कप्तान पृथ्वी साव से सलाह ली।

अंडर-19 विश्व कप से पहले भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका में मेजबान टीम के खिलाफ तीन एकदिवसीय मैच खेलेगी और इसके बाद चतुष्कोणीय शृंखला में हिस्सा लेगी जिसमें जिंब्बाब्वे और न्यूजीलैंड की अंडर-19 टीमें भी खेलेंगी।

भारत की अंडर-19 टीम के दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना होने से पहले 'ईएसपीएनक्रिकइंफो' ने गर्ग के हवाले से कहा, मैंने अब तक विराट सर (भारतीय सीनियर टीम के कप्तान विराट कोहली) से बात नहीं की है, मैंने पृथ्वी से काफी बात की है। उन्होंने मुझे बताया कि आपकी रणनीति, आपकी प्रक्रिया और आपकी टीम की एकजुटता सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, टीम जितनी अधिक एकजुटता की भावना को महसूस करेगी, उतना ही बेहतर प्रदर्शन करेगी। पृथ्वी ने साथ ही कहा कि टीम को पता होना चाहिए कि उसका मजबूत पक्ष क्या है। उन्होंने बताया कि 2018 में भारत की सफलता में टीम की एकजुटता ने अहम भूमिका निभाई।

भारत इस टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम है और अब तक चार खिताब जीत चुकी है। पिछले टूर्नामेंट में भारत ने फाइनल में आस्ट्रेलिया को आठ विकेट से हराया था और टूर्नामेंट में अजेय रही थी। हालांकि गर्ग ने जोर देते हुए कहा कि टीम पर कोई दबाव नहीं है। उन्होंने कहा, मैं इसे सिर्फ इतने बड़े टूर्नामेंट में टीम की कप्तानी करने के मौके के तौर पर देख रहा हूं। हमने इतनी सारी प्रतियोगिताओं में खेले हैं इसलिए यह हमारे लिए फायदे की स्थिति है। एक कप्तान के रूप में मैं सोच रहा हूं कि अपनी टीम को आगे कैसे ले जाऊं। मुश्किल हालात के टीम को कैसे संभालूं। भारत की अंडर-19 टीम के मुख्य कोच पारस महाम्ब्रे ने कहा कि टीम संतुलित है और टूर्नामेंट से पहले अभ्यास मैचों में कुछ संयोजनों को लेकर प्रयोग करने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा, अच्छी चीज यह है कि हमारी टीम काफी संतुलित है।

हमारे पास तेज गेंदबाजी आलराउंडर, स्पिन आलराउंडर, स्तरीय तेज गेंदबाज और बल्लेबाज भी हैं। इसलिए दक्षिण अफ्रीका में ये मुकाबले हमें प्रयोग करने और कुछ संयोजनों को आजमाने का मौका देंगे। अंडर-19 विश्व कप के 13वें टूर्नामेंट में 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं जिन्हें चार ग्रुप में बांटा गया है। भारत को ग्रुप ए में पहली बार क्वालीफाई करने वाले जापान, न्यूजीलैंड और श्रीलंका के साथ रखा गया है। प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष दो टीमें सुपर लीग चरण में जगह बनाएंगी।

स्टोक्स को बीबीसी का शीर्ष खेल पुरस्कार

एबेरडीन (स्काटलैंड), 16 दिसंबर (एपी)।

विश्व कप विजेता इंग्लैंड के स्टार क्रिकेटर बेन स्टोक्स ने बीबीसी ने 2019 में 'वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खेल हस्ती' चुना है। स्टोक्स ने इंग्लैंड की खिताबी जीत में सूत्रधार की भूमिका निभाई थी। इंग्लैंड ने फाइनल में बाउंड्री की गिनती के आधार पर न्यूजीलैंड को हराया था। इसके बाद एशेज शृंखला में भी स्टोक्स ने शानदार प्रदर्शन किया जिसकी बदौलत लोगों ने उनके लिए वोट डाले।

उन्होंने छह बार के फार्मूला वन विश्व चैंपियन लुईस हैमिल्टन और 200 मीटर में विश्व चैंपियन दीना एशेर स्मिथ को हराया। स्टोक्स ने कहा, दो साल पहले मेरे जीवन का कठिन दौर था। उसके बाद से कई लोगों ने मेरी मदद की।

बांबे बुलेट्स आइबीएल के सेमी फाइनल में

नई दिल्ली, 16 दिसंबर (भाषा)।

बांबे बुलेट्स ने 1-3 से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करके सोमवार को यहां ओड़ीशा वारियर्स को 4-3 से हराकर बिग बाउट इंडियन बॉक्सिंग लीग (आइबीएल) के सेमी फाइनल में अपनी जगह सुरक्षित की।

बांबे बुलेट्स ने सही समय पर वापसी की और लीग चरण में 18 अंक के साथ अपने अभियान का समापन किया। बिग बाउट में पदार्पण कर रहे रोहित ने बुलेट्स के लिए दिन का पहला अंक बनाया। रोहित ने प्रमोद कुमार को हराया जबकि कविंदर सिंह बिष्ट (57 किग्रा), कप्तान इनग्रिट लोरेना वालेंसिया (महिला 51 किग्रा) और नवीन बूरा (69 किग्रा) ने बाकी मैच जीतकर न सिर्फ अपनी टीम की शानदार वापसी दिलायी बल्कि उसे सेमी फाइनल में भी पहुंचा दिया। ओड़ीशा वारियर्स अच्छी शुरुआत का फायदा उठाने में नाकाम रहा। उसकी तरफ से जैसमीन (महिला 57 किग्रा), दीपक (52 किग्रा) और संध्या रानी (महिला 60 किग्रा) ने जीत दर्ज की।

तोक्यो में 2012 ओलंपिक से अधिक पदक जीत सकता है भारत : रिजिजू

नई दिल्ली, 16 दिसंबर (भाषा)।

खेल मंत्री किरण रिजिजू ने सोमवार को कहा कि भारत के पास अगले साल होने वाले तोक्यो ओलंपिक के दौरान 2012 लंदन ओलंपिक में जीते गए अब तक के सर्वाधिक पदकों का रिकार्ड तोड़ने की क्षमता है।

भारत ने लंदन 2012 में दो रजत और चार कांस्य पदक जीतकर अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था लेकिन रियो 2016 में खिलाड़ियों ने निराश किया और वे केवल दो पदक ही जीत पाए। रिजिजू ने 'एजंडा आजतक' में कहा, हम टॉप्स कार्यक्रम के तहत अपने खिलाड़ियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन कर रहे हैं। अभी हम आधा रास्ता तय कर चुके हैं। तोक्यो के लिए 61 खिलाड़ियों ने क्वालीफाई किया है। क्वालीफाइंग प्रक्रिया मई तक चलेगी। उन्होंने कहा, खेलों से आठ नौ महीने पहले यह कहना सही नहीं है कि हम कितने पदक जीतेंगे। मैं अभी केवल आकलन कर रहा हूं कि हमारे पास लंदन के रिकार्ड को तोड़ने की क्षमता है। रिजिजू ने कहा कि देश में खेल क्षेत्र से जुड़े कई मसले हैं जिनका हल निकालने की जरूरत है। उन्होंने कहा, कई मसले हैं। सुशासन सबसे बड़ा मसला है। कई बार अगर खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो महासंघ उस खिलाड़ी को आगे नहीं बढ़ाता, वह उसके बारे में मंत्रालय को नहीं बताता। रिजिजू ने कहा, खिलाड़ी, महासंघ और सरकार को मिलकर काम करना होगा। इससे पहले महासंघ और सरकार हमेशा आपस में लड़ते रहे लेकिन जब मैं मंत्री बना तो मैंने महासंघों को बुलाया और कहा कि मैं आपके ऊपर शासन करने के लिए नहीं आया हूं।

भारतीय कप्तान की बल्लेबाजी के मुरीद हुए वेस्ट इंडीज के महान बल्लेबाज **प्रशंसा** अविश्वसनीय है विराट की फिटनेस का स्तर और मानसिक दृढ़ता

क्रिकेट के क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं कोहली : लारा

विशाखापत्तनम, 16 दिसंबर (भाषा)।

वेस्ट इंडीज के महान बल्लेबाज ब्रायन लारा का मानना है कि विराट कोहली खेल के प्रति अपने समर्पण के मामले में सुपरस्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तरह हैं जबकि केएल राहुल भी प्रतिभा के मामले में भारतीय कप्तान के समकक्ष ही हैं।

महानतम बल्लेबाजों में शुमार लारा ने कहा कि बल्लेबाजी को 'अविश्वसनीय स्तर' तक ले जाने के लिए अपनी प्रतिभा को निखारने के कोहली के फन के वह मुरीद हैं।

उन्होंने एजंसी से कहा, यह विराट की तैयारी के अलावा क्रिकेट के प्रति उसके असाधारण समर्पण की भी बात है। मुझे नहीं लगता कि वह केएल राहुल या रोहित शर्मा से ज्यादा प्रतिभाशाली हैं लेकिन खुद को तैयार करने के लिए उनका समर्पण उन्हें अलग बनाता है। वह क्रिकेट का क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। उन्होंने कहा, उनकी फिटनेस का स्तर और मानसिक दृढ़ता अविश्वसनीय है।

कहा खेल के प्रति समर्पण उन्हें औरों से अलग बनाता है

टैस्ट क्रिकेट में 12000 के करीब रन बना चुके लारा ने कहा कि कोहली किसी भी युग की सर्वश्रेष्ठ टीम में जगह बनाएंगे, चाहे वह क्लाइव लायड की सत्तर के दशक की अपराजेय टीम हो या सर डान ब्रैडमेन की 1948 की विश्व विजेता टीम।

लारा ने कहा, उनका बल्लेबाजी कौशल अविश्वसनीय है। उन्हें किसी भी दौर की टीम से बाहर नहीं रखा जा सकता। खेल के सभी प्रारूपों में जिनका औसत 50 हो, वह तो अविश्वसनीय ही होंगे। लारा ने इंग्लैंड के हरफनमौला बेन स्टोक्स की भी तारीफ की जिसने विश्व कप और एशेज में शानदार प्रदर्शन किया था।

उन्होंने हेडिंग्ले में एशेज टैस्ट में स्टोक्स की 135 रन की नाबाद पारी के बारे में कहा, वह असाधारण पारी थी। उसे न सिर्फ उस पारी का बल्कि विश्व कप फाइनल में 84 रन की नाबाद पारी का श्रेय भी दिया जाना चाहिए। इससे कुछ समय पहले ही उन्होंने काफी खराब दौर देखा था और उससे उबरकर एक मजबूत क्रिकेटर के तौर पर उन्होंने वापसी की। वेस्ट इंडीज क्रिकेट की मौजूदा दशा और अधिकांश खिलाड़ियों के टी-20 लीगों में खेलने के बारे में उन्होंने कहा, हर क्रिकेटर की अपनी पसंद होती है। सत्तर के दशक में कैरी पैकर के समय भी ऐसा देखा गया था। यह कोई नयी बात नहीं है।

उन्होंने कहा, हर कोई तो वेस्ट इंडीज टीम में नहीं होगा तो अगर टी-20 लीग खेलकर पैसा कमाने का मौका मिलता है तो क्यो नहीं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है। लारा ने कहा, भारतीय क्रिकेट टीम को देखिए। उसके पास दुनिया की सबसे आकर्षक टी-20 लीग (आइपीएल) है लेकिन वे टैस्ट क्रिकेट और बाकी प्रारूपों को लेकर भी उत्साहित रहते हैं।

वह वेस्ट इंडीज क्रिकेट को अपनी सेवाएं देने के खिलाफ नहीं है लेकिन उन्होंने कहा कि कैरेबियाई क्रिकेट बोर्ड को तय करना होगा कि उनकी सेवाओं की कितनी जरूरत है। उन्होंने कहा, यह बोर्ड को तय करना है कि वह किनकी सेवाएं चाहता है। पहले भी कई पूर्व क्रिकेटरों ने काम किया है। जहां तक मेरा सवाल है तो हो भी सकता है, कौन जानता है।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 37, अंक 30, *हवाई शुल्क:* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार।
कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।

www.readwhere.com

Quad Chamber LED Headlamps with DRLs

All-black Interiors with Captain Seats

Smartplay Studio

Automatic Transmission with Hill Hold & ESP

NEXA Safety Shield

- DUAL FRONT AIRBAGS
- ABS WITH EBD
- PEDESTRIAN PROTECTION COMPLIANT
- FULL FRONTAL IMPACT COMPLIANT, FRONTAL OFFSET IMPACT COMPLIANT, SIDE IMPACT COMPLIANT
- ISOFIX
- HEARTECT PLATFORM

T&C Apply. Features and accessories shown may not be part of standard fitment. Black glass shade on the vehicle is due to lighting effect. Images used are for illustration purposes only.

Contact us at
1800-200-[6392]
1800-102-[NEXA]
www.nexaexperience.com
NOW YOU CAN ALSO BOOK ONLINE

WEST DELHI
NEXA WEST PUNJABI BAGH – JAGMOHAN AUTOMOTIVES PVT. LTD. – PH: 7290054930
NEXA DWARKA SECTOR 9 – MAGIC AUTO – PH: 7290055667
NEXA RAJOURI GARDEN – TR SAWHNEY AUTOMOBILES – PH: 9999525750
NEXA JANAKPURI – DD MOTORS – PH: 9081900800
NEXA MAYAPURI – KRISH AUTOMOTORS – PH: 7838555076
NEXA DWARKA SECTOR 14 – COMPETENT AUTOMOBILES COMPANY – PH: 8860011600
NEXA MOTI NAGAR – AAA VEHICLEADES PVT. LTD. – PH: 8448993400

EAST DELHI
NEXA GHAZIPUR – MAGIC AUTO – PH: 9871755000
NEXA DILSHAD GARDEN – COMPETENT AUTOMOBILES – PH: 8377007962
NEXA GOKULPURI – VIPUL MOTORS PVT. LTD. – PH: 9870194313
NEXA PREET VIHAR – TR SAWHNEY AUTOMOBILES – PH: 7290091122
NEXA AKSHARDHAM – FAIRDEAL CARS – PH: 9999525161

NORTH DELHI
NEXA GT KARNAL ROAD – RANA MOTORS – PH: 7289999111
NEXA WAZIRPUR – COMPETENT AUTOMOBILES – PH: 9582668646
NEXA ROHINI SECTOR 10 – SAYA AUTOMOBILES LTD. – PH: 9582777477
NEXA NARELA – DD MOTORS – PH: 9081900800
NEXA PITAMPURA – KRISH MOTORS – PH: 7838555047

SOUTH DELHI
NEXA GREEN PARK – TR SAWHNEY AUTOMOBILES – PH: 7290099520
NEXA MOHAN CO-OPERATIVE – PLATINUM MOTO CORP – PH: 011-40347777, 9899118890
NEXA KAILASH COLONY – RANA MOTORS – PH: 9999788886
NEXA LAJPAT NAGAR – BAGGA LINK MOTORS – PH: 9818199367
NEXA OKHLA PHASE 1 – PREM MOTORS – PH: 011-42900000, 7065074531

CENTRAL DELHI
NEXA KAROL BAGH – DD MOTORS – PH: 9081900800

REWARI
NEXA DELHI ROAD – DINCO 4 WHEELS LLP – PH: 7082100301

NOIDA
NEXA SECTOR 63 – VIPUL MOTORS – PH: 9599814775
NEXA SECTOR 10 – FAIR DEAL CARS – PH: 9953993450
NEXA SECTOR 1 – ROHAN MOTORS – PH: 8376800026

GREATER NOIDA
NEXA IND AREA GREATER NOIDA – ROHAN MOTORS – PH: 8744000600

MANESAR
NEXA IMT MANESAR – PLATINUM MOTO CORP – PH: 9953345344

GHAZIABAD
NEXA MEERUT ROAD – ROHAN MOTORS LTD. – PH: 9599040601
NEXA SAHIBABAD – MOTORCRAFT SALES – PH: 8130582222

FARIDABAD
NEXA FARIDABAD CENTRAL – VIPUL MOTORS – PH: 9599814771
NEXA MATHURA ROAD – PASCO AUTOMOBILES – PH: 9999120572
NEXA NIT – BVA AUTO – PH: 1294121212

GURGAON
NEXA GOLF COURSE ROAD – TR SAWHNEY AUTOMOBILES – PH: 9999525740
NEXA SOHNA ROAD – COMPETENT AUTOMOBILES – PH: 0124-2877000, 7290025353
NEXA SECTOR 62 – VIPUL MOTORS – PH: 9205899710
NEXA IDC SEC 14 – PREM MOTORS – PH: 124-4440000, 7065074501
NEXA RAJIV CHOWK GURGAON – RANA MOTORS – PH: 8585991111
NEXA MG ROAD – PASCO AUTOMOBILES – PH: 9711290001

SOHNA
NEXA SOHNA – PASCO AUTOMOBILES – PH: 9899961000

SUZUKI connect – ADVANCED TELEMATICS SOLUTION
A REVOLUTIONARY WAY TO CONNECT TO YOUR CAR
- Vehicle Tracking
- Emergency Alert
- Driving Behaviour Analysis
- Live Vehicle Status
- Vehicle Alerts

Offered separately as Genuine NEXA Accessory

www.readwhere.com